सप्तम माला, 28 November 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Fourth-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

अंक 9. शुक्रवार, 28 नवम्बर, 1980/7 अग्रहायण, 1902 (शक)

विषय		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 161, 1 3, 165 और 166	...	1-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 162, 164, 167 से 179 और 181	...	20-29
अतारांकित प्रश्न संख्या 1593 से 1600, 1602 से 1638, 1640 से 1739, 1741 से 17-6 और 1749 से 1792	...	29-164
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	...	164-165
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	165-167
लोक लेखा समिति के विवरण	...	168
राज्य सभा से संदेश	...	168
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, आयुर्विज्ञान शिक्षा इत्यादि को नई दिशा देने के बारे में याचिका		
श्रीमती गीता मुजर्खी	...	168
रोजगार के अधिक अवसर जुटाने, मूल्य वृद्धि, शिक्षा, मूल अधिकारों में "काम का अधिकार" शामिल करने आदि के बारे में याचिका		
श्री के. ए. राजन	...	168-169
प्रसारण एककों की नीतियों तथा कार्यक्रमों से सम्बद्ध सलाहकार समिति को गठित करने के बारे में वक्तव्य		
श्री वसंत साठे	...	169-170

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

सभा का कार्य	...	170-197
सदस्य द्वारा त्यागपत्र		
श्री जानकी वल्लभ पटनायक	...	197
समिति के लिए निर्वाचन केन्द्रीय रेशम बोर्ड	...	198
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबधी समिति दसवां प्रतिवेदन	...	199
आदिवासी क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों के लिये नीतियों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वित करने के बारे में संकल्प	...	199-230
श्री राम विलास पासवान	...	199-202
श्री दलबीर सिंह	...	202-204
श्री मनमोहन टुडु	...	204-206
श्री अरविन्द नेताम	...	207-210
श्री रामावतार शास्त्री	...	210-213
श्री वागुन सुम्बरुई	...	213-218
श्री आर. के महालगी	...	218-220
श्री राम प्यारे पनिका	...	220-222
श्री मूलचन्द डांगा	...	222-225
श्री पीयूष तिरकी	...	225-227
श्री चक्रधारी सिंह	...	227-229
श्री पी. नामग्याल	...	229-230
आधे घंटे की चर्चा	...	231-250
महात्मा गांधी पर फिल्म		
श्री रतनसिंह राजदा	...	231-236
श्री वसंत साठे	...	236-250
श्री वृद्धि चन्द जैन	...	245-246
श्री हरिकेश बहादुर	...	246
श्री रामावतार शास्त्री	...	246-247
श्री राम विलास पासवान	...	247-248

लोक सभा

शुक्रवार, 28 नवम्बर, 1980/7 अग्रहायण, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

निर्यातों पर राजसहायता

*161. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यातों पर दी जाने वाली राजसहायता पर प्रतिबन्ध लगाने या उसमें कटौती करने का निर्णय लिया है या विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या इस कार्य से हमारे निर्यातों की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

संभवत माननीय सदस्य का संकेत नकद क्षतिपूरक समर्थन के अन्तर्गत किए गए व्यय से है । इस व्यय को निर्यात सम्बन्धी राज सहायता नहीं समझा जाना चाहिए क्यों कि नकद क्षतिपूरक समर्थन भारतीय निर्यातकों को इसलिए दिया जाता है कि शुल्क वापसी के बाद प्रत्यर्पित न किए गए अप्रत्यक्ष शुल्कों और करों, निर्यात उत्पादन में लगाई गई कार्यकारी पूंजीपर वसूल किए जाने वाले ब्याज की ऊंची दरों, निर्यात उत्पादन के प्रयोग में लाये जाने वाले देश पूंजीगत उपस्करों की ऊंची लागत, विपैरी भाड़ दरों आदि के रूप में भारतीय निर्यातकों को होने वाली हानियों या बाधाओं के लिए क्षतिपूर्ति की जा सके या इनका निराकरण किया जा सके ।

इसे दृष्टिगत रखते हुए निर्यात के लिए दिए जाने वाले नकद क्षतिपूरक समर्थन में कोई कमी या कटौती करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । जैसा कि मंत्रिमण्डल ने निदेश दिया है स्थिति पर नकद सहायता पुनरीक्षा समिति द्वारा लगातार नजर रखी जाती है और जहां कहीं आवश्यकता होती है दरों में कमी की जाती है या उन्हें वापस ले लिया जाता है ।

श्री जी. एम बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, इस नकद सहायता पुनरीक्षा समिति ने

पीछे दरों की समीक्षा कब की थी ? इस समीक्षा के परिणामस्वरूप कितनी मदों की दरों को समाप्त किया गया अथवा कम अथवा बढ़ा दिया गया ? इस संशोधन के अनुसार राजकोष को कुल कितनी बचत होगी अथवा उसे कितने अतिरिक्त दायित्व का वहन करना होगा ?

श्री आर. वेंकटरामन : महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध दो मन्त्रालयों से, विशेषकर वाणिज्य मन्त्रालय से है । अतः मैंने श्री प्रणव मुखर्जी से यहां रहने का अनुरोध किया है और वह इसका उत्तर देंगे ।

वाणिज्य और इस्पात तथा खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय आपकी अनुमति से मैं यह बताना चाहता हूं कि नकद सहायता पुनरीक्षा समिति का कार्य अलग-अलग वस्तुओं के लिये नकद सहायता की राशि निर्धारित करना होता है और नकद सहायता का वास्तविक उद्देश्य उपदों में वापस न मिलने वाले शुल्क तत्व का निराकरण करना होता है । अतः महोदय यह प्रत्येक मद पर निर्भर करता है । कभी-कभी यदि वापस न मिलने वाले शुल्क तत्व का निराकरण करने पर विचार करते समय हमें यह पता चलता है कि नकद सहायता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है तो हम उस मद को सहायता के लिये शामिल नहीं करते हैं । यदि हम यह सोचते हैं कि उसमें वृद्धि अथवा कमी करने की आवश्यकता है तो हम उस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करते हैं । यही व्यवस्था है ।

श्री जी.एम बनातवाला : महोदय, मेरा प्रश्न व्यवस्था के विषय में नहीं था । मेरा प्रश्न स्पष्ट है । इस समिति ने अन्तिम बार इन दरों की पुनरीक्षा कब की ? जहां तक मैं समझता हूं कि 25 मामलों में सहायता वापस ली गई है 3 मदों में दरें कम की गई हैं और 2 मदों में वृद्धि की गई है और 71 मदों के सम्बन्ध में दरें वही रही हैं । मेरा स्पष्ट प्रश्न इस बारे में था । आपने इन दरों की पिछली बार पुनरीक्षा कब की ? इस पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप कितनी बचत की गई ? महोदय, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है । मैं इन राज सहायताओं और नकद सहायता योजनाओं के हित में यह जानना चाहता हूं और इसलिए ही यह प्रश्न उठाया है । और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह मेरा पहला प्रश्न है ।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक अन्तिम बैठक का सम्बन्ध है मैं बैठक की सही तारीख जानने का प्रयास कर रहा हूं । किन्तु मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि समिति की लगभग हर महीने बैठक होती है । जिस बात विशेष के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है—पिछली बैठक के बारे में—मुझे सही तारीख याद नहीं है किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि यह बैठक अक्तूबर मास में हुई थी । मैं आपको बाद में सही तारीख बता दूंगा ।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं बचत के बारे में जानना चाहता था । यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ।

श्री प्रणव मुखर्जी : जब तक पूरे वर्ष की पुनरीक्षा नहीं की जाती, उसके बारे में बताना कठिन है जब तक निर्यात को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता, आप निर्यात की मात्रा के बारे में नहीं जान सकते हैं । केवल दरें बता देने से बचत के बारे में नहीं जाना जा सकता, उसका पता तो मद विशेष के कुल निर्यात आंकड़ों से ही चलेगा, और उनका पता तो वर्ष के अन्त में ही चलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिये ।

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदय, मुझे आपकी सहायता और संरक्षण की आवश्यकता है। अभी तो पहला अनुपूरक प्रश्न बता रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में अनेक मदों की मात्रा का तो प्रश्न ही क्या अनेक मदों पर नकद सहायता समाप्त कर दी गई है, कुछ मदों के बारे में इसे बढ़ा दिया गया है और अनेक मदों के सम्बन्ध में इसे कम कर दिया गया है।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं आंकड़े दे सकता हूं। अब यदि हम यह कल्पना करें कि निर्यात का स्तर 1977-78 का होगा तो तब उस स्तर पर 20 करोड़ रुपये की बचत होगी। किन्तु यह आंकड़े सगत नहीं हो सकते क्योंकि यदि निर्यात के आंकड़े कम अथवा बढ़ जाते हैं तो यह आंकड़े सही नहीं होंगे। यदि हम यह कल्पना करें कि निर्यात 1977-78 के स्तर का होगा तो नकद सहायता दर में कमी करने से कुल बचत 20 करोड़ रुपये होगी।

श्री जी. एम बनाततावाला : महोदय, क्या मैं उन मदों के नाम जान सकता हूँ जिन पर आपने नकद सहायता दरों में वृद्धि अथवा कमी की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरा अनुपूरक प्रश्न जारी हो गया है।

श्री जी एम. बनातवाला : आपने मदों की संख्या नहीं बताई।

श्री प्रणव मुखर्जी मैंने आंकड़े दे दिये हैं वह मदें 286 हैं।

श्री जी एम. बनातवाला : मैं पिछले वर्ष की निर्यात राजसहायता की कुल धनराशि जानना चाहता हूँ। इस वर्ष की व्यापार सन्तुलन की कठिन स्थिति के संदर्भ में राजकोष पर कितना और व्यय किया जायेगा ? उत्पादन की बढ़ती हुई लागत के कारण इसके लिये मैं वित्त मन्त्री महोदय का धन्यवाद करता हूं, और भारी विश्व मन्दी की सम्भावना के बारे में अभी हाल में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं के प्रतिवेदन में दी गई चेतावनी को ध्यान में रखते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार निर्यात में वृद्धि करने के लिए नकद सहायता तथा राजसहायता में और वृद्धि करने पर विचार करेगी ?

श्री आर. वेंकटरामन : इस क्षति पूरक समर्थन के सम्बन्ध में 1977-78 की नकद सहायता 311·3 करोड़ रुपये हैं; 1978-79 में यह धनराशि 358·9 करोड़ रुपये हैं; 1979-80 में 3 4·2 करोड़ रुपये अर्थात संशोधित प्राक्कलन थे, 980-8 में बजट प्राक्कलन 338 करोड़ रुपये था। यही वास्तविक आंकड़े हैं।

जहां तक सरकार के समर्थन निर्यातों के सम्बन्ध में नीति का सम्बन्ध है, सरकार निर्यात बनाये रखने के लिये भरसक प्रयत्न करेगी क्योंकि वह व्यापार सन्तुलन की कठिन स्थिति से पूरी तरह अवगत है और निर्यात के सम्बन्ध में पूरे प्रयास किये जायेंगे।

श्रीमती कृष्णा साही : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि सिन्धु कमेटी की रूपरेखा क्या है, इसके कितने सदस्य है और इसकी कितनी अवधि है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : यह एक सरकारी समिति है। यह स्वाभाविक ही है कि यह वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत है। आयात-निर्यात के मुख्य नियन्त्रक तथा अतिरिक्त सचिव तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि इसमें लिये जाते हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकती हूं कि क्या सरकार इस नकद सहायता को व्यापारियों के स्थान पर वास्तविक उत्पादक को देगी क्योंकि यह सहायता इस समय व्यापारियों को दी जा रही है और इसका कुछ भी

अंश वास्तविक उत्पादकों को नहीं जा रहा है ? हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस सहायता का पर्याप्त अंश वास्तविक उत्पादक को भी मिले।

श्री प्रणव मुखर्जी : यदि उत्पादक स्वयं निर्यातक भी हो तब वह भी उसका हकदार होगा। नकद सहायता निर्यातकों के लिये है, यह उत्पादकों के लिए नहीं है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूँ कि क्या उन्हें इस तथ्य का पता है कि अनेक मामलों में निर्यातकों को राज सहायता नहीं दी गई है जबकि पिछले कुछ वर्षों में निर्यात किये गये हैं। यदि उन्हें इस तथ्य का पता है, तो मैं यह जानना चाहूँगा कि वह यह सुनिश्चत करने के लिये क्या उपाय कर रहे हैं कि यह लम्बित मामले यथा शीघ्र निपटाये जा सकें।

श्री प्रणव मुखर्जी : शुल्क की वापिसी के सम्बन्ध में दो तरह की शिकायतें हैं। नकद सहायता के अतिरिक्त, जैसा कि माननीय सदस्य अवगत है, हमने उत्पाद शुल्क तत्व का निराकरण करने के लिए शुल्क वापिसी की व्यवस्था की है और हमें शुल्क वापिसी के विवरण में प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब के बारे में बार बार शिकायतें मिलती हैं। अभी हाल में एक समिति बनाई गई थी; उन्होंने इसकी जांच की थी और हम प्रक्रिया के सरलीकरण का प्रयास कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : माननीय वित्त मन्त्री ने यह स्पष्ट कहा है कि निर्यात के लिये प्रोत्साहन देने के लिये हर सम्भव कदम उठाया जायेगा। श्री बनातवाला का प्रश्न यह था कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अब तक निर्यातकों को कितनी निर्यात राज सहायता दी गई है। इसका उत्तर अभी दिया जाना है

दूसरी बात यह है कि यह प्रसिद्ध है कि सरकार द्वारा उद्योगपतियों को राज सहायता के रूप में अब तक दी गई सहायता से सन्तुष्ठि नहीं है, फिक्की का कहना है कि उद्योगपतियों के अनुसार शत प्रतिशत निर्यात के लिये दी गई सुविधा का स्वागत है किन्तु यह प्रभावी नहीं होगी और इसे प्रभावपूर्ण बनाने के लिये उनका सुझाव है, अपितु उन्होंने यह मांग की है कि अत अधिक प्रभावी होने के लिए इस सुविधा को उन एककों को उपलब्ध किया जाना चाहिये जो अपने उत्पादन का 60 प्रतिशत उत्पादन निर्यात करते हैं तथा उन सहायक एककों को भी दी जानी चाहिये जो निर्यात एककों को पुरजे सप्लाई करते हैं।" इसका अर्थ यह हुआ कि वह वर्तमान राज सहायता से सन्तुष्ठ नहीं हैं वह और राज सहायता चाहते हैं। सरकार की इस संबध में प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री आर वेंकट रामन : जहां तक निर्यात संवर्धन में कुल बजट व्यय है, 1977-78 में यह 327 करोड़ रुपये था, 1978-79 में 402 करोड़ रुपये और 1979-80 में 303 करोड़ रुपये था यह संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार हैं। 1980-81 के बजट प्राक्कलन 370 करोड़ रुपये हैं। नकद सहायता और कुल प्राक्कलनों में बहुत ही कम अन्तर है। यह अन्तर केवल 50 से 60 करोड़ रुपये का होगा।

मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि लोग "राजसहायता" शब्द का प्रयोग करते हैं, किन्तु वास्तव में यह राजसहायता नहीं है। यह तो वास्तव में परिवहन लगान में कुछ अप्रत्यक्ष करों, कुछ अन्य विनेदक दरों और निर्यात में न दिखाई देने वाली लागत की एक प्रकार

की क्षतिपूर्ति है। यदि हम राजसहायता दे तो यह जी. ए. टी. टी. के नियमों का उल्लंघन होगा। दूसरे देशों के लोग यह कहने का प्रयास कर रहे हैं। कि हम राज सहायता दे रहे हैं। मैं सदन में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई राजसहायता नहीं दी जाती है। क्षतिपूर्ति ऐसी लेवी पर दी जाती है। जिनपर व्यय होता है और जिनकी मात्रा में अंकन नहीं किया जा सकता है।

अन्य देश अन्य देशों में अपने सामान को जमा करने के लिये राज सहायता देते हैं। दूसरी ओर हम कुछ लेवी विशेष पर क्षतिपूर्ति कर रहे हैं जिसे मात्रा में अंकित नहीं किया जा सकता।

जहाँ तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, क्या फिक्की और चाहता है यह ओलीवर टिव्हस्ट की तरह है। यह तो हर समय माँगता रहता है। हम जो भी दे दें किन्तु फिक्की कभी संतुष्ठ नहीं होता।

आप अधिभार में 10 प्रतिशत छूट देते हैं वे इससे ज्यादा चाहते हैं। आप उन्हें अतिरिक्त विभेदी भत्ते देते हैं, वे और ज्यादा चाहते हैं। वे अपनी अनुरोधों और संकल्पों में ज्यादा की माँग प्रस्तुत करें, क्योंकि बजट मात्र शुरू हो गया है। सरकार इस बात का हिसाब लगाती है कि कितनी धनराशी उपर्युक्त हानि की तुलना में हमारे सामान और वस्तुओं की क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक होगी और सरकार उसी सीमा तक सहायता कर सकती हैं। सरकार उन लोगों की माँगों को पूरा नहीं कर सकती जो इससे लाभ कमाना चाहते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया: मैं समझता हूं कुछ नकद प्रोत्साहन, जो कोटा मदों के लिए थी दिए जाते हैं। कुछ वस्तुओं से वापस ले लिए गये हैं। यदि हम अपना कोटा पूरा नहीं करते, तो ये मलेशिया और इन्डोनेशिया जैसे दूसरे देशों को दिये जा सकते हैं और इससे हमारे व्यापारिक सम्बन्धों को भारी नुकसान होगा। जैसा कि श्री बनावाला ने कहा, बिजली के मूल्यों, वेतनों और पूँजीगत सामान और तेल के मूल्यों, में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए। कोटा मदों को कम किये जाने वाले नकद प्रोत्साहनों को समाप्त करने के लिए सरकार के पास क्या प्रचार है? कम से कम कोटा मदों के लिये नकद प्रोत्साहन फिर दिये जाने या लागू किए जाने पर क्या सरकार पुनर्विचार करेगी?

श्री प्रणव मुखर्जी यदि माननीय सदस्य ने किसी मद विशेष का उल्लेख किया होता तो मैं उसके पीछे के तर्काधार को बता सकता था। जैसा मैंने बताया सामान्य तरीके से हम हमेशा बाजार में अपने उत्पादों की प्रतियोगिता की स्थिति को ध्यान में रखते हैं क्यों कि हम एकदम सीधे निर्यात योग्य मदों को आर्थिक सहायता प्रदान नहीं कर सकते। विभिन्न देश प्रतिकर लगाते हैं और वे यह दलील दे रहे हैं कि हम अपने उत्पादों को भारी आर्थिक सहायता दे रहे हैं और इस प्रकार उनके घरेलु उत्पादों को क्षति पहुँचती है। अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर यह दलील दी जा रही है।

यदि मुझे वह विशेष वस्तु बताई जाती है, जो माननीय सदस्य महोदय की जानकारी में है, तो मैं उसके कारण बता सकूँगा, क्योंकि कोटा किसी एक वस्तु तक समीति नहीं है। वस्त्रों में भी विभिन्न विनिर्देशन है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : 'फिक्की' की 60 प्रतिशत की मांग के सम्बन्ध में पहले के प्रश्न के उत्तर में क्या माननीय मन्त्री महोदय इस बात का आसवासन देने की कृपा करेंगे कि वे इस तरह की मांगों को खासतौर पर इस मांग को स्वीकार करने नहीं जा रहे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मांग श्री चित्त बसु द्वारा की गई थी ।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं सम्मानित सदन तथा माननीय सदस्य को इस बात से आश्वस्त करता हूं कि सरकार वही करेगी जो सही एवं उचित होगा ।

"थर्ड लाइन एयर सर्विस" चालू करने के संबन्ध में की गयी प्रगति

*163 **श्री के. लकप्पा :** क्या पर्यटन और नागर विमान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 'थर्ड लाइन एयर सर्विस" चालू करने के संबन्ध में कितनी प्रगति की गयी है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कौन से स्थान शामिल किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस सेवा को प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में फीडर सेवाओं के परिचालन का सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर दिया है। जहां तक अन्य स्थानों का संबंध है, मामला अभी विचाराधीन है। एजेंसी, जिसे परिचालन का कार्य सौंपा जाए, विमान सेवा से जोड़े जाने वाले स्थानों, प्रयोग किये जाने वाले विमान के प्रकार आदि के प्रश्नों की जांच की जा रही है ।

श्री के. लकप्पा : उपाध्यक्ष महोदय, गत बजट सत्र के दौरान यह प्रश्न उठाया गया था । अब वह विभाग श्री अनन्त प्रसाद शर्मा को सौंप दिया गया है । मुझे विश्वास है कि वह देश में । थर्ड लाइन एयर सर्विस स्थापित करने में गहरी रुचि ले रहे हैं । परन्तु प्रश्न यह है कि तीन महीने से संसद के सदस्य और जनता । थर्डलाइन एयर सर्विस' के बारे में बेचैन हैं। मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर पर्याप्तजनक नहीं है । यहां वह कहते हैं " इस पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है " "सक्रिय विचार हो रहा है" उत्तर से जनता संतुष्ट नहीं होगी । उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अलावा, मैं जानना चाहूंगा कि क्या थर्डलाइन एयर सर्विस' के लिए कोई दूसरा विशेष प्रस्ताव अथवा वृहद योजना शीघ्र कार्यान्वित होने जा रही है अथवा क्या अभी भी इस पर सरकार द्वारा सक्रिय विचार किया जा रहा है ।

पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : जैसा कि मेरे साथी द्वारा बताया गया है, सिद्धान्ततः 'थर्डलाइन एयर सर्विस' स्थापित करने के इस प्रश्न पर विचार किया गया है और जैसा कि अनेक अवसरों पर पहले ही मैंने इस बात की संकेत दिया है, मैं इसे और स्पष्ट कहूंगा, बहुत जल्दी हम उत्तर पूर्वी-क्षेत्र में यह सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। हमने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थान भी निर्दिष्ट कर दिए हैं। शुरूआत करने के लिए, हम अगले वर्ष से सेवाएं चलाने जा रहे हैं । इनकी संख्या 18 है । देश में, दूसरे स्थानों के सम्बन्ध में, उन स्थानों को भी जहां ये सर्विस चलाई जाती हैं, पता लगाया गया है और उनके सम्बन्ध में, प्रश्न के मुख्य

भाग के उत्तर में मेरे साथी ने बताया कि यह सरकार के विचाराधीन है और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार जल्दी ही इस मामले में निर्णय करेगी।

श्री के. लकप्पा : यद्यपि इस आशय का स्पष्ट संकेत है और चूंकि इस देश में नागर विमानन पर्यटन कार्यकलाप के साथ सम्बन्धित है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या देश में पर्यटन के विकास तथा पर्यटन कार्यों के विस्तार के बारे में विचार करते समय 'थर्डलाइन एयर सर्विस' पर भी विचार किया जाएगा। देश में कई महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र हैं जो किसी सर्विस के अन्तर्गत नहीं आते। मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे स्थानों को भी थर्ड लाइन एयर सर्विस के अन्तर्गत लाया जायगा, ताकि ये स्थान पर्यटन केन्द्रों से जुड़ें और इन स्थानों पर रहने वाले लोगों को भी लाभ हो। मैं इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर जानना चाहूंगा और यह भी जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय में कोई योजना तैयार की गई है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : देश में थर्ड लाइन एयर सर्विस' की स्थापना करने का निर्णय करते समय सरकार द्वारा निम्नलिखित स्थानों को ध्यान में रखा गया है :

(1) औद्योगिक महत्व,

(2) वाणिज्यिक महत्व,

(3) पर्यटकों के हितों का महत्व, (व्यवधान)

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : चार बातें सरकार के ध्यान में थी और चौथी बात थी : परिवहन के दूसरे साधनों द्वारा पहुँचने में दिक्कतें।

श्री एच.एन. नन्जेगौडा : सरकार ने विभिन्न राज्यों में कुछ जिलों को राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के रूप में पता लगाया गया है। क्या इन पिछड़े जिलों को 'थर्डलाइन एयर सर्विस से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ? दूसरे, माननीय सदस्य महोदय से अभी कह रहे थे कि उन्होंने विभिन्न राज्यों में कुछ स्थानों का पता लगाया है। मैं जानना चाहूंगा कि कर्नाटक में वे स्थान कौन से हैं जो उन्होंने 'थर्डलाइन एयर सर्विस' के लिए पता लगाये गये हैं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं उन स्थानों के जानने का इस प्रयोजन कर्नाटक में पता लगाया गया है, नामों का उल्लेख करते हुए मैं सभा पटल पर एक विवरण रखूंगा।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि 'थर्डलाइन एयर सर्विस' के सम्बन्ध में डी.वी. ब्रेगंजा समिति नियुक्त की गई थी और इसने पहले ही अपनी रिपोर्ट दे दी है और जिन कुछ 'बमों की उसने सिफारिश की है उनमें कनाडा का 'आइटूर' अमेरिका का 'सेसना' और स्पेन का 'कासा' है और क्या उनका ध्यान इस रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो अमेरिकी विमान 'सेसना' के एजेंट हैं··· (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्णय आपको करना है कि मेरा प्रश्न विषय के अनुकूल है अथवा नहीं'। यहां केवल एक ही पीठासीन अधिकारी है, अनेक पीठासीन अधिकारी नहीं।··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय आपको करना है कि क्या आपको उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना चाहिए जो स्वयं का बचाव करने के लिए यहां मौजूद नहीं हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : जब तक कोई किसी के लिए अनादरपूर्ण टिप्पणी नहीं करता तब तक ऐसा कोई नियम नहीं है, कि सदस्यों को किसी के नाम का उल्लेख करने से रोकता हो। इस सदन में जयप्रकाश नारायण के नाम का उल्लेख किया गया था, पण्डित नेहरू के नाम का उल्लेख किया गया था और इस सदन में समय-समय पर अनेक नामों का उल्लेख किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं जानना चाहूंगा कि क्या वीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो इस अमेरिकी विमान 'सेसना' के एक एजेंट हैं और जिन्होंने एक कम्पनी अपना आश्रम भी स्थापित की है, तकनीकी विशेषज्ञों के साथ अमेरिका गए थे और क्या इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। और समिति की रिपोर्ट, जिसका मैंने उल्लेख किया है के बारे में अन्तिम निर्णय क्या है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैंने अभी कहा है कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में कई समितियां गठित की गई थी और ब्रेगजा समिति इस प्रश्न के सम्बन्ध में गठित की गई अंतिम समिति थी ब्रेगजा समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं और वे सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है कि हमें किस तरह के विमानों की खरीद करनी है और विभिन्न क्षेत्रों में हमें किस तरह परिचालन करना है। ये सभी प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं और सरकार इस मामले में शीघ्र ही निर्णय लेगी।

जहां तक प्रो. मधु दण्डवते द्वारा दी गई जानकारी का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उन्हें इस मामले में सरकार की तुलना में ज्यादा जानकारी मिल गई है। जो कुछ उन्होंने कहा, वह उनकी कल्पना तो हो सकती है, उसमें कोई सचाई नहीं है।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं माननीय मन्त्री महोदय को उस काम के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने इस देश में 'थर्डलाइन एयर सर्विस' कायम किए जाने का निर्णय लिया है, परन्तु इसके साथ ही मैं यह बात उनके नोटिस में लाना चाहूंगा कि यद्यपि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र देश में सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्र हैं, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ दूसरे भाग हैं, जो इसी तरह से पिछड़े हुए हैं। अन्तर इतना है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आन्दोलन चल रहा है और अण्डमान तथा निकोबार में कोई आन्दोलन नहीं चल रहा है। क्या यही कारण है जिसने वे अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 'थर्डलाइन एयर सर्विस' कायम किए जाने के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जहां तक, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में थर्डलाइन एयर सर्विस' कायम करने का विचार किए जाने का सम्बन्ध है। इसका वहां चल रहे आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है। विभिन्न चरणों में सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है और अब सरकार अन्तिम निर्णय लेने जा रही है।

जहां तक मेरे मित्र के स्थान का सम्बन्ध है। यह पहले से ही इण्डियन एयरलाइन्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए, इसका 'थर्डलाइन एयर सर्विस' के अन्तर्गत लाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मनोरंजन भक्त : अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में अनेक द्वीप समूह हैं। इंडियन एयर लाइन्स केवल पोर्टब्लेयर से जुड़ा हुई है। किसी अन्य द्वीप समूह से। माननीय मंत्री

महोदय, नौवहन सेवाओं की कठिनाइयों से परिचित हैं । वे नौवहन एवं परिवहन मंत्री थे । दुर्गम क्षेत्रों से पोर्टब्लेयर पहुंचने के लिए वहाँ इस तरह का कोई रास्ता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या माननीय मंत्री महोदय विभिन्न द्वीप समूहों में 'थर्डलाइन एयर सर्विस' चालू किए जाने के बारे के विचार करेंगे ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैंने यह पहले ही कह दिया है कि समिति ने इन प्रश्नों पर विचार किया है और महोदय, उन्होंने अनेक स्थान चुने हैं । महोदय, मैंने स्थानों की सूची सदन के सभा पटल पर रखने का वचन दिया है ।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : उपाध्यक्ष महोदय, कोंकण, जो कि एक पिछड़ा क्षेत्र है और सरकार ने भी इसे पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है, पिछले 33 वर्षों से उपेक्षा की जा रही है । महोदय, वहाँ रेलवे लाइन नहीं है । यद्यपि जब श्री. मधुदण्डवते रेल मन्त्रालय में सर्वेसर्वा थे तो वह कोंकण को रेल से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे । महोदय, मानसून के छः महीनों में समुद्र संचार व्यवस्था भंग हो जाती है । महोदय, रत्नगिरी में राज्य सरकार ने लाखों रुपये खर्च कर हवाई पट्टी बनाई है । गैर-सरकारी परिचालक दो साल तक उड़ानों का संचालन करते रहे किंतु सरकार से उनकी कुछ कठिनाईयों के कारण उन्हें उड़ानों का संचालन रोकना पड़ा । महोदय, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने कल कोंकण में कोलाबा में एक और हवाई पट्टी बनाने की घोषणा की है । इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये । क्या माननीय मन्त्री हमें बताएंगे कि इसका देश के कोंकण क्षेत्र को जिसकी इन वर्षों में अवहेलना हुई है । तीसरी हवाई सेवा से जोड़ा जायेगा ? यदि नहीं जोड़ा जायेगा तो उसके कारण क्या हैं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैंने पहले भी कहा है कि चुने गये स्थानों की सूची मैं सदन के सभा पटल पर रखूंगा । उसमें कोंकण को शामिल नहीं किया गया है ।

श्री आर० एस० स्पैरो : महोदय, जालंधर शहर केन्द्र है और पंजाब की राजधानी भी रही है । पंजाब के आधे जिले जालंधर के एक ओर है तथा आधे दूसरी ओर हैं । मैंने जैसा कहा है कि यह पंजाब की राजधानी रही है । दूसरी बात यह है कि जहाँ तक औद्योगिक उत्पादन का सम्बन्ध है विदेशी व्यापार का सम्बन्ध है, पंजाब मे सबसे अधिक निर्यात जालंधर से ही होता है । तीसरी बात यह है कि अधिकतम आव गमन, विदेशियों का आवागमन के मामले में भारत मे इसका पहला स्थान है । चौथी, बात यह है;

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक ही प्रश्न पूछ सकते है ।

श्री आर० एस० स्पैरो : महोदय, जालंधर शहर के समीप ही, केवल 12 मील की दूरी पर वायुसेना का एक हवाई अड्डा है । जैसा कि दिल्ली में किया जाता है, विस्तार का कुछ लाभ वहाँ भी दिया जाना चाहिए, ऐसा करना बहुत ही सुगम होगा । इस बात को दृष्टि में

रखते हुए मैं पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी कोई योजना जालंधर शहर को तीसरी वायु सेना के अन्तर्गत सम्मिलित करने की है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : महोदय, जब माननीय मित्र प्रश्न पूछ रहे थे तो मैं सूची देख रहा था। महोदय, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि जालंधर शहर सूची में है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (व्यवधान)। इसमें 35 मिनट लग चुके हैं। (व्यवधान) मुझे खेद है। मैंने श्री रीतलाल वर्मा का नाम बुलाया है। नहीं, नहीं, यह कोई तरीका नहीं हैं। (व्यवधान) जो बात श्रीमती प्रमिला दंडवते ने कही है उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : (व्यवधान)*

उत्पादन शुल्क तथा अन्य करों से मुक्त रखी गई आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं

*1 5. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले बजट सत्र के दौरान जिन आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क और दूसरे करों की छूट दी गई थी उनकी बजट से पूर्व की कीमतें क्या थीं और छूट देने के पश्चात अब उनकी कीमतें कितनी-कितनी निर्धारित की गई हैं;

(ख) क्या ये उपभोक्ता वस्तुएं उपभोक्ताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाती हैं; और

(ग) क्या किन्ही कम्पनियों ने उत्पादन शुल्क में दी गई छूट का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की है और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि ये वस्तुएं लोगों को आसानी से मिल रही थीं।

(ग) यद्यपि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून में ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है कि निर्माता, उत्पादन शुल्क में कटौती के लाभ को अपने माल के खरीददार तक पहुँचाए, फिर भी विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों ने सम्बन्धित उद्योगों को कहा है कि शुल्क में हुई इन कटौतियों का लाभ उपभोक्ता तक पहुँचाएं।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विवरण

थोक मूल्यों में बजट पश्चात परिवर्तन

मद	इकाई	बजट पूर्व मूल्य				बजट पश्चात मूल्य				
		मूल मूल्य	उत्पाद शुल्क	विशेष उत्पादन शुल्क	कुल जोड़	मूल मूल्य	उत्पादन शुल्क	विशेष उत्पादन शुल्क	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. सिलाई मशीनें									
1. रीटा-ग्रार. ए..101 हस्त चालित फैंसली मशीन-कवर के बिना	प्रति नग	260 00	20.80 (8 प्रतिशत)	शून्य	280.80	288.00	शून्य	शून्य	288.00
2. रीटा-ग्रार. ए.-101 पाद-चालित फैंमली मशीन-कवर के बिना	यथोपरि	436·00	34.88 (8 प्रतिशत)	शून्य	470.88	500.00	शून्य	शून्य	500.00
2. साइकिल और साइकिल के पुर्जे									
1. एटलस साइकिल	यथोपरि	312.60	13.88 (5 प्रतिशत)	शून्य	326.48	312.60	शून्य	शून्य	312.60
2. रैले 24"	यथोपरि	445.00	(इसमें उत्पादन शुल्क शामिल है।		445.00	440.00	शून्य	शून्य	440.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. हरकुलिस जेंटस पापुलर ब्लैक	यथोपरि	358·68	16.11 (5 प्रतिशत)	शून्य	374.79	369.00	शून्य	शून्य	369.00
वातित जल (मृदु पेय)									
. कैम्पा कोला	24 का डाला	11.05	6.63	—	17·68	12 00	4.80	0.24	17.04
2. गोल्ड स्पाट	यथोपरि	14.81	4.44	—	19.25	12.62	5.05	0.25	17.92
3. सोडा स्पेशल	यथोपरि	4.55	0·91 (20 प्रतिशत)	—	5.46	4.00	0.80	0.04	4.84
4. टूथ पेस्ट									
1. फारहेन्स 150 ग्राम	दर्जन	71.00	14.20	—	85 20	71.02	7.10	0.36	78.48
2. बिना काफल राइड	प्रति नग 40 ग्राम	1.86	0.37	—	2.23	1.86	0.19	0.01	2.06
5. साबुन									
1. सरल साबुन (100 ग्राम)	144 टिकियां	106.32	--	—	106.32	101.73	—	—	101.73
6. विद्युत बल्ब									
1. बजाज 25 वाट बी. सी. बियर	प्रति नग	2.71	—	—	2.71	2.71	—	—	2.71
2. फिलिप्स जी. एल. एस. 40 वाट गैस भरी कायल	यथोपरि	3 06	—	—	3.06	3.06	—	—	3.06

* मूल्यों मे उत्पादन शुल्क शामिल है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						फुटकर मूल्य			
7. प्राण रक्षक औषधि-द्रव्य						बजट पूर्व मूल्य		बजट पश्चात मूल्य	
1. टेट्रासाइक्लीन कैपसूल (प्रति 100)						48.50	48.50		(10-9-80)
2. क्लायडोक्लोर हाइड्रोक्सीक्वीनोलीन (प्रति 1000)						95.00	95.00		(10-9-80)
8. प्रेशर कूकर									
'प्रिम' 5 लिटर (ग्राघानों के बिना)						167.00	160.60		(17-11-80)
'प्रिम' 3 लिटर (ग्राघानों के बिना)						147.40	140.80		,,
'हाकिन्स' 4 लिटर						184.00	176.85		,,
,, 5 लिटर						197.50	189.55		,,

टिप्पणी :—उपर्युक्त मदो में से प्रत्येक के अन्तर्गत उत्पादों की अनेक किस्में हैं और इनकी कोई व्यापक सूची प्रस्तुत कर पाना व्यावहारिक नहीं है। इस सूची में, प्रत्येक मदों के अन्तर्गत दो या तीन चुनिन्दा किस्मों के उत्पादों के सम्बन्ध में ही सूचना दी गई है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं विगत बजट सत्र में मंत्री जी ने बड़े ही पुरजोर शब्दों में इस सदन को आश्वासन दिया था और घोषणा की थी जिस पर सदस्यों ने मेजें थपथपाई थीं कि जनता की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य गिराये जायेंगे और उन्होंने कई चीजों पर उत्पादन कर घटाया था। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन चीजों का उत्पादन-कर उन्होंने घटाया था उन सारी चीजों के दाम आज बाजार में और भी ज्यादा हैं केवल एक दो चीजें नमूने के रूप में, जो उन्होंने आश्वासन दिया था, उसके बावजूद जो दाम बढ़े हैं बताता हूँ। बाकी चीजों में सरकार के आदेश का पूरा-पूरा उल्लंघन हुआ है।

सिलाई मशीन के लिये सरकार ने घोषणा की थी कि गृहणियों के लिये उसके दाम घटाये गये हैं तो बजट के पहले उसके दाम 260 रुपये थे और अब 288 रुपये हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसमें कहाँ फायदा हुआ है ? उत्पादन कर घटाने के बावजूद भी दाम 260 के बजाय 288 रुपये हो गये हैं। उसी तरह से वस्त्र के लिये भी देखें तो उसकी भी वही हालत है, उसके दाम भी नहीं घटे हैं। साईकिल और सोफ्ट-ड्रिंक्स का जहां तक सवाल है।

उप सभापति महोदय : आपका प्रश्न क्या है। आप सरकार से क्या जानना चाहते हैं ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण कर रहा हूं। क्वेश्चन इसी तरह से आपके सामने बनेगा।

मंत्री जी ने कहा है कि डीजल इंजन का दाम घटायेंगे जिससे जो पेट्रोल से टैक्सी चला रहे हैं, वह डीजल से चला सकेंगे, लेकिन इसका भी कोई दाम नहीं घटा है। अगर घटा है तो मंत्री जी बताये कि कितना घटा है ? दियासलाई भी 20 पैसे को बिक रही है। मंत्री जी बतायें कि उन्होंने जो छूट दी है, बजट के पहले जो माल थे, उसमें कितनी गिरावट आई है या नहीं आई है ?

अगर हुआ है तो इनको देखने के लिये क्या आपके इंस्पेक्टर बाजारों का भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि दाम गिरे हैं या नहीं और आप जनता को ये वस्तुएं गिरे हुए दामों पर उपलब्ध हो रही हैं या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय इसका उत्तर देंगे।

वित्त मंत्री (श्री आर वेंकटरामन) : महोदय सभी वस्तुओं के मूल्य नियन्त्रित नहीं होते हैं और जिन वस्तुओं के मूल्य नियन्त्रित नहीं होते हैं, उसके लिये सरकार आदेश जारी कर यह नहीं कह सकती वस्तुओं के मूल्य एक विशेष सीमा तक निर्धारित किये जायें। बजट भाषण में भी मैंने कहा है, "मुझे आशा है कि मैं उपभोक्ताओं के लिए जो रियायतें दे रहा हूं, उन्हें व्यापारी लोग उनको देने का समुचित प्रयास करेंगे।" मैंने यह नहीं कहा था कि उत्पाद शुल्क में छूटें देने के परिणामस्वरूप मूल्यों में कमी हो जायेगी।

प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि माननीय सदस्य वक्तव्य को गुमराह करने वाले ढंग से रख रहे हैं। वह वक्तव्य को ठीक ढंग से पढ़ नहीं सके हैं। अब, मैं उन्हें समझाऊंगा। उन्होंने वातित जल के बारे में कि यह 24 रुपये का डालर था किन्तु वह 12 रुपये प्रति डालर हो गया है। वह उसे समझ नहीं सके हैं। आधारभूत मूल्य 11.05 रुपये था और उत्पाद शुल्क रु. 6.63 था और उस समय कुल बिक्री मूल्य रु. 17.68 था। बजट के पश्चात मूल्य 12 रुपये था और

उत्पाद शुल्क रु. 4.80 था और विशेष उत्पाद शुल्क 24 पैसे था और बिक्री मूल्य रु. 17.04 था। यद्यपि मैं इस थोड़ी सी कमी का श्रेय नहीं लेना चाहता किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि वह आंकड़ों को गलत पढ़ रहे हैं। वह आंकड़े पढ़ नहीं सकते हैं। यह बात उन सभी आंकड़ों पर लागू होती है जो उन्होंने उद्धृत किये हैं। सरकार ने उत्पाद शुल्क में कमी कर मूल्यों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया है। अनेक बातें हैं जो कीमतों में वृद्धि का कारण बनती हैं। औषधियों के मामले में आदान के लागत मूल्य में वृद्धि हो गई हैं तथा आवश्यक औषधियों के मूल्यों की पुनरीक्षा के लिये एक समिति बनाई गई है। समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप औषधियों के मूल्यों में वृद्धि हो गई। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि उत्पाद शुल्क में वृद्धि के कारण नहीं हुई हैं। जब भी किसी वस्तु विशेष के मूल्यों में वृद्धि होती है तो हमें उन बातों को ध्यान में रखना चाहिये, जिनके कारण मूल्य-वृद्धि होती है। सदन से मेरा यह निवेदन है कि यदि छूटें न दी जातीं तो मूल्यों में और अधिक वृद्धि होती, क्योंकि जब उत्पाद शुल्क अधिक होता है तो, वह मूल्यों में जुड़ जाता है और मूल्य और अधिक हो जाते हैं (व्यवधान)

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैंने अभी अनुपूरक प्रश्न पूरा नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक और अनुपूरक प्रश्न है।

श्री रीतलालप्रसाद वर्मा : मंत्री महोदय ने कहा कि मैंने जो कहा है वह मिसलीडिंग है। लेकिन आप देखें कि जो साफ्ट-ड्रिंक एक रुपये में मिलता था उसको 75 पैसे में बाजार में बिकना चाहिये थ लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

मेरा सवाल होने के बाद प्रेशर कुक्र्ज के दाम गिरे हैं, 17-11-80 से गिरे हैं। इसके पहले ज्यादा दाम थे। पहले जो ज्यादा दाम थे और उनको लेकर जिन्होंने एक्साइज ड्यूटी की छूट का अनुचित लाभ उठाया है उनके खिलाफ क्या सरकार कोई कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

श्री आर. वेंकटरामन : मैंने केवल गणतियों का उल्लेख किया है, कि किस गलत ढंग से उन्होंने आंकड़ों को पढ़ा है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि थोक मूल्यों में कमी हुई है वह फुटकर मूल्यों में प्रतिबिम्बित नहीं हुई है। फुटकर मूल्य थोक मूल्यों के अनुरूप नहीं गिरे हैं। थोक मूल्यों तथा फुटकर मूल्यों में कमी आने में समय लगता है। जैसा कि मैंने कहा है सरकार सभी मूल्य नियन्त्रित नहीं कर सकती और सरकार के लिये मूल्य निर्धारण करना बहुत कठिन है और यह कहना भी बहुत कठिन है कि कोई वस्तु विशेष किसी मूल्य विशेष पर बेची जाये। हम इस बात की आशा करते हैं कि पूर्ति और मांग के सिद्धान्त के अनुसार उत्पादन में वृद्धि कर तथा शुल्क में छूट देकर मूल्यों को निम्न स्तर तक नियन्त्रित रखा जायगा।

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष जी मन्त्री जी ने जो वक्तव्य और आंकड़े पेश किए हैं उनमें टूथपेस्ट और साबुन का भी जिक्र है। इन दोनों चीजों को मध्यम वर्ग के लोग और गरीब लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं क्या यह सच नहीं है कि उत्पाद शुल्क में या दूसरे करों में छूट देने के बावजूद पिछले बजट अधिवेशन के बाद साबुन और टूथपेस्ट की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है ? अगर हुई है तो इसको रोकने के लिए सरकार ने कौन सी कार्यवाही की और इसमें कमी करने के लिए कोई विचार या योजना वगैरह सरकार के दिल में है या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक 'राम' दूसरे 'राम' से प्रश्न पूछ रहा है।

श्री आर. वेंकटरामन : 'टूथपेस्टों' के सम्बन्ध में कनाट प्लेस, नई दिल्ली के सुपर बाजार में निम्नलिखित दरें प्रचलित हैं—

सिगनल टुथपेस्ट	—	200 ग्राम बजट पूर्व
मूल्य	—	रु० 10.55,
बजट के पश्चात	—	रु० 9.40
बिनाका टूथपेस्ट	—	200 ग्राम
बजट पूर्व मूल्य	—	रु० 0.35
बजट पश्चात मूल्य	—	रु० 9.65

श्री रामावतार शास्त्री : उसका फुटकर भाव क्या था ?

श्री आर वेंकटरामन : यह सुपर बाजार के फुटकर मूल्य हैं। हमे कोई मानदंड अपनाना चाहिये। यदि कोई माननीय सदस्य कहता है कि कहीं पर इससे अधिक मूल्य है तो मैं रोक नहीं सकते, हमें कुछ मानक अपनाने चाहिये।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने आपको सुपर बजार के बारे में बताया है। माननीय मन्त्री संसद भवन के सुपर बाजार में मेरे साथ चलें।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य श्री रामावतार शास्त्री का सुपर बाजार, श्री वेंकटरामन के सुपर बाजार से भिन्न है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं माननीय सदस्य के साथ कहीं भी जाने को तैयार हूं किन्तु मैं उनके साथ बाजार नहीं जाऊँगा।

वास्तव में मेरे सम्माननीय सहयोगी डा. चानना ने कुछ उद्योगपतियों की बैठक बुलाई थी और उनके साथ चर्चा की थी और उन्हें बताया था कि उन्हें यह छूटें दी गई हैं और अब व्यापारियों को सही ढंग अपनाने चाहिये। उसके परिणाम स्वरूप ही कुछ कमी की गई है। यह कहना सही नहीं है कि कोई कमी नहीं हुई है। स्थिति यह है कि कुछ वस्तुओं के बारे में कोई कमी नहीं हुई है। सरकार को सन्तुष्ट करने के उद्देश्य से वह अन्य वस्तुओं में कमी कर देते हैं। किन्तु मूल बात तो यह है कि जब तक सरकार के पास मूल्य-नियंत्रण की शक्ति नहीं होगी, तब तक आप मुझे उसके लिये उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। हम बस यही कर सकते हैं कि अपने साधारण प्रभाव का प्रयोग करें और उन्हें सुविधायें और छूटें दें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मूल्य वृद्धि तथा इस बात के परिप्रेक्ष्य में कि उन्हें अच्छे व्यवहार की आशा थी और अब व्यापारियों तथा उत्पादकों द्वारा बेईमानी की जा रही है। क्या वह इस मांग को स्वीकार करने जा रहे हैं कि जन उपभोग की आवश्यक वस्तुओं को, विशेष रूप से गरीब लोगों द्वारा जिनका उपभोग किया जाता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की जाए, और यदि कोई राज्य सरकार ऐसा करना चाहती है तो क्या केन्द्र सरकार आगे आकर उस राज्य सरकार की सहायता करेगी और उन्हें आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराये भी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ?

श्री आर. वेंकटरामन : यह बजट का एक विषय है। मैं इस समय इसे नहीं बता सकता।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : उपाध्यक्ष महोदय, इस लिस्ट में सरल सोप के बारे में बताया

गया है कि एक्साइज ड्यूटी पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है, लेकिन पहले 144 टिक्कियों की कीमत 06 रुपए थी और अब वह 101 रुपये 73 पैसे हो गई है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि यह जनता का जो सरल साबुन है, उसका प्रोडक्शन हमारे देश में कितना है और दूसरी जितनी टिक्कियां हैं। उनका कितना परसेंटेज है ? जहां तक मुझे पता है, इस प्रकार का साबुन हमारे देश में ज्यादातर अवेलेबल ही नहीं है—इस तरह की फिगर्स देकर तो गुमराह करना है।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं नहीं जनता कि साबुन के कुल उत्पादन में सरल साबुन के उत्पादन का प्रतिशत कितना है। मैं तो यही कह सकता हूं कि हमने कुछ गिने चुने नमूने लिए हैं और उन्हें सूची में दिया गया है। उनमें से कुछ यह जाहिर करते हैं कि उसमें कमी हुई कुछ यह जाहिर करते हैं कि उसमें कोई कमी नहीं हुई है और कुछ नमूनों से यह जाहिर होता है कि उसमें वृद्धि हुई है। मैंने यह नहीं कहा है कि इनमें से प्रत्येक मामले में कमी हुई है।

माननीय महिला सदस्य द्वारा किया गया दूसरा प्रश्न यह था कि यह बाजार में उपलब्ध नहीं है उपलब्धता सप्लाई और मांग की स्थिति पर निर्भर करती है। किसी समय कुछ वस्तुएं कम सप्लाई के कारण उपलब्ध नहीं होती। जब तक सरकार सारे उत्पादन को नियंत्रित नहीं करती तब तक उसे उस तरह की कुछ वस्तुओं के उपलब्ध न होने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता निस्सन्देह खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

माननीय महिला सदस्य ने कहा कि मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूँ अथवा किसी को सब्ज बाग दिखा रहा हूँ। निश्चय ही मैं किसी को सब्ज बाग दिखाना चाहूंगा। हमारे पास कोई सब्ज बाग तो हो और जिसमें हम साथ-साथ चले। तब हमारे पास दुनिया की बेहतर कल्पना हो सकती है।

श्री धर्मदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों ने माननीय मन्त्रीजी की बजट पर भूरि-भूरि प्रसंशा की थी, लेकिन हमने जो करों में छूट दी है, क्या इस बारे में सरकार सोच रही है कि जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण किया जाएगा और क्या सरकार इस बारे में कदम उठाने वाली है ? इस बारे में हमको अवगत कराने का कष्ट करें।

श्री आर. वेंकटरामन : आवश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण के प्रश्न की ओर हमेशा ही सरकार का ध्यान जाता रहा है। यदि किसी समय किसी आवश्यक वस्तु के मूल्य में आम आदमी की सामर्थ्य से बाहर वृद्धि हो जाती है तो विभिन्न तरीकों से इससे निपटा जा सकता है। इनमें एक तरीका है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य पर वस्तुओं का वितरण जिससे उचित मूल्यों पर ये वस्तुए उपलब्ध हो सकें। यह आवश्यक नहीं है कि मूल्यों पर नियत्रण करने से वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध हों वास्तव में, यह हमारा दुःखद अनुभव रहा है कि समुचित वितरण व्यवस्था के बिना महज नियत्रण असफल रहता है। हम इन सभी बातो पर विचार करेंगे और देखेंगे कि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध हों।

लेह में एयर टर्मिनल बिल्डिंग का बनाया जाना

*166 **श्री पी. नामग्याल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धन की अनुपलब्धता के कारण लेह हवाई अड्डे पर एयर टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य रुका पड़ा है;

(ख) क्या यह सच है कि लेह हवाई अड्डे पर आवास सम्बन्धी तथा अन्य सुविधाएं न होने के कारण श्रीनगर लेह मार्ग पर जाने वाले विमान यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो वहाँ पर नई एयर टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण में तेजी लाने और नई बिल्डिंग पूरी होने तक विद्यमान अस्थायी भवन को नया रूप देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : (क) से (ग) : लेह विमान क्षेत्र पर पैसेंजर हैंडलिंग सुविधाओं की व्यवस्था नवीकृत निस्साम कुटीरों (निस्साम हट्स) में की जाती है। एक स्थायी टर्मीनल भवन का निर्माण 14.95 लाख रुपये की अनुमानित लागत से जम्मू व काश्मीर लोक निर्माण विभाग की एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है। नये टर्मीनल भवन के लिए धन की व्यवस्था योजना में की गयी है। पांच लाख रुपये की आदायगी जम्मु व काश्मीर लोक निर्माण विभाग को पहले ही की जा चुकी थी। जम्मू व काश्मीर लोक निर्माण विभाग को शेष राशि का भुगतान उनके द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद किया जाएगा।

श्री पी. नामग्याल : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया, 5 लाख रुपए दिए गए हैं, परन्तु अभी तक यह धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। यदि यह राशि ही दी गई है तो मैं जानना चाहूंगा कि यह धनराशि कब दी गई है। और तब, जम्मू तथा काश्मीर के सार्वजनिक निर्माण विभाग को बकाया धनराशि को दिये जाने के लिए कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ेगा। मैं जानना चाहूंगा कि ये औपचारिकताएं क्या हैं।

पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्री (श्री आनन्द प्रसाद शर्मा) : पांच लाख रुपए की इस धनराशि को जम्मू तथा काश्मीर सरकार को न दिए जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। उन्होंने उस स्थिति को स्वीकार कर लिया है। अपेक्षा इस बात की है कि हमने उनसे यह पूछा है कि उन्होंने उस धनराशि को कैसे खर्च किया है और उस प्रश्न के सम्बन्ध में हाल ही में उन्होंने सरकार के पास कुछ विवरण भेजा है और सरकार कार्य को पूरा किए जाने के लिए जम्मू एवं काश्मीर सरकार को बकाया धनराशि का भुगतान करने के बारे में विचार कर रही है।

माननीय सदस्य महोदय ने समय जानना चाहा था। यह धनराशि दिसम्बर, 1979 में दी गई थी।

श्री पी. नामग्याल : महोदय जैसा कि आप जानते हैं लद्दाख एक भूसीमित क्षेत्र हैं और साल में 6 महीने से अधिक समय तक यह देश के शेष भाग से कटा रहता है और गृह निर्माण का प्रत्येक सामान काश्मीर घाटी से ऊपर ले जाना होता है और सड़क बन्द होने से पूर्व यह कार्य करना होता है। धनराशि की कमी के कारण, सम्बन्धित विभाग सीमेंट, इस्पात और लकड़ी आदि जैसे सामान का पर्याप्त भण्डार नहीं रख सकते। मैं माननीय मंत्रीजी से इस बात का आश्वासन प्राप्त करना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी उपर्युक्त तथ्य के परिप्रेक्ष्य में बकाया धनराशि को तत्काल जारी किए जाने के बारे में विचार करेंगे।

दूसरे, निसान किस्म के टर्मीनल भवन के पुनरुद्धार के बारे में, यह सच है कि पुनरुद्धार का कुछ कार्य गत वर्ष किया गया है और वह पर्याप्त नहीं है। 'कम्लेक्स' में सुरक्षा कर्मचारियों के कमरों सहित सभी यात्रियों के लिए मुश्किल से 40-50 कुर्सियां हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी और इस आवश्यक सामान की तत्काल व्यवस्था करेगी।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैंने पहले ही कह दिया है कि यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है। पहले, महानिदेशक, नागर विमानन ने हिसाब माँगा था। अब महानिदेशक, नागर विमानन ने यह मामला सरकार के पास भेज दिया है, और मैं माननीय सदस्य को इसका आश्वसन देना चाहता हूं कि शीघ्र ही हम इस मामले में निर्णय करेंगे और धनराशि जारी करेंगे।

श्री पी. नामग्याल : स्थानीय दृष्टि से ऐसा समझा जाता है कि हवाई पतन अधिकारी कोई स्थानीय आदमी होना चाहिए, ताकि वह बेहतर तरीके से टर्मिनल भवन की देखरेख कर सके, क्योंकि वहां हमेशा स्थानीय आदमी तैनात किया जाता है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस सुझाव पर विचार करेंगे ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यह एक अखिल भारतीय सेवा है और नि.सन्देह कुछ पदों के लिए कुछ कार्यों के लिए स्थानीय लोगों को लेने के बारे में हम विचार करते हैं परन्तु सभी मामलों में नहीं।

श्री गुलाम नबी आजाद : श्रीनगर देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक है और पर्यटन की दृष्टि से यह भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरों में एक नगर है। परन्तु यहाँ रात्रि में विमान उतारने की सुविधाओं की कमी है। क्या मैं पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता हूँ और जान सकता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यह लेह के सम्बन्ध में है या श्रीनगर के सम्बन्ध में ?

श्री गुलाम नबी आजाद : श्रीनगर के सम्बन्ध में।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यद्यपि इस प्रश्न में से यह प्रश्न नहीं उठता फिर भी मैं माननीय सदस्य महोदय के सुझाव को नोट कर लेता हूँ।

आचार्य भगवान देव : मारीशस एक छोटा भारत माना जाता है। हिन्द महासागर में विदेशी ताकतों के बढ़ते हुए कदम को देखते हुए, मारिशस को कितने विमान देने के सम्बन्ध में आपकी श्री रामगुलाम जी से बातचीत हुई है, कृपा कर बतलाएं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यद्यपि मुख्य प्रश्न में से यह प्रश्न नहीं बनता है, फिर भी मैं माननीय सदस्य महोदय को बता सकता हूं कि हमने इस सम्बन्ध में कुछ विचार विमर्श किया था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह को सैरगाह (हालिडे रिजार्ट) बनना

* 162 श्री पी. राजगोपाल नायडू : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को प्रमुख सैरगाह बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए क्या प्रबन्ध किये जायेंगे; और

(ग) इस पर कितना धन लगेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को एक प्रमुख सैरवाह (हालिडे रिजार्ट) के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

इस्पात संयन्त्रों में निपिण्ड इस्पात का जमा होना

* 164. श्री के. टी. कोसलराम :

श्री विलास मुत्तेमवार : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात संयंत्रों में 8,00,000 टन से अधिक निपिंड इस्पात जमा होने के क्या कारण हैं और इसका निपटान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं, और

(ख) अप्रैल और सितम्बर, 1980 के बीच विक्रय योग्य इस्पात के उत्पादन में करीब 60,000 टन की कमी होने के क्या कारण हैं और विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) : बिजली की आपूर्ति पर लगे कड़े प्रतिबन्धों तथा कोक ओवन की पुशिंग में भारी कटौती करने के कारण वेलन मिलों में गैस ईंधन की उपलब्धि में असन्तुलन के कारण 1-8 1980 को इस्पात पिण्ड का स्टाक 7.5 लाख टन तक पहुँच गया था । लेकिन इस्पात पिंड के स्टाक में कमी आ रही है और 22-11-1980 को इनका स्टाक 6.3 लाख टन रह गया था । जमा हुए स्टाक में लगभग 1.2 लाख टन की कमी हुई है जिसके लिए कई उपाए किए गए हैं जैसे, बिक्री के लिए कच्चे लोहे का अधिकाधिक उत्पादन करना और इस्पात पिण्डों के उत्पादन को विनियमित करना ताकि बिजली की उपलब्धि के अनुसार स्टाक से अधिक से अधिक इस्पात पिण्डों का वेलन किया जा सके। इस्पात पिण्डों को घरेलु तथा विदेशों के बाजारों में बेचने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(ख) यदि प्रश्न का संकेत छः महीनों की अवधि में छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में उत्पादन के रुख के बारे में जानकारी प्राप्त करने से है तो जानकारी इस प्रकार है कि सितम्बर, 1980 में विक्रेय इस्पात का उत्पादन 4.3 लाख टन हुआ था जो अप्रैल, 1980 में हुए विक्रय इस्पात के उत्पादन से 30,000 टन अधिक था । इन छः महीनों का कुल उत्पादन और इसकी तुलना में गत वर्ष की इसी अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन इस प्रकार हैं :

(हजारों टनों में)

निर्धारित लक्ष्य अप्रैल-सितम्बर, 1980	वास्तविक उत्पादन अप्रैल-सितम्बर, 1980	वास्तविक उत्पादन अप्रैल-सितम्बर, 1979
3424	2685	2858

उत्पादन में कमी मुख्यतः बिजली की आपूर्ति पर लगे कड़े प्रतिबन्धों तथा इस्पात संयंत्रों को कोककर कोयले की पर्याप्त उपलब्धि न होने के कारण हुई है। विक्रेय इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपायों में कोककर कोयले का आयात करना, इस्पात संयंत्रों की अपनी इकाइयों से बिजली का अधिकाधिक उत्पादन करना, आदान सप्लाई करने वाले अभिकरणों के साथ निकट तथा सतत् सम्पर्क रखना और अन्तः मंत्रालय तथा अन्तः विभागीय समितियों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर बिजली तथा कोयले की स्थिति पर लगातार निगरानी रखना शामिल हैं। दुर्गापुर तथा बोकरों के इस्पात संयंत्रों में उनकी बिजली उत्पादन करने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए भी उपाय किए गए हैं।

कृषि क्षेत्र के वित्त-पोषण के लिए 'एपेक्स बैंक' की स्थापना

*167. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र के वित्त-पोषण के लिए एक 'एपेक्स बैंक' की स्थापना के लिये विधेयक तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक की मुख्य विशेषतायें क्या हैं, इसकी प्रदत्त पूंजी क्या है, धनराशि कौन-कौन से क्षेत्रों को वितरित की जायेगी, ऋण की अवधि और ब्याज की दर क्या होगी;

(ग) क्या प्रस्तावित कृषि-सम्बन्धी वित्त को बढ़ाने के लिये कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, कृषि वित्त निगम, रिजर्व बैंक के कृषि ऋण डिवीजन तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने आप में मिला लेगा;

(घ) क्या नये प्रस्ताव में बी. शिवरमण की अध्ययन रिपोर्ट की सभी अन्य सिफारिशों को शामिल कर लिया गया है;

(ङ) नई योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर सरकारी समितियों की भूमिका और दर्जा क्या होगा; और

(च) क्या ग्रामीण और कृषि विकास के लिये मिलने वाली सारी अन्तर्राष्ट्रीय सहायता 'एपेक्स बैंक' के जरिये दी जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोत : (क) से (च) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नेशनल बैंक फार अग्रिकल्चर एण्ड रुरल डिवल्पमेंट बैंक एन. ए. बी. ए. आर. डी.) की स्थापना करने के लिए एक उपयुक्त कानून बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यह कानून मोटे तौर पर ग्रामीण ऋण के लिए संस्थागत प्रबन्धों की जांच का काम हाथ में लेने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्री बी. शिवरामन की अध्यक्षता में नियुक्त समिति की अन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर आधारित होगा। इस समिति द्वारा, अन्य बातों के साथ साथ, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (कृ. पु. वि. नि.), कृषि वित्त निगम

(कु. वि. नि.) द्वारा सुलभ करायी जाने वाली परामर्श सेवा, रिजर्व बैंक के कृषि ऋण प्रभाग और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ढांचों और परिचालनों की समीक्षा की जानी थी और वित्त प्रदान करने वाली सहकारी संस्थाओं के ढांचों में सुधार के उपाय सुझाये जाने थे। इस समिति की अन्तिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की गई है।

प्रस्तावित नये बैंक के साथ अन्य संस्थाओं के विलयन, इसके पूंजीगत और संस्थागत ढांचे, इसके प्रशासनिक प्रबन्धों, आदि के प्रश्नों पर शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर विचार किया जाएगा।

बम्बई-कोचीन विमान यात्रा टिकटों को अधि-मूल्य पर बेचने का धंधा

*168. **श्री रामविलास पासवान :**

प्रो. अजीत कुमार मेहता : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई-कोचीन के लिए विमान टिकटों को अधिमूल्य पर बेचे जाने का एक ऐसा धन्धा हाल ही में सरकार के ध्यान में आया है जिसमें एयरलाइन के कुछ कर्मचारी भी सम्मिलित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के स्वार्थ-साधन पर रोक लगाने के लिये तथा साथ ही इस धन्धे में सम्मिलित एयरलाइन के कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) और (ख) : कई महीने पहले कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें कदाचारों के आरोप लगाए गए थे और जिनमें इंडियन एयरलाइन्स के कुछ कर्मचारियों का भी हाथ होने की रिपोर्ट मिली थी। चालू वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए दो मामलों में से, एक की जांच की जा रही है, तथा दूसरे के सम्बन्ध में, विभागीय जांच से इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों का कोई हाथ होने का पता नहीं चला है।

(ग) : यात्रियों को ठग करने की गतिविधियों का निवारण करने के लिए निम्नलिखित उपचारी उपाय किए गए हैं :—

(1) बम्बई/त्रिवेन्द्रम् व बम्बई/कोचीन काउंटरों पर विशेष हैंडलिंग सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

(2) सांताक्रूज एयरपोर्ट पर ऐसे समाज विरोधी तत्वों की मौजूदगी के बारे में केरल में मलयालम के समाचार-पत्रों में व्यापक प्रचार किया गया है।

(3) यात्रियों को परामर्श दिया गया है कि वे आरक्षण के मामलों में अपेक्षित कोई भी सहायता लेने के लिए केवल इंडियन एयरलाइंस के वर्दीधारी कर्मचारियों से ही सम्पर्क करें।

(4) बम्बई/कोचीन/त्रिवेन्द्रम् मार्गों पर अतिरिक्त बाइंग तथा एयरबस सेवाएं चला कर अगस्त, 1980 से पहले प्रदान की गयी 350 सीटों की क्षमता की तुलना में अब उस क्षमता में वृद्धि करके उसे 500 सीटों से भी अधिक कर दिया गया है।

(5) आने वाले यात्रियों को इण्डियन एयरलाइन्स की अन्तर्देशीय उड़ानों के लिए संयोजी उड़ानों की व्यवस्था करने में सहायता देने के लिए अंतरराष्ट्रीय आगमन लौंज में विशेष सहायता काउंटर स्थापित किया गया है।

(6) केरल जाने वाले यात्रियों के फायदे के लिए मलयालम में एक नोटिस बोर्ड का प्रदर्शन किया गया है।

(7) जैसे ही शिकायतें मिलती है, उनकी तुरन्त जांच की जाती है तथा आवश्यक एवं उपयुक्त उपचारी कार्यवाही की जाती है।

टाटा समिति के प्रतिवेदन का कार्यान्वयन

*169. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागर विमानन विभाग के संचार स्कन्ध में व्याप्त संवर्ग प्रतिस्पर्धा ने टाटा समिति के प्रतिवेदन के निर्बाध कार्यान्वयन में और विलम्ब कर दिया है और सम्पूर्ण देश में कर्मचारियों के बीच आपस की कटुता को और बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) : नागर विमानन विभाग के संचार विंग के तकनीकी तथा परिचालन संवर्गों को मिला कर एक किया जाय अथवा नहीं इस मसले के बारे में विभिन्न यूनियनों/एसोसियेशनों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। टाटा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए गठित की गयी अधिकृत समिति इन प्रतिवेदनों की जांच कर रही है।

इन सवर्गों को मिला कर एक करने या न करने का निर्णय इस जांच-कार्य के पूरा होते ही ले लिया जाएगा।

निर्यात आयात बैंक

*170. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** :

श्री शिवकुमार सिंह क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा निर्यात-आयात बैंक को संयुक्त रुप से वित्त देने की योजना गंभीर रूप से खटाई में पड़ गई है;

(ख) यदि हाँ, तो मतभेद के मुद्दे क्या हैं;

(ग) क्या निर्यात-आयात बैंक की स्थापना का विचार छोड़ दिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) इस बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या था और इससे भारतीय सरकार को कितनी सहायता मिलती थी ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (ङ) सरकार ने देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वित्तीय सहायता के लिए निर्यात-आयात बैंक की स्थापना करने का निर्णय किया है। इसके ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

जीवन बीमा निगम द्वारा निवेशित राशि

*171. **श्रीमती कृष्णा साही। क्या वित्तमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान कुल कितनी राशि का निवेश किया और उसमें से कितनी राशि का निवेश बिहार राज्य में किया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान बिहार में और कुल मिलाकर सभी राज्यों में किए गए नए पूंजी निवेश का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सभी राज्य	बिहार
1977-78	392.83	18.75
1978-79	425-75	28.39

राजस्थान में ग्रामीण बैंक खोला जाना

*172. **श्री बुद्धिचन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ग्रामीण बैंक खोले गये हैं और उनके लिये, निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ख) ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्रामीणों को अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त दी गई अन्य विशेष सुविधायें क्या हैं;

(ग) राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर और जैसलमेर, जो देश में सबसे अधिक पिछड़े हुये जिले है और जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न है, में उनके विभाग द्वारा ग्रामीण बैंक खोलने में देरी के कारण क्या हैं; और

(ग) इन पिछड़े जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जरूरी आवश्यकताओं को वहां ग्रामीण बैंक खोलकर कब पूरा किया जायेगा।

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) । (क) से (घ) इस समय राजस्थान राज्य में चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं जिनके कार्यक्षेत्र के भीतर आठ जिले आते हैं। नीचे की सारणी में इन बैंकों का ब्यौरा दिया गया है :—

	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	स्थापना की तारीख	व्याप्त जिले
1.	जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर	20-10-1975	1. जयपुर 2 नागौर
2.	मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली	6- -1976	1. पाली 2. सिरोही 3 जालोर
3.	शेखावाटी ग्रामीण बैंक, सीकर	7-10-1976	1. सीकर 2. झुनझुनू
4.	मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चुरु		1. चुरु

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना खासकर ग्रामीण समुदाय विशेषत: छोटे/सीमान्तिक किसानों, खेतिहर मजदूरों और देहाती कारीगरों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इन बैंकों के स्थानों का चयन करने के लिए जिन सामान्य सिद्धान्तों का

अनुपालन किया जाता है उनमें ऋण-अन्तराल, सहकारी ऋण ढांचे की स्थिति तथा वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के जाल के फैलाव आदि जैसे पहलू शामिल होने हैं। ये बैंक अपने परिचालन क्षेत्रों में लक्षित समूहों के लिए युक्तिसंगत ब्याज दरों पर, जो सहकारी बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दरों के समतुल्य रखी गयी हैं, ऋण का प्रबन्ध करने के अलावा, जमा रकमों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ब्याज की तुलना में आधा प्रतिशत अधिक ब्याज भी देते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने के लिये स्थानों का सुझाव, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों विषयक संचालन समिति देती है और राज्य सरकारों द्वारा किये गए प्रस्तावों को ध्यान में रखा जाता है। इस समय कुछ अन्य जिलों जैसे भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर और बून्दी के संबन्ध में प्रस्ताव किये गये हैं लेकिन जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

खांडसारी एककों पर लागू रियायती शुल्क को समाप्त करना

*173. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य कर रहे खांडसारी एककों पर लागू रियायती शुल्क को समाप्त कर दिया है और खांडसारी चीनी पर शुल्क की दर बदल दी है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए हैं; और

(ग) क्या उनके रोजगार के लिए सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां। खांडसारी चीनी के अधिकतम उत्पादन के लिए चीनी-उद्योग के विभिन्न सैक्टरों को गन्ने की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खांडसारी चीनी पर उत्पादन शुल्क की दर में संशोधन किया गया है।

(ख) सरकार का विचार है कि शुल्क वृद्धि से किसी प्रकार की बेरोजगारी नहीं होगी।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका द्वारा भारत के कपड़ा निर्यातों पर लगाये गए समतुल्य शुल्क का वापस लिया जाना

*174. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा भारत के कपड़ा निर्यातों पर लगाये गए समतुल्य शुल्क अब वापस ले लिये गए हैं;

(ख) क्या विभिन्न अमरीकी बन्दरगाहों पर रुके सभी टैक्सटाइल माल अब पास कर दिये गए हैं; और

(ग) क्या शुल्क वापस लिये जाने की बात भारत के अन्य निर्यातों पर भी लागू होती है?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां। कतिपय वस्त्र उत्पादों पर अनन्तिम रूप से लगाए गए समतुल्य शुल्कों को हटा लिया गया है।

(ख) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इस कारण से वस्त्रों के कोई पोत-लदान रोके गए हैं।

(ग) जी नहीं।

भारत में निवेश हेतु तेल राष्ट्रों को निमंत्रण

*175. श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री जनार्दन पुजारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या भारत सरकार ने देश में प्राथमिकता के आधार पर धन लगाने के लिए तेल वाले राष्ट्रों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस देश में पूंजी निवेश के लिए इच्छा प्रकट की है; और

(ग) इस आमन्त्रण के अन्तर्गत आगामी पांच वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा लगाये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) कुछ तेल निर्यातक विकासशील देशों द्वारा भारत में निवेश की रुचि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निम्नलिखित निवेश सुविधाएं देने का फैसला किया है।

(1) तेल निर्यातक विकासशील देशों को नई कम्पनियों में पूंजी निवेश करने की अनुमति दी जाए, भले ही यह निवेश विशुद्ध रूप से वित्तीय किस्म के हों।

(2) इस प्रकार निवेश, सामान्य शेयर पूंजी के 40 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

(3) नई कम्पनियों को निर्यात प्रधान होना चाहिए अथवा उनको विनिर्माण की वे गतिविधियां अपनानी चाहिएं जो 1978 की औद्योगिक नीति के परिशिष्ट I के अन्तर्गत आती हों।

(4) उपर्युक्त स्वरूप के निवेश को होटलों में किए जाने की अनुमति दी जा सकती है।

(5) नए अस्पतालों की परियोजनाओं में भी निवेश के लिए अनुमति दी जानी चाहिए और इस प्रकार के अस्पतालों में सामान्य जनता के लिए पर्याप्त रूप से बहिरंग रोगी उपचार तथा आपातकालीन डाक्टरी सेवाओं की व्यवस्था रहनी चाहिए तथा भारतीय जनता के लिए एक न्यूनतम प्रतिशत तक स्थानों की उपलब्धि बनी रहनी चाहिए।

(6) इस प्रकार के संयुक्त उद्यमों के लिए विदेशों से ऋण प्राप्त करने की अनुमति भी प्राप्त होनी चाहिए बशर्ते कि ऋणों की शर्तें युक्तियुक्त हों।

(ग) यद्यपि अगले पांच वर्षों के दौरान होने वाले निवेश का आकार बताना कठिन है, फिर भी यह आशा की जाती है कि प्रत्युत्तर पर्याप्त और प्रोत्साहनात्मक होगा।

आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के बारे में मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

*176. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वाणिज्य मंत्री वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 अक्टूबर, 1980 को नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल की राष्ट्रीय समिति में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि आगामी वर्षों में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्यात करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां तो किन आवश्यक वस्तुओं का निर्यात करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस समय किन आवश्यक वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य

मंडल की भारतीय राष्ट्रीय समिति की वार्षिक बैठक के एक अभिभाषण में यह कहा गया था कि हमें, आने वाले वर्षों में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए निर्यात हेतु आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई उपलब्ध कराने के लिये स्वदेशी क्षेत्र में त्याग करना होगा। यह बात विदेशी मुद्रा की प्रत्याशित स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रख कर कही गई थी।

(ख) तथा (ग) भारी खपत वाली कई आवश्यक वस्तुओं पर निर्यात के लिए रोक है। अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्यात जहां तक सम्भव हो, कोटा सीमाओं, न्यूनतम निर्यात कीमतों के निर्धारण के माध्यम से तथा सरणीकरण अभिकरणों के जरिए विनियमित किए जाते हैं। कतिपय प्रमुख आवश्यक वस्तुएं जिनके निर्यात की अनुमति है, ये हैं : मांस, चावल, सब्जियां, गुड़, लाल मिर्च, चाय, कपड़ा, माचिसें तथा मछली : मांग-सप्लाई स्थिति को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्यात नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। अतः उन आवश्यक वस्तुओं के नाम बताना कठिन है जिन्हें हम भविष्य में निर्यात कर सकेंगे।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा आयकर कानूनों में संशोधन

*177. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल ही में यह विचार व्यक्त किया है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा आयकर कानूनों में मूलभूत संशोधन करने और उनके लिये प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो उनके प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में की गई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) मैंने, विभिन्न अवसरों पर कर-कानूनों को सरल बनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया है, ताकि उनको प्रशासनिक दृष्टिकोण से अधिक प्रभावी, कर-निर्धारितियों की समझ में आने योग्य तथा सरलतापूर्वक पालन किये जाने योग्य बनाया जा सके।

(ख) जहां तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क संरचना को सरल बनाने का सम्बन्ध है, इसके लिए सतत प्रयास किये जा रहे हैं। चूंकि यह कार्याधान का मामला है, इसलिए सरकार के निर्णयों की जानकारी वार्षिक बजट में दी जायगी। जहां तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून का सम्बन्ध है, उसको सरल बनाने के दृष्टिकोण से वर्तमान कानून को समेकित करके उसमें संशोधन करने के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का एक व्यापक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव है। इस निमित्त तैयार किए गए विधेयक के प्रारूप की जांच की जा रही है

जहां तक प्रत्यक्ष कर कानूनों का सम्बन्ध है, सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ, उन्हें सरल बनाने के लिए उनमें संशोधन करना चाहती है। संशोधन सम्बन्धी ब्योरों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जायेगा।

चीन द्वारा भारत से वर्जीनिया तम्बाकू की खरीद

*178. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन भारत से वर्जीनिया तम्बाकू खरीदने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) क्या इस सौदे की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हाँ।

(ख) तथा (ग) तम्बाकू का निर्यात सारणीबद्ध नहीं है और आयातक देश अपनी पसन्द के भारतीय निर्यातकों से तम्बाकू खरीदने के लिए स्वतन्त्र हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार चीन ने 1980-81 के दौरान 16 करोड़ रु. मूल्य का 8,990 मे. टन वर्जीनिया तम्बाकू खरीदने के लिए 9 भारतीय निर्यातकों के साथ संविदाओं पर हस्ताक्षर किए हैं।

इलायची का एकत्रीकरण

* 179 श्री ए. ए. रहीम :

श्री के. कुन्हम्बु : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इलायची के विपणन के लिए एकत्रीकरण व्यवस्था आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केरल के छोटे इलायची उत्पादकों द्वारा व्यक्त किए गए विरोध को ध्यान में रखा गया है;

(ग) इस सबन्ध में इलायची बोर्ड का रवैया क्या है; और

(घ) क्या इससे केरल में उत्पादित हरी बड़ी इलायची के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) तथा (घ) : कर्नाटक में इलायची उपजकर्ताओं के लिए अपेक्षाकृत कम वसूली के सदर्भ मे, कर्नाटक में इलायची उपजकर्ताओं को लाभकर कीमत दिलवाने के लिए उपाय सुझाए गये हैं जिनमें इलायची के लिए विपणन की एक पूल प्रणाली भी सम्मिलित है। मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

(ग) इलायची बोर्ड ने बंगलौर में 29-8-80 को हुई अपनी बैठक में 'कर्नाटक इलायची के पूलन" पर विचार-विमर्श किया और जिसमें उसने कर्नाटक में विपणन प्रणाली का अध्ययन करने और कर्नाटक इलायची के लिये एक स्वस्थ विपणन नीति तैयार करने के लिए बोर्ड को सलाह देने हेतु एक उप-समिति स्थापित करने का विनिश्चय किया।

बिक्री कर लागू करने के लिए राज्यों के अधिकार क्षेत्र से बाहर की गई वस्तुएं

* श्री निरेन घोष : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वस्तुओं को राज्य बिक्री कर लागू करने के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है :

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी वस्तुएं हैं;

(ग) क्या किन्हीं राज्यों ने इस पर आपत्ति की है;

(घ) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं;

(ङ) क्या सरकार को यह बता दिया गया है कि ऐसा करना राज्यों के अधिकारों को कम करने के समान हैं; और

(च) राज्यों की आपत्ति को स्वीकार न करने का कानूनी आधार क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) से (च) : संविधान

की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची की प्रविष्ट 54 में राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे, उक्त अनुसूची की सूची प्रविष्टि 92 क के उपबन्धों के अन्तर्गत, समाचार-पत्रों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कर लगा सकते हैं। किसी भी वस्तु की, राज्य सरकारों के बिक्री कर लगाने के अधिकार क्षेत्र से निकाला नहीं गया है। लेकिन, राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश पर और राज्य सरकारों की सहमति से चीनी, तम्बाकू और वस्त्रों पर लगाये जाने वाले बिक्री कर के स्थान पर, दिसम्बर, 1957 में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया गया था। अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 में यह व्यवस्था है कि इन वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाकर उसे वसूल किया जाए और उससे प्राप्त निवल आय को राज्यों में वितरित किया जाय। इस अधिनियम के द्वारा इन वस्तुओं पर राज्यों द्वारा कर लगाये जाने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है लेकिन उसमें यह व्यवस्था है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष में कोई राज्य अपने कानूनों के अधीन इन वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कर लगाकर उसकी वसूली करता है तो उस वित्तीय वर्ष में, अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों से प्राप्त निवल आय में से उस राज्य को तब तक कोई राशि नहीं दी जायेगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार विशेष आदेश द्वारा ऐसा करने का निर्देश न दे। इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 286 (3) के अन्तर्गत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संसद ने अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य में उपर्युक्त तीन वस्तुओं सहित कुछ वस्तुओं को विशेष महत्व को घोषित किया है और कुछ प्रतिबन्ध और शर्तें निर्धारित की हैं, जिनके अन्तर्गत रहते हुए राज्य, ऐसी वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर कर लगा सकते हैं। सभी राज्यों ने अभी तक उपर्युक्त तीन वस्तुओं पर कर नहीं लगाया है जिन पर फिलहाल अतिरिक्त उत्पादन शुल्क उदग्रहणीय है। पश्चिम बंगाल में वर्तमान सरकार ने भारत संघ के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 की चुनौती दी है।

16 और 17 सितम्बर, 1980 को नई दिल्ली में बिक्री कर पर हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने अन्य बातों को साथ-साथ इस बात की भी सिफारिश की है कि हाथी समिति द्वारा सूचीबद्ध जीवन रक्षक औषधियों और वनस्पति पर लगने वाले बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाय। केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल राज्यों ने इस सिफारिश का विरोध किया क्योंकि उनके मतानुसार इससे उनके राजस्व पर असर पड़ेगा और राज्य सरकारों के कर लगाने के अधिकारों पर अंकुश लगेगा। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी असहमति जाहिर की थी क्योंकि उसने भारत संघ के खिलाफ मुकदमा दायर किया हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क विशेष महत्व के माल) अधिनियम, 1957 को चुनौती दी थी और यह मामला अभी उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा है।

व्यापार समझौते

15 3. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 के दौरान विकसित पूँजीवादी देशों, समाजवादी देशों तथा विकासशील देशों साथ अलग-अलग कितने और कितनी राशि के व्यापार समझौते किये गये ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : 1980-81 के दौरान भारत द्वारा किसी भी देश के साथ कोई नया व्यापार करार नहीं किया गया है। तथापि, बंगला देश के साथ जो कि एक विकासशील देश है, हुए व्यापार करार की अवधि समाप्त हो जाने पर, अक्तूबर, 1980 में एक नये व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुए थे।

बंगला देश के साथ 1980-81 के दौरान हुए व्यापार की मात्रा तक उपलब्ध नहीं है।

प्रसारण में मुद्रा

1594. **श्री ए. के. राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितनी मुद्रा प्रसारण में है और पिछले दो वर्षों के दौरान इसमें प्रतिमास कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) इसी अवधि के दौरान कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) इस अवधि के दौरान मुद्रा स्फीति (मूल्य-वार) में हुई वृद्धि का माहवार ब्योरा क्या है;

(घ) क्या प्रसारण में लगे धन में हुई वृद्धि तथा कुल राष्ट्रीय उत्पादन में हुई वृद्धि के बीच अन्तर ही मूल्य वृद्धि का एक मात्र कारण है और यदि हाँ, तो उन तथ्यों का विस्तृत ब्योरा क्या है; और

(ङ) मुद्रास्फीति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) 31 अक्तूबर, 1980 को समाप्त हुए सप्ताह (सबसे हाल का सप्ताह जिसके सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है) के दौरान जनता के पास उपलब्ध मुद्रा 22599 करोड़ रुपये की थी। विवरण जिसमें वित्तीय वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में होने वाले महीने-वार प्रतिशत परिवर्तन दिए गए हैं, संलग्न है।

(ख) वर्ष 1978-79 के लिए चालू कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में तुरत अनुमानों के अनुसार 7.4 प्रतिशत की वृद्धि प्रकट होती है। वर्ष 1979-80 के सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधिकारिक अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) वित्तीय वर्ष 1978-90 और 1979-80 के दौरान मुद्रास्फीति की महीनेवार दर, जैसी कि वह थोक मूल्य सूचांक (आधार : 1970-71 = 100) के मासिक औसत द्वारा मापी गई है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) मुद्रा उपलब्धि और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का अन्तर कीमतों के स्तर में हुई वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कारण है। तथापि और भी अन्य कारण हैं जैसे कि आधारभूत ढांचे में गड़बड़ होने के कारण पूर्ति में बाधा आना, तेल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण कतिपय प्रशासित कीमतों में वृद्धि होना और 1979-80 में भयंकर सूखा पड़ना, जिहोने देश में कीमतों के स्तर में होने वाली वृद्धि में योगदान दिया।

(ङ) सरकार ने मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिये अनेक उपाय किए हैं। इनमें ये शामिल हैं : (i) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना; (ii) आयात द्वारा आन्तरिक पूर्ति में वृद्धि करना; (iii) मुद्रा उपलब्धि के अनुचित विस्तार पर अंकुश लगाना; (iv) जमाखोरी और चोर-बाजारी जैसे समाजविरोधी क्रिया-कलापों का दमन करना और (v) उत्पादन

में वृद्धि करना। सरकार स्थिति पर सावधानी से नजर रख रही है और जब जैसी आवश्यकता समझी जाएगी इस सम्बन्ध में उपाय किए जाएंगे।

विवरण 1

जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में होने वाले महीने वार परिवर्तन जो प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार के आंकड़ों पर आधारित हैं।

(प्रतिशत)

	1978-79	1979-80
अप्रैल	+1.7	+1.0
मई	+1.9	+2.2
जून	+2.2	+3.6
जुलाई	—1.7	+0.6
अगस्त	—1.1	+1.5
सितम्बर	+0.2	+0.5
अक्टूबर	+2.4	+2 2
नवम्बर	+1.7	+0.1
दिसम्बर	+0.0	+3.4
जनवरी	+1.4	+0.1
फरवरी	+1.0	+0.2
मार्च	+3.8	+0.8

विवरण 2

मुद्रा स्फीति की महीने वार दर जो थोक मूल्य-सूचांक (आधार : 1970-71=100) के मासिक औसत पर आधारित है।

प्रतिशत

	1978-79	1979-80
अप्रैल	—0.2	+3.4
मई	+0.3	+1.5
जून	+0.9	+2.0
जुलाई	+1.1	+4.6
अगस्त	नगण्य	+3.2
सितम्बर	—0.2	+1.2
अक्तूबर	+0.5	+0.4
नवम्बर	कोई परिवर्तन नहीं	नगण्य
दिसम्बर	+1.1	+2.3

जनवरी	+0.1	+0.3
फरवरी	—0.5	+1.1
मार्च	+2.4	+1.0

अफीम की खेती वाले क्षेत्र को कम करना

1595. **श्री चतुर्भुज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अफीम की खेती वाले क्षेत्र को कम कर दिया गया है और यदि हां, तो समूचे देश में कुल कितना हैक्टेयर क्षेत्र कम किया गया है; और

(ख) उक्त जिलों के नाम क्या हैं जिनमें अफीम की खेती वाले क्षेत्र को घटाया गया है तथा इस प्रकार कम किया गया क्षेत्र कितना हैक्टेयर है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां। फसल वर्ष 1979-80 में, पोस्त की काश्त के लिए लाइसेंस शुदा 40, 172 हैक्टेयर रकबे के मुकाबले चालू फसल मौसम अर्थात वर्ष 1980-81 में काश्त के लिए लाइसेंस-शुदा रकबा लगभग 36,674,54 हैक्टेयर है।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तरी बंगाल में "टूरिस्ट लाज"

1596. **श्री पियूष तिरकी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी बंगाल जिले में कितने टूरिस्ट लाज हैं;

(ख) टूरिस्ट लाजों की जिलावार संख्या कितनी है और वे किस-किस स्थान पर हैं;

(ग) 1979-80 के दौरान प्रत्येक टूरिस्ट लाज में कितने व्यक्ति ठहरे;

(घ) प्रत्येक केन्द्र द्वारा कितना व्यय किया गया; और

(ङ) उत्तरी बंगाल के ऐतिहासिक स्थान, बुक्स-फोर्ट में किसी केन्द्र के न खोले जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा संचालित 9 पर्यटक गृह उत्तर बंगाल के जिलों में कार्यरत हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

दार्जिलिंग जिला 7 : (दार्जिलिंग, मापले, टाइगर हिल, सैलाबाश कलीमपौंग, शंगरौला और सोलोगुड़ी) जलपाइगुड़ी— 1; मालदा— 1; पश्चिम दिनाजपुर—शून्य; कूचविहार—शून्य।

(ग) दार्जिलिंग पर्यटक गृह : 7046

मापले पर्यटक गृह : 2218

टाइगर हिल पर्यटक गृह : 701

सैलाबाश पर्यटक गृह : 2883

कलीमपौंग पर्यटक गृह : 857

शंगरीला पर्यटक गृह : 1809
सीलीगुड़ी पर्यटक गृह : 1836
मदारीहाट पर्यटक गृह : 2114
(जलपाइगुड़ी जिला)
मालदा पर्यटक गृह : 4119

(घ) पर्यटक गृहों के लिए स्वीकृत पूंजीगत व्यय निम्नलिखित है :—

दार्जिलिंग पर्यटक गृह : रु. 22, 76, 305
मापले पर्यटक गृह : रु. 3, 21, 940
टाइगर हिल पर्यटक गृह : रु. 4, 33, 950
सैलाबाश पर्यटक गृह : रु. 7, 32, 806
कलीमपौंग पर्यटक गृह : रु. 3, 33, 772
शंगरीला पर्यटक गृह : रु. 1, 58, 633
सीलीगुड़ी पर्यटक गृह : रु. 1, 38, 052
मदारीहाट पर्यटक गृह : रु. 12, 70, 000
मालदा पर्यटक गृह : रु. 6, 15, 982

(ङ) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बुक्सा-कोर्ट में एक पर्यटक गृह का निर्माण करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

पिट्स-एस.-2 ए. विमान का पंजीकरण

1597. **श्रीमती प्रमिला दन्डवते** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 जून, 1980 को नागर विमानन महानिदेशक के पास मैसर्स थामस मौगेट द्वारा पिट्स-एस.2 ए. विमान का पंजीकरण कराया गया था;

(ख) क्या विमान का पंजीकरण चिन्ह टी.वी.-ई.जी.एन. था; और

(ग) यदि हां, तो यह विमान किस तारीख को भारत में लाया गया था ?

पर्यटन और नागर बिमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : जी हां।

(ख) : जी, नहीं। विमान का पंजीकरण चिन्ह (रजिस्ट्रेशन मार्क) वी. टी.-ई. जी. एन. था।

(ग) : विमान मार्च, 1977 में बम्बई आया था।

होटल सुख-सुविधाओं पर लगाये गए कर के विरुद्ध आंदोलन

1598. **श्री एन.ई० होरो** :

प्रो. मधु दण्डवते : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होटल सुख-सुविधाओं पर अभी हाल ही में एक अध्यादेश जारी करके लगाए गये कर के विरोध में होटल तथा लाज हाऊसों के मालिक उत्तेजित हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांगें हैं;

(ग) क्या और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने उनकी शिकायतों पर विचार किया है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि होटल मालिक तथा ट्रेवल एजेंट इस बात से भयभीत हैं कि आगामी सीजन में विदेशी पर्यटकों के आगमन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) सरकार द्वारा होटल सुख-सुविधाओं पर कर लगाने के लिए कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया है। तथापि, होटल रिसीट्स टैक्स बिल, 1980 लोक सभा द्वारा दिनांक 27.11.1980 को पारित कर दिया गया है।

(ख) से (ग) भारतीय होटल और रेस्तरां संघ के महासंघ और भारतीय यात्रा अभिकर्ता संघ ने प्रस्तावित कर लगाने के विरुद्ध इस आशंका के कारण अभिवेदन किया है कि इससे भारत की ओर उन्मुख पर्यटन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उनके विचारों का ध्यान रखा गया है।

भिलाई रिफेक्ट्री प्लांट में स्थानीय लोगों की भर्ती

159. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई रिफ्रेक्ट्री प्लांट में स्थानीय व्यक्तियों की उपेक्षा की जा रही है और वहां के उच्च अधिकारी अपने ही लोगों की भर्ती कर रहे हैं, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

(ख) भिलाई रिफ्रेक्ट्री प्लांट में कितने स्थानीय और कितने बाहर के लोग काम कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बाहर के लोगों की भर्ती पर रोक लगाने और स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने का है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1.11.1980 को भिलाई उत्पादन संयंत्र में काम कर रहे स्थानीय तथा बाहर के लोगों की संख्या नीचे दी गई है—

कर्मचारियों की कुल संख्या	709
अधिकारी	39

स्थानीय	अन्य	कुल	स्थानीय व्यक्तियों का प्रतिशत
681	28	709	96 प्रतिशत

39 अधिकारियों में से 21 अधिकारी सेल के गठन से पहले भिलाई इस्पात कारखाने में काम कर रहे सेल के कर्मचारी हैं तथा केवल 4 अधिकारी भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि० की अन्य इकाईयों से बदली होकर आए हैं।

(ग) तथा (घ) ऊपर बताए गये आंकड़ों को देखते हुए बाहर के आदमियों की भर्ती पर प्रतिबंध लगाने के सम्बन्ध में कोई और आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

वनस्पति तेल तैयार करने के लिए मूंगफली के तेल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

1600. **श्री हीरालाल परमार :**

श्री रामलाल शाही : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूंगफली के तेल (वनस्पति तेल) के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने का कारण किसान को उनके उत्पादन का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है और इसी फसल में मूंगफली के उत्पादन में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हाँ तो क्या उक्त प्रतिबंध को हटाये जाने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं, यदि हाँ, तो यह प्रतिबन्ध कब तक हटाये जाने की संभावना है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) मूंगफली के तेल के उत्पादन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तथापि इस तेल की पर्याप्त मात्रा उपभोक्ताओं की सीधी खपत के लिए उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से मार्च, 1977 से वनस्पति के उत्पादन में इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यह कहना सही नहीं होगा कि इसके परिणामस्वरूप किसानों को लाभकर मूल्य नहीं मिल रहा है, या इस प्रतिबंध से मूंगफली के उत्पादन में गिरावट आई है। यद्यपि, यह प्रतिबंध मार्च, 1977 से लगाया गया, तथापि वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान मूंगफली का उत्पादन 1976-77 के उत्पादन की तुलना में अधिक था। यहाँ तक कि 1979-80 में, जबकि व्यापक सूखे के कारण उत्पादन में गिरावट आई थी। इसका उत्पादन 1976-77 की तुलना में अधिक था और इसी स्थिति के चालू फसल में बने रहने की संभावना है।

वनस्पति के उत्पादन में मूंगफली के तेल पर लगे प्रतिबंध को हटाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तेल निर्यातक राष्ट्रों को कम्पनी की इक्विटी पूंजी निवेश की अनुमति देने की नीति

1602. **श्री चित्त महाटा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल निर्यातक राष्ट्रों को प्राथमिकता वाली और निर्यातोन्मुखी फर्मों में कम्पनी की अधिकतम 40 प्रतिशत इक्विटी पूंजी निवेश की अनुमती देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या उसका मतलब सरकार की पिछली नीति से हटना होगा; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हाँ। प्रेस नोट दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 की एक प्रति संलग्न है (ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी.-1460/80) जिसमें तेल निर्यातक विकासशील देशों द्वारा देश में निवेश के लिए सुविधा का ब्यौरा दिया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार की वर्तमान निवेश नीति के ढांचे के अन्तर्गत ही सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयास किया गया है।

कनाडा और आस्ट्रेलिया से कोयले का आयात

1603. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कनाडा और आस्ट्रेलिया से हर वर्ष बीस से पचास लाख टन कोयले का आयात करने के लिए एक लम्बी अवधि का समझौता करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(ग) प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि कोककर कोयले के हमारे सीमित निक्षेपों के संरक्षण के हित में तथा सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों को देशीय कोककर कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए हम दीर्घकालिक आधार पर राख की कम मात्रा वाले कोककर कोयले का आयात करें। सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है।

भारत-पाक सीमा से पंजाब में तस्करी में वृद्धि

1604. **श्री डी पी. जदेजा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान सीमा से पंजाब में अफीम, शस्त्रों तथा वस्तुओं की तस्करी में चिंताजनक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और पिछले 6 महीने में कितने मूल्य का सामान जब्त किया गया; और

(ग) तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि भारत-पाकिस्तान सीमा से होकर पंजाब में वस्तुओं के तस्कर-आयात में कोई वृद्धि हुई है। किन्तु, सरकार के पास तस्करी के लिये विशेष आकर्षण वाली वस्तुओं के बारे में और मई 1980 से अक्टूबर 1980 तक की छः माह की अवधि में भारत पाकिस्तान सीमा से होकर चोरी-छिपे पंजाब लाये जाने के प्रयास में जो ऐसी वस्तुए पकड़ी गयी हैं उनके मूल्य के बारे में सूचना है, जो नीचे दिए अनुसार है :

मद	लगभग मूल्य (लाख रुपयों में)
1 सोना	2·60
2. आग्न्यास्त्र	2·29
3. अफीम	0·95
4. भारतीय मुद्रा	0·90
5. घड़ियां	0·88

(ग) भारत-पाक सीमा पर तस्करी निवारक कार्यवाहियां तेज कर दी गई हैं और उस क्षेत्र में सीमा शुल्क अधिकारियों, राज्य पुलिस और सीमा सुरक्षा बल को, सीमा के आर-पार तस्करी के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सतर्क कर दिया गया है।

लाइसेंस क्षमता से कम उत्पादन करने वाले इस्पात उद्योग की संख्या

1605. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात के क्षेत्र में कितने औद्योगिक एकक लाइसेंस क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं; और

(ख) उनकी अनुज्ञप्त क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) इस्पात क्षेत्र में लाइसेंसीकृत क्षमता के अधीन सरकारी क्षेत्र में छः औद्योगिक इकाइयाँ और निजी/संयुक्त क्षेत्र में 361 इकाइयां कार्य कर रही हैं।

(ख) सरकारी क्षेत्र के कारखानों और निजी क्षेत्र के सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने नामतः टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) में उत्पादन में हानि बिजली और कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति, सप्लाई किए गए कोयले में राख की मात्रा अधिक होने और रेल डिब्बों की अनुपलब्धि के कारण हुई है। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड और टिस्को के प्रबन्धक इन मामलों में सुधार लाने के लिए सम्बन्धित अभिकरणों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं। इस्पात विभाग भी भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है। इसके अलावा औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं की मंत्रिमण्डल की समिति हर हफ्ते स्थिति की समीक्षा करती है। राख की कम मात्रा वाले कोकरर कोयले का आयात किया जा रहा है और कारखानों के रक्षित बिजली संयंत्रों की उत्पादन क्षमता अधिकतम कर दी गई है। बोकारो और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों की बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए स्वीकृति दे दी गई है तथा मालिक मजदूर सम्बन्धों को सामान्य बनाए रखने के लिए कारखानों के प्रबन्धकों और यूनियनों में लगातार बातचीत भी की जाती है। लघु इस्पात संयंत्रों को पुनः ठीक हालत में लाने के लिए तथा उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. पिण्डों/वेलित उत्पादों के उत्पादन-शुल्क में कमी कर दी गई है,

2. मेल्टिंग स्क्रैप पर से आयात-शुल्क हटा दिया गया है,

3. तदर्थ उपाय के रूप में वास्तविक उपयोगिताओं को लोह-स्क्रैप का सीधे आयात करने की अनुमति दे दी गई थी,

4- सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों से प्राप्त किए गए हेवी मेल्टिंग स्क्रैप की कुछ श्रेणियों पर से उत्पादन-शुल्क समाप्त कर दिया गया था,

5. लघु इस्पात संयंत्रों को अपने उत्पादन में विविधता लाकर कुछ ग्रेडों का कास्टिंग और मिश्र-इस्पात तैयार करने की अनुमति दे दी गई है,

6. लघु इस्पात संयंत्रों को वरणात्मक तरीके से अपने कारखानों में वेलन सुविधाओं की व्यवस्था करने की अनुमति दे दी गई है,

7. वित्तीय संस्थान वरणात्मक आधार पर वित्त या सहायता देने के लिए सहमत हो गए हैं,

8. जब ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की सप्लाई में कमी हो गई थी उस अवधि में इनका आयात करने की अस्थायी रूप से अनुमति दे दी गई थी,

9. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने लघु इस्पात कारखानों के उत्पादन में विविधीकरण को उन परियोजनाओं की सूची में शामिल कर लिया है जिनको आसान शर्तों पर ऋण दिया जा सकता है।

10. विद्युत चाप भट्टियों को निरन्तर ढलाई करने वाली मशीनें लगाने की अनुमति दे दी गई हैं,

11. स्पंज आयरन के आयात की अनुमति दे दी गई है और देश में इसका उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जहाज तोड़ने के उद्योग को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि मेल्टिंग और रि-रोलिंग स्क्रैप की मात्रा में वृद्धि हो सके, और

12. लौह-मिश्र उद्योग के स्वतः विकास पर कोई नियंत्रण नहीं है।

कन्ट्रोल के कपड़ों के मूल्यों में वृद्धि करने के लिये प्रस्ताव

1606. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्ट्रोल के कपड़े के मूल्यों में वृद्धि करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) कन्ट्रोल के कपड़े की कीमत सहित कन्ट्रोल के कपड़े की योजना के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की जा रही है। ब्योरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में जूट के उत्पादन में कमी

1607. **श्री राम लाल राही** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, सीतापुर आदि जिलों मे जूट के उत्पादन में कमी का कारण किसानो को उचित मूल्य न मिलना और उस क्षेत्र में इसकी क्या खपत थी; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार इस जूट उत्पादक क्षेत्र में जूट पर आधारित कोई उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है अथवा सरकार का गैर-सरकारी उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देने के प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विवरण क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) संलग्न विवरण से यह पता चलता है कि गत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में पटसन के उत्पादन में कोई खास गिरावट नहीं आई है।

(ख) जी नहीं। केवल लखीमपुर खेरी। सीतापुर में पैदा होने वाले पटसन से पटसन के वस्त्र बनाना तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं है। वास्तव में उत्तर प्रदेश में पटसन मिलें उचित बैंच मिक्स के लिये अन्य राज्यों के पटसन का इस्तेमाल कर रही हैं।

विवरण

उत्पादन (180 कि.ग्रा. की गांठें)

जिला	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
लखीमपुर	21,394	35,589	40,123	45,494	37,514

सीतापुर	3,972	6,611	1,428	1,694	12,312
देवरिया	3,922	2,833	217	1,361	13,695
गोंडा	3,972	13,706	6,928	12,333	7,580
बहराइच	8,183	11,367	12,739	26,683	8,084
योग	41,443	70,106	61,435	87,565	78,194

सरकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यूनिटो के निष्पादन में सुधार के उपाय

1608. श्री बी.वी. देसाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात, भारी इन्जीनियरी, रसायनों और उर्वरकों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रत सरकारी क्षेत्र यूनिटों का अप्रैल से जुलाई 1980 की प्रथम तिमाही में कार्यनिष्पादन बड़ा निराशाजनक रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन क्षेत्रों में जुलाई के पश्चात् भी वही स्थिति रही और नवम्बर में भी वही स्थिति है;

(ग) क्या भारी एककों का निष्पादन भी उत्साहवर्द्धक नहीं है;

(घ) क्या वे सभी यूनिट भारी घाटे में चल रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सबध में और उनके निष्पादन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) अप्रैल से जुलाई, 1980 की पहली तिमाही में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन का मिलाजुला पेटर्न दिखाई पड़ता है। 1980-81 की पहली तिमाही में इस्पात क्षेत्र में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पिण्ड और बिक्री योग्य इस्पात दोनों के उत्पादन में गिरावट आई है। 1980-81 की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में भारी इंजीनियरी क्षेत्र के अन्तर्गत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के भोपाल और हैदराबाद एककों, जेसप एण्ड कं., ब्रेथवेट, वर्न स्टेण्डर्ड, एच.एम.टी. के ट्रैक्टर और हाथघड़ियां बनाने वाले एककों, माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन रिचर्डसन एण्ड कूडास आदि में उत्पादन बढ़ा है तथा इनमें क्षमता का उपयोग भी बेहतर हुआ है। दूसरी ओर भारी इन्जीनियरी क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ उद्यमों के उत्पादन में गिरावट आई है। 1980-81 की पहली तिमाही में उर्वरक क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पादन में लगभग 10% की गिरावट हुई है।

(ख) और (ग) 1980-81 की पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में सरकारी क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण उद्यमों में काफी सुधार हुआ है। इन में उत्पादन का बेहतर रुख देखते हुए यह आशा की जाती है कि इनके कार्यनिष्पादन में और भी सुधार होगा, हालांकि नवम्बर महीने का पूरा ब्यौरा अभी नहीं दिया जा सकता।

(घ) 1980-81 की पहली तिमाही में राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स, ब्रेथवेट एण्ड कं., वर्न स्टेण्डर्ड कं., हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, जेसप एण्ड कं., माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन आदि को छोड़कर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० और सभी उर्वरक एककों ने घाटा उठाया है, जबकि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स,

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, भारत गोल्ड माइन्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० आदि ने निवल लाभ अर्जित किया है।

(ङ) सरकार, सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा के माध्यम से उन पर कड़ी निगाह रख रही है। इस विषय में किए गए उपायों के अन्तर्गत यह बताना अप्रासंगिक न होगा कि सरकार ने हाल ही में महत्वपूर्ण क्षेत्र के अनेक चुनीदा सरकारी उपक्रमों के कार्य-चालन की जांच करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (उद्योग) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। यह समिति सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय निर्धारित करेगी। समिति का काम चल रहा है।

विदेशों में भेजे गये उच्चाधिकारी

160. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 के बाद सरकारी काम से विदेशों को भेजे गए उच्चाधिकारियों की संख्या क्या है, और

(ख) उन में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की पृथक् पृथक् संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-संभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीयों द्वारा विदेशों में किया गया पूंजी निवेश

1610. **श्री दौलत राम सारण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन औद्योगिक गृहों के नाम का जिन्होंने विदेशों में स्वयं अथवा अन्य लोगों के साथ पूंजी निवेश किया है तथा उन देशों और उद्योगों के नाम एवं उनमें किए गए निवेश की राशि क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में भारतीयों द्वारा विदेशों में किए गए पूंजी निवेश से भारतीय अर्थ-व्यवस्था द्वारा अर्जित लाभ क्या है; और

(ग) वे क्या कारण थे, जिनके आधार पर उपरोक्त ढंग से विदेशों में पूंजी निवेश तथा उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमति दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जैसे ही वह उपलब्ध हो जाएगी उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973 की धारा 27 के उपबन्धों के अनुसार भारत से बाहर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में सहयोग करने अथवा उनके कारबार में भाग लेने के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक है।

विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने के प्रस्तावों पर वाणिज्य मंत्रालय की विदेशी संयुक्त उद्यम संबंधी अन्तर मंत्रालयिक समिति विचार करती है। संयुक्त उद्यमों के प्रस्तावों का अनुमोदन करते समय निम्नलिखित मुख्य मार्ग निर्देश समिति द्वारा दृष्टि में रखे जाते हैं :—

1. विदेशों के संयुक्त उद्यमों में भारतीय भागीदारी सामान्य रूप से भारत की किसी निगमित संस्था के माध्यम से होनी चाहिए, जिसके पास आवश्यक अनुभव और तकनीकी

क्षमता हो। भारतीय भागीदारी सामान्य रूप से संयन्त्र, मशीनरी तथा प्राद्योगिकी की शक्ल में होनी चाहिए जिसके लिये अनुमति दी जाती है।

2. औद्योगिक तथा विनिर्माण संबंधी संयुक्त उद्यमों की योजनाएं तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से सक्षम होनी चाहिए और उनके समर्थन में उनके साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नगद व्यवहार के विवरण तथा लाभ के पूर्वानुमान भी होने चाहिए। वाणिज्यिक/व्यापारिक/सेवा संबंधी उद्यमों की योजनाओं के साथ सामान्यत: व्यवहार्यता अध्ययन तथा अन्य पूर्वानुमान संलग्न होने चाहिएं।

3. सामान्य रूप से सामान्य शेयर पूंजी में अंशदान करने के लिए नगद प्रेषणाओं की इजाजत नहीं दी जाती लेकिन कई कठिन और पात्रतापूर्ण मामलों पर उनके गुणावगुणों के आधार पर तथा सहयोग के क्षेत्रों के आधार पर विचार किया जाता है। उदाहरण के लिए नगद प्रेषणाओं के संबंध में इजाजत देने के लिए परामर्शदात्री तथा अन्य सेवा संबंधी उद्यमों के मामले में विचार किया जाता है। इस प्रकार के मामलों पर विचार करते समय इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जाती है कि पूंजीगत वस्तुओं तथा सेवाओं का सारवान निर्यात काफी लम्बे अर्से तक किए जाने का विचार है।

जहां तक सहायक कम्पनियों की स्थापना का सम्बन्ध है विद्यमान नीति यह है कि बहुत ही आपवादिक मामलों में विदेशों में सहायक कम्पनियों की स्थापना की इजाजत ऐसी दशा में दी जाये जबकि सरकार पूर्णत: इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि शाखा कार्यालय मेजबान देश में स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता और यह कि निर्यात संवर्धन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन की दृष्टि से शाखा कार्यालय के मुकाबले सहायक कम्पनी ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगी।

भारत के प्रति अमरीका की आर्थिक नीति

1611. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में, भारत के प्रति अमरीका की आर्थिक नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है जिससे देश के आर्थिक संकट की स्थिति और गम्भीर हो गयी है;

(ख) देश के विकास कार्यक्रमों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की आशा है; और

(ग) भारत के प्रति अमरीका की आर्थिक नीति में हुए परिवर्तन के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) जहां तक हमारी जानकारी है, हाल में, भारत के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक नीति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

मुलुन्द कालोनी, बम्बई में बैंक की शाखा खोलना

16 2. **डा. सुब्रमण्यय स्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुलुन्द कालोनी बम्बई के निवासियों द्वारा अपनी कालोनी में बैंक की एक नई शाखा खोलने के बारे में कई वर्षों से मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने बैंक की एक नई शाखा खोलने के बारे में क्या कार्यवाही की है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) हालांकि मुलुन्द-बम्बई में बैंकों की शाखाएं मौजूद हैं परन्तु मुलुन्द (पश्चिम) कालोनी-बम्बई के निवासियों ने उस कालोनी में बैंक का एक कार्यालय खोलने के लिए अभ्यावेदन दिया है।

(ख) रिजर्व बैंक, अपनी शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार, जिसका उद्देश्य मुख्यत: बैंकिंग की दृष्टि से कमी वाले जिलों के ग्रामीण तथा अर्ध शहरी इलाकों में शाखा विस्तार करना है, राज्य सरकारों के परामर्श से इस प्रकार के केन्द्रों के आवंटन के कार्य को पूरा करने की ओर ध्यान देता और प्रयास करता रहा है। उसने अब सूचित किया है कि कुछ महानगरीय केन्द्रों में शाखा विस्तार पर शीघ्र ही विचार करने का प्रस्ताव है और उस समय बम्बई की मुलुन्द (पश्चिम) कालोनी के निवासियों के अनुरोध को भी ध्यान में रखा जाएगा।

सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा हंगरी से आये 'एल-बेस कन्साइनमेन्ट्स' की निकासी

1613. **श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस धारकों की ओर से आयात किये जाने के दौरान यदि कानून का कोई उल्लंघन होता है तो उसके लिये प्राधिकारपत्र धारक उत्तरदायी होता है;

(ख) यदि नहीं, तो स्टेट केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल आफ इण्डिया लि. द्वारा हंगरी से आयात किये गये 'एल बेस कन्साइनमेंन्ट्स' को सीमाशुल्क विभाग द्वारा निकासी की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उन्हें पेश किये गये दस्तावेजों में वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस धारकों के नाम और पते नहीं दिये गये थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) आयात व्यापार नियन्त्रण नीति के अन्तर्गत, कोई भी लाइसेंस धारक, लाइसेंस के अधीन आयात की व्यवस्था करने के लिये किसी भी व्यक्ति को अपना एजेन्ट नियुक्त कर सकता है और ऐसे एजेन्ट को, इस प्रयोजनार्थ, प्राधिकार-पत्र दे सकता है। तथापि, प्राधिकारपत्र धारक के कार्य, कॉल के लिए आदेश देने, साख-पत्र खोलने, माल के लिए रकम प्रेषित करने और लाइसेंस धारक की ओर से सीमा शुल्क विभाग से माल निकसित करवाने तक ही सीमित हैं। यदि माल के आयात के दौरान प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा आयात नियन्त्रण विनियमों अथवा किसी अन्य मांग विनियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए यह जिम्मेदार होता है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लाइसेंस-धारकों की ओर से स्टेट के मिकल एण्ड फार्मेस्यूटिकल कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा सीमाशुल्क प्राधिकारियों को पेश किए गए दस्तावेजों में वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस धारकों के नाम और पते दिए गए थे।

आवश्यक वस्तुओं के थोक तथा खुदरा मूल्यों में परस्पर सम्बन्ध

1614. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1980 में मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि

यदि खुदरा मूल्य थोक मूल्यों के अनुरुप न रहे तो सरकार व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी;

(ख) हमारे देश में पांच महानगरों में आवश्यक वस्तुओं के थोक तथा खुदरा मूल्य के बीच परस्पर क्या सम्बन्ध हैं; और

(ग) क्या सरकार इन मूल्यों के बीच वर्तमान सम्बन्धों से प्रसन्न है; और यदि नहीं तो उन्हें युक्ति-संगत बनाने के लिए सरकार का विचार क्या कड़े कदम उठाने का है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) से (ग) केन्द्रीय नागरिक पूर्ति मत्री ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है। आवश्यक वस्तुओं के थोक खुदरा मूल्यों के बीच अंतिम रूप से परस्पर सम्बन्ध क्या हों, इसका निर्धारण अभी किया जाना है। इन्हें एक दूसरे के अनुरूप रखने के लिए कई कदम उठाये गये हैं, जिनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना तथा उसे सुप्रवाही बनाना शामिल हैं। उपभोक्ता सहकारी समितियों के जाल का भी विस्तार किया जा रहा है। माल की ढुलाई में सुधार लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि अस्थाई प्रकार की स्थानीय कमी को रोका जा सके। राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहता है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उसके तहत जारी किए गए आदेशों, जिनमें स्टाक तथा मूल्य प्रदर्शन आदेश भी शामिल हैं, वाट और माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 और चोर-बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाए रखना अधिनियम, 1980 के उपबन्धों को सख्ती से लागू करें।

जोधपुर को जाने वाली विमान सेवा को नियमित करना

1651. श्री अशोक गहलोत : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर के लिए सप्ताह में तीन दिन विमान सेवा हाल ही में आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सेवा को नियमित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, इस सेवा का परिचालन शीतकालीन समयावलि के दौरान अर्थात मार्च, 1981 के अन्त तक जारी रखने का प्रस्ताव है। उसके पश्चात समयावलि में यातायात की मांग की पूर्ति करने के लिए फेर-बदल किया जा सकता है।

बकरे के मांस के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटाना

1616. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बकरे के मांस का निर्यात करने वालों के अनुरोध पर हाल ही में बकरे के मांस के निर्यात पर से प्रतिबन्ध हटा लिया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उसमे बकरे के मांस का देशीय बाजार मूल्य इतना बढ़ जाएगा कि अधिकांश लोग उसे खरीद ही नहीं पाएंगे;

(ग) जिस देश में प्रोटीन की बहुत कमी है वहां इस तरह का अकस्मात निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का लक्ष्य 8 लाख टन मांस का निर्यात करने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बारे में स्वास्थ्य और पोषाहार प्राधिकारियों से परामर्श लिया है;

(च) क्या वे मांस सम्बन्धी राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना करने जा रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) फिलहाल केवल भेड़ के मांस के निर्यात पर से रोक हटा ली गई है। बकरे के मांस के निर्यात पर पूरी तरह रोक जारी है।

(ख) तथा (ग) भेड के मांस के निर्यात के लिए प्रति वर्ष 7500 मे० टन की अधिकतम सीमा के भीतर अनुमति दी जाती है। भेड़ के मांस की निर्यात नीति में भी अनेक सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था की गई है ताकि इन निर्यातों से घरेलू कीमतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(घ) जी नहीं

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) तथा (छ) मांस बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ब्यौरा तैयार करने का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब अन्तिम निर्णय हो जायेगा।

केन्द्रीय जांच ब्यरो द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के विरुद्ध चलाये गये मुकदमे

1617. श्री के राममूर्ति क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के कितने अधिकारियों के विरुद्ध राज्यवार तथा बैंक-वार मुकदमे चलाये गये हैं;

(ख) कितने मुकदमें छोड़ दिये गये हैं; और

(ग) ऐसे मामलों में, जिनको अन्तिम रूप दे दिया गया है, किस-किस प्रकार का दण्ड दिया गया ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट : (क) से (ग) : यथा संभव सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के ड्राइवरों तथा कन्डक्टरों द्वारा हड़ताल

1618. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार का ध्यान राउरकेला इस्पात संयंत्र के 350 ड्राइवरों तथा कंडक्टरों द्वारा की गई एक माह लम्बी हड़ताल की ओर दिलाया गया है; और

(ख) : यदि हां तो, उक्त संकट का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी : (क) : जी, हां।

(ख) : प्रबन्धकों तथा मान्यता प्राप्त यूनियन (राउरकेला मजदूर सभा) के बीच समझौता हो गया था तथा 15 अक्तूबर, 1980 को हड़ताल खत्म कर दी गई थी।

राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए वित्तीय सहायता

1619. **श्री चित्त बसु : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों को रियायती दरों पर ऋण सुविधायें प्रदान करने की कोई स्पष्ट योजना है;

(ख) यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों को अब तक कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) से (घ) केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण के लिए राज्य सरकारों द्वारा नामित किए गये अभिकरणों को ब्याज की रियायती दरों पर नकद ऋण सुविधा प्रदान करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

इस्पात के उत्पादन में कमी

1620. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री आर एल. भाटिया :

श्री डी. पी. जदेजा :

श्री के. प्रधानी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष के शुरू में ही यह अनुमान लगा लिया था कि अनुमानित मांग की तुलना में इस्पात का उत्पादन 14 लाख टन कम होगा और इस अन्तर को पूरा करने के लिए रक्षित भण्डार आयात योजना और "बैंक टु बैंक" आयात योजना के अन्तर्गत मोटे तौर पर बराबर अनुपात में आयात करने की योजना बना ली थी;

(ख) : यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि गत छः महीनों में उत्पादन कम होने के कारण यह अन्तर और भी अधिक हो गया है; और

(ग) : यदि हां, तो कितना और इसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : देशीय उत्पादन तथा मांग के अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार उदार आयात-नीति का अनुसरण कर रही है। "बफर" तथा "बैंक-टु-बैंक योजना के अन्तर्गत सेल द्वारा किए जा रहे आयात के अलावा वास्तविक उपयोक्ताओं को भी आटोमैटिक लाइसेंसिंग के अन्तर्गत प्रतिबन्धित मदों तथा खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कुछ मदों का सीधे आयात करने की अनुमति भी दी गई है। आशा है कि इस प्रकार किए गए आयात से अन्तर पूरा किया जा सकेगा।

यह सच है कि वर्ष के आरम्भ में सेल ने कुल 14.6 लाख टन इस्पात का आयात करने की योजना बनाई थी जिसमें से 6,92,000 टन इस्पात का आयात बफर योजना के अन्तर्गत किया

जाना था। यद्यपि बफर योजना के अन्तर्गत आयात निर्धारित योजना के अनुसार किया जाएगा तथापि बैक-टु-बैक आयात इच्छुक वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा अपना नाम सेल के पास पंजीकृत कराने पर निर्भर करेगा। नाम पंजीकृत कराने के अब तक के रूख को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बनाई गई योजना के अनुसार आयात में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

अप्रैल-सितम्बर, 1980 के 6 महीनों की अवधि में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के विक्रेय इस्पात के उत्पादन में लक्ष्य की तुलना में 7,39,000 टन की कमी हुई है। उत्पादन में कमी मुख्य रूप से कोककर कोयले की अपर्याप्त उपलब्धि तथा बिजली की कमी के कारण हुई है।

तामिलनाडु की सरकार द्वारा जीवन बीमा निगम से मांगी गई धनराशि

1621. श्री सी चिन्नास्वामी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने जीवन बीमा निगम से राज्य में स्कूल भवन के निर्माण और मरम्मत सम्बन्धी 95 करोड़ रुपये की धनराशि के कार्यक्रम में धन लगाने के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) : जी, हां।

(ख) : जीवन बीमा निगम के पूंजी निवेश के कानूनी ढांचे में यह व्यवस्था की गई है कि निगम की नियंत्रित निधि की वार्षिक वृद्धियों का कम से कम 75 प्रतिशत भाग सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और समाज प्रधान योजनाओं के लिए ऋणों के रूप में लगाना होता है। ये समाज प्रधान योजनाए जिनके लिए जीवन बीमा निगम ऋण दे सकता है, योजना आयोग के परामर्श से तय की गई हैं और इस क्षेत्र में जीवन बीमा निगम निम्नलिखित को ऋण देता है :—

( ) आवास के लिए राज्य सरकारों को।

(2) आवास और नगर विकास निगम (हुडको)।

(3) शीर्षस्थ सहकारी आवास वित्त समितियां।

(4) राज्य बिजली बोर्ड।

(5) जलपूर्ति और जलमल निकासी योजनाएं।

(6) चीनी सहकारी समितियां।

(7) औद्योगिक क्षेत्र।

(8) राज्य सड़क परिवहन निगम।

स्कूलों की इमारतों के निर्माण और नवीकरण की योजनाएं उन समाज प्रधान योजनाओं में नहीं आतीं जिनके लिए जीवन बीमा निगम ऋण दे सकता है।

अभ्रक व्यापार और संकट का सामना कर रहे कर्मचारी

1622 श्री रामावतार शास्त्री : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभ्रक व्यापार तथा उसके कर्मचारियों को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने उनको तथा अध्यक्ष, बिहार ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने उनके विभाग हो इस समस्या के हल के लिए कोई पत्र लिखा है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) : यद्यपि अभ्रक उद्योग का सुधार करने के लिए कुछ संसद सदस्यों तथा अध्यक्ष, बिहार ट्रेड यूनियन कांग्रेस से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं, तथापि सरकार को मिलने वाली रिपोर्टों के अनुसार अभ्रक व्यापार द्वारा किसी प्रकार के संकट का सामना नहीं किया जा रहा है। प्राप्त पत्रों में उल्लिखित मुख्य मुद्दे नियोक्त से सम्बन्धित हैं :

(1) बड़े पैमाने पर अभ्रक फैब्रीकेशन तथा निर्माण उद्योग आरम्भ करने की आवश्यकता;

(2) अभ्रक व्यापार निगम (मिटको) द्वारा उन अभ्रक कर्मचारियों का खपाया जाना जो स० 5 से कम आकार वाले अभ्रक को शेयरिंग फार्मूले के साथ पुन: सम्बन्ध करने के फलस्वरूप तथाकथित छंटनी का सामना कर रहे हैं और

(3) मिटको उन अभ्रक व्यापारियों को एफ ए एस कीमतों से 25 से 50 प्रतिशत तक कम भुगतान कर रहा है जो मिटको को अभ्रक की सप्लाई करते हैं।

(घ) अभ्रक फैब्रीकेशन तथा निर्माण उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही मिटको द्वारा पहले ही की जा रही है। अभ्रक कर्मचारियों की छंटनी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

28 नवम्बर, 1980 को उत्तर दिये जाने के लिए मोटे कपड़े की मांग और सप्लाई

1623. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मांग की तुलना में देश में मोटे कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्या है और इसमें से मिलों तथा हथकरघा क्षेत्रों द्वारा क्रमश: कितने-कितने कपड़े का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि अलाभकारी होने के कारण मिलें मोटे कपड़े का निर्माण करने में अनिच्छुक रहती हैं; और

(ग) यदि हां तो सरकार का विचार मांग और सप्लाई के अन्तर को कैसे पूरा करने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सन्दर्भ सम्भवत: जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए बनाये जाने वाले कन्ट्रोल के कपड़े के बारे में है। इस समय लगभग 400 मिलियन मीटर कन्ट्रोल का कपड़ा, जिसमें साड़ियां, धोतियां, लट्ठा, कमीज का कपड़ा तथा टुइल शामिल है, मिल क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है और 200 मिलियन मीटर साड़ियों तथा धोतियों का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में किया जाता है। समस्त जनसंख्या के लिये यह मात्रा एक मीटर प्रति वर्ष बैठेगी परन्तु स्पष्टतया यह एक समुचित संकेतक नहीं होगा क्योंकि यह कपड़ा केवल जनसंख्या के कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिये है।

(ख) जी नहीं। इसके कपड़े का उत्पादन करने में मिलों की ओर से कोई अनिच्छा नहीं है क्योंकि उत्पादन लागत की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बीजापुर में हवाई अड्डे का निर्माण

1624. **श्री के. बी. चौधरी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीजापुर की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए क्या परिवहन और आवास सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार बीजापुर में एक हवाई अड्डे का निर्माण करने का है; यदि हां, तो कब;

(ग) क्या सरकार का विचार विश्व प्रसिद्ध "गोल गुम्बज" के परिसर में "ध्वनि और प्रकाश" कार्यक्रम आरम्भ करने का है; और

(घ) क्या गोल "गुम्बज" में फ्लड लाइट लगाने के बारे में सरकार का कोई विचार है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) बीजापुर की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिये परिवहन और आवास सम्बन्धी जो सुविधाए उपलब्ध हैं, वे निम्न-लिखित हैं :—

बीजापुर दक्षिण भारत के प्रमुख पर्यटक केन्द्रों से रेल और सड़क मार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। भारत पर्यटक विकास निगम बीजापुर में चार कमरों (10 बैड) वाले एक यात्री-गृह का संचालन कर रही है। कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम एक टूरिस्ट होम का संचालन कर रही है। इनके अतिरिक्त एक सर्किट हाऊस, यात्री बंगला और इस्पेक्शन-बंगला उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) जी, नहीं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा योजना

1625. **श्री अमर सिंह वी राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में एक ऐसी विशेष प्रकार की बीमा योजना के स्थान पर जब उसके पास पैसा हो उस समय अदा करने की अनुमति देना प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है जिसके अनुसार बीमा धारक प्रीमियम की किश्त नियमित अन्तराल पर जमा करने के स्थान पर जब उनके पास पैसा हो तब जमा करा सके;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार की योजना को कार्यान्वित किए जाने के रास्ते में क्या अड़चनें आ रही हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) से (ग) जीवन बीमा निगम, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप, जिनकी आय में काफी घटबढ़ होती रहती है, एक खास किस्म की जीवन-बीमा पालिसी तैयार करने के सुझाव पर विचार कर रहा है।

औद्योगिक एककों द्वारा बैंकों से ऋण लेने के बाद भुगतान न किया जाना

1626. **श्री के. मालन्ना** :

श्री चिन्तामणि जेना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक एककों के कुछ ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आये हैं जो अपने आपको किसी तरह संकट-ग्रस्त बना लेती है और बैंकों से ऋण लेने के बाद ऋण भुगतान नहीं करती हैं और वास्तव में रुपयों को कहीं और काम में लाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे छोटे तथा मध्यम पैमाने के क्षेत्र के एककों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है जो संकट-ग्रस्त बन जाती हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगन भाई बारोत) : (क) और (ख) औद्योगिक एककों में रुग्णता अनेक कारणों से हो सकती है जिनमें प्रबन्धकों द्वारा निधियों का अन्य प्रयोजनों में उपयोग किया जाना भी एक कारण है। बैंकों ने औद्योगिक एककों में रुग्णता की यथासंभव रोकथाम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जिन मामलों में रुग्ण एकक आक्षेप पाये जाते हैं, उनमें बैंक उनके लिए पोषण कार्यक्रम पर विचार करते हैं। बैंक इस प्रकार की पोषण-सहायता पर बड़ी नजर रखते हैं। 30 जून, 1979 की स्थिति के अनुसार जो बिल्कुल हाल की तारीख की उपलब्ध सूचना है, ऐसे औद्योगिक एकक जो विभिन्न कारणों के रुग्ण थे, और जिन्होंने एक करोड़ रुपये और उससे अधिक के बैंक ऋण प्राप्त किए थे, उनकी संख्या 345 थी तथा ऐसे लघु औद्योगिक एकक जो विभिन्न कारणों से रुग्ण थे उनकी संख्या लगभग 20,700 थी।

बम्बई और वाराणसी के बीच विमान सेवा

1627. **श्री जैनुल बशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वाराणसी न केवल पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध है वरन् बनारसी कपड़ा और कालीनों के लिए भी प्रसिद्ध है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि बड़ी संख्या में पर्यटकों के अतिरिक्त विदेशों से काफी लोग कपड़ा और कालीन खरीदने के लिए नियमित रूप से आते रहते हैं; और

(ग) क्या उपर्युक्त बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार बम्बई और वाराणसी के बीच सीधी विमान सेवा आरम्भ करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) इंडियन एयरलाइंस की फिलहाल बम्बई तथा वाराणसी के बीच एक सीधी विमान सेवा चालू करने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

एक हजार रुपये के करेंसी नोटों का प्रचलन बन्द किया जाना

1628 **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक हजार रुपये के करेंसी नोटों का प्रचलन कौन सी तिथि से बन्द किया गया था और प्रचलन बन्द किए जाने के क्या कारण थे; और

(ख) प्रचलन बन्द होने के कारण बैंकों में कितने मूल्य के नोटों को जमा किया गया है;

वित्त मंत्री (श्री आर वेंकटरामन) : (क) 16 जनवरी, 1978 को शाम को राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश जिसका नाम "उच्च मूल्य-वर्ग के बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अध्यादेश 1978 था, के द्वारा 10.0/-रुपए; 5000/-रुपए और 10,000 रुपए के ऊंचे मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों का उस दिन के बाद से विमुद्रीकरण कर दिया गया। इस विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था के लिए हानिकारक कारबार अथवा गैर-कानूनी प्रयोजनों के लिए धन के गैर-कानूनी हस्तांतरण पर रोक लगाना था।

(ख) 24 जनवरी, 1978 को निश्चित तारीख के कुल 125.0 करोड़ रुपए के मूल्य के

ऊंचे मूल्य-वर्ग के करेंसी नोट, बैंकों और सरकारी कोषों से प्रेषणाओं (64.95 करोड़ रुपए) और जनता द्वारा घोषणा पत्रों (60.07 करोड़ रुपए) के रूप में जमा कराए गए।

सौ और पचास रुपये के नोटों को बन्द किये जाने का सुझाव

1629 **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुद्रास्फिति को रोकने के लिए कुछ बड़े अर्थशास्त्रीयों ने 100 रुपए और 50 रुपए के नोटों को बन्द करने का सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

वित्त मंत्री (श्री आर वेंकटरामन) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए 100 रुपए और 50 रुपए के नोटों का प्रचलन बंद करने का सुझाव दिया है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

छठी पचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना

1630. **श्री पी.एम. सईद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त 170 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो कितने जिलों को लाभ होगा;

(ग) इन के अन्तगत कौन से जिले आयेंगे; और

(घ) क्या उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) और (ख) (1980-85) की छठी पचवर्षीय योजना के वास्ते लगाए गए अनुमानों के अनुसार और 105 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव है, जिससे कि मार्च, 1985 के अन्त तक ऐसे बैंकों की कुल संख्या 170 तक पहुँच जाएगी तथा इनसे 270 जिले व्याप्त हो जायेंगे।

(ग) नये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के स्थान/जिले का निर्धारण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तथा किसी स्थान का निर्णय सरकार द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए बनी संचालन समिति की सिफारिशों पर किया जाता है।

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित होते हैं। केन्द्रीय सरकार, सम्बन्द्ध राज्य सरकार, प्रायोजन बैंक जो कि सामान्यत: सरकारी क्षेत्र का एक बैंक होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शेयर पूंजी में 50:15:33 के अनुपात में अंसदान करते हैं। राष्ट्रीय बैंकों को इन बैंको की स्थापना के लिए कोई प्रेरणा नहीं दी जाती। वास्तव में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के अधीन प्रायोजक बैंक के लिए आवश्यक है कि वह अपने द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यचालन के प्रारम्भिक वर्षों में सहायता तथा सहयोग प्रदान करें।

अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात बाजार में भारतीय चाय से हानि

1631. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका, चीन आदि जैसे अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगियों से मूल्यों के क्षेत्र में

अत्याधिक प्रतियोगिता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात बाजार में भारतीय चाय को गम्भीर धक्का पहुँच रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय के निर्यात की सुरक्षा के लिए उनके मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी नहीं। अन्य चाय निर्यात देशों से प्रतियोगिता के बावजूद जनवरी से सितम्बर, 1980 के दौरान भारत से चाय का निर्यात गत वर्ष की उसी अवधि के दौरान 137.49 मिलियम किग्रा. की तुलना में अनन्तिम तौर पर 151.46 मिलियम किग्रा. होने का अनुमान है, इस प्रकार लगभग 14 मिलियम किग्रा. की वृद्धि हुई।

(ख) विश्व बाजार में हमारे चाय निर्यातों के रक्षोपाय के लिये सरकार द्वारा निम्न-लिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) चाय पर निर्यात शुल्क की समाप्ति;

(2) पैकेट चाय निर्यातों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की वापसी की प्रणाली को पुनः लागू करन ;

(3) चाय बैग मशीनरी के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत लाना;

(4) चाय बैगक मशीनरी पर आयात शुल्क को 75 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत करना;

(5) पैकेट चाय तथा चाय की थैलियों के लिये नकद मुआवजा सहायता की दर बढ़ना और

(6) चाय की थैलियों के निर्यातों के लिये आयातित सामग्री पर शुल्क वापसी की सर्व उद्योग दरें लागू करना।

इसके अलावा, विदेश स्थित चाय बोर्डों के कार्यालय निरन्तर हमारे चाय निर्यातों के लिये विभिन्न संवर्धनन सम्बन्धी, एक राष्ट्रीय सवर्धन, व्यापार देशों तथा प्रदर्शनियों मे भाग लेना आदि शामिल हैं।

गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय बैंकों की शाखाएं खोलना

1632 श्री छोतुभाई गामित : क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के गाँवों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों में किसानों के लाभ के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) गुजरात मे ऐसे कितने गांव हैं जहां अब भी बैंक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) सरकार की 1 80-81 के दौरान गुजरात राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो शाखाएं खोलने का जो विचार है उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मत्रालय में उप वित्त मत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) गुजरात राज्य में कार्य कर रही वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की 31-8-1980 की स्थिति के अनुसार जिलेवार सख्या विवरण में दी गई है।

(ख) आंकड़े उस रूप में उपलब्ध नहीं हैं जिस रूप में वे पूछे गए हैं। लेकिन, राज्य के ग्रामीण/अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रहे बैंकों के कार्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है वे जिस

स्थान में स्थित हैं उसी की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति न करें बल्कि आसपास के गांवों को भी बैंकिंग सुविधा प्रदान करें ।

(ग) अपनी शाखाएं खोलने के लिए बैंकों के पास बकाया लाइसेंसों/आवंटनों की जिला-वार संख्या भी विवरण में दी गई है । इन शाखाओं के वर्ष 1981 के अन्त से पहले खुल जाने की आशा है ।

विवरण

गुजरात राज्य में, 31-8-1980 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या तथा बकाया लाइसेंसों/आवंटनों की संख्या

जिले	कार्य कर रहे कार्यालयों की संख्या	बकाया लाइसेंस/ आवंटन
अहमदाबाद	39	2
अमरेली	12	—
बनासकांठा	20	2
भावनगर	23	—
भड़ांच	28	2
वलसाड़	81	4
डन्स	2	—
गांधीनगर	12	1
जामनगर	14	—
जूनागढ़	19	—
कैरा	114	—
कच्छ	57	—
मेहसाना	56	1
पंचमहल	27	8
राजकोट	23	6
साबरकांठा	38	—
सूरत	77	4
सुरेन्द्र नगर	5	—
बडोदरा	64	3
	715	33

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल

1633. श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम के पूरे भारत में कितने होटल हैं;

(ख) इन होटलों में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ग) उपरोक्त कर्मचारियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है;

(घ) कितने कर्मचारी प्रबंधकीय संवर्ग में हैं और इसमें से कितने गैर प्रबन्धकीय संवर्ग में हैं; और

(ङ) भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रसासनिक कार्यालय में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) 20 होटल

(ख) से (घ) : 31 मार्च, 1980 को इन होटलों में 5314 कर्मचारी काम कर रहे थे। इनमें से 252 प्रबंधकीय कर्मचारी थे और शेष 5062 गैर-प्रबन्धकीय कर्मचारी थे।

(ङ) 31 मार्च, 1980 को भारत पर्यटन विकास निगम के प्रशासनिक कार्यालय में 451 कर्मचारी काम कर रहे थे।

कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन

1634. **श्री जी. वाई. कृष्णन :**

श्री के० प्रधानी :

श्री के. पी. सिंह देव :

श्री वीरभद्र सिंह :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन के मामले में गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र का कितना कितना योगदान रहा;

(ख) लगभग प्रत्येक राज्य में भारी मांग को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहें हैं; और

(ग) क्या कंट्रोल के कपड़े के मूल्य ढांचे पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुकर्जी) : (क) गत 5 वर्षों के दौरान गैर-राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों तथा राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों द्वारा उत्पादित कन्ट्रोल के कपड़े की मात्रा निम्नलिखित है :

वर्ष	गैर एन. टी. सी. मिलें	एन. टी. सी. मिलें
		(मिलियन वर्ग मीटर में)
1975-76	513.46	152.83
1976-77	524.40	39.94
1977-78	283.41	64.02
1978-79	171.03	196.76
1979-80	87.23	252.03

(ख) तथा (ग) कन्ट्रोल के कपड़े की योजना के अनेक पहलुओं, जिनमें कन्ट्रोल के कपड़े के उत्पादन की मात्रा तथा कीमत शामिल है, इस समय विचाराधीन हैं।

डाक जीवन बीमा पालिसियां

1635. श्री आर. पी. यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम की योजनाओं की अपेक्षा डाक जीवन बीमा लाभप्रद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा इस प्रकार की योजनाओं को न अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (ग) डाक घर बीमा निधि डाक तार विभाग के कर्मचारियों के लाभ के लिए 1883 में शुरू की गई थी और बाद में, इसे भिन्न-भिन्न चरणों में, केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया गया। निधि का इतना विस्तार कर दिए जाने के बाद भी इसके मूल उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह उद्देश्य है मालिक द्वारा उसके कर्मचारियों सेवा सुविधा के रूप में रखी जाने वाली निधि।

इस निधि का संचालन बिना किसी एजेन्सी संगठन के सरकारी विभाग के रूप में किया जाता है इसकी केवल कुछ ही अ योजनायें हैं अर्थात बन्दोबस्ती बीमा, आजीवन बीमा और परिवर्तनीय जीवन बीमा।

जीवन बीमा निगम आम जनता के लिए कार्य करता है और अनेक किस्मों के बीमा कवच प्रदान करता है जिनमें डाक घर बीमा निधि द्वारा प्रस्तुत किस्मों के बीमे भी शामिल हैं। जीवन बीमा निगम प्रचार के साथ-साथ बहुत बड़ी संख्या में क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से कार्य करता है। डाक घर बीमा निधि के संचालन का स्वरूप सीमित होने के कारण बीमा कारबार प्राप्त करने और सेवा लागत तथा परिणामस्वरूप इसके प्रीमियम की दरें अपेक्षाकृत कम हैं। यद्यपि जीवन बीमा निगम अन्य किस्मों के साथ-साथ डाक घर बीमा निधि द्वारा उपलब्ध किस्मों का बीमा भी करता है, लेकिन मुख्यरूप से विकास और सेवा पर अधिक खर्च के कारण निगम के प्रीमियम की दरें थोड़ी-सी अधिक होती हैं।

अफीम की किस्म की जांच करने का तरीका

1636. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफीम की किस्म की जांच करने का वह तरीका क्या है जिसके आधार पर अफीम का श्रेणीकरण किया जाता है और तदनुसार किसानों को भुगतान किया जाता है;

(ख) अफीम का प्रति हैक्टेयर न्यूनतम उत्पादन कितना है जिसके आधार पर अफीम की खेती के लिए दुबारा पट्टा किया जाता है; और

(ग) क्या अफीम उत्पादकों का कोई मुखिया नियुक्त किया जाता है और इस पद के लिए क्या-क्या अर्हताएं और कार्य निर्धारित किए गये हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) काश्तकारों द्वारा सेल केन्द्रों पर सौंपी गई अफीम की, शुद्धता और गाढ़ता की दृष्टि से अनन्तिम वर्गीकरण जिला फोड अधिकारी द्वारा मिलावटी पदार्थों की मात्रा का पता लगाने लिये हाथ छू कर, सूंघकर, देखकर

उसकी परख करने और साधारण रासायनिक परीक्षण के जरिये किया जाता है। इस विश्लेषण के आधार पर मूल्य का 90 प्रतिशत भुगतान कर दिया जाता है। बाद में, अफीम का विश्लेषण सरकारी, अफीम कारखानों की प्रयोगशालाओं में किया जाता है और कारखाने की प्रयोगशाला द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर काश्तकारों को अन्तिम और पूरी अदायगी की जाती है।

(ख) फसल वर्ष 1980-81 के लिये अफीम की काश्त हेतु निर्धारित औसत उपज 25 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर नियत की गई है।

(ग) जी, हाँ। 'मुखिया' (जिसे नम्बरदार कहा जाता है) की नियुक्ति उच्चतम औसत उपज देने वाले पात्र काश्तकारों की सूची में से तथा इन शर्तों के अधीन की जाती है कि वह साक्षर हो और गांव में रहता हो तथा काश्तकारों को स्वीकार्य हो। वह शारीरिक दुर्बलता से पीड़ित नहीं होना चाहिए। लम्बरदार के मुख्य कार्य हैं—पट्टे देना, पैमाइश, फसल का निरीक्षण करने, तौल सम्बन्धी कार्यों को पूरा करने में विभागीय अधिकारियों की सहायता करना और अफीम के काश्तकारों द्वारा प्रतिदिन निकाली जाने वाली अफीम का रिकार्ड रखना। उससे सामान्यतया यह सुनिश्चित करने की आशा की जाती है कि काश्तकार अपनी समस्त उपज विभागीय अधिकारियों को सौंप देते हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण के कार्यालय का हैदराबाद से मध्य प्रदेश अथवा नई दिल्ली को स्थानान्तरण

1637. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार भारतीय इस्पात प्राधिकरण के हैदराबाद कार्यालय का स्थानान्तरण मध्य प्रदेश में किसी स्थान पर अथवा नई दिल्ली, जहाँ मुख्य मंत्रालय स्थित है, करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं कि मुख्यालय हैदराबाद में है और सरकार को उच्च अधिकारियों को, जिसको सरकारी कार्य के लिये बार-बार नई दिल्ली जाना पड़ता है, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता अदा करना पड़ता है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हैदराबाद में केवल एक शाखा-कार्यालय है जो बिक्री तथा वितरण सम्बन्धी कार्य देखता है। इस समय इस शाखा-कार्यालय को इसके वर्तमान स्थान से बदलकर मध्य प्रदेश के किसी अन्य स्थान से बदलकर मध्य प्रदेश के किसी अन्य स्थान अथवा नई दिल्ली लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में बैंकों में विचाराधीन पड़े ऋण प्रार्थना पत्र

1638. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा ऋण दिये जाने और राष्ट्रीयकृत तथा ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खोले जाने के बारे में 4 जुलाई 1980 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 2982 और 3105 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में चार सप्ताह से अधिक समय से ऋण लेने के लिए विचाराधीन पड़े

आवेदनों की जिलावार तथा बैंक-वार कुल संख्या कितनी है तथा दरभंगा और मधुबनी जिलों में खण्ड-वार तथा शाखा-वार विचाराधीन पड़े आवेदनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सभी लाइसेंस प्राप्त ग्रामीण तथा उप-नगरीय बैंकों की शाखाएं खोल दी गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो मधुबनी तथा दरभंगा जिलों में विचाराधीन पड़े मामलों की सूची क्या है और अन्य जिलों में विचाराधीन पड़े मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) बिहार के सभी जिलों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपेक्षित संख्या में ग्रामीण तथा उप-नगरीय बैंक शाखाओं को कब तक खोल दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) (क) आंकड़े सूचित करने की रिजर्व बैंक प्रणाली के अन्तर्गत, जिला स्तर पर ऋण के विचाराधीन आवेदन पत्रों के बारे में आंकड़े एकत्र होने अभी शुरू नहीं हुए हैं। परन्तु, भारतीय रिजर्व बैंक ने नमूने के तौर पर चुनी हुई शाखाओं का जो त्वरित अध्ययन किया है उससे यह पता लगा था कि बैंक, 10,000 रुपए और उससे कम के ऋणों के आवेदन-पत्रों की कुल संख्या के 89.3 प्रतिशत तक आवेदन पत्र 4 सप्ताहों की निर्धारित अवधि के भीतर निपटा रहे थे।

(ख) और (ग) 31 दिसम्बर, 1979 को बैंकों के पास अनिष्पादित पड़े लाइसेंसों और नियतन पत्रों में पहली जनवरी, 1980 और 31 अगस्त, 1980 के बीच खोली गई शाखाओं के बारे में दरभंगा और मधुबनी जिलों की केन्द्रवार तथा बिहार राज्य के सभी जिलों की संख्यावार उपलब्ध सूचना विवरण I और II में दी गई है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्ष 1979 से 1981 तक की तीन वर्षों की अवधि के लिए शाखा लाइसेंस नीति के अंतर्गत उक्त बैंक द्वारा लाइसेंस/नियतन पत्र जारी करने का कार्य लगातार चलते रहने वाली एक प्रक्रिया है जिसे राज्य सरकारों और बैंकों से परामर्श करके कार्यान्वित किया जा रहा है। आशा है कि वर्तमान नीति के अनुसार, बैंकिंग की दृष्टि से कमी वाले जिलों के ग्रामीण तथा अर्ध शहरी केन्द्रों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये लाइसेंसों/नियतन पत्रों को वर्ष 1981 की समाप्ति से पहले कार्यान्वित कर दिया जायेगा।

विवरण-I

दिसम्बर 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार बिहार में ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए विचाराधीन लाइसेंसों/नियतन पत्रों की संख्या तथा पहली जनवरी से 31 अगस्त, 1980 तक की अवधि में खोली गई शाखाओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

जिला	दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार बिहार में ग्रामीण/अर्द्धशहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों के पास विचाराधीन लाइसेंसों/नियतन पत्रों की संख्या	जिनमें से बैंकों द्वारा जिन केन्द्रों में पहली जनवरी से 31 अगस्त 1980 तक की अवधि में शाखाएं खोली गई हैं उनकी संख्या
1. औरंगाबाद	12	—
2. बेगूसराय	15	5

1	2	3
3. भागलपुर	27	—
4. भोजपुर	23	9
5. दरभंगा	28	5
6. धनबाद	2	1
7. गया	28	4
8. गिरडीह	2	—
9. गोपालगंज	17	—
10. हजारी बाग	13	4
11. कटिहार	11	1
12. मधुबनी	43	10
13. मुंगेर	45	4
14. मुजफ्फरपुर	18	6
15. नालन्दा	23	14
16. नवादा	13	2
17. पालामऊ	3	—
18. पश्चिम चंपारन	29	12
19. पटना	14	6
20. पूर्णिया	53	10
21. पुरवा चंपारन	33	13
22. रांची	20	2
23. रोहतास	18	4
24. सहरसा	68	7
25. समस्तीपुर	21	13
26. संथाल परगना	37	3
27. सारन	24	7
28. सिवान	26	10
29. सिंहभूमि	37	1
30. सीतामढ़ी	22	9
31. वैशाली	15	7
योग	740	169

विवरण-2

दिसम्बर 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार दरभंगा तथा मधुबनी जिलों के उन केन्द्रों के नामों की सूची जिनके लिए बैंकों के पास नियतन पत्र/लाइसेंस पड़े थे तथा पहली जनवरी से 31 अगस्त, 1980 तक की अवधि में जिन केन्द्रों में शाखाएं खोली गई हैं उनमें शाखा खोलने की तारीख

जिला	क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	वर्गीकर	उन बैंकों के नाम जिनके पास नियतन पत्र/लाइसेंस थे	शाखा खोलने की तारीख
1	2	3	4	5	6
दरभंगा	1.	खिरमापथरा	ग्रामीण केन्द्र	भारतीय स्टेट बैंक	
	2.	करजापट्टी	,,	,,	
	3.	काली गांव	,,	,,	
	4.	मुरीठा	,,	,,	
	5.	निपेथी	,,	,,	
	6.	तरुनी	,,	,,	
	7.	नेवडा	,,	,,	
	8.	जगन्नाथपुर	,,	,,	
	9.	पोकरम	,,	,,	
	10.	कहुआ	,,	,,	
	11.	बिरौल	,,	,,	
	12.	कोरथू	,,	,,	
	13.	गनोन	,,	,,	
	14.	मचिटा	,,	,,	
	15.	पटाई महगौर	,,	,,	
	16.	उजान	,,	,,	
	17.	दरभंगा शिवधारा शहरी केन्द्र कृषि बाजार यार्ड	,,	,,	9-6-80
	18.	सिंहवाडा	ग्रामीण केन्द्र	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	
	19.	सोनकी	,,	,,	
	20.	मुरिया	,,	,,	
	21.	सिसो	,,	,,	7-7-80
	22.	सुरेहा चट्टी	,,	,,	19-7-80
	23.	थलवाडा	,,	,,	

1	2 3	4	5	6
	24. महमदपुर	ग्रामीण केन्द्र	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	25-8-80
	25. रायम	,,	,,	27-8-80
	26. सिमरी	,,	,,	9-7-80
	27. उघरा	,,	,,	
	28. तरलाही	,,	,,	
	29. बिठोली	,,	,,	
मधुवनी	1. अनरर	,,	भारतीय स्टेट बैंक	28-1-80
	2. औंसी	,,	मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
	3. फूलपारस	,,	,,	
	4. कमलावाड़ी	,,	,,	
	5. रुद्रपुर	,,	,,	
	6. रामपट्टी	,,	,,	
	7. शिवनगर	,,	,,	
	8. रंघोली	,,	,,	
	9. मनमोहर	,,	,,	
	10. भेजा	,,	,,	29-1-80
	11. कोईलाख	,,	,,	
	12. मट्टसिमर	,,	,,	
	13. करही	,,	,,	28-6-80
	14. उचैट	,,	,,	
	15. सिमरी	,,	,,	24-5-80
	16. परसौनी	,,	,,	
	17. सहरघाट	,,	,,	28-6-80
	18. विरौल	,,	,,	
	19. थहर	,,	,,	28-6-80
	20. पदमा	,,	,,	24-5-80
	21. पिपराही	,,	,,	
	22. मदना	,,	,,	
	23. चिकना	,,	,,	
	24. दुर्गीपट्टी	,,	,,	28-6-80
	25. तमोरिया	,,	,,	27-6-80
	26. वेल्हावर	ग्रामीण केन्द्र	मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
	27. कपासिया	,,	,,	
	28. परजोर	,,	,,	
	29. सिंहसो	,,	,,	

1	2 3	4	5	6
	30. बोग्हार	ग्रामीण केन्द्र मधुबनी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
	31. बिसनपुर	,,	,,	
	32. चत्रा	,,	,,	
	33. मटबूरा	,,	,,	
	34. मशवारा	,,	,,	
	35. पैटघाट	,,	,,	29-5-80
	36. सिसवार	,,	,,	
	37. सगापट्टी	,,	,,	
	38. नरहिया	,,	,,	
	39. अंधरामठ	,,	,,	
	40. कोकपुर	,,	,,	
	41. लखीनौर	,,	,,	
	42. तरदीहा	,,	,,	
	43. रहुआ	,,	,,	

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाएं खोलना

1640. श्री के. प्रधानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान गावों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) उड़ीसा में ऐसे कितने गाँव हैं जहाँ अब भी बैंक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) 1980-81 के दौरान ग्रामीण, विशेषकर क्षेत्रों में खोली जाने वाले बैंकों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) 1 जनवरी, 1976 से दिसम्बर, 1979 के बीच वाणिज्यिक बैंकों द्वारा (10 000 तक की जनसंख्या वाले) ग्रामीण स्थानों में 7121 शाखाएं खोली गई थीं। वर्ष 1980 के पहले 6 महीनों के दौरान, जिसके संबंध में सूचना उपलब्ध है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई शाखाओं की संख्या 667 थी।

(ख) जून, 1980 की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा के ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों की 697 शाखाएं कार्य कर रही थीं। इन शाखाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जिस स्थान में स्थित हैं उसी की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति न करें बल्कि आस-पास के क्षेत्रों के गाँवों की भी बैंकिंग सुविधा प्रदान करें। अब, जबकि समग्र अर्थतम कार्यचालनों का ध्यान रखते हुये ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखा जाल और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है, बैंकों के लिए, सभी दूरस्थ ग्रामों में प्रत्यक्ष व्याप्ति सुलभ कराना संभव नहीं हो सकेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे ग्रामों के निवासियों को भी ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। प्राथमिक समितियों कृषक सेवा समितियों तथा एल. ए. एम. पी. एस. आदि के

संगठन बनाने तथा उनका सम्बन्ध पास की बैंक शाखाओं से जोड़ने के काम पर जोर दिया जा रहा है।

(ग) शाखा लाइसेंस नीति में 1979 से 1981 तक का 3 वर्षों का समय शामिल है। इस नीति के अनुसरण में, रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करता है कि वाणिज्यिक बैंकों का शाखा विस्तार प्राथमिक रूप से बैंकिंग सुविधाओं की दृष्टि से कमी वाले विभिन्न जिलों के बैंक रहित ऐसे ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी केन्द्रों में हो जहां व्याप्ति प्रति 20,000 ग्रामीण/ अर्द्ध-शहरी लोगों के लिए एक शाखा से कम हो, और इनमें वे जिले भी शामिल हों जिनमें आदिवासी जनसंख्या अधिक हो। इस नीति के अनुसरण में, कमी वाले राज्यों में, 1979-80 के दौरान 6513 ग्रामीण और अर्द्धशहरी शाखाओं के नए लाइसेंसों की आवश्यकता का अनुमान है। उड़ीसा में ऐसे 406 लाइसेंसों की आवश्यकता आंकी गई है। रिजर्व बैंक ने अगस्त 1980 के अन्त तक बैंकों को 4440 लाइसेंस/आवंटन जारी किए थे। उड़ीसा के सम्बन्ध में जारी किए गए लाइसेंसों/आवंटनों की संख्या 341 थी। लाइसेंसों/आवंटनों के और आगे जारी किये जाने के मामले पर राज्य सरकार तथा बैंकों के बीच परामर्श जारी है।

बोइंग विमानों के स्थान पर अधिक एयर बसें चलाना

1641. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या पर्यटन और नागर विमान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयरबस विमान बोइंग विमानों की तुलना में अधिक यात्री और सामान ले जाते हैं जबकि उनमें ईंधन उतना ही खर्च होता है; और

(ख) क्या पेट्रोलियम के वर्तमान मूल्यों और वैज्ञानिक ईंधन की कमी देखते हुए सरकार ने बोइंग विमानों की जगह अधिक से अधिक एयर बसें चलाने का निर्णय लिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) इंडियन एयरलाइंस के विमान-बेड़े के एयरबस विमान अधिकतम भार 33 टन (278 यात्री + माल, तक वहन करते हैं जबकि बोइंग-737 विमान अधिकतम भार 13 टन (126 यात्री + माल) तक वहन करते हैं।

एयरबस तथा बोइंग-737 विमानों की प्रति घन्टा ईंधन की औसत खपत क्रमशः 7.748 तथा 3.460 किलोलिटर है।

(ख) जी, नहीं।

विमानों का परिचलन, चाहे वे एयरबस हों अथवा बोइंग-737, यातायात की मांग तथा परिचालन की आर्थिक अपेक्षा पर निर्भर करता है।

अफीम का उत्पादन और खपत

1642. **प्रो निर्मला कुमारी शाक्तावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन क्षेत्रों में प्रति वर्ष अफीम की खेती की जाती है और उसका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) देश में ही औषधियों के निर्माण में उसकी कितनी मात्रा का उपयोग होता है, कितनी मात्रा का निर्यात किया जाता है और उसका आयात करने वाले मुख्य देशों के नाम क्या हैं;

(ग) अफीम उगाने वाले मुख्य राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) उन राज्यों के जिलों के क्या नाम हैं जिनमें इसका सबसे अधिक औसत उत्पादन होता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) पोस्त की काश्त के रकबे में घरेलू तथा निर्यात सम्बन्धी जरुरतों के आधार पर प्रति वर्ष घट-बढ़ होती रहती है। फसल वर्ष 1979-80 में, 35,166,27 हैक्टेयर रकबे से पोस्त की फसल ली गई जिससे 70% अन्दाजा की लगभग 12000 मी० टन अफीम प्राप्त हुई।

(ख) वर्ष 1978-80 में, देश में औषधियों के निर्माण के लिए 106 मी० टन अफीम का इस्तेमाल किया गया और 796 मी० टन अफीम का निर्यात किया गया। आयात करने वाले मुख्य देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान तथा फ्रांस थे।

(ग) अफीम की खेती मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर पदेश राज्यों में की जाती है।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में अफीम की काश्त

1643. **श्री जीतेन्द्र प्रसाद** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगभग तीन वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश के उन भागों में अफीम की काश्त करने की अनुमति दे दी है जहां वर्ष 1980 के आसपास इसकी काश्त पर रोक लगा दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में उक्त काश्त होने वाली है और सरकारी आदेशों के बावजूद भी वहां अब तक काश्त शुरू न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक उक्त काश्त शुरू हो जायेगी और किन-किन क्षेत्रों में शुरू हो जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को, राज्य कृषि विभाग की निगरानी में सरकारी फार्मों में पाँच हैक्टेयर से अधिक रकबे में अजमाशी तौर पर अफीम की खेती करने की अनुमति दी है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

आर्थिक प्रगति के लिए सरकारी क्षेत्र को महत्व दिया जाना

1644. **श्री आर. वाई. घोरपडे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या तीव्र आर्थिक प्रगति के लिए सरकार के पास सरकारी क्षेत्र को, इसके नियोजन का आधार और अधिक विस्तृत बनाते समय, महत्व देने के प्रस्ताव क्या है;

(ख) यदि हां, तो सक्षेप में क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने यह जानने के लिए कि सरकारी क्षेत्र में क्या बुराइयां हैं, कोई तुरंत अध्ययन शुरू किया है और उन्हें दूर करने के उपायों पर विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सरकारी उद्यमों को छठी योजना के अन्तर्गत औद्योगिक विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण दायित्व सौंपने का प्रस्ताव है। देश में छठी योजना के अन्तर्गत औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 8 से 9 प्रतिशत परिकल्पित की गई है। इस महत्वपूर्ण लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों

को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। प्रायोगिक अनुमानों के अनुसार योजना अवधि के दौरान छठी योजना में कुल 156,000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश में से सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का परिव्यय संभवत: 90,000 करोड़ रुपये होगा। हालांकि क्षेत्रीय वर्गीकरण अभी नहीं किया गया है, फिर भी सरकारी क्षेत्र में अवस्थापना सम्बन्धी उद्योग जैसे कोयला और बिजली आदि तथा आधारभूत उद्योग, जैसे इस्पात, अलौह धातुएँ, उर्वरक, पेट्रो-रसायन, पेट्रोलियम आदि में वृद्धि करने के लिए योजना में पर्याप्त व्यवस्था करनी पड़ेगी।

(ग) सरकार/सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यानष्पादन का निरंतर मूल्यांकन करती रहती है, ताकि सुधारात्मक कार्यवाही यथासमय की जा सके। हाल ही में सरकार ने कोयला, उर्वरक, इंजीनियरी, इस्पात और नौवहन उद्योग जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन की जांच करने और इन उद्योगों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने की वृद्धि से समयबद्ध कार्यक्रम सुझाने के लिए सरकारी उद्यमों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। इस बीच सरकार ने सरकारी उद्यमों का कार्यनिष्पादन सुधारने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए हैं :—

1. संतोलक सुविधाओं और निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्रों में पूंजी लगाना।
2. मजूरी विवादों को शीघ्र तय करके औद्योगिक सम्बन्धों को बेहतर बनाना;
3. समुचित प्रोत्साहन देकर श्रम उत्पादकता बढ़ाना।
4. मालसूची-प्रबंध सम्बन्धी बेहतर पद्धति अपनाना।
5. मूल्य एवं खरीद-अधिमान्यता के साथ-साथ यथार्थ मूल्य निर्धारण नीतियां अपनाना।

मैसर्स पुष्पक एविएशन से त्रिमासिक किश्त की वसूली

1645. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स मैसर्स पुष्पक एविएशन से उसे मई, 1979 में बेचे गये विमानों के मूल्य की त्रैमासिक किश्तें वसूल कर सका है;

(ख) अब तक कुल कितनी राशि वसूल की गई है;

(ग) क्या गारंटीदाता मैसर्स-चार्टर्ड बैंक बम्बई ने इंडियन एयरलाईंस को ब्याज सहित भुगतान किया है; और

(घ) यदि नहीं तो मैसर्स पुष्पक एविएशन से शेष रकम वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) अब तक एकत्रित की गयी कुल राशि 19,25,785/- रुपये (मूल 15,62,500/- रुपये तथा ब्याज 3,63,285/- रुपये) है।

(ग) जी हाँ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल राज्य को आबंटित कट्रोल का कपड़ा

1646. **श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979 से प्रति वर्ष पश्चिम बंगाल राज्य को आबंटित कंट्रोल के कपड़े की मात्रा क्या है और राज्य को वास्तव में कितना कपड़ा प्राप्त हुआ;

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य को प्रति माह कंट्रोल के कपड़े की न्यूनतम आवश्यकता कितनी है; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल को कंट्रोल के कपड़े के आबंटन में वृद्धि करने के लिये राज्य सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 1975 से पश्चिम बंगाल राज्य को आबंटित कंट्रोल के कपड़े की मात्रा वर्षवार निम्नलिखित है :

वर्ष	प्रत्येक 1500 वर्ग मीटर की मानक गांठों में
1975	38,50 .00
1976	11,877.25
1977	19,321.50
1978	2 ,8 1:^0
1979	19,093.00
1980	26,926.50
(नवम्बर, 1980 तक)	(इसमें बाढ़ तथा पूंजी उत्सव के कारण विशेष तदर्थ आवंटन शामिल है)।

राज्य द्वारा प्राप्त वास्तविक मात्रा के सम्बन्ध में जानकारी सरकार के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य की औसत मासिक हकदारी 1802 गांठें हैं।

(ग) जी हां। विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों के लिये कंट्रोल के कपड़े के कोटे जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए और एक वर्ष में 400 मिलियन वर्ग मीटर के उत्पादन स्तर और विशेष महीने के दौरान कंट्रोल के कपड़े की उपलब्धता को देखते हुए नियत किये गये हैं। अतः कोटा बढ़ाना सम्भव नहीं है।

"एयर इंडिया" द्वारा उठाई जाने वाली हानि के कारण

1647. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "एयर-इण्डिया" चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमनतः 100 करोड़ रुपये की हानि दर्शाएगी;

(ख) यदि हां, तो एयर इण्डिया द्वारा उठाई जाने वाली इस सम्भावित हानि के लिए कौन-कौन से कारण जिम्मेदार हैं; और

(ग) हानि को न्यूनतम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एयर इण्डिया को अन्तिम रूप से लगभग 50 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है।

(ख) एयर इंडिया को होने वाली हानि के कुछ मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं—

(1) ईंधन के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि ।

(2) बोइंग 747 विमान परियोजना के ऋणों पर ब्याज में वृद्धि तथा अन्य कर्ज ।

(3) 19 9-80 तथा 1980-81 के दौरान एयर इण्डिया के विमान-बेड़े में तीन बोइंग 747 विमान सम्मिलित किये जाने के कारण मूल्यह्रास तथा अप्रचलन सम्बन्धी प्रावधान में वृद्धि ।

(4) विश्व व्यापी मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति के कारण ईंधन तथा तेल से इतर परिचालन लागत में भी वृद्धि ।

(ग) और अधिक यातायात-संभावनाओं वाली मार्किटों के लिए विमान सेवाओं की संख्या में वृद्धि करके तथा ऐसे मार्गों पर, जहाँ अतिरिक्त क्षमता की संभावना है, बी-707 विमान के बजाय बोइंग 7 7 विमान चला कर हानि को कम करने का प्रस्ताव है । कुछ अलाभकारी कार्यालयों को बन्द किया जा रहा है तथा विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या का कड़ी समीक्षा की दृष्टि से पुनरीक्षण किया जा रहा है । एयर इण्डिया अपनी प्रमुख पूंजीगत परियोजना पर होने वाले व्यय एवं राजस्व व्यय का भी पुनरीक्षण कर रही है ।

विदेशी पूंजीनिवेश

1648. **श्री एस. ए. दौराई सेवस्तियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी पूंजी निवेश तथा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हाल में बंगलौर में हुए पांच दिवसीय सेमिनार में क्या मुख्य सुझाव दिये गये;

(ख) इस सेमिनार में किन-किन देशों में भाग लिया; और

(ग) सुझावों के बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) से (ग) : एशिया तथा प्रशान्त सागर के देशों के आर्थिक तथा सामाजिक आयोग ने विदेशी निवेशों तथा कर प्रशासन के सम्बन्ध में अपनी चौथी गोष्ठी का आयोजन 27 से 31 अक्टूबर, 1 80 तक बंगलौर में किया । गोष्ठी, अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक मंच है और इससे कराधान तथा निवेश के क्षेत्रों के विशेषज्ञों से मिल बैठने का अवसर प्राप्त होता है । यह उन प्रादेशिक विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करती है जिनकी सेवाओं को विकासशील देशों में तकनीकी सहयोग के कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त समर्थन दिये जाने की व्यवस्था किये जाने के लिये उपयोग में लाया जा सकता है । सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने बंगलौर में हुई गोष्ठी में भाग नहीं लिया । चूंकि गोष्ठी की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है इसलिये भाग लेने वालों का पूरा ब्यौरा दे सकना तथा विचार विमर्श के यथार्थिक स्वरूप को प्रकट कर सकना सम्भव नहीं हुआ है ।

'रा सिल्क' के आयात पर प्रतिबन्ध का प्रस्ताव

1649. **श्री पी जे. कुरियन** :

श्री जनार्दन पुजारी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये रा सिल्क' के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कच्चे माल के बैंक में तथा राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों में 'तसार कोकून' के भारी भंडार जमा किये गये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस स्थिति के समाधान के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिये कच्चे रेशम के आयात पर पहले ही रोक लगी हुई है। इसकी अनुमति केवल प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत दी जाती है।

(ग) जी हाँ।

(घ) प्रतिपूर्ति आयात नीति के अन्तर्गत आयातों पर आगे रोक लगाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि केवल विशेष किस्म के कच्चे रेशम का आयात निर्यातित रेशम मदों में प्रधान रेशम अंश के सिद्धान्त पर किया जा सकता है। इसके अलावा, केन्द्रीय रेशम बोर्डों का टसर कोयों के संचित स्टाक की बिक्री पर रिबेट देने का प्रस्ताव इस समय मंत्रालय में विचाराधीन है।

आयकर अधिकारियों के वेतनमान

1650. **श्री तारिक अनवर :**

श्री केशवराव पारधी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आयकर विभाग में एक जैसे पदों पर समान काम करने वाले आयकर अधिकारियों के वेतनमान भिन्न-भिन्न हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस असंगति के क्या कारण हैं और इसे दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) आयकर अधिकारियों की निम्नलिखित श्रेणियां हैं :—

(1) आयकर अधिकारी (समूह क) (वरिष्ठ वेतनमान)

( ) आयकर अधिकारी (समूह क) कनिष्ठ वेतनमान)

(3) आयकर अधिकारी (समूह ख)

प्रत्येक ग्रेड का वेतन-मान है। आयकर अधिकारियों की तैनाती, कार्य की आवश्यकता और अधिकारियों की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुये जहां भी की जा सकती है वहां की जाती है। जहां तक भी सम्भव होता है, समूह 'क' के आयकर अधिकारियों की तैनाती महत्वपूर्ण अधिकार-क्षेत्रों में की जाती है जबकि समूह 'ख' के आयकर अधिकारी अन्य पदों को संभालते हैं।

तथापि समूह 'ख' के आयकर अधिकारी और उनके सेवा संघ/महासंघ समय-समय पर समूह 'ख' के आयकर अधिकारियों के ग्रेड को पूर्णतः समाप्त करने के लिए अभ्यावेदन करते है। लेकिन उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा खाने के तेलों की पूर्ति

1651. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम द्वारा (1) एफ. ई. आर. ए. (2) एम. आर. टी. पी. (3) लघु उद्योगों और (4) सार्वजनिक क्षेत्र की सप्लाई किये गये खाने के तेल का मूल्य क्या है?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) । राज्य व्यापार निगम सार्वजनिक प्रणाली के अन्तर्गत विवरण के लिये वनस्पति उद्योग तथा विभिन्न राज्य सरकारी/केन्द्र शासित प्रदेशों को सप्लाई करने के लिये खाद्य तेल आयात करता है ।

वनस्पति उद्योग के लिये आबंटन वनस्पति निदेशालय द्वारा तथा विभिन्न राज्य सरकारों के लिये नागरिक पूर्ति मंत्रालय द्वारा किये जाते हैं ।

तेल वर्ष नवम्बर, 1979 से अक्तूबर, 1980 तक के दौरान वनस्पति उद्योग द्वारा उठाये गये खाद्य तेलों तथा सार्वजनिक विवरण प्रणाली के लिये रिलीज की गई मात्रा का मूल्य क्रमशः 432.9 करोड़ रु० तथा 248.50 करोड़ रु० था ।

बोकारो और "टिस्को" के आस-पास सहायक उद्योगों का विकास

1652. **श्री हरिनाथ मिश्र : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बोकारो और "टिस्को" के आस-पास सहायक उद्योगों का कितना विकास हुआ है;

(ख) गत 10 वर्षों में वहां कितनी सहायक यूनिटें लगाई गई हैं, उनमें कितना उत्पादन होता है और प्रत्येक में कितने व्यक्ति कार्य करते हैं;

(ग) क्या उपरोक्त क्षेत्रों में सहायक उद्योगों के विकास की गति से सरकार संतुष्ट है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार उन उद्योगों के विकास की गति को और तेज करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने के इर्द-गिर्द लघु उद्योगों/सहायक उद्योगों का विकास कार्य वर्ष 197 -73 में आरम्भ किया गया था, अब इस कारखाने का निर्माण कार्य आरम्भिक अवस्था में था । इस समय 135 लघु उद्योग हैं जिनमें से 23 उद्योग इस कारखाने के लिए साज-सामान तैयार करते हैं । इन उद्योगों में कुल मिलाकर लगभग 1 225 कर्मचारी काम करते हैं । बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा इन उद्योगों को दिये गये आर्डरों का मूल्य वर्ष 1972-73 में 6 करोड़ 30 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 1979-80 में 59 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है ।

(ख) इस्पात कारखानों के इर्द-गिर्द लघु एवं सहायक इकाइयों के विकास को प्रोत्साहन देने की नीति के फलस्वरूप लघु/सहायक की संख्या तथा उनमें रोजगार के अवसरों में गत आठ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

वर्ष	लघु उद्योग		सहायक उद्योग	
	इकाइयों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	इकाइयों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1972-73	11	200	6	85
1973-74	20	240	6	150
1974-75	64	619	6	161
1975-76	75	729	8	181

1976-77	88	685	16	280
1977-78	92	675	20	3:0
1978-79	94	715	23	350
1979-80	104	820	23	380
1980-81 (अक्तूबर, 1980 तक)	112	845	23	380

(ग) तथा (घ) लघु सहायक उद्योगों का विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और यह न केवल इस्पात कारखानों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं से बल्कि अन्य अवस्थापना सुविधाओं और प्रोत्साहनों से भी जुड़ी हुई है। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अजंता और एलोरा गुफाओं में पर्यटकों के लिए पेय जल की सुविधा

1153 **श्री केशवराव पारधी :**

श्री हीरालाल आर. परमार : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि पर्यटक विश्व प्रसिद्ध गुफाओं, अजंता और एलोरा के प्रति दिन ब दिन उदासीन होते आ रहे हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि वहां पेय जल उपलब्ध नहीं है और यदि हां, तो वहां पेय जल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और वहां पेय जल की सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन्हें देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और गत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार, कितने पर्यटक वहां गए ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) अजंता और एलोरा गुफाओं में पेय जल की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पिछली योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने अजंता में जल सप्लाई स्कीम के लिए 6.75 लाख रुपये और एलोरा में जल सप्लाई तथा अन्य स्कीमों के लिए 4.77 लाख रुपये खर्च किये हैं। अजंता में जल सप्लाई की वृद्धि करने के लिए एक पम्प हाउस, एक रिज़रवायर, पाइप-लाइनों आदि के निर्माण हेतु मार्च, 1978 में राज्य सरकार को 1.04 लाख रुपये की राशि भी रिलीज की गई थी।

(ग) निम्नलिखित विवरण से, जिसमें पिछले चार वर्षों में अजन्ता गुफाओं और एलोरा स्थित कैलाश मन्दिर की यात्रा करने के लिए (1975-76 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं) भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा बेचे गए प्रवेश-टिकटों की संख्या दर्शायी गई है, यह पता चलेगा कि एलोरा स्थित कैलाश मन्दिर की यात्रा करने वाले यात्रियों के मामले में केवल 1979-80 के दौरान हुई मामूली सी कमी को छोड़कर, उपर्युक्त गुफाओं की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में क्रमिक वृद्धि हुई है :—

वर्ष	अजन्ता गुफाएं	एलोरा (कैलाश मन्दिर)
197 -77	1,44,381	1,58,960
1977-78	1,85,012	1,83,542
1978-79	2,12,238	2,31,742
1979-80	2,29,084	2,25,104

कच्छ, गुजरात में एक एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना

1654. **श्री मोतीभाई आर. चौधरी,** : क्या इस्पात और खान मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के कच्छ शहर में एल्यूमिनियम संयंत्र को स्थापित किए जाने की योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है;

(ख) पूरे देश में इस प्रकार के कितने संयंत्रों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, वे कब तथा कहां-कहां लगाए जाएंगे और उनकी उत्पादन क्षमता क्या होगी;

(ग) कच्छ में संयंत्र को स्थापित किए जाने में होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) गुजरात खनिज विकास निगम द्वारा इस संयंत्र के लिए तैयार की गई रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ग) : हगरी की मैसर्स केमोकम्पलैक्स द्वारा तैयार की गई साध्यता रिपोर्ट गुजरात सरकार के विचाराधीन है। परियोजना की साध्यता की पुष्टि हो जाने के बाद ही उस पर पूंजी-निवेश के बारे में कोई निर्णय लिया जा सकता है।

(ख) उड़ीसा में एक एल्यूमिना/एल्यूमिनियम कम्पलैक्स लगाने का प्रस्ताव है। इस कम्पलैक्स में 800,000 टन वार्षिक क्षमता का एक एल्यूमिना कारखाना और 218,000 टन वार्षिक क्षमता का एल्यूमिनियम प्रद्रावक शामिल होगा। परियोजना में निम्नलिखित समयावधि के अनुसार पूर्ण क्षमता से उत्पादन होने की आशा है; अवधि-गणना, परामर्शकों की नियुक्ति और उनके साथ करार के प्रभावी होने की तारीख से की गई है :—

बाक्साइट खान ...63 महीने
एल्यूमिना कारखाना . 70 महीने
प्रद्रावक ...8 : महीने

आन्ध्र प्रदेश में भी 6000,000 टन/800,000 टन वार्षिक क्षमता का एक निर्यात-प्रधान एल्यूमिना कारखाना लगाने का प्रस्ताव है। सोवियत रुस की मै. स्वेतमेत-प्रोमेक्सपोर्त द्वारा तैयार साध्यता रिपोर्ट इस समय सरकार के विचाराधीन है।

(घ) मैसर्स केमोकम्पलैक्स द्वारा गुजरात परियोजना के लिए तैयार साध्यता रिपोर्ट में कच्छ बाक्साइट भण्डारों पर आधारित 300,000 टन वार्षिक क्षमता का एक एल्यूमिना कारखाना लगाने का प्रस्ताव है। परामर्शकों ने कम तापीय उपचारण का उपयोग करके बजुआ एल्यूमिना

उत्पादन की सिफारिश की है। कांडला फ्री ट्रेड जोन में स्थल निर्धारण सहित परियोजना पर 20- करोड़ रुपये के पूंजी-निवेश का अनुमान है।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा दैनिक मजूरी पर हैल्परों की नियुक्ति

1655. **श्री जय नारायण रोट** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारत हस्तशिल्प बोड, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दैनिक मजूरी पर कितने हैल्परों की नियुक्ति की गई थी;

(ख) उनमें से कितनों को सेवा में नियमित कर दिया जाएगा; और

(ग) उन्हें अवधि के दौरान कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं और क्या वे राजपत्रित छुट्टियों को पाने के लिए हकदार हैं, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) दो।

(ख) कोई नहीं, क्योंकि उन्हें विशिष्ट अवधि के लिए विशिष्ट काम पर लगाया गया था।

(ग) वे उन दिनों के लिए अपनी दैनिक मजूरी पाने के हकदार हैं जिन में उन्होंने काम किया हो। अत : उन्हें राजपत्रित छुट्टियां मिलने का प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों के लिए आरक्षण

1656. **श्री के. ए. एस. मणि** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का उपलब्ध करने वाले समय-समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों का भारत में राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध मे पालन नहीं किया जा रहा है यदि हां, तो उसके क्या कारण है,

(ख) क्या किसी समिति द्वारा अभी तक आरक्षण आदेशों के पालन के बारे में मौके पर अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो किन बैंकों में (राज्यवार) और इसके निष्कर्षों का ब्योरा क्या है;

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित समिति द्वारा यदि किन्हीं कमियों का उल्लेख किया गया है तो उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या उपरोक्त अध्ययन सभी बैंकों में नहीं किया गया था और यदि नहीं, तो क्या उक्त अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो क्या इसे पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) : जी, नहीं। राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए सेवाओं में किये गये आरक्षण के सम्बन्ध में सरकारी निर्देशों का पालन कर रहे हैं इन समुदायों के प्रतिनिधित्व में पर्याप्त वृद्ध हुई है जैसाकि निम्नलिखित आंकड़ों से प्रकट होगा :—

निम्नलिखित की तिथि के अनुसार	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ स्टाफ,
राष्ट्रीयकरण की तिथि 19-7-1969	11	144	1513
की स्थिति के अनुसार	(0-08%)	(0.25%)	(5.67%)

13.12.77	1016 (1.80%)	15566 (11.78%)	11696 (19.82%)
31.12.79	2424 (3.56%)	22819 (14.19%)	15836 (24.06)

(ख) से (घ) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से सम्बन्ध संसदीय समिति, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुसूचित जातियों/जन-जातियों की भर्ती में आरक्षण के प्रश्न की जांच करती रही है। इस समिति ने भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक आफ इण्डिया तथा इलाहाबाद बैंक (अधिकारी ग्रेड की भर्ती के सम्बन्ध में) के बारे में रिपोर्टें संसद को प्रस्तुत की हैं। समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों के आधार पर यथावश्यक निर्देश बैंकों को जारी कर दिए गए हैं।

दिल्ली और चण्डीगढ़ के बीच बोइंग सेवा

श्री तैयब हुसैन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में दिल्ली और चण्डीगढ़ के बीच नई बोइंग सेवा आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा किस तारीख से आरम्भ की जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी हां, चण्डीगढ़ के लिए शीघ्र ही सप्ताह में एक बार की एक बोइंग सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

'पियेको-एलमी' में विदेशी शेयर-धारिता समाप्त करना

1658. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रिजर्व बैंक को निदेश दिया है कि वह सार्वजनिक इक्विटी विवरण के माध्यम से जिसके द्वारा हालैंड की फिलिप्स कम्पनी की भारतीय सहायक कम्पनी ने कलकत्ता में स्थित ई. एल. एम. आई. में अधिकांश शेयर लेने की पेशकश की थी, पियेको, एलमी (इलेक्ट्रिक लैम्प मैनुफैक्चरर्स इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता) में विदेशी शेयर-धारिता को समाप्त करने के प्रस्ताव की जांच करे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इलेक्ट्रिक लैम्प मेन्युफैक्चरर्स (इण्डिया) प्रा. लिमिटेड, कलकत्ता को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत जारी किए गए निर्देश के अनुरूप जिसमें कम्पनी को सामान्य शेयर पूंजी में अपने अनिवासी शेयर अधिकारों को कम करके 40 प्रतिशत तक करने को कहा गया है, इलेक्ट्रिक लैम्प मेन्युफैक्चरर्स (इण्डिया) प्रा. लि. ने सारे शेयर पीको इलेक्ट्रानिक्स ऐण्ड इलेक्ट्रिकल्स (भूतपूर्व फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड) को बेच देने का प्रस्ताव किया है। कम्पनी अधिनियम के संगत उपबन्धों के अन्तर्गत प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने तक है, यह प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है।

आवश्यक वस्तुओं के खुदरा व्यापार को नियन्त्रण में लेने का प्रस्ताव

16. 9 श्री मुकुन्द मण्डल :

श्री भोगेन्द्र झा : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ आवश्यक वस्तुओं के खुदरा व्यापार को अपने हाथ में लेने के बारे में विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) जी नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

इलायची पर निर्यात शुल्क में कटौती

1660. श्री वी एस विजय राघवन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के इलायची उत्पादकों द्वारा यह मांग की गयी है कि इलायची पर लगने वाले निर्यात शुल्क में कटौती की जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय क्या है?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हाँ।

(ख) निर्यात बाजारों में मांग तथा कीमतों को देखते हुए जैसे तथा जब आवश्यक होता है निर्यात शुल्क में उपयुक्त संमायोजन किये जाते हैं।

भारत से अफ्रीकी देशों को पूंजी का निर्यात

1661. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीका के किन-किन देशों को भारत से वित्त का निर्यात किया गया और वहां देश वार कितनी धन राशि का निवेश किया गया; और

(ख) किन-किन वित्तीय संस्थाओं अथवा कम्पनियों ने वहां निवेश किया ?

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) :(क) तथा (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और ज्यों ही यह उपलब्ध होगी त्यों ही इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

थर्ड लेवल एअर सर्विस कारपोरेशन के लिए तीन क्षेत्रीय मुख्यालय

1662. श्री आर. प्रभु : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रस्तावित थर्ड लेवल एअर सर्विस कारपोरेशन के लिए तीन क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) तीसरी विमान सेवाओं के सामान्य प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। रूट पैटर्न तथा अन्य सम्बन्ध ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

पर्यटक आकर्षण के स्थलों के लिए विमान सेवा

1663. श्री एफ. एच. मोहसिन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्यटन की उन्नति की दृष्टि से पर्यटक आकर्षण के नए स्थलों के लिए विमान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो वे स्थान कौन से हैं और वहां के लिए विमान सेवा कब आरम्भ किए जाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : इण्डियन एयर-लाइन्स की नये स्थानों के लिए विमान सेवाएं चालू करने की फिलहाल कोई योजनाएं नहीं हैं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

इराक से ऋण

1664. **श्री दया राम शाक्य : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार को 1980 में इराक से अब तक ब्याज मुक्त ऋण की कितनी राशि प्राप्त हुई है अथवा जिस ऋण के लिए करार किया गया है उसकी कितनी राशि प्राप्त हुई है; और

(ख) इराक सरकार ने किन शर्तों पर भारत सरकार को उक्त ऋण देने का निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) वर्ष 1980 के दौरान केवल 28 अगस्त को इराकी विदेशी विकास निधी के साथ 308.37 लाख इराकी दीनार अर्थात् 1041.63 लाख अमेरिकी डालर के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस ऋण की वापसी अदायगी 30 सितम्बर' 1982 से शुरू कर के 30 सितम्बर, 1999 तक बराबर-बराबर की 35 छमाही किस्तों में की जाएगी। यह ऋण, इराक सरकार द्वारा 1-6-1979 से 31-12-1979 तक की अवधि में इराक से भारत को भेजे गए कच्चे तेल की कीमतों में हुई औपचारिक वृद्धि को पूरा करने के लिए दिया गया है। इस ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, किन्तु समय-समय पर निकाली गई अथवा बकाया राशि पर प्रति वर्ष $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार देना होगा।

सम्पदा शुल्क अधिनियम के अधीन निर्धारित छूट की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव

1665 **श्री . चन्द्रपाल शैलानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के मूल्य में हुये भाव को देखते हुए सम्पदा शुल्क अधिनियम के अधीन दी गई छूट की सीमा में वृद्धि कर पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) क्या रुपये के मूल्य में कमी या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली विषमताओं और नगरीय भूमि के मूल्य में परिकल्पित (स्पैकुलेटिव) वृद्धि से बचने के लिये एक रिहायशी मकान के संबन्ध में उसके आच्छादित भाग के हिसाब से छूट सीमा इंगित करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी हां। सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत मूल छूट सीमा तथा विभिन्न अन्य छूट सीमाओं को उचित रूप से बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) रिहायशी मकान के लिए छूट को उदार बनाने के प्रस्तावों की सरकार जांच कर रही है। तथापि, इस अवस्था पर यह बताना सम्भव नहीं होगा कि क्या मूल्य सीमाओं को निर्धारित करने की अपेक्षा छूट को मकान के आच्छादित क्षेत्र से सम्बद्ध करना व्यवहार्य होगा।

जीवन बीमा निगम में कर्मचारियों की पदोन्नति में गतिरोध

1666. **श्री सूरज भ.न** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत प्रथम, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) प्रथम श्रेणी के ऐसे अधिकारियों तथा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों की अलग अलग संख्या कितनी है जो अपने पदों के वेतनमानों के अन्तिम चरण पर पहुँच चुके हैं;

(ग) जीवन बीमा निगम के तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी कितनी है जिन्होंने अपनी 20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है परन्तु जिन्हें निगम की सेवा प्राप्त करने से अब तक पदोन्नति का एक अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ है; और

(घ) पदोन्नति में इस प्रकार के गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है जिससे कर्मचारियों में निराशा पैदा होती है और उनका उत्साह समाप्त हो जाता है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई पटेल) : (क) जीवन बीमा निगम में 31 मार्च, 1980 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार थी :—

तृतीय श्रेणी	26,389
चतुर्थ श्रेणी	7,757
प्रथम श्रेणी	4,251

(ख) संख्या नीचे दिखाई गई है :

प्रथम श्रेणी	500
तृतीय श्रेणी	6,665
चतुर्थ श्रेणी	1,347

(ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(घ) विभिन्न स्तरों पर पदों की संख्या संगठन के विकास और इसके कारबार के परिणाम में वृद्धि पर निर्भर करती है : जीवन बीमा निगम के सभी कर्मचारियों के लिए उच्च संवर्गों में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं। लेकिन, पदोन्नतियां शैक्षिक अर्हताओं, विभागीय परीक्षाएं पास करने, काम और आचरण के संतोषजनक रिकार्ड के आधार पर की जाती हैं। इन परिस्थितियों में, जैसा किसी अन्य संगठन में भी होती है, जो व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाते उन्हें पदोन्नति न होने की स्थिति में, गतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।

वाणिज्यिक विमान सेवा आरंभ करने के लिए राज्यों को अनुमति

1667. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "थर्ड एयर लाइन स्कीम" के बारे में कितनी प्रगति हुई है,

(ख) इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस "थर्ड एयर लाइन" के अलावा राज्यों को अपनी वाणिज्यिक विमान सेवा आरम्भ करने की अनुमति दी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) तीसरी वायु सेवाओं/फीडर विमान सेवाओं के परिचालन के सामान्य प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। तथापि, सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में फीडर सेवाओं के परिचालन का सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर दिया है। जहां तक अन्य स्थानों का संबन्ध है, मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ग, जी नहीं।

किशन गंज (बिहार) की जूट मिल्स के आशय पत्र का नवीनीकरण

1668. **श्री जमीलुर्रहमान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पूर्निया जिले के किशन गंज स्थित जूट मिल्स के आशय पत्र का नवीनीकरण कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) किशनगंज जिला पूर्निया (बिहार) की पटसन मिलों के आशय पत्र का नवीकरण नहीं किया गया है। इस मामले में राज्य सरकार के साथ पत्र व्यवहार चल रहा है।

खाद्य तेलों के आयात में कमी

1669. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य तेलों के आयात की मात्रा में भारी कटौती करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) इस समय सरकार के सम्मुख ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना

1670. **श्री आचार्य भगवान देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों में राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बैंकवार और जिलावार रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे; और

(ख) गत तीन वर्षों में बैंकवार व जिलावार, रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध कराये गये ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य के बारे में सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, आंध्र बैंक, सिंडीकेट बैंक, इण्डियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक आफ इंडिया, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, स्टेट बैंक आफ इन्दौर, स्टेट बैंक आफ ट्रावणकोर, इलाहाबाद बैंक और स्टेट बैंक आफ मैसूर के सम्बन्ध में यथा उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। इसी प्रकार की यथा उपलब्ध सूचना, शेष राष्ट्रीयकृत बैंकों से एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा। किन्तु, अगले तीन वर्षों में पैदा होने वाले संभावित रोजगार के अवसर के आंकड़े, रोजगार की संभावना के केवल अनुमानित आंकड़े हैं और कारबार की वास्तविक वृद्धि, शाखा विस्तार आदि के आधार पर इन आंकड़ों में परिवर्तन हो सकते हैं।

विवरण

राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों की कुल संख्या और अगले तीन वर्षों में रोजगार की संभावना

बैंक का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या	इन वर्षों में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या				इन वर्षों में पैदा किये जाने वाले संभावित रोजगार के अवसर	
	1978	1979	1980	1981		1982	1983
1	2	3	4	5	6	7	8
1. सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	7.6 (30-9-80 की स्थिति के अनुसार)	उ०न०	72	15 (जून, 1980 की स्थिति के अनुसार)	60	60	60
2. आंध्र बैंक	10 (22-11-80 की स्थिति के अनुसार)	—	—	—	—	—	—
3. सिंडीकेट बैंक	170 (22-11-80 की स्थिति के अनुसार)	29	16	11	17 अधिकारी को छोड़ कर)	अभी अनुमान नहीं लगाए गए हैं	अभी अनुमान नहीं लगाए गए हैं
4. इंडियन बैंक	98 (30-9-80 की स्थिति के अनुसार)	3	3	9	4	11	14
5. इंडियन ओवरसीज बैंक	159 (30-9-80 की स्थिति के अनुसार)	27	27	7	26	26	26

1	2	3	4	5	6	7	8
6. बैंक आफ इंडिया	273 (30-6-80 की स्थिति के अनुसार)	उ०न०	6	19 (जून 1980 तक)	अभी अनुमान नहीं लगाए गये हैं	अभी अनुमान नहीं लगाए गये हैं	अभी अनुमान नहीं लगाए गये हैं
7. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	251 (नवम्बर '80 की स्थिति के अनुसार)	36	12	45	बैंक ने अधिकारियों और गैर-अधीनस्थ (नान सबर्डिनेट) कर्मचारियों के मामले में 10 प्रतिशत और अधीनस्थ कर्मचारियों के मामले में 5 प्रतिशत की औसत वृद्धि होने का अनुमान लगाया है।		
8. स्टेट बैंक आफ इन्दौर	राजस्थान में शाखा नहीं है।	—	—	—	6	4	4
9. स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	राजस्थान में शाखा नहीं है।	—	—	—	—	—	—
10, स्टेट बैंक आफ मैसूर	राजस्थान में शाखा नहीं है।	—	—	—	—	—	—
11. इलाहाबाद बैंक	184 (सितम्बर '1980 की स्थिति के अनुसार)	45	18	14	18	28	32

राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश की घोषणा के बाद गिरफ्तार किए गये व्यक्ति

1671. **आचार्य भगवान देव :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश की घोषणा के बाद आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और चोर बाजारी के आरोप में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ख) उनसे कितनी मात्रा में वस्तुएँ पकड़ी गई ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और चोर-बाजारी के आरोप में गिरफ्तारी करने अथवा ऐसी वस्तुओं को जब्त करने का प्रावधान नहीं है।

गिरफ्तारी और जब्ती आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और चोर-बाजारी के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत की जाती है। चोर-बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधक गतिविधियों में लगे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की संख्या और जब्त की गई वस्तुओं के बारे में सूचना राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मद्रास में आय कर प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही

1672. **श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सर्कल में आय कर प्राधिकारियों ने गत तीन वर्षों में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 (क) के अधीन किसी व्यक्ति के बरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उन पार्टियों के नाम क्या हैं और धारा 47 (ख) के अधीन की गई कार्यवाही के परिणाम स्वरूप कितनी राशि वसूल की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) आयकर अधिकारियों द्वारा मद्रास में वित्तीय वर्ष 1977-78 से 1979-80 तक के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 (क) तथा 147 (ख) के अधीन जो कार्यवाहियां आरम्भ की गई थीं, उनकी संख्या निम्न प्रकार से है—

वित्तीय वर्ष	आयकर अधिनियम की धारा 147 (क) तथा 147 (ख) के अधीन की गई कार्यवाहियों की संख्या
1977-78	18 717
1978-79	22,908
1979-80	18 280
	जोड़ 60,446

धारा 147 (क) तथा 147 (ख) के अधीन आरम्भ की गई कार्यवाहियों के अलग आँकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

सभी पार्टियों के नाम और अन्तर्ग्रस्त रकमें प्रस्तुत करने में काफी समय और श्रम लगेगा।

यदि माननीय संसद सदस्य किसी मामले विशेष के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें वह जानकारी प्रस्तुत कर दी जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत बैंकों से प्राप्त आवेदन-पत्र

1673. **श्री डी.एस.ए. शिवप्रकाशम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग कम्पनीज विनियम अधिनियम की धारा 20 उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को किसी बैंक से कोई ऋण अथवा अग्रिम राशि भेजने के लिये कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आवेदन-पत्रों की कुल संख्या कितनी है और ऐसे बैंकों के नाम क्या हैं और इसमें कितनी राशि सम्बद्ध है; तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन आवेदन-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत बैंकिंग कम्पनियों को लाइसेंस

1674. **श्री डी०एस०ए० शिवप्रकाशम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान धारा (22) की उपधारा (40) के अन्तर्गत बैंकिंग विनियमन अधिनियम (19 9) (1949 का 10) की धारा 22 के अन्तर्गत किसी बैंकिंग कम्पनी को दिये गये कोई लाइसेंस रद्द किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो कितने लाइसेंस रद्द किये गये थे और उन बैंकों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) बैंकिंग विनयमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 की उपधारा (4) संभवतः माननीय सदस्य के ध्यान में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियमन 1849 की धारा 22 के अधीन बैंकिंग कम्पनियों को जारी किया गया कोई लाइसेंस उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (4) के संदर्भ में रद्द नहीं किया गया है, सिवाय निम्नलिखित छह बैंकों के, जिन्होंने कि बैंककारी कम्पनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अध्यादेश, 1980 की धारा 4 के संदर्भ में अपने उपक्रमों के समतुल्य नये बैंकों को अन्तरित एवं उनमें निहित हो जाने के परिणाम स्वरुप बैंक व्यवसाय करना बन्द कर दिया—

1. आंध्र बैंक लिमिटेड।
2. कार्पोरेशन बैंक लिमिटेड।
3. न्यू बैंक आफ इंडिया लिमिटेड।
4. ओरिएण्टल बैंक आफ कामर्स लिमिटेड।
5. पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड
6. विजया बैंक लिमिटेड।

तामिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश को ओवरड्राफ्ट लेने की सुविधा दिया जाना

1675. श्री डी. एस. ए. शिव प्रकाशम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश को ओवर ड्राफ्ट लेने की सुविधा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों पर आज तक की ओवरड्राफ्ट की राशियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ये राज्य सरकारें कभी ओवरड्राफ्ट की किसी राशि का भुगतान करने में असफल रही हैं और यदि हां, तो उस राशि को वसूल करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीसवाई सिंह सिसोदिया) : (क) राज्यों के ओवरड्राफ्टों का विनियमन करने संम्बन्धी स्कीम के अनुसार, जो भारतीय रिजर्व बैंक और योजना आयोग के साथ परामर्श करके लागू की गई थी, राज्यों को व्यय की गति का अपनी प्राप्तियों के साथ समायोजन करना होता है और 7 कार्यदिवसों से अधिक समय के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ अपने खाते में ओवरड्राफ्ट को टालना होता है। यह सुविधा सभी राज्यों में उपलब्ध है।

(ख) 15 नवम्बर, 1980 को कर्नाटक के पास 1.93 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट था।

(ग) चालू वर्ष में कर्नाटक दो बार सात दिन से अधिक समय के लिए ओवरड्राफ्ट में था। राज्य सरकार के अनुरोध पर, इन ओवरड्राफ्टों का निपटान, राज्य को देय सहायता की अग्रिम राशि देकर किया गया।

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, बरहामपुर में पदों को भरना

1676 **श्री रेणुपद दास** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, बरहामपुर (पश्चिम बंगाल) में लेखा अधिकारी के पद सहित विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसंधान के निदेशक को आवश्यक आदेश जारी करने के लिए निदेश दे दिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो मामले में देरी क्यों की गई है जिससे उक्त संस्थान के कार्मिकों और कर्मचारियों में रोष उत्पन्न हुआ है, जब कि सम्बन्धित संस्थान के कार्मिकों और कर्मचारियों में रोष उत्पन्न हुआ है, जब कि सम्बन्धित अधिकारियों ने रिक्त पदों को तुरन्त भरने का लिखित रूप से आश्वासन दिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : जी हां। 328 की कुल स्वीकृत संख्या (लेखा अधिकारी के पद सहित—29 राजपत्रित तथा 299 अराजपत्रित) में से केवल 36 पद (4 राजपत्रित, 32 अराजपत्रित) अभी भरे जाने हैं। इन पदों को भरने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

(ग) इन पदों के लिए प्रतियोगिता करने वाले दावों की संवीक्षा में समय लगा है।

केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बरहामपुर के विकास की योजना

1677. **श्री रेणुपद दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर, रांची आदि जैसे समान केन्द्रों के स्तर के समक्ष रखने के लिए केन्द्रीय

रेशम-उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बरहामपुर (पश्चिम बंगाल) के विकास करने की योजनाओं पर विचार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान की जा रही हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी हां। इस संस्थान के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

केन्द्रीय रेशम-उत्पादन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, बरहामपुर के कर्मचारियों को नियमित किया जाना

1678. **श्री रेणुपद दास** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस तथ्य का पता है कि केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसधान तथा प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न वर्गों के काफी संख्या में कर्मचारियों द्वारा लगभग 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लिये जाने के बावजूद उन्हें अब तक नियमित तथा स्थायी किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बद्ध अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी करने का निदेश दिया गया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी हां। केन्द्रीय रेशम बोर्ड को निदेश दिया गया है कि वह इस विषय पर भारत सरकार के स्थायी अनुदेशों के अनुसार स्थायी करने के ऐसे मामलों पर कार्यवाही करें।

मैसर्स अहमदज वूलन मिल, अम्बरनाथ में पुनः काम शुरू किया जाना

1679 **श्री आर. के. महालगी** : क्या वाणिज्य मंत्री थाना जिले में अहमद वूलन मिल के बारे में 18 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4692 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि : मैसर्स अहमद वूलन मिल, अम्बरनाथ (जिला थाना, महाराष्ट्र) के प्रबन्ध मण्डल तथा इसके वैकर्स के बीच, जनवरी, 1979 से बन्द पड़ी उक्त मिल में पुनः काम शुरू किए जाने के विषय में कपड़ा आयुक्त कार्यालय द्वारा आयोजित समझौता वार्ता बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : 26 सितम्बर, 1980 को वस्त्र आयुक्त के कार्यालय ने मै० अहमद वूलन मिल, अम्बरनाथ के प्रबन्ध मंडल के साथ एक और बैठक का आयोजन किया था। पुनर्वास विभाग और सिंडीकेट बैंक, जिनके इस एकक में प्रमुख वित्तीय हित हैं, समस्या को सुलझाने के लिये एक योजना पर काम कर रहे हैं।

चांदी के कामगारों को उत्पादन शुल्क की अदायगी मुक्त करना

1680. **श्री आर. के. महालगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदी की छड़ें, ड्राइंग रिट्रूप्स और तार तैयार करने वालों तथा माला के दाने तैयार करने वालों को लाइसेंस के लिए आवेदन देना पड़ता है और किये गये काम के लिए उत्पादन शुल्क अदा करना पड़ता है हालांकि वे न तो कच्ची चांदी खरीदते हैं और न तैयार माल बेचते हैं परन्तु वे किये गये काम के लिये केवल मजदूरी पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार अधिक कामगारों को उत्पादन शुल्क से छूट देने के लिए "निर्माता" की व्याख्या का संशोधन करने का है;

(घ) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क समाहर्ता, पुणे (महाराष्ट्र) को कुछ समय पूर्व इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था; और

(ङ) उक्त आवेदन पत्र पर क्या कार्रवाई की गई।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ङ) सरकार को यह दरख्वास्त की गई थी कि फुटकर-कार्य के आधार पर चांदी की छड़ों से बनाई गई चांदी की पट्टियों और तारों के मामले में कोई उत्पादन शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क समाहर्ता, पुणे (महाराष्ट्र) को भी इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। सरकार ने, दिनांक 15 अक्तूबर 80 की अधिसूचना सं० 161/80 द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाली चांदी की पट्टियों, तारों, चद्दरों, प्लेटों और पत्रियों को उन पर लगने वाले सस्ता उत्पादन शुल्क से छूट दे दी है। जिन विनिर्माताओं के, जिनमें फुटकर काम करने वाले कामगार भी शामिल हैं, उत्पादों को इस अधिसूचना के अन्तगत शुल्क से छूट मिल गई है, उनको केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लाइसेंस नहीं लेने होंगे।

बकाया आय कर

1681. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वित्त मंत्री आय कर बकाया के बारे में दिनांक 8 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1444 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके भाग (क) में निर्देशित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; यदि हां, तो क्या वे उसे सभा पटल पर रखेंगे; और

(ख) उस मांग को, जो वास्तव में बकाया है, वसूल करने और प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में सभा पटल पर रखी गई सूची में निर्देशित 10 निर्धारितियों में से, प्रत्येक से वसूली के लिये अब प्राप्य मांग को 'प्रोसेस' करने के लिये या प्रभावी कदम उठाये गये हैं;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सूचना एकत्रित करने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है क्योंकि कुछ मामलों में अभी भी सत्यापन किये जाने हैं।

(ख) अपेक्षित सूचना कर-निर्धारिती-वार संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं	कर-निर्धारिती का नाम	टिप्पणी
1	2	3
1.	मैसर्स आई. वी. एम. वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन	दो कर-निर्धारण वर्षों के लिए पारित किये गये अपीलीय आदेशों को लागू करने के बाद, बकाया पड़ी मांग को 30 सितम्बर 1980 तक कम करके 4.79

1	2	3
	1. मैसर्स आई. बी. एम. वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन	करोड़ रुपये तक ला दिया गया था। इसमें से 4.22 करोड़ रुपये कर-निर्धारण वर्ष 1977-78 से संबंधित हैं जिनके सम्बन्ध में अपील विचाराधीन है; संबंधित अपीलीय प्राधिकारी से निवेदन किया गया है कि वह इस अपील के निपटान के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करें। शेष रकम के सम्बन्ध में आयकर अधिकारी को निदेश दिया गया है कि वह अपीलीय आदेश को लागू करने के बाद कर-निर्धारिती की ओर बकाया ब्याज का पुनर्निर्धारण करे और उसे वसूल करने के लिए उपाय करे।
	2. श्री हरिदास मूंदड़ा	कर-निर्धारिती को दिवालिया घोषित किया गया है। विभाग ने, उचित फार्म में अधिकृत प्रतिनिधि के पास दावे दाखिल किये हैं। दिवालिया व्यक्ति ने अभी तक अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष कार्यों की सूची दाखिल नहीं की है और इस चूक के लिये कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिवालिया व्यक्ति को दो महीने के लिए सिविल जेल में रखने का निदेश दिया। कर-निर्धारिती ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा के खिलाफ अपील की है जिसका अभी तक निपटान नहीं हुआ है। विभाग, मामले पर कार्यवाही कर रहा है और सरकारी वकील से निवेदन किया गया है कि वह, न्यायालय द्वारा शीघ्र सुनवाई नियत करने के लिए मामल का उल्लेख करे।
	3. मैसर्स भारत स्टील ट्यूब्स लि०	इस मामले में 31-3-80 को जो मांगें बकाया थीं उन्हें 30-9-80 तक कम करके कुछ नहीं कर दिया गया है।
	4. मैसर्स ओरिएन्टल फायर एण्ड जनरल ईन्श्योरेंस क० लि०	जो अपीलें आयकर आयुक्त (अपील) के पास विचाराधीन पड़ी थीं, उन्हें हाल ही में निपटा दिया गया है। परिणामी मांग का हिसाब लगाया जा रहा है। अपीलीय आदेश लागू होने के बाद कर-निर्धारिती द्वारा यदि कोई मांग देय होगी तो वह वसूल की जाएगी।

1	2	3
	5. डा. जे. धर्म तेजा	आयकर अधिनियम की धारा 230 (1) के अधीन संवाहकों (केरियर्स) को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। स्थायी वकील के साथ परामर्श करके उनके उत्तरों की जांच की जा रही है।
	6. मैसर्स जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड	इस मामले से सम्बन्धित मांगों के सिलसिले में अपीलें दायर की गयी हैं। उनके विचाराधीन पड़े रहने के दौरान वसूली की कार्यवाहियां स्थगित कर दी गई हैं। अपीलीय प्राधिकारियों से विचाराधीन पड़ी अपीलों का शीघ्र निपटान करने के लिये अनुरोध किया गया है।
	7. मैसर्स आर. वी. श्रीराम दुर्गाप्रसाद एण्ड फतेहचन्द नरसिंहदास (निर्यात फर्म)	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 20 के अधीन, सम्बन्धित भुगतान आयुक्त के पास एक औपचारिक दावा किया गया है। आयुक्त ने बताया है कि दावे की सुनवाई तथा उसका निपटान उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तथा फर्म के खिलाफ अन्य दावेदारों के दावों के साथ की जाएगी। आंध्र प्रदेश राज्य में कतिपय अचल सम्पत्तियों का, सम्बन्धित कर वसूली अधिकारी द्वारा पहले ही अभिग्रहण कर लिया गया है और आगे कार्यवाही की जा रही है। कर्जदारों से प्राप्त आपत्तियों को ध्यान में रखकर, कुछ कर्जदारों के खिलाफ धारा 226 (3) के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की जांच की जा रही है।
	8. मैसर्स मोदी पोत लि०	कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 के सम्बन्ध में देय 1,21,000 रु० की बकाया रकम की वसूली/घटौती कर ली गई है। शेष बकाया रकम कर-निर्धारण वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 से संबंधित है। ये सभी मांगें विवादग्रस्त हैं तथा अपीलें आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष विचाराधीन पड़ी हैं, जिनसे इन अपीलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए अनुरोध किया गया है। कर-निर्धारण वर्ष 1974-75 के सम्बन्ध में अपीलीय कार्यवाहियां की जा रही हैं।

1	2	3
9.	मैसर्स ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि.	इस मामले में सम्पूर्ण बकाया के सम्बन्ध में अपीलें की गई हैं जो आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष विचाराधीन पड़ी है, जिससे इन अपीलों को प्राथमिता के आधार पर निपटाने के लिए अनुरोध किया गया है। कर वसूली अधिकारी द्वारा कर-निर्धारिता की चल और अचल सम्पत्तियों, जैसे शेयरों और भवन पर किये गये अभिग्रहण जारी हैं।
10.	मैसर्स इंडियन एक्स्प्लोसिव्स लि.	यह मांग कर-निर्धारण वर्ष 1976-77 से सम्बन्धित है, जिसके बारे में, कलकत्ता के उच्च-न्यायालय द्वारा जारी की गई एक निशेधाज्ञा के कारण कर-निर्धारिती को मांग नोटिस तामील नहीं किया जा सका।

रिलाइंयस टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई को जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस

1682. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या वाणिज्य मन्त्री रिलायंस टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई द्वारा जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों के बारे में 8 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7298 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिलायस टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई को अपने नये एककों की वर्तमान स्थापित क्षमता का विस्तार करने हेतु 8 अगस्त, 1980 के बाद जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों, उनकी लाइसेंसित क्षमता और उसमें अन्तर्गस्त पूंजी-परिव्यय का ब्योरा क्या है;

(ख) रिलायंस टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज द्वारा किस-किस किस्म के धागे अथवा वस्टर्ड कपड़े, अथवा तैयार सूती व ऊनी कपड़े और अन्य कृत्रिम रेशे तैयार किये जाने हैं; और

(ग) नये एकक कहां-कहां होंगे, कौन से एककों का विस्तार किया जाएगा और ये कब तक अपना उत्पादन आरम्भ कर देंगे ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) 8 अगस्त, 1980 के बाद रेलाएंस टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। दिनांक 8-8-80 के अतारांकित प्रश्न सं० 7298 के उत्तर में दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है सिवाय इसके कि अब पालियेस्टर फिलामेंट यार्न परियोजना की संशोधित परियोजना लागत का अनुमान 66.21 करोड़ रु० लगाया गया है।

समस्तीपुर जिले में सेंट्रल बैंक द्वारा ऋण दिया जाना

1683. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या वित्त मंत्री समस्तीपुर में भूमिहीन ग्रामीणों को सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा दिये गये ऋणों के बारे में 25 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5527 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रश्न के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो जानकारी एकत्र करने तथा उसे सभा पटल पर रखने में कितना समय लगने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरटो) : (क) से (ग) अतारांकित प्रश्न सं० 5527 के भाग (क) और (ख) के संदर्भ में सूचना इस बीच एकत्र की जा चुकी है और उसे 24 नवम्बर, 1980 को सदन के पटल पर रख दिया गया है। एकत्र की गई सूचना निम्नलिखित है :—

वर्ष 19 9-80 के दौरान, समस्तीपुर, बिहार में सेंट्रल बैंक आ.फ इण्डिया द्वारा भूमिहीन किसानों से 14.95 लाख रुपये की राशि के 1096 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए । इनमें से 1086 आवेदन पत्र राजकीय अभिकरणों के मार्फत प्राप्त हुए जिनमें 14.90 लाख रुपये के ऋणों की राशि अन्तर्ग्रस्त थी। केवल 10 आवेदन-पत्र सबन्धित व्यक्तियों से प्राप्त हुए। इस अवधि के दौरान, कुल 13.94 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत और सवितरित किए गए जिनमें 942 लाभ-प्राप्तकर्ता व्याप्त थे।

1980 के दौरान दुर्घटनाग्रस्त विमानों के नाम

1684. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या पर्यटन और नागर विमान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए विमानों की संख्या और नाम क्या हैं;

(ख) उन विमान दुर्घटनाओं में कुल कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए;

(ग) इन विमान दुर्घटनाओं में मारे गये प्रत्येक व्यक्ति के शोक-संतप्त परिवार को तथा घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को मुआवजे के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(घ) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो इन विमान दुर्घटनाओं में मरे लेकिन जिनके परिवारों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वर्ष 1980 के दौरान (18 नवम्बर, 1980 तक) हुई उल्लेखनीय दुर्घटनाओं के ब्यौरों का दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं०	दुर्घटना की तारीख/ स्थान	विमान का प्रकार/ पंजीकरण	स्वामी/परिचालक	हताहत		घायल	
				कार्मिक	यात्री	कार्मिक	यात्री
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1 जनवरी, 1980 पालम	बोइंग-737 वी. टी.-ई. ए. एच.	इंडियन एयरलाइंस	—	—	—	—
2.	4 मार्च, 1980 जालन्धर विमान क्षेत्र	आई. टी. जी. III ग्लाइडर वी. टी.-जी. डी. जैल	नार्दन इण्डिया फ्लाइंग क्लब	—	—	—	—
3.	9 मार्च 1980 तिन्जोर हवाई अड्डा	बसन्त वी. टी.-ई. डी. डी.	हरियाणा एग्रो एविएशन	—	—	—	—
4.	10 मार्च, 1980 सफदरजग हवाई अड्डा	पुष्पक वी. टी.-डी. पी. यू.	दिल्ली फ्लाइंग क्लब	—	—	—	—
5.	20 मार्च 1980 करनाल विमान क्षेत्र	पुष्पक वी. टी.-डी. वाई. डी.	करनाल एविएशन क्लब	—	—	—	—
6.	31. मार्च, 1980 नादवाई, भरतपुर के पास	टिवन बीच वी टी.-सी. जैड. एक्स	फालकन एयर	1	4	—	—
7.	10 मई, 1980 रामपुर बुटौर के निकट उड़ान में	बोइंग-737 वी. टी.-ई. डी. आर	इण्डियन एयरलाइन्स	—	2	2	6

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	10 मई, 1980 सफदरजंग हवाई अड्डा	पुष्पक वी. टी.-डी. वाई. ई.	दिल्ली फ्लाइंग क्लब	—	—	—	—
9.	23 जून, 1980 सफदरजंग हवाई अड्डे के पास	ब्रिट्टस एस-2 ए वी. टी.-ई. जी. एन.	मैसर्स थामस मौगेट (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता	2	—	—	—
10.	5 अगस्त, 1980 भावनगर के पास लौंगिया के निकट	पाइपर पानी वी. टी.-डी. जैड टी.	एग्रीकल्चरल एविएशन (पी.) लिमिटेड, बम्बई	—	—	1	—
11.	28 अगस्त, 1980 विजयवाड़ा हवाई-अड्डा	विसकाउंट वी. टी.-डीजेसी	हंस एयर	—	—	—	—
12.	16 नवम्बर, 1980 मद्रास के पास कोलावरम्	वेल 47 जी-5 हैलिकाप्टर वी. टी.-ई. ए. ओ.	पुष्पका एविएशन	—	1	—	—
			कुल	3	7	3	7

प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण के लिए नया पेनल

1685. **श्री एस. एम. कृष्ण :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण के लिये तरीके सुझाने के लिए एक नया पेनल नियुक्त करने के बारे में अब तक निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा उसके निदेश पद क्या हैं;

(ग) क्या उन्हें पता है कि इस समय देश भर में व्यवसाय और उद्योग की कुल वास्तविक आय का 70% से अधिक आयकर निर्धारण के लिये बहीं खातों में नहीं लिखा जाता है और आयकर विभाग काले धन की वृद्धि को रोकने में असमर्थ है जो कि एक समान्तर और शक्तिशाली अर्थ व्यवस्था चलाती है ; और

(घ) सरकार का विचार वर्तमान कानूनों के सरलीकरण तक काले धन का पता लगाने और वर्तमान 'शीघ्र निर्धारण योजना' (समरी असेसमेन्ट स्कीम) का पुनरीक्षण करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्राई सिंह सिसोदिया : (क) तथा (ख) सरकार मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्तमान कानूनों का सरलीकरण किये जाने तक, काले-धन की वृद्धि को रोकने के लिये सरकार कर कानूनों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की बहुविध कार्यवाही करने और जमाखोरी और मुनाफाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाने का प्रस्ताव करती है। जहाँ तक वर्तमान संक्षिप्त: कर निर्धारण योजना का सम्बन्ध है, नमूना जाँच के लिए रखे गये मामलों में उचित छानबीन करने की दृष्टि से, इस योजना को और सख्त बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

जीवन निर्वाह सूचकांक में वृद्धि का रुख

1686. **श्री एस.एम. कृष्ण :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन निर्वाह सूचकांक में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है;

(ख) अक्तूबर, 19 0 के अन्त में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या था और वह अगस्त के सूचकांक से कितना अधिक हो गया है; और

(ग) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के रुख को रोकने के लिये क्या कारगर कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (19 C= 00) मे सामान्यत:, वृद्धि की प्रवृत्ति प्रकट होती है, हालांकि वृद्धि की दर में हर महीने और हर वर्ष घटबढ़ होती रही है। अक्तूबर, 1980 के उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक के संबन्ध में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक जो अगस्त 1980 में 397 था बढ़कर सितम्बर 1980 में 402 (उद्यतन उपलब्ध आंकड़े) हो गया अर्थात इसमें 1.3 प्रतिशत की वृद्धि प्रकट होती है।

(ग) सरकार ने मुद्रास्फीति निरोधक बहुत से कदम उठाए हैं। इनमें ये शामिल हैं : सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, आयात तथा नियंत्रित निर्यात के द्वारा आन्तरिक

पूर्ति में वृद्धि करना, मुद्रा उपलब्धि के अनावश्यक विस्तार पर अंकुश लगाना तथा असामाजिक क्रिया-कलापों का दमन करना।

छोटी इलायची की वसूली

1687. **श्री एस.एम. कृष्ण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटी इलायची की वसूली को अपने अधिकार में लेने का निर्णय किया है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा इनकी एकाधिकार पूर्ण वसूली तथा पूलिंग का समर्थन किया है;

(ग) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस चरण में है; और

(घ) छोटी इलायची की वसूली तथा निर्यात किस राजस्व के माध्यम से किया जायेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) कर्नाटक सरकार का इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हस्त निर्मित वस्त्रों और चमड़े की वस्तुओं के निर्यात में गिरावट

1688. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हस्त निर्मित वस्त्रों और चमड़े तथा चमड़े की वस्तुओं के निर्यात में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इन क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां। अप्रैल-सितम्बर, 1979 और अप्रैल-सितम्बर, 1980 की अवधि के निर्यातों की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है : (ये आंकड़े अनन्तिम हैं)

	अप्रैल से सितम्बर 79	अप्रैल से सितम्बर 80
		(करोड़ रु० में)
1. मानव-निर्मित वस्त्र	14.37	11.21
2. सभी किस्मों का चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुएं।	224.88	172.00

(ख) जहां तक चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुओं का संबंध है, निर्यातों में गिरावट का मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चमड़े के लिए मंदी की हालत होना है। जहां तक मानव-निर्मित वस्त्रों का संबंध है, एक ओर इसका कारण घरेलू मांग में वृद्धि है और दूसरी ओर हमारे उत्पादन की अधिक लागत है।

(ग) अल्पावधि में इन बाधाओं पर काबू पाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तथापि, इन निर्यातों के लिए नकद मुआवजा सहायता, आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसिंग जैसे निर्यात प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त नये बाजारों का पता लगाने के लिये बाजार अध्ययन एवं निर्यात संवर्धन दौरे आरम्भ किए जा रहे हैं।

कृषि विकास बैंक की स्थापना

1689. **आचार्य भगवान :**

श्री चन्द्र भान आठरे पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विकास बैंक की स्थापना के लिये सारी प्रारंभिक कार्यवाही पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और यह किन-किन राज्यों में स्थापित किया जायेगा और इसके अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आयेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रारंभिक कार्य कब तक पूरे कर लिये जायेंगे और इस बैंक की स्थापना में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक स्थापित करने के लिए आवश्यक कानून सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) प्रस्तावित बैंक का अधिकार क्षेत्र देश के सभी राज्यों को व्याप्त करेगा। क्योंकि इस कानून के विभिन्न उपबंधों पर अभी संबंधित मंत्रालयों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विचार किया जा रहा है अतः इस समय इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सीमा नहीं बतायी जा सकती।

रत्नगिरी (महाराष्ट्र) में एल्यूमिनियम परियोजना

1690 **प्रो० मधु दंडवते :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी लोक सभा की अवधि के दौरान इस्पात मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि महाराष्ट्र के जिला रत्नगिरी में सरकारी क्षेत्र को एल्यूमिनियम परियोजना की योजना को त्यागने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना के प्रति सरकार का रवैया वही है; और

(ग) यदि हां, तो विशेष रूप से जब परियोजना को छोड़ दिए जाने की निरन्तर अफवाहें है, महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले में परियोजना को तेजी से आरंभ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) मैंने 8 अगस्त, 1980 को सदन को सूचित किया था कि 1974 में परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद चूंकि प्रौद्योगिकी में काफी परिवर्तन हो गया था और लागत अनुमान भी पुराने हो गए थे अतः नए सिरे से प्रौद्यो-आर्थिक अध्ययन कर लेने के पश्चात् ही परियोजना को कार्यान्वित करने के बारे में निर्णय लिया जा सकता था।

परियोजना की समीक्षा, जो अब कर ली गई है, से पता चला है कि अधिक उत्पादन लागतें के कारण परियोजना को कार्यान्वित करना आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है। इसके निम्नलिखित कारण हैं :—

(क) कम स्तर पर परिचालन

(ख) अप्रचलित प्रौद्योगिकी

(ग) बिजली की अधिक लागत

(घ) अपर्याप्त अवस्थापन सुविधाओं के फलस्वरूप माल ढुलाई की अधिक लागत।

यह परियोजना तभी उपयोगी सिद्ध हो सकती है जब कारखानों का उत्पादन पैमाना वर्तमान आर्थिक आकार का कर दिया जाए। लेकिन अपेक्षित क्षमता के एल्यूमिना कारखाने को चालू रखने के लिए बाक्साइट के पर्याप्त भंडारों की पुष्टि करना जरुरी होगा। अतः इस क्षेत्र में बाक्साइट भंडारों की और अधिक खोज करने तथा पुनः आकलन करने का फैसला किया गया है। बाक्साइट भंडारों की स्थिति पूर्णतया स्पष्ट हो जाने पर ही परियोजना के लिए नए सिरे से साध्यता अध्ययन करने के बारे में निर्णय लिया जा सकता है।

"थाइविंग कन्ट्री" नामक जहाज की बिक्री

1691. डा. बसंत कुमार पंडित :

श्री के. टी. कोसलराम : क्या वित्त मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई पोत की गोदी में खड़े 10 करोड़ रुपये मूल्य के "थाइविंग कन्ट्री" विदेशी जहाज को इन्दौर के एक व्यापारी को एक करोड़ रुपये में बेचे जाने के सम्बन्ध में जांच की है;

(ख) क्या बम्बई के सीमा शुल्क प्राधिकरण ने इस पर लदे सामान की, और 1978 में जब यह बम्बई बन्दरगाह में लंगर डाले हुए था इसमें लगी आग दुर्घटना की जांच की थी;

(ग) क्या 600 टन सामान को पहले "जल हुआ सामान" प्रमाणित किया था जबकि अब इसमें प्राप्त "पोलियेस्टर धागा" अच्छी हालत में पाया गया है, किस सर्वेक्षक ने सर्वेक्षण किया है और उसकी रिपोर्ट क्या है;

(घ) उक्त पुराने प्रमाणित सामान और अब वास्तविक रूप से प्रमाणित सामान पर कितना सीमा शुल्क वसूल किया गया है; और

(ङ) क्या सरकार ने जांच के पश्चात् इस मामले के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया है, और यदि हां, तो उस पर की गई कार्यवाही क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) "थाइविंग कन्ट्री" जलयान को, जो 6-11-78 को एक अग्नि दुर्घटना के कारण संकटग्रस्त हो गया था, बिक्री से सम्बन्धित सूचना के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बम्बई में कुछ तलाशियां लीं और कुछ दस्तावेज पकड़े।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जलयान की बिक्री के समय, उसमें लगभग 31 मीट्रिक टन कार्गो था। जलयान पर लदे संश्लिष्ट सूत और तन्तु की जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त सीमा शुल्क अधिकारियों के पेनल ने रिपोर्ट दी थी जली सामग्री का वजन लगभग 89 मीट्रिक टन था। बाद में विस्तृत जांच व वजन आदि करने के बाद यह पाया गया कि जलयान पर लदे सूत और तन्तु की कुल मात्रा लगभग 177 मीट्रिक टन थी। यह रिपोर्ट मिली है कि जलयान के ऐजेंटों से प्राप्त अनुदेशों पर सर्वेक्षकों की एक फर्म ने बीमा-सर्वेक्षण किया था लेकिन उसकी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(घ) जलयान खरीदने के बाद, खरीदार ने 8.7 लाख रुपये सीमा-शुल्क और माल छुड़वाने के एवज में जुर्माने के तौर पर 2.86 लाख रुपये अदा करके कुल 7.40 लाख रुपये मूल्य की पांच खेपें निकासित की, जिनमें क्षतिग्रस्त हालत में मोनोक्रोटोफास, क्षतिग्रस्त हालत में ही

कैल्शियम कारनाइड, छातों के लिए क्षतिग्रस्त तथा मलिन हालत में तारपा कपड़ा पी. वी. सी. लैदर क्लाथ और क्षतिग्रस्त हालत में संश्लिष्ट कपूर था। यह सूचना मिलने पर कि जलयान के खरीदार द्वारा संश्लिष्ट अपशिष्ट क्षतिग्रस्त हालत में "सूत और तन्तु" के रूप में घोषित माल का मूल्य उस मूल्य से अधिक है जिसका अनुमान माल की जांच करने वाले सीमा-शुल्क अधिकारियों के पैनल ने आंका था, बम्बई सीमा-शुल्क अधिकारियों ने अनेक तलाशियां लीं जिनके परिणामतः कुछ अपराध रोपणीय दस्तावेज पकड़े गए। इस संश्लिष्ट सूत और तन्तु पर अभी कोई शुल्क वसूल नहीं हुआ है। और आगे जांच-पड़ताल के परिणामों के आने तक निकासी रोक दी गई है।

(ङ) सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा मामले की जांच-पड़ताल, जिसमें सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न भी शामिल है, की जा रही है।

अभ्रक का उत्पादन

1692. **श्री आर. एल. पी. वर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980 में अब तक जितनी अभ्रक का उत्पादन किया गया है वह वर्ष 1968 के उत्पादन के चौथाई से भी कम है; और

(ख) क्या यह सच है कि इससे वर्ष 1972 में जितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई थी वह वर्ष 1980 में कमाई गई मुद्रा के बराबर दिखाई गई है जबकि अभ्रक की कीमतों में तीन-चार गुना वृद्धि की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) 1978 में अभ्रक उत्पादन 18,265 टन हुआ था जबकि जनवरी से सितम्बर, 1980 तक का उत्पादन 5811 टन है।

(ख) चूंकि 1980 का वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए 1972 में अर्जित विदेशी-मुद्रा और 1980 में अर्जित होने वाली विदेशी-मुद्रा की इस समय तुलना की जा सकती।

मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी के बारे में लेखा-परीक्षा आपत्ति

1693. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) द्वारा वर्ष 1976-77 और 1978-79 के लिए उत्पादन शुल्क की अदायगी से सम्बन्धित लेखा-परीक्षा आपत्ति हटा दी गई है;

(ख) यह धनराशि किस नियम और किन शर्तों के अन्तर्गत वापस की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वापस की गई कुल धनराशि उस धनराशि से अधिक थी जिस पर उत्पादन शुल्क लगाया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस अवधि के लिए वास्तव में कितनी धनराशि वापस की गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सम्भवतः प्रश्न का संकेत भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के अधीन प्राप्ति लेखा-परीक्षा विभाग की ओर है।

मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में वर्ष 1976-77 से 1978-79 तक के लिए लेखा परीक्षा सम्बन्धी ऐसी दो आपत्तियां उठाई गई थीं। तारीख 22-7-79 की एक आपत्ति प्राप्ति लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा वापस ले ली गई थी। दूसरी आपत्ति, दिल्ली/नई दिल्ली में निर्दिष्ट स्थल पर सुपुर्दगी विषयक भाड़ा खर्च निर्धारणीय मूल्य में शामिल किये जाने के प्रश्न से सम्बन्धित थी। यह आपत्ति, जो संघ सरकार की (सिविल) राजस्व प्राप्तियों पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किये जाने हेतु प्रस्तावित मसौदा पैराग्राफ की विषयवस्तु भी थी, विभाग द्वारा स्वीकार नहीं की गई।

(ख) से (ङ) : उपर्युक्त लेखा-परीक्षा आपत्तियों को वापस लिए जाने/स्वीकार नहीं किए जाने के कारण, उक्त पार्टी को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कोई वापस अदायगी नहीं की गई है। तथापि 11,30,000/रु० की प्रतिभूतियां जोकि अन्तिम शुल्क निर्धारणों के सिलसिले में बन्धपत्रों के प्रति जमा की गई थी, छोड़ दी गई हैं।

बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया द्वारा जमा राशियां और ऋण

1694. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार तथा पश्चिम बंगाल में यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया द्वारा राज्यवार कितनी राशियां जमा की गई हैं और कितने ऋण दिये गये हैं;

(ख) हजारी बाग, गिरीडीह, संथाल परगना जिलों में यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं द्वारा कितनी राशियां जमा की गई और कितने ऋण दिए गए;

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में उक्त बैंक के ऋण जमा राशियों के अनुपात में बिहार में दिए गए ऋणों से अधिक हैं; और

(घ) यदि हाँ, सरकार का बैंक की इस प्रवृत्ति के विरुद्ध तथा बिहार राज्य की भलाई के लिए समुचित ऋण देने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) दिसम्बर, 1979 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बिहार और पश्चिम बंगाल में यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के जमा और अग्रिमों के सबसे हाल के आंकड़े निम्नलिखित हैं :

राज्य	जमा	अग्रिम (लाख रुपये)
बिहार	5228	1643
पश्चिम बंगाल	72576	39019

(ख) इसी तारीख की स्थिति के अनुसार यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के हजारी बाग, गिरडीह और संथाल परगना जिलों में, जमा राशियों तथा अग्रिम निम्नलिखित थे :

जिला	जमा	अग्रिम (लाख रुपये)
हजारीबाग	537	73
गिरडीह	227	163
संथाल परगना	9	0.47

(ग) तथा (घ) : बैंकों से कहा गया है कि वे उन जिलों की शाखाओं के कार्य-निष्पादन

की समीक्षा करें जिन जिलों में ऋण का वितरण कम है तथा जिला ऋण योजनाओं में अधिक सक्रियता से भाग लेकर ऋण के प्रवाह का बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठायें। लेकिन यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि कलकत्ता में स्थित बैंकों द्वारा स्वीकृत बड़े अग्रिमों का उपयोग वास्तव में आस-पास के राज्यों द्वारा किया जाता है। ऋण के उपभोग के आधार पर यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया का बिहार में ऋण जमा अनुपात 43 प्रतिशत था, जिसे पश्चिमी बंगाल के समनुरूप अनुपात से, जोकि 45 प्रतिशत है, बहुत कम नहीं माना जा सकता।

आलुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध

1695. श्री नन्द किशोर शर्मा :

श्री राम लाल राही : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आलू के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण अब तक कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई है तथा आलू के उत्पादन में कितनी कमी आई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार आलू के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) आलू के निर्यात पर कोई रोक नहीं है। खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत निर्यात की अनुमति है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल सरकार का कम्पनियों के कारोबार बन्द करने का आदेश

1696 श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में 113 नानबैंकिंग कम्पनियों (वित्तीय) को दिसम्बर, 1980 तक अपने कारोबार बन्द करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उन्हें अपना कारोबार बन्द करने को कहने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या इन 113 कम्पनियों ने न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हां।

(ख) इन 113 कम्पनियों के नामों की सूची संलग्न है। (ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 1461/80) इनामी चिट एवं धन परिचालन योजना (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए नियम बनाए, तथा इस प्रकार की योजनाएँ चलाने वाली 113 कम्पनियों को अपने इनामी चिट व्यवसाय के परिसमापन की योजना प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किये।

(ग) और (घ) उपर्युक्त 113 कम्पनियों में से 22 कम्पनियों (जो संलग्न सूची में तारक चिन्हित हैं) ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समादेश (रिट) याचिकाएं दायर कर दी हैं तथा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं। सम्बद्ध कम्पनियों ने समादेश याचिकाओं में यह दावा किया है कि वे वैसा कोई इनामी चिट/धन परिचालन का व्यवसाय नहीं कर रहीं, जैसा कि प्रतिवर्ष अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित है, और इस प्रकार यह अधिनियम उन पर लागू नहीं होता। समादेश-याचिकाएं कलकत्ता उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं।

क्योंझरगढ़ में सुतली बटने का कारखाना तथा आनन्दपुर में जूट के कारखाने का लगाया जाना

1697. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के पास उड़ीसा राज्य के क्योंझरगढ़ में सुतली बटने के एक कारखाने तथा आनन्दपुर में एक जूट के कारखाने को लगाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन दो कारखानों की अनुमानित लागत कितनी कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रस्ताव के शीघ्र कार्यान्वियन के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण पर पुनर्विचार

1698. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा :**

श्री डी. एम. पुत्ते गौडा

श्री के. लक्कप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटे को कम करने के लिए सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकारी उपक्रमों में हुए घाटे के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने का भी विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार क्या अन्य कदम उठाने का है ताकि सरकारी उपक्रम लाभ अर्जित कर सकें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) प्रशासनिक मंत्रालय केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य की निरंतर समीक्षा करते रहते हैं, ताकि उन्हें कम से कम घाटा उठाना पड़े और उनकी कार्यकुशलता बढ़ती रहे। इसके अलावा इस कार्य के लिए गठित विशेष समितियों के माध्यम से उनके विषय में विशेष यथाआवश्यक गहन अध्ययन भी किए जाते हैं। अगस्त 1980 में सरकार ने कोयला, इस्पात, इंजीनियरी, रसायन और उवरक आदि क्षेत्रों में कुछ चुनींदा सरकारी उद्यमों के कार्यचालन की जांच करने के उद्देश्य से योजना आयोग के सदस्य (उद्योग) की अध्यक्षता में सरकारी उद्यमों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति गठित की है।

(ख) क्योंकि विशेषज्ञ समिति का काम चालू है, इसलिए जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ है।

(ग) सरकार ने सरकारी उद्यमों में लाभकारिता बढ़ाने और घाटे में कमी करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) अवस्थापना सम्बन्धी मंत्रिमण्डल समिति द्वारा अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के कार्यकरण का परिवीक्षण करना।

(2) आर्थिक मामलों सम्बन्धी मंत्रिमण्डल समिति द्वारा सरकारी क्षेत्र के चालू उद्यमों की वित्तीय एवं वास्तविक/कार्य निष्पादन और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का आवधिक और नियमित परिवीक्षण किया जाना।

(3) सम्बद्ध मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रत्येक उद्यम की कार्यनिष्पादन समीक्षा सम्बन्धी तिमाही बैठकों के माध्यम से परिवीक्षण किया जाना ।

(4) कुछ चुने हुए उद्यमों में से एक-एक संयंत्र के कार्य-निष्पादन का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग के सदस्य (उद्योग) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित करना ।

(5) संतोलक सुविधाओं और निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्रों में पूंजी लगाना ।

(6) मजूरी और वेतन संबन्धी करारों को शीघ्र अन्तिम रूप देना ।

(7) मूल्य और खरीद अधिमान्यता सहित यथार्थ मूल्य निर्धारण नीतियां अपनाना ।

कोयला-खानों में औद्योगिक संबंधों से सम्बन्धित दल

1699. **श्री नारायण चौबे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान क्षेत्र में काम करने का वातावरण तैयार करने के लिए सार्वजनिक उद्यम सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति द्वारा गठित औद्योगिक सम्बन्धों से संबन्धित दल ने "कार्य-योजना" बना ली है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) सरकारी उद्यमों संबन्धी विशेषज्ञ समिति द्वारा गठित औद्योगिक संबन्धों विषयक कार्य दल ने कोल इण्डिया और उसकी सहायक कंपनियों के बारे में अपनी रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत की है, न कि सरकार को । समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है तथा वह फिलहाल विचाराधीन है ।

लघु औद्योगिक एककों द्वारा लिए गये ऋणों पर वित्तीय सहायता

1700. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार क्या बन्द होने जा रही लघु औद्योगिक एककों को परिसमाप्त होने से तथा उन्हें वित्तीय दबाव से बचाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐसी योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है जिसमें इस प्रकार के एककों को रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जा सके जिससे उन्हें उनके द्वारा लिए गये ऋणों के सन्दर्भ में वित्तीय राहत मिल जाये ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री भगतभाई बरोट) : (क) और (ख) उन सभी रुग्ण औद्योगिक एककों के बारे में, जिनमें क्षमता की संभावना पाई जाती है, बैंकों द्वारा पोषण कार्यक्रम के लिए विचार किया जाता है । किसी रुग्ण एकक के पोषण के बारे में, एक बार निर्णय हो जाने पर, बैंक अनेक उपायों पर विचार करते हैं जैसे कि मार्जिन राशि और ब्याज-दर में कमी तथा चुकौती के कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण और/या अतिदेय ब्याज का निधीकरण । बैंक पोषण सहायता के उपयोग के बारे में कड़ी नजर रखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को अपनी संगठनात्मक व्यवस्था की पर्याप्तता के बारे में जांच करने की सलाह भी दी गई है ताकि उनके क्षेत्रीय/स्थानीय कार्यालयों आदि का विद्यमान ढांचा सुदृढ़ हो सके और अन्य बातों के साथ-साथ लघु उद्योगों का वित्त पोषण सुनिश्चित हो सके ।

भारतीय जूट निगम द्वारा छोटे जूट उत्पादकों से जूट की खरीद न किया जाना

1701. **श्री अनंत राव प्रधान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जूट निगम छोटे-छोटे जूट उत्पादकों से जूट की खरीद नहीं करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले छः महीनों के दौरान भारतीय जूट निगम द्वारा कितनी जूट खरीदी गई है और इस वर्ष जूट का कुल उत्पादन कितना हुआ है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय पटसन निगम ने 1 जुलाई से 15 नवम्बर, 1980 तक की अवधि के दौरान न पटसन की 7.09 लाख गांठों की मात्रा खरीदी है। 1980-81 के दौरान पटसन तथा मेस्टा का उत्पादन लगभग 80 लाख गांठें होने का अनुमान है।

ईरान-इराक युद्ध के कारण भारत को आर्थिक खतरा

1702. **श्री के. लकप्पा :**

श्री डी०एम० पुत्ते गौडा :

श्री एच०एन० नन्जे गौडा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान-इराक युद्ध के कारण भारत की आर्थिक स्थिति को खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो किसी भी सम्भावित घटना का सामना करने के लिए सरकार ने क्या ऐहतियाती उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) ईरान-इराक युद्ध से हमारी अर्थव्यवस्था को सीधे कोई खतरा नहीं है। किन्तु कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की पूर्ति कुछ अस्त व्यस्त हुई है।

(ख) कमियों को पूरा करने के लिए या तो अन्तर्सरकारी आधार पर या स्थल पर खरीद के द्वारा आवश्यक मात्रा की पूर्ति के लिए प्रबन्ध किया जा रहा है। इसमें अतिरिक्त व्यय आवश्यक होगा क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद से कच्चे तेल और पेट्रोलियम की स्थल पर कीमतों में वृद्धि हुई है।

बैंक अधिकारियों में असंतोष

1703. **श्री जी.एम. बनातवाला** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैंक अधिकारियों में व्यापक असंतोष और 12 दिसम्बर, 1980 के एक दिन की विरोध स्वरूप हड़ताल के निर्णय सहित। दिसम्बर 1980 से उनके विरोध आंदोलन के समाचार की जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक के अधिकारियों को वाणिज्यिक बैंकों में समान स्तर की वरिष्ठता और सेवा वाले अधिकारियों की तुलना में रु. 250/- से 800/- तक अधिक मिलते हैं;

(ग) बैंक अधिकारियों की मांगें क्या हैं; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को, रिजर्व बैंक के अधिकारियों तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों द्वारा अपने वेतनमानों के विभिन्न स्तरों पर प्राप्त की जाने वाली कुल परिलब्धियों में अन्तर का पता है।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों की मुख्य मांगें हैं—वेतनमानों का संशोधन, महंगाई भत्ते के पत्रमूले का संशोधन, पंचाट (एवार्ड) कर्मचारियों पर लागू होने वाले रियायती अग्रिमों के समतुल्य अग्रिम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में बिल्ले समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित किये जाने से पहले बैंक अधिकारियों को प्राप्त होने वाली कुछ परिलब्धियों की फिर से अदायगी।

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के वेतनमानों, भत्तों और परिलब्धियों में अभी हाल में, जुलाई, 1979 में ही संशोधन किया गया है तथा उनका मानकीकरण किया गया है। इसलिए, अभी उनमें फिर से और संशोधन करने का कोई प्रश्न नहीं है। फिर भी बिल्ले समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के परिणाम स्वरूप जिन मामलों में यह पाया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को कोई कठिनाईयां हुई हैं, अथवा किसी बैंक में अपने प्रतिष्ठान के अन्दर अथवा किसी एक बैंक में अन्य बैंकों की तुलना में कतिपय असमानताएँ हैं, तो ऐसे मामलों पर, समय-समय पर भारतीय बैंकर्स संघ (इण्डियन बैंकर्स एसोशियेशन) तथा भारत सरकार द्वारा विचार किया जाता है और इस प्रकार की असमानताओं/कठिनाइयों को दूर करने के लिए सुधार के उपाय किये जाते हैं।

आयात और निर्यात

1 04 **श्री जी.एम. बनातवाला :**

श्री ज्योतिमय बसु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष 30 सितम्बर, 1980 को समाप्त होने वाली प्रथम छमाही के दौरान भारत ने कुछ कितने मूल्य का निर्यात किया है और पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान कितने मूल्य का निर्यात किया गया था;

(ख) उपरोक्त अवधि के लिये निर्यात का कुल कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उसमें कितनी वृद्धि/कमी हुई है;

(ग) इसी अवधि के दौरान कुल कितने मूल्य का आयात किया गया है और पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान कितने मूल्य का आयात किया गया था;

(घ) दिनांक 30 सितम्बर, 1979 और 1980 को व्यापार की तुलना स्थिति क्या थी;

(ङ) यदि इसमें कोई घाटा हुआ है तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) विशेष रूप से ईरान इराक युद्ध के कारण तेल के आयात की ऊँची लागत को ध्यान में रखते हुए व्यापार संतुलित करने के लिये क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (च) चालू वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध के लिए भारत के विदेश व्यापार से सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारी आंकड़े कुछ सीमा शुल्क कार्यालयों से विवरणिकाओं के मिलने के कारण उपलब्ध नहीं हैं। अप्रैल-जून 1980 की पहली तिमाही के लिए नवीनतम अन्तिम आंकड़ों के अनुसार, भारत के निर्यात 1565.05 करोड़ रुपये के हुए और आयात 2805.66 करोड़ रु. के हुए। पिछले वर्ष की उसी अवधि के तुलनात्मक आंकड़े तथा व्यापार घाटा नीचे दिया जाता है—

करोड़ रु०

	अप्रैल-जून, 1980 (नवीनतम अवधि) अनन्तिम	अप्रैल-जून 1979 अनन्तिम	संशोधित अन्तिम
निर्यात	1565·05	1462·12	1610·63
आयात	2805·66	1724·55	1956·17
व्यापार शेष	—1240·61	—262·43	—345·54

1980-81 के पूरे वर्ष के लिए निर्यातों का लक्ष्य 7100 करोड़ रुपये हैं।

आयातों में असाधारण वृद्धि तथा व्यापार घाटा होने का मुख्य कारण पैट्रोल, तेल, स्नेहकों तथा संबद्ध उत्पादों की विश्व कीमतों में वृद्धि होना है। सरकार ने हाल ही में निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किये हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) "लाइसेंस क्षमता" तथा "प्रधानता" के प्रयोजन के लिए निर्यात हेतु उत्पादन को अलग रखना।

(2) उस मामले में निर्यात की गई वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति देना जहां उन वस्तु में परिवर्तन किया जाना है और किसी औद्योगिक एकाई को उसके विनिर्माण के लिए लाइसेंस दिया जाता है।

(3) ऐसे निर्यात उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी अन्तर्तों के बारे में अनुकूल व्यवहार करना जिसमें रायल्टी का एक मुश्त भुगतान अन्तर्ग्रस्त हो।

(4) सभी शतप्रतिशत निर्यात अभी मुख्य इकाईयों को मुक्त व्यापार जाने जैसा ही व्यवहार प्रदान करना।

(5) निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजन के लिए उद्योगों की विस्तृत सूची में स्वत: विस्तार करने की अनुमति देना।

(6) महानगरीय शहरों में नये औद्योगिक उपक्रमों पर लगाये गये प्रतिबन्धों में ऐसे एककों को जो निर्यात के लिए उत्पादन कर रहे हैं, चलनात्मक आधार पर छूट देना।

इसके अलावा, आशा है कि दि एक्सिम बैंक, जिसकी स्थापना शीघ्र ही की जायेगी, निर्यात वित्त व्यवस्था का विस्तार करेगा। शुल्क वापसी के संवितरण में विलम्ब के मामलों को कम करने तथा क्रिया विधियों का सरलीकरण करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जब भी आवश्यक होगा, आगे उपाय किये जायेंगे।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में सिलिकोन इस्पात परियोजना

1705. **श्री पी. राजगोपाल नायडु** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र में एक सिलिकोन इस्पात परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) इसके लिये कितने निवेश की आवश्यकता होगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) राउरकेला इस्पात कारखाने में सिलिकान विद्युत-इस्पात के उत्पादन के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एक योजना पहले से कार्यान्वित की जा रही है। इसकी अनुमानित लागत 109.37 करोड़ रुपये है।

तट-आधारित इस्पात संयन्त्रों की स्थापना

1706. **श्री पी. राजगोपाल नायडु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश में एक तट आधारित इस्पात संयन्त्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में एक सर्वतोमुखी इस्पात कारखाना लगाने के लिए जून, 197 में स्वीकृति दे दी थी। इस कारखाने की द्रव-इस्पात तैयार करने की क्षमता लगभग 34 लाख टन होगी।

दिल्ली में राशनिंग कार्यालय में अपर्याप्त संख्या में कर्मचारी

1707. **श्री के. लकप्पा :**
श्री एच. एन. नन्जे गौडा :
श्री डी. एम. पुत्ते गौडा : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में राशन कार्यालय में असाधारण भीड़भाड़ रहती है;

(ख) क्या राशन कार्यालयों में भीड़ से निपटने के लिए कर्मचारी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं और लोगों को छोटे-छोटे काम के लिये बार-बार आना पड़ता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस स्थिति के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) से (ग) नये खाद्य कार्ड जारी करने की उदार नीति तथा आंशिक रूप से विगत में कुछ समय के लिए सीमेंट और चीनी की कमी के कारण राशन कार्यालयों में कुछ भीड़-भाड़ रही थी। इस स्थिति का सामना विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की आन्तरिक तौर पर व्यवस्था करके कर लिया गया था। सीमेंट की आपूर्ति में सुधार होने, चीनी की वितरण-नीति में परिवर्तन करने और काफी संख्या में व्यक्तियों को नये खाद्य कार्ड जारी कर देने के फलस्वरूप अब दिल्ली में राशन कार्यालयों पर असाधारण भीड़-भाड़ नहीं है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कोयले का आयात

1708. **श्री के. लकप्पा :**
श्री एच. एन. नन्जे गौडा :
श्री डी. एम पुत्ते गौडा :
श्री अमर सिंह वी. राठवा :
श्री भीकू राम जैन :
श्री चित्त महाटा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड 1980-81 के दौरान कोयले का आयात करने का विचार कर रहा है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने कितना कोयला आयात किया है और किन-किन देशों से आयात किया है या करने का विचार है और किन-किन शर्तों पर;

(ग) इन सौदों में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है या होगी; और

(घ) स्वदेशी कोयला उपयोग में न लाने के क्या कारण हैं;

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग)

वर्ष	सेल द्वारा आयात किए गए कोयले की मात्रा	देशों के नाम	शर्तें	इनमें लगी विदेशी मुद्रा की राशि
1978-79	1,20,000 टन	आस्ट्रेलिया	देखिए	75 करोड़ रुपए
1979-80	10,42,700 टन	और कनाडा	संलग्न विवरण	(लगभग)

(घ) देशीय कोककर कोयले का भी उपयोग किया जा रहा है लेकिन इनकी आपूर्ति पर्याप्त नहीं है और इसमें राख की मात्रा अधिक है। राख की कम मात्रा वाले आयातित कोयले का उपयोग देशीय कोयले में समिश्रण के लिए किया जाता है, जिससे कोककर कोयले की अपर्याप्त आपूर्ति में वृद्धि हो सके। इससे कोककर कोयले के हमारे सीमित भंडारों के सरक्षण में मदद भी मिलती है।

विवरण

कोककर कोयले के आयात के लिए सेल तथा पार्टियों के साथ हुए करार की शर्तों के उद्धरण नीचे दिए गए हैं :

1. आस्ट्रेलिया से 800,000 टन कोककर कोयले की आपूर्ति के लिए 22-9-1978 को हस्ताक्षरित करार संख्या 1/78 की शर्तें नीचे दी गई हैं :

पार्टी वलिंडली में शोधित मध्यम वाष्पशील कोककर कोयले की आपूर्ति करेगी, जिसका उपयोग धातुकार्मिक कोक के उत्पादन के लिए भारत में कोकओवनों में किया जायेगा। विक्रेता उत्पादक की इच्छानुसार 90,000 टन प्रति मास की दर से सिडनी के केम्बला अथवा बालमीन बन्दरगाह तक एफ. ओ. बी. टी. आधार पर कोयले की सुपुर्दगी देगा शर्त यह है कि जहाज आदि का प्रबन्ध खरीददार को करना होगा। कोयला निम्नलिखित तकनीकी विशिष्टियों का होगा :

1. साइज	0-50 मि. मी.
2. नमी (प्राप्त होने पर)	अधिकाधिक 7 प्रतिशत
3. "हवा में सुखाये गए आधार पर" विश्लेषण	
(क) वाष्पशील सामग्री	25-28 प्रतिशत
(ख) राख	अधिकाधिक 10 प्रतिशत
(ग) फासफोरस	अधिकाधिक 1 प्रतिशत
(घ) गंधक	अधिकाधिक 45 प्रतिशत

2. कनाडा से 400,000 टन बढ़िया कोककर कोयले की आपूर्ति के लिए 30-9-1978 को हस्ताक्षरित करार संख्या 2/78 की शर्तें नीचे दी गई हैं :

पार्टी कनाडा की कार्डीनल रिवर माइन, हिन्टन, की खानों से (जिन्हें इन्सकार कोल कैनेडियन भी कहा जाता है) 400,000 टन बढ़िया कोककर कोयला सप्लाई करेगी, जिसका उपयोग धातुकार्मिक कोक के उत्पादन के लिए भारत में कोक-ओवनों में किया जायेगा। विक्रेता माल की सुपुर्दगी सम्मत सुपुर्दगी अवधि अर्थात अक्तूबर, 1978-सितम्बर, 1979 में न्यूनाधिक समान चरणों में करेगा, जिसे खरीददार की इच्छानुसार एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

कोयला निम्नलिखित तकनीकी विशिष्टियों का होगा :

1. साइज	0-50 मि. मी.
2. कुल नमी (प्राप्त होने पर)	अधिकाधिक 7 प्रतिशत
3. "हवा में सुखाए गए आधार पर"	
विश्लेषण	
(क) वाष्पशील सामग्री	24-26 प्रतिशत
(ख) राख	अधिकाधिक 9.75 प्रतिशत
(ग) फासफोरस	अधिकाधिक 1 प्रतिशत
(घ) गंधक	अधिकाधिक 0.35 प्रतिशत

3. आस्ट्रेलिया की पीक डाउन और/अथवा सारागो की कोककर कोयले की खानों से 200,000 टन बढ़िया कोककर कोयले की आपूर्ति, जिनका उपयोग धातुकार्मिक कोक के उत्पादन के लिए भारत में कोक-ओवनों में किया जायेगा, के लिए 19-5-80 को हस्ताक्षरित करार संख्या 3/80 की शर्तें नीचे दी गई हैं :

पार्टी, जहां तक संभव होगा 200,000 टन की सम्पूर्ण मात्रा की आपूर्ति सितम्बर, 1980 के उत्तरार्द्ध से लेकर 31 मार्च, 1981 तक की अवधि में समान रूप से करेगी। कोयला निम्नलिखित तकनीकी विशिष्टियों का होगा :

1. साइज	0-50 मि. मी.
2. कुल नमी (प्राप्त होने पर)	8 प्रतिशत
3. 'हवा में सुखाए गए आधार पर"	
विश्लेषण	
(क) वाष्पशील सामग्री	20-22 प्रतिशत
(ख) राख	9.5 प्रतिशत (सहिष्णुता +0.5 प्रतिशत)
(ग) गंधक	0.6 प्रतिशत (सहिष्णुता +0.1 प्रतिशत)

किसानों के प्रशिक्षण के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा योजना तैयार करना

1709 श्री के. टी. कोसलराम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को बारानी खेती के तरीकों का प्रशिक्षण देने के लिये स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त योजना कहां-कहां क्रियान्वित की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किसानों को बारानी खेती के तरीकों का प्रशिक्षण देने की कोई योजना तैयार नहीं की गयी है। फिर भी बैंक के ग्रामीण-विकास अधिकारियों को, (जो कि योग्यता-प्राप्त स्नातक है और जिन्हें विस्तार (एक्स्टेंशन) का अनुभव है तथा जिनकी संख्या लगभग 1745 है) बैंक की हिदायत है कि वे किसानों को उत्पादन की सपुंटित कार्यप्रणाली के संबद्ध नवीनतम तकनीकी ज्ञान प्रदान करें। भारतीय स्टेट बैंक ने गुजरात कृषि विश्वविद्यालय को, गुजरात के दांतीवाडा में, कृषक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए बैंक की अनुसंधान एवं विकास निधि से 7 लाख रुपये के अनुदान की मंजूरी भी दे दी है। यह केन्द्र निरंतर आधार पर 2-3 सप्ताहों में लगभग 25 किसानों के समूहों को खेती के तरीके का चुनाव, भूमि और जल के रक्षण, तथा उर्वरकों के प्रयोग आदि सहित बारानी खेती की तकनीकों का प्रशिक्षण देगा। यह योजना शीघ्र ही लागू हो जाएगी।

हरा सेफ्रियान समिति का प्रतिवेदन

1710. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम को पाँच स्वतन्त्र प्रादेशिक निगमों में पुनर्गठन करने के संबंध में हरा सेफ्रियान समिति के प्रतिवेदन पर सरकार कब तक निर्णय करेगी; और

(ख) क्या हरा सेफ्रियान समिति ने अपने प्रतिवेदन में जीवन बीमा निगम को जीवन बीमा के क्षेत्र में "पियरलैस' जैसी गैर-सरकारी संस्थाओं से होड़ के प्रश्न पर विचार किया है और क्या उक्त प्रतियोगिता का भारतीय जीवन बीमा निगम पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) सरकार रिपोर्ट पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

सुलभ ऋण योजना

1711. डा बसन्त कुमार पंडित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच उद्योगों के अधुनिकीकरण और पुनर्वास के लिए सुलभ ऋण योजना सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा मंजूर राशियों के संभावित उपयोग को प्राप्त करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी असफलता के कारणों का गहराई से अध्ययन किया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सुलभ ऋण योजनाओं में मूलभूत परिवर्तन करने का है ताकि यह पांच उद्योगों की अवश्यकताओं के अनुरूप हो सके।

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (ग) जी नहीं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा पांच चुने हुए उद्योगों अर्थात वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट और इंजीनियरिंग उद्योगों को, सुलभ ऋण योजना के अधीन स्वीकृत सहायता तथा संवितरित राशि का, 30-9-78, 30-9-79 और 30-9-80 की स्थिति के अनुसार, ब्योरा नीचे दिया जा रहा है :

(रकम करोड़ रुपये में)

30-9-78 की स्थिति के अनुसार		30-9-79 की स्थिति के अनुसार		30-9-80 की स्थिति के अनुसार	
स्वीकृत राशि	संवितरित राशि	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
217.67	27.55	409.99	101.71	574.59	211 72

उपर्युक्त आँकड़ों को देखने से पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों के आँकड़ों को देखने से पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों के मुकाबले उपभोग की दर में वृद्धि हुई है और सबसे हाल के संवितरण के आंकड़े काफी संतोषजनक हैं इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि सुलभ ऋण योजना के उद्देश्यों कोप्राप्त नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, सामान्यतया, स्वीकृतियों और संवितरणों के बीच में एक अंतराल भी रहता है क्योंकि ऋण लेने वाली कंपनियों को ऋण की शर्तों को पूरा करने, उपस्कारों की पूर्ति की व्यवस्था आदि के लिये अनेक प्रबन्ध करने होते हैं।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के लिए संयुक्त संगणीकृत आरक्षण व्यवस्था

1712. डा. वसन्त कुमार पंडित : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के लिए संयुक्त संगणीकृत आरक्षण व्यवस्था कब से चालू की जाएगी;

(ख) क्या यह परियोजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्बकारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) अब एयर इंडिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स के लिए कोई संयुक्त कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली नहीं है और प्रत्येक एयरलाइन्स की पृथक-पृथक कम्प्यूटर प्रणाली होगी।

(ख) और (ग) एयर इंडिया की परियोजना के पूरा होने की तारीख द्वारा वर्तमान हड़ताल के परिणामस्वरूप बुकिंग कार्यालय एवं आरक्षण कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोक देने के कारण इस तारीख में यथोचित रूप से परिवर्तन करना पड़ेगा। इस तारीख पर स्थिति सामान्य होते ही पुनर्विचार किया जाएगा।

जहाँ तक इण्डियन एयरलाइन्स परियोजना का सम्बन्ध है, कम्प्यूटर के चयन पर सरकार कार्यवाही कर रही है। फिलहाल उम्मीद यह है कि यह प्रणाली 1981 में स्थापित की जा सकती है और कारपोरेशन "रियल टाइम रिजर्वेशन" का कार्यान्वयन इस प्रणाली के स्थापित किये जाने के लगभग छः से सात महीने बाद क्रमिक चरणों में आरम्भ कर सकेगी।

अनधिकृत विद्युत करघे

1713. श्री राम विलास पासवान : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अनधिकृत विद्युत करघों की वृद्धि के बारे में कोई निर्धारण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और सरकार ने अनधिकृत विद्युत करघों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या अनधिकृत विद्युत करघों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) देश के विद्युत करघों की अनधिकृत वृद्धि के सम्बन्ध में अभी तक कोई आकलन नहीं किया गया है। तथापि, सरकार अनधिकृत विद्युत करघों की वृद्धि को रोकने की इच्छुक है। हथकरघों के लिए आरक्षण आदेशों की कारगरता का आकलन करने के लिए वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया है और अध्ययन दल के विचारार्थ विषयों में से एक है अनधिकृत विद्युत करघों में वृद्धि को रोकने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाना। सरकार अध्ययन दल की सिफारिशें जांचने के बाद उपयुक्त कदम उठाने पर विचार करेगी।

(ग) जो अनधिकृत विद्युत करघे 31-12-1978 को अस्तित्व में थे और जिनके संबन्ध में आवेदनपत्र 31-12-1979 से पूर्व वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को भेजे जा चुके हैं, उनके नियमन पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों द्वारा 'व्यक्तिगत ऋणों' का वापसी भुगतान

1714. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कई कर्मचारियों ने 'व्यक्तिगत ऋण' प्राप्त करने के बाद बोनस की राशि में से उस राशि का वापसी भुगतान करने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंक कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनसे कुल कितनी राशि वापस ली जानी है; और

(ग) उन बैंकों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (ग) यथासंभव सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में पर्यटन के विकास के लिये आबंटित राशि

1715. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान क्रमश: राज्य में पर्यटन के विकास के लिए कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) योजना में जो विकास कार्य आबंटित किये गये उनके ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) क्या कार्यक्रम अब तक पूरे कर लिए गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) पर्यटन के विकास के लिए स्कीमों को केन्द्रीय अथवा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रारम्भ किया जाता है। इसलिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग पर्यटन के विकास के लिए राज्य-वार आधार पर धन-राशि का

आबंटन नहीं करता । तथापि, 1979-80 के दौरान केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत निम्नलिखित स्कीमें प्रारम्भ की गई अथवा 1980-81 के दौरान प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तावित की गई है :—

पर्यटन विभाग :

सिमिलीपाल नेशनल पार्क में 30.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक वन-गृह के निर्माण का प्रस्ताव है । इसके प्रयोजनार्थ 1980-81 के दौरान 10.00 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है । राज्य सरकार से परामर्श करते हुए स्थान का चयन किया जा रहा है ।

भारत पर्यटन विकास निगम :

वर्ष 1979-80 के दौरान, भुवनेश्वर में 12 कमरों वाले यात्री-गृह में 40.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 26 कमरों का निर्माण करके इसका विस्तार किया गया था । इसे होटल कालिंगा अशोक के नाम से 17-12-1979 से चालू किया गया था ।

पुरी तथा/अथवा कोणार्क में एक होटल के निर्माण का प्रस्ताव छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम रूप दिए जाने तक लंबित पड़ा है । अत: इन स्कीमों के लिए 1980-81 के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

मैसर्स टेल्को द्वारा कर अदा न किया जाना

1716. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री पी. के. कोडियन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'टेल्को' 1976-77 से कोई कर अदा नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का ध्यान इस बारे में 5 अक्तूबर और 2 नवम्बर, 1980 के 'यूज एज' साप्ताहिक में प्रकाशित होने वाले समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर संघ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हाँ । टेल्को वित्तीय वर्ष 1976-77 के संगत कर-निर्धारण वर्ष 1977-78 से आयकर की कोई अदायगी नहीं कर रहा है ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) कर-निर्धारण वर्ष 1977-78 से 1980-81 तक के सम्बन्ध में टेल्को के मामले में लाभों की स्थिति, जिसमें मूल्यह्रास से पहले अन्य स्रोतों से प्राप्त हुई आय शामिल है, तथा दावा की गई कटौतियां और मंजूर की गई छूटें निम्न प्रकार से हैं :—

(सभी आंकड़े हजार रुपयों में)

कर-निर्धारण वर्ष 1977-78		
मूल्यह्रास से पहले लाभ		226696
घटाइये		
धारा 32 के अन्तर्गत मूल्यह्रास	184335	
धारा 32 (1) (iv) के अन्तर्गत प्रारम्भिक मूल्यह्रास	729	

धारा 32 क के अन्तर्गत पूंजी-निवेश सम्बन्धी छूट	71152		
वैज्ञानिक अनुसन्धान पर खर्च के सम्बन्ध में धारा 35 के अन्तर्गत कटौती	3419		
वैज्ञानिक अनुसन्धान संस्थाओं को दान के सम्बन्ध में धारा 35 (i) (ii) के अन्तर्गत कटौती	70		
9597 के दावे के प्रति निर्यात बाजार विकास छूट के संबंध में धारा 35 ख के अन्तर्गत कटौती	1886	(—)	261581
आगे ले जाने के लिए अनुमत शुद्ध हानि ।		(—)	34885

टिप्पणी :—(1) नये एकक के लाभ तथा हानि खाते के अभाव में, नये औद्योगिक उपक्र के लिए धारा 80 के अन्तर्गत कटौती मंजूर नहीं की गई ।

(2) इंजीनियरिंग रिसर्च सेन्टर के सम्बन्ध में 7214 हजार रु० के उपदान तथा 302 हजार रु० के मूल्यह्रास की जो व्यवस्था की गई थी, उसके सम्बन्ध में छूट नहीं दी गई ।

कर-निर्धारण वर्ष 978-79

मूल्यह्रास से पहले लाभ			221515
घटाइये			
मूल्यह्रास	171779		
पूंजी-निवेश छूट	35542		
प्रारम्भिक मूल्य-ह्रास	153		
धारा 35 के अधीन किया गया वैज्ञानिक-व्यय	2567		
धारा 35 ख के अधीन कटौती	15808		
बीमांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार उपदान	15186		
धारा 80-छ के अधीन धर्मार्थ संस्थाओं को दिए गए दान	100		
धारा 80-ड के अधीन	194		
कर-निर्धारण वर्ष 1977-78 की आगे ले जाई गई हानि ।	48125	(—)	289454
दावा की गई शुद्ध हानि		(—)	67939

टिप्पणी :— कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही विचाराधीन है ।

कर-निर्धारण वर्ष 1979-80

मूल्यह्रास से पूर्व लाभ			280687
घटाइये			
मूल्यह्रास	188919		
प्रारम्भिक मूल्यह्रास	1635		

धारा 35 के अधीन किया गया	3169		
वैज्ञानिक व्यय			
बीमांकक रिपोर्ट के अनुसार उपदान	14406		
धारा 80-छ के अन्तर्गत	250		
धारा 80-ड के अन्तर्गत	3 9		
		(—)	208858
पूंजी निवेश-छूट के समायोजन से पूर्व			71829
संकल आय :			
घटाइये			
कर-निर्धारण वर्ष 1977-78 के लिए	2396		
निवेश सम्बन्धी असमाहित छूट			
कर-निर्धारण-वर्ष 1978-79 के लिए	35542		
पूंजी निवेश सम्बन्धी असमाहित छूट			
वर्ष 1979-80 के लिए पूंजी निवेश	3892		
सम्बन्धी छूट (आंशिक रूप से दावा		(—)	71830
किया गया)			
शुद्ध आय		कुछ नहीं	

टिप्पणी :—कर-निर्धारण वर्ष 1979-80 के लिए पूंजी निवेश सम्बन्धी असमाहित छूट का 43774 का दावा किया गया। कर-निर्धारण कार्यवाही विचाराधीन हैं।

कर-निर्धारण वर्ष 1980-81			
मूल्यह्रास से पूर्व के लाभ			316472
घटाइये :			
मूल्यह्रास	191337		
प्रारम्भिक मूल्यह्रास	739		
धारा 35 के अधीन किया गया	7205		
वैज्ञानिक व्यय			
धारा 35-ख के अधीन कटौती	15214		
बीमांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के	23826		
अनुसार उपदान			
धारा 35 (i) (ii) के अधीन की	141		
गई कटौती			
धारा-80-छ के अधीन	500		
धारा 80-ड के अधीन	547	(—)	239.09

पूंजी-निवेश सम्बन्धी छूट को समायोजन किए गए जाने से पूर्व सकल आय		76963
घटाइये		
कर-निर्धारण-वर्ष 1979-80 के लिए-पूंजी निवेश सम्बन्धी असमाहित छूट	43774	
वर्ष 1980-81 के लिये पूंजी निवेश सम्बन्धी छूट	33189	
(आंशिक रूप से दावा किया गया)		(—) 76963
शुद्ध आय		कुछ नहीं

टिप्पणी :—(i) 28.57 की पूंजी निवेश सम्बन्धी असमाहित छूट का दावा किया गया।

(ii) कर-निर्धारण वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के लिये धारा 80-ङा के अधीन आगे ले जाये गये दावों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

कर-निर्धारण वर्ष 1977-78	5601
कर-निर्धारण वर्ष 1978-79	4·43
कर-निर्धारण वर्ष 1979-80	दावे की रकम को कर-निर्धारण करते समय प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही बकाया है :

केन्द्रीय सरकार द्वारा टेल्को वाणिज्यिक वाहनों की विस्तार परियोजना के वित्त पोषण के निमित्त विनिमेय बन्ध-पत्र जारी करने की अनुमति दी गई है।

कानून के अन्तर्गत कोई अनियमितता नहीं है।

भीलवाड़ा जिले में जिंक अयस्क खानों का पता चलना

1717. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भीलवाड़ा जिले में अधिक क्षमता वाली जिंक अयस्क खानों का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो इन खानों के विदोहन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि खनिज-स्थल के बारे में विस्तृत खोज कार्य अभी चल रहा है अतः इन निक्षेपों के दोहन के बारे में कोई भी निर्णय वर्तमान खोज कार्य के परिणामों के आकलन के बाद ही किया जा सकेगा।

अटारी सीमाशुल्क और आप्रवासी चौकी का स्थानान्तरण

1718. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पाकिस्तान रेल यातायात का संचालन कर रही अटारी सीमाशुल्क और आप्रवासी चौकी स्थानान्तरण का निर्णय आस्थगित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी कारण क्या है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सबाई सिंह सिसोदिया) : (क) सीमाशुल्क तथा आप्रवास विषयक निकासी कार्य के अटारी से अमृतसर रेलवे स्टेशन को अन्तरण संबंधी प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम एशिया में कार्यरत भारतीयों द्वारा भारत को धन भेजा जाना

1719. **श्री ए.ए. रहीम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम एशिया में (जिसमें खाड़ी के देश भी शामिल हैं) कार्यरत भारतीयों द्वारा हर वर्ष कितनी राशि स्वदेश भेजी गई है; और

(ख) क्या गैर-निवासी भारतीयों द्वारा, सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के उद्यमों में निवेस को बढ़ावा देने की कोई योजना है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) खाड़ी के देशों सहित केवल पश्चिम एशिया में काम कर रहे भारतीयों से चालू वर्ष के दौरान प्राप्त प्रेषणाओं के बारे में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है, क्यों कि चालू नियमों के अन्तर्गत प्राधिकृत डीलरों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को 10,000 रुपए अथवा इससे कम राशि की प्रेषणाओं का ब्यौरा देना जरूरी नहीं है। फिर भी चालू वर्ष में देश में भेजी गई कुल राशि के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे 1980 तक के हैं जिनके अनुसार यह राशि 3923 करोड़ रुपए बैठती है। इन आंकड़ों में इस प्रश्न से संबन्धित प्राप्तियों के चार शीर्षों अर्थात् (1) "परिवार भरण पोषण", (2) "अनिवासियों की बचतें", (3) "प्रवासी अन्तरण" और (4) "मनीआर्डर प्राप्तियां" के अलावा सकल निर्यात-भिन्न प्राप्तियों के आंकड़े शामिल हैं जैसे हवाई कंपनियों की प्राप्तियां, जहाजी कंपनियों की प्राप्तियां, बीमा प्राप्तियां, लाभांश प्राप्तियां, पर्यटन प्राप्तियां आदि।

(ख) जी हां, । अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश किए जाने के लिए उदार सुविधाएं उपलब्ध हैं। वे पूंजी और आय को वापस लौटाने के अधिकार के बिना किसी भी कार्य क्षेत्र में बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी निवेश कर सकते हैं। एक ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत चुनी हुई सूची की नई कंपनियों के नए शेयरों में वापस लौटाने के अधिकारों के साथ 20 प्रतिशत तक पूंजी निवेश करने की अनुमति है। एक अन्य योजना है जिसके अन्तर्गत परिशिष्ट I के उद्योगों में और निर्यात प्रधान उद्यमों के इक्विटी शेयरों में, वापस लौटाने के अधिकारों के साथ 74 प्रतिशत तक पूंजी लगाने की अनुमति दी गई है।

खाड़ी के देशों में बैंकों की शाखायें खोलना

1720. **श्री ए ए. रहीम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'ओपेक' के सदस्य देशों में सरकारी क्षेत्र के कितने बैंकों की शाखायें हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन देशों में कार्य कर रहे भारतीयों से निवेश करवाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) क्या खाड़ी के देशों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखायें खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव है।

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) सरकारी क्षेत्र के केवल एक बैंक, अर्थात् बैंक आफ बड़ौदा की संयुक्त अरब अमीरात में 8 शाखाएं हैं।

(ख) विदेशों से व्यक्तिगत प्रेषणाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गयी हैं :—

(1) अनिवासी (विदेशी) खाता योजना

(2) विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना।

(3) विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा अनिवासी भारतीयों को प्रत्यावर्तन विकल्प के साथ, नई भारतीय कम्पनियों के नए इक्विटी शेयरों में 20 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति देने की योजना।

(4) विदेशों में भारतीय मूल के व्यक्तियों तथा अनिवासी भारतीयों को प्रत्यावर्तन विकल्प के साथ कुछ औद्योगिक उपक्रमों में 74 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति देने की योजना।

(5) ट्रैक्टर, सीमेंट तथा स्कूटर के आयात के संबन्ध में उन व्यक्तियों को प्राथमिकता देने की योजना जो सममूल्य की विदेशी मुद्रा अपने विदेश में बसे रिश्तेदारों से प्राप्त करते हों।

(6) अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों को अपने साथ लाई गयी विदेशी मुद्रा की 25 प्रतिशत राशि को अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए काम में लाने की अनुमति देने की एक योजना।

(ग) इस समय खाड़ी के देशों में शाखा खोलने का सरकारी क्षेत्र के किसी भी भारतीय बैंक का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल में पर्यटन का विकास

1721. **श्री ए. ए. रहीम** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि केरल जाने वाले पर्यटकों की संख्या कम होती जा रही है और वहां का समुद्रतटीय स्थान कोवलम भी अपेक्षाकृत कम पर्यटकों को ही आकर्षित कर पाया है;

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केरल को भारत का उद्यान राज्य कहा जाता है, केरल में पर्यटकों के विकास के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या अपने ही देश के पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में सामान्य दरों वाले होटलों से निर्माण किये जाने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जहां तक विदेशी पर्यटकों का सम्बन्ध है, आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर संकलित किए जाते हैं, न कि राज्य अवस्थिति-आधार पर, इसलिए किसी एक खास स्थान या राज्य की ओर यातायात की प्रवृत्ति का उल्लेख करना सम्भव नहीं है। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कोवलम में अपने

समुद्र-तट बिहार-स्थल के बारे में संकलित की गई सूचना के अनुसार, यह कहा जा सकता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विहार-स्थल की सुविधाओं का उपयोग करने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:—

पर्यटक	1977-78	7978-79	1979-80
भारतीय	44 8	6797	8446
विदेशी	5661	7706	7515
जोड़	10139	14503	15961

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने केरल में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए विविध प्रकार की प्रचार-सामग्री प्रकाशित कराई है जिसमें फोल्डर्स, वाशर्स पोस्टर्स, सूचनाप्रद निर्देशिकाएं और फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा केरल सम्बन्धी पर्यटन का विदेशों में संवर्धन करने हेतु विदेशों की पर्यटक मार्केटों से मीडियम प्रतिनिधियों और यात्रा अभिकर्ताओं को समय-समय पर केरल की यात्रा करने हेतु भी आमन्त्रित किया जाता है ताकि वे केरल की आंखो देखी जानकारी प्राप्त कर सकें।

(ग) कोवलम में अपने मौजूदा 128 कमरों के आवास के अलावा, भारत पर्यटन विकास निगम ने छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान कोवीन में 75 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 3-स्टार के 50 कमरों वाले एक होटल निर्माण की परिकल्पना की है। केरल पर्यटन विकास निगम (के. टी. डी. सी.) कोवलम में स्वदेशी पर्यटकों के लिए मध्यम मूल्य-दर वाले एक होटल का पहले से ही निर्माण कर रही है और मितव्ययी पर्यटकों के लिए त्रिवेन्द्रम, कन्नानूर, त्रिचुर, कोचीन और बरकला में होटल स्थापित करने का उसका प्रस्ताव है; के. टी. डी. सी. पानमुडी, गुरूवायूर और थकाडी में मध्य मूल्य-दर वाली आवास व्यवस्था का भी संचालन करती है।

मोटर गाड़ियों (आटोमोबाइल) के निर्यात में कमी

1722. **श्री ए. ए. रहीम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी देशों को मोटर गाड़ियों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जन में भारी कमी आई है; और

(ख) मोटर गाड़ियों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : अफ्रीकी देशों को मोटर गाड़ियों के निर्यात से विदेशी मुद्रा आय में कोई कमी नहीं आई है। तथापि, इंजीनियरी माल, जिसमें मोटर गाड़ियां भी शामिल हैं, के निर्यात बढ़ाने के लिए संवर्धनात्मक उपाय किये जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं : अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना, व्यापार प्रतिनिधि मंडलों का प्रायोजन, समाचार-पत्र माध्यम से प्रचार करना, अधिकारियों/व्यवसायियों को भारत यात्रा के लिए आमन्त्रित करना और भारतीय इंजीनियरी माल, जिसमें मोटर गाड़ियां भी शामिल है, खरीदने के लिए ऋण व्यवस्था में विस्तार करना।

नई दिल्ली में हथकरघा मंत्रियों की बैठक

1723. **श्री के. ए. राजन :**

श्री पी. के. कोडियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों संघ क्षेत्रों के हथकरघा से सम्बन्धित मंत्रियों की एक बैठक नई दिल्ली में 12 नवम्बर, 1980 को बुलाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक का परिणाम क्या रहा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं ।

(ख) हथकरघा उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं, विशेष रूप से धागे की सप्लाई की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए राज्य हथकरघा मंत्रियों की 12 नवम्बर, 1980 को एक बैठक हुई । केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने बैठक का उद्घाटन किया। वाणिज्य राज्य मंत्री श्री खुरशीद आलम खां ने बैठक की अध्यक्षता की।

20 राज्यों से आये हथकरघा मंत्रियों तथा प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया, इस बैठक ने भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। विचार विमर्श धागे की सप्लाई, ऋण कर उपलब्धता तथा विपणन की समस्याओं तक केन्द्रित रहे। इस बैठक में हुए मुख्य निष्कर्ष निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) हथकरघा क्षेत्र को यार्न की सप्लाई की समस्या का हल केवल बुनकरों को सहकारी समितियों अथवा हथकरघा विकास निगमों के अन्तर्गत संगठित करके तथा मिलों से सीधे यार्न प्राप्त करके शीघ्र सहकारी समितियों तथा निगमों द्वारा यार्न के वितरण का प्रबन्ध करके किया जा सकता है । भारत सरकार ने बुनकरों से यार्न की 23,000 गांठें उपलब्ध कराने के लिए इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन के साथ पहले ही प्रबन्ध कर दिया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम मिलों से यार्न की समुचित सप्लाई प्राप्त करने में राज्य स्तर की ऐजेंसियों की भी सहायता करेगा ।

(2) हथकरघों के विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित समन्वय करने की आवश्यकता है । हथकरघा विकास से सम्बन्धित विभागों के कार्यकलापों के समन्वय के लिए राज्य सरकारें मंत्रिमण्डल समिति स्थापित करने के बारे में विचार कर सकती है; ऐसी समिति में हथकरघा, वस्त्र, सहकारिता तथा उद्योग के कार्य प्रभारी मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है ।

(3) हथकरघा कपड़े की अधिक मात्रा में सरकारी खरीद हथकरघा उद्योग के लिए विपणन सहायता का प्रमुख स्रोत है । परिवहन निगमों, अस्पतालों आदि जैसे राज्य सरकार के विभागों को अपनी कुल आवश्यकताओं के लिए हथकरघा शीर्ष विपणन समितियों तथा निगमों से हथकरघा कपड़े की खरीद करनी चाहिए । जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की मार्फत की गई खरीदारियों को सरल तथा कारगर बनाया जा सकता है ताकि राज्य हथकरघा सहकारी समितियों व निगमों से अधिक खरीदारियां की जा सकें ।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क के अधिकारियों द्वारा लोगों के प्रति किया जाने वाला व्यवहार

1724. **श्री के. ए. राजन** . क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर वहां के सीमाशुल्क कर्मचारियों द्वारा खाड़ी के देशों से आने वाले लोगों के प्रति जो व्यवहार दिखाया जाता है वह ठीक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मामले की छानबीन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि यात्रियों को व्यर्थ में ही परेशान न किया जाए।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) : सीमा-शुल्क समाहर्ता, कोचीन ने यह रिपोर्ट दी है कि खाड़ी के देशों से आकर त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर उतरने वाले यात्रियों के साथ यथोचित शिष्ट व्यवहार किया जाता है और उनकी निकासी शीघ्र की जाती है। यात्रियों की निकासी को सुगम बनाने के लिए अनेक उपाय किये गए हैं जिनमें वे शामिल हैं :—सामान नियमों को युक्तियुक्त और पर्याप्त उदार बनाना, पर्यवेक्षी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना और यात्रियों की दिक्कतों को शीघ्र तथा मौके पर दूर करने के लिए हवाई अड्डे पर सहायक समाहर्ता के ओहदे के अधिकारियों की तैनाती करना। यात्रियों के सामान पर सीमा-शुल्क लगाने की एक नई योजना भी दिनांक 15 जुलाई 1980 से लागू की गई है ताकि लम्बे समय तक चलने वाली न्याय-निर्णयन की कार्यवाही से बचा जा सके। प्राप्त हुई शिकायतों अथवा रिपोर्टों तथा मौजूदा पर्यवेक्षी नियंत्रण को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा यात्रियों के प्रति किया जाने वाला व्यवहार संतोषजनक नहीं ।

राष्ट्रीय बैंकों द्वारा सबसे बड़े दस औद्योगिक गुटों को दिया गया ऋण

1725. **श्री निरेन घोष** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इस वर्ष सबसे बड़े 10 औद्योगिक घरानों को कुल कितने ऋण दिये गये;

(ख) इस वर्ष 8 लघु क्षेत्र उद्योगों को कुल कितने ऋण दिये गये; और

(ग) छोटे मध्यम, सीमान्त तथा निर्धन किसानों को कितने ऋण दिये गये ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) बैंक किसी वर्ष विशेष में दिये गए अग्रिमों के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं रखते। इसलिए किसी विशेष तारीख को बकाया राशियों के संदर्भ में ही सूचना देना सम्भव है। दिसम्बर 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम. आर. टी. पी.) अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत 10 सबसे बड़े औद्योगिक घरानों (1978 में उनकी परिसम्पत्ति के आकार के अनुसार वर्गीकृत) को सरकारी क्षेत्र के बैंकों (20 राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों) द्वारा दिये गए अग्रिमों की कुल बकाया राशि लगभग 691 72 करोड़ रुपये थी

(ख) और (ग) : दिसम्बर, 1979 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा लघु उद्योग को दिये गए तथा मार्च, 1979 की स्थिति के अनुसार छोटे और सीमान्तिक किसानों को दिये गए अग्रिमों की कुल बकाया राशि क्रमशः 2335 करोड़ रुपये तथा 50626 करोड़ रुपये थी।

क्रेडिट विस्तार

1726. श्री निरेन घोष : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अब तक क्रेडिस्ट विस्तार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितना; और

(ग) गत वर्ष और इस वर्ष अक्तूबर तक महीने वार परिचलित धन की कुल राशि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) : एक नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 28 मार्च से 31 अक्तूबर, 1980 के बीच बैंक ऋण (क्रेडिट) में 1091 करोड़ रुपये (+5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, परन्तु यह पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुई 1783 करोड़ रुपये (+9.8 प्रतिशत) की वृद्धि से काफी कम थी।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अक्तूबर, 1980 तक प्रत्येक महीने के अन्तिम शुक्रवार तथा पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में जनता के पास उपलब्ध मुद्रा की राशियों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जनता के पास उपलब्ध मुद्रा

निम्नलिखित के अंतिम शुक्रवार को	1979- 0	(करोड़ रुपए) 1980-81
अप्रैल	22027	24928
मई	22511	24788
जून	23324	24180
जुलाई	23186	23718
अगस्त	22833	23670
सितम्बर	22950	23415
अक्तूबर	23457	22599

राजस्थान में पर्यटन का विकास

1727. **श्री अशोक गहलोत** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिये एक योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान में, वहां पर पर्यटन सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए, कोई अध्ययन दल भेजा था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है और क्या सरकार इस पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) सभी राज्य सरकारों

से अनुरोध किया गया है कि वे यात्रा परिपथ सम्बन्धी संकल्पना के आधार पर और पर्यटक केन्द्रों के विकास में प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए पर्यटन विकास की एक 10 वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करें। विकास सम्बन्धी एक समन्वित कार्यक्रम तैयार करने के लिए राजस्थान सरकार से इसी प्रकार की एक योजना की अभी प्रतीक्षा है।

(ख) राजस्थान की पर्यटन सम्भाव्यता का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए मई, 1976 में एक सर्वेक्षण दल गठित किया गया था।

(ग) सर्वेक्षण दल ने नवम्बर, 1976 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया था, क्योंकि अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई करना अपेक्षित था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जोधपुर के लिए बोइंग विमान सेवा

1728. **श्री अशोक गहलोत : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उद्योगों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर के लिए बोइंग विमान सेवा आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक आरंभ किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं; फिलहाल नहीं।

(ग) जोधपुर के लिए सप्ताह में तीन बार की वर्तमान एव.एस.-748 सेवा यातायात की मांग की पर्याप्त रूप से पूर्ति करती है। जब भी इस सैक्टर पर यातायात में सुधार हो जाएगा तथा वहां बोइंग-737 सेवा का परिचालन करना वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य हो जाएगा, इंडियन एयरलाइंस ऐसी सेवा चालू करने पर विचार करेगी।

बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन कम होना

1729. **श्री जनार्दन पुजारी :**

श्री आर. प्रभू :

श्री आर. एल. भाटिया : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में ८ प्रतिशत की कमी होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले कुछ वर्षों से विक्रेय इस्पात के उत्पादन में उत्तरोत्तर कमी हुई है। चालू वर्ष के पिछले 7 महीनों में भी गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में विक्रेय इस्पात के उत्पादन में लगभग 5 प्रतिशत की कमी हुई है। कोककर कोयले तथा बिजली जैसे मुख्य आदानों की सप्लाई में लगातार कठिनाइयों के कारण चालू वर्ष में उत्पादन के रुख में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करना सम्भव नहीं हुआ है।

(ख) उत्पादन में कमी मुख्य रूप से कोककर कोयले की अपर्याप्त सप्लाई तथा बिजली की आपूर्ति पर लगे प्रतिबन्धों के कारण हुई है। सेल के कारखानों में विक्रेय इस्पात का इष्टतम उत्पादन करने के लिए किए गए/किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गये हैं—

(1) कोककर कोयले की देशीय आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए वर्ष 1978-79 में 12 लाख टन कोककर कोयले का आयात किया गया था। कोयले की समस्त मात्रा अगस्त/सितम्बर, 1980 तक प्राप्त हो गई है। इस वर्ष के दौरान 5 लाख टन कोककर कोयला और आयात करने के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है तथा सप्लाई आनी शुरू हो गई है। सेल ने 10 लाख टन कोककर कोयला और आयात करने के लिए भी विश्व आधार पर निविदाएँ आमंत्रित की हैं।

(2) इस्पात कारखानों की रक्षित विद्युत-उत्पादन इकाईयों से अधिकाधिक बिजली पैदा की जा रही है।

(3) दीर्घकालिक उपाय के रूप में बोकारो तथा दुर्गापुर की वर्तमान रक्षित विद्युत उत्पादन क्षमता में क्रमशः 180 मेगावाट तथा 120 मेगावाट की वृद्धि की जा रही है।

(4) कोयले और बिजली के साथ-साथ अन्य आवश्यक आदानों की वास्तविक सप्लाई पर विभिन्न स्तरों पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है। कोककर कोयले तथा बिजली की अधिकाधिक सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए इन आदानों की सप्लाई करने वाले अभिकरणों के साथ निकट तथा सतत् सम्पर्क रखा जा रहा है।

लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्रों के निपटान की समय प्रणाली

1730. **श्री जर्नादन पुजारी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार लाइसेंस आवेदन-पत्रों के निपटान की समयबद्ध प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) यह प्रणाली 1 नवम्बर, 1980 से लागू की गई है। इस प्रणाली के अन्तंगत आवश्यक रूपों में पूर्ण पाये गये निर्यात आवेदन पत्रों के निपटान के लिए निम्नलिखित समय सीमा निर्धारित की गई हैं—

आवेदन-पत्र की श्रेणी	निर्धारित समय
1. वास्तविक प्रयोक्ता आटोमेटिक लाइसेंसों के लिए	30 दिन
2. वास्तविक प्रयोक्ता अनुपूरक लाइसेंसों के लिये	45 दिन
3. आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के लिए, जिसमें अग्रिम/अग्रदाय लाइसेंस शामिल हैं।	45 दिन

4.	10 लाख रु तक के (अथवा आर.ई.पी. लाइसेंसों के आधार पर आयात हेतु विनिर्माता निर्यातकों के लिए 15 लाख रुपये) पूंजीगत माल लाइसेंसों के लिए।	60 दिन	(प्रायोजक प्राधिकरण से अनिवार्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की तारीख से)

कर अपवंचन वाले व्यक्ति

1731. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम तथा ब्यौरे क्या हैं जिन पर 1976-77 से 1980-81 (अक्तूबर, 1980 तक) की अवधि में आयकर तथा निगम कर अपवंचन के आरोप लगाये गए;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी राशि का अपवंचन हुआ; और

(ग) कर अपवंचन के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाई की गई है तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) आयकर विभाग द्वारा प्रति वर्ष कर-अपवचन के अनेक मामलों का पता लगाया जाता है। कर-अपवंचन के इन मामलों का पता विभाग अपनी विभिन्न कार्यवाहियों के जरिये लगाता है, जैसे लेखों की जांच-पड़ताल करना, कर-अपवंचन के विशिष्ट आरोपों में जांच पड़ताल करना, सर्वेक्षण करना तलाशियां लेना, सूचना एकत्र करना तथा उसे सम्बन्धित अधिकारियों/विभागों को सूचित करना आदि। देश भर में फैले कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा इन मामलों पर विचार किया जाता है। पिछले चार वर्षों में और चालू वर्ष में अक्तूबर 1980 तक कर अपवंचन के जिन मामलों का पता लगाया गया, उनमें से प्रत्येक मामले में किए गए कर-अपवंचन की मात्रा तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने में अत्यधिक समय और श्रम लगेगा। तथापि, अब तक संकलित की गई सूचना के आधार पर, वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान जिन मामलों में आय छिपाने के कारण अर्थदण्ड लगाया गया था, उनकी संख्या सम्बन्धित छिपाई गई आय और लगाये गए अर्थदण्ड की कुल रकम निम्नानुसार है :—

वर्ष	मामलों की सं०	छिपाई गई आय (करोड़ रु. में)	अर्थदण्ड की रकम (करोड़ रु. में)
1976-77	6,986	13.21	12.57
1977-78	8,613	13.81	13.06
1978-79	28,776	14.96	11.99

आयातित चीनी की मात्रा और मूल्य

1732. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में आयतित चीनी की मात्रा और कीमत कितनी है;

(ख) इस एजेंसियों के नाम और विवरण क्या हैं जिनसे चीनी खरीदी गई है;

(ग) उन एजेंसियों नाम और विवरण क्या है जिन : चीनी का आयात किया गया है;

और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार और देश में चीनी का प्रतिक्विंटल मूल्य कितना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) चालू वर्ष में 93. 2 करोड़ रु० मूल्य की 1,80 245 मे० टन चीनी का आयात किया गया था।

(ख) तथा (ग) भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा की गई संविदा के अन्तर्गत एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कम्पनी मैसर्स ई डी एण्ड एफ मान शुगर लि० से चीनी खरीदी गई थी।

(घ) विभिन्न वस्तु बाजार में जहां चीनी का व्यापार किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भावों में, प्रति दिन और विभिन्न पोतलदान की अवधियों में कभी-कभी अत्यधिक उतार-चढ़ाव होता है।

शिवकाशी के हस्त निर्मित दियासलाई लघु एककों से उत्पादन शुल्क की वसूली

1733. **श्री के. राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान शिवकाशी में और उसके आस-पास स्थित 1,000 के लगभग हस्तनिर्मित दियासलाई लघु एककों से कितना उत्पादन शुल्क वसूल किया गया; और

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान वसूल किये गये उत्पादन शुल्क की राशि का मिलान इन एककों के वार्षिक उत्पादन से करने का कोई प्रयास किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) पिछले तीन वित्त वर्षों के लिए, शिवकाशी में तथा उसके इर्द-गिर्द लघु माचिस-एककों से एकत्र किया गया उत्पाद शुल्क निम्नानुसार है :—

अवधि	रकम (हजार रुपयों में)
1977-78	10,257
1978-79	23,276
1979-80	21,079

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, निर्माताओं के उत्पादन और उनके द्वारा की जाने वाली निकासियों पर निगरानी रखता है, ताकि वे गैर-शुल्क-प्रदत्त माचिसों को चोरी-छिपे नहीं हटा पायें।

सोवियत रूस द्वारा कच्चे पटसन की खरीद

1734. **श्री चित्त बसु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस ने चालू वर्ष के दौरान कच्चे जूट की भारी मात्रा में खरीद करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई अनुवर्ती कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हाँ तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) भारत से सोवियत संघ को कच्चे पटसन के निर्यात के लिये 1980 की व्यापार योजना में 4500 मे० टन की व्यवस्था है। सोवियत संघ के प्राधिकारियों के अनुरोध पर इस वर्ष सोवियत संघ द्वारा

कच्चे पटसन की 2000 मे० टन की अतिरिक्त मात्रा की खरीद के लिये हम सहमत हो गये हैं। अब तक कच्चे पटसन के 6300 में. टन के निर्यात के लिए संविदाएं संपन्न हो गई हैं।

काला धन

1735. **श्री चित्त बसु :**

श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काले धन के बढ़ते हुये खतरे का मुकाबला करने के लिये अपनी नीति तैयार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) काले धन के खिलाफ लड़ाई एक सतत प्रक्रिया है और काले-धन की वृद्धि को रोकने के लिये दीर्घकालीन और प्रभावशाली प्रयासों के रूप में कोई भी योजना एकल अथवा सदा के लिये अपनाई जाने वाली नीति का विकल्प नहीं बन सकती। सरकार ने, कर-अपवचन तथा काले-धन की वृद्धि को रोकने के लिये समय-समय पर अनेक वैधानिक उपाय किये हैं। प्रशासनिक और जांच-तंत्र को मजबूत करके वैधानिक उपायों को सुदृढ़ किया गया है। सरकार, कर कानूनों को और अधिक प्रभाव ढंग से लागू करने की बहुविध कार्यवाही के माध्यम से तथा जमाखोरी और मुनाफाखोरी के विरुद्ध अभियान प्रारम्भ करके काले-धन में वृद्धि को रोकने का प्रस्ताव करती है। सरकार द्वारा हाल ही में किये गये/किये जा रहे उपायों में से कुछ उपाय निम्नानुसार हैं :—

1. निरीक्षण निदेशकों/आयकर आयुक्तों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत तलाशी लेने और माल पकड़ने से सम्बन्धित शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। हाल ही में उप निरीक्षण निदेशकों और निरीक्षी सहायक आयुक्तों को भी ये शक्तियां प्रदान की गई हैं।

2. जिन व्यक्तियों के पास कर लगने योग्य आय/धन तो है परन्तु कर अदा नहीं कर रहे हैं, उनका पता लगाने के लिये और मौजूदा कर-दाताओं के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने के लिये आयकर विभाग द्वारा सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य और तेजकर दिए गए हैं तथा सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य निरन्तर करते रहने के लिये अब एक स्थायी संगठन बनाया जा रहा है।

3. नितांत गुप्त सूचना एकत्र करने के लिये एक संगठन स्थापित करने का निर्णय किया गया है। संगठन का उपयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे मामलों की फाइलें (डोजियर) तैयार करने के लिये भी किया जायेगा जिनमें बड़े पैमाने पर कर-अपवंचन अन्तर्ग्रस्त हो, ताकि उनमें निहित सूचना का उपयोग अपेक्षित जांच-पड़ताल करने में किया जा सके, जिसमें तलाशी लेने और माल पकड़ने से सम्बन्धित कार्यवाही भी शामिल है।

4. जिन मामलों में कर अपराध के लिये दोष-सिद्धि के तुरन्त बाद कर-अपवंचन प्रमाणित हो जाता है, उनका अनेक माध्यमों से प्रचार करने के लिये भी हाल ही में निर्णय लिया गया है। यह इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार करने से अन्य कर-अपवंचकों के मन में भय उत्पन्न हो जाये जिससे वे अपवचन करने की जरूरत न कर सकें।

आय-कर विभाग द्वारा चलाए गए मुकदमों का काम हाथ में लेने वाले संगठन में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जा रही है।

राजस्थान में खनिजों का सर्वेक्षण

1736. **श्री भोखा भाई** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बाँसवाड़ा और डुंगरपुर जिलों में पहाड़ी क्षेत्रों में खनिज सम्पत्ति का गहन सर्वेक्षण अब तक न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सैलखड़ी के अतिरिक्त वहाँ संगमरमर-पत्थर तथा चूना-पत्थर के विपुल भंडार हैं;

(ग) यदि हां तो दोनों जिलों में अब तक संगमरमर के खनन के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(घ) क्या चूना-पत्थर का सर्वेक्षण अलग से कराया गया है;

(ङ) क्या यह सच है कि वहाँ उपलब्ध चूना पत्थर प्रत्येक जिले में दो सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं; और

(च) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग अथवा राज्य सरकार के खनिज विभाग ने इस संबन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा राजस्थान सरकार के खान और भूतत्व विभाग द्वारा राजस्थान के बाँसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों के अनेक क्षेत्रों में विस्तृत खनिज सर्वेक्षण किए गए हैं।

(ख) राजस्थान के डूंगरपुर और बाँसवाड़ा जिलों में चूना-पत्थर के क्रमशः लगभग 300 लाख टन और 500 लाख टन भंडार होने का अनुमान है। लेकिन, इन जिलों में संगमरमर के कोई महत्वपूर्ण भंडार नहीं मिले हैं।

(ग) बांसवाड़ा जिले में गत तीन वर्षों के दौरान संगमरमर निकालने के लिए विद्यमान खनिज पट्टों की संख्या नीचे दी गई है :

197 -78	1978-79	1980
5	16	18

डूंगरपुर जिले में उपर्युक्त अवधि में संगमरमर के लिए कोई खनिज पट्टा नहीं था।

(घ) और (च) जी हां।

(ङ) इन क्षेत्रों में आर्थिक रूप से उपयोगी आकार के सीमेंट कारखाने स्थापित करने के लिए चूना-पत्थर के उपादेय भंडारों की पुष्टि के लिए और अधिक विस्तृत गवेषण किए जाने की आवश्यकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

1737. **श्री भोखा भाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के वित्त मंत्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से विकासशील देशों को ऋण देने के क्या निदेशात्मक सिद्धान्त तय किए गए हैं;

(ख) क्या विभिन्न गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों को ब्याज मुक्त ऋण देने का मामला भारत द्वारा उठाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री आर वेंकटरामन) : (क) राष्ट्रमंडल के देशों के वित्त मंत्रियों की

24/25 सितम्बर, 1980 को बरमूला में हुई बैठक में मन्त्रियों ने यह सिफारिश की थी कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को छोटी अर्थव्यवस्थाओं की और सबसे कम विकसित देशों की भुगतान शेष संबंधी समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के संबन्ध में गवर्नरों के बोर्ड की 28 सितम्बर, 1980 को वाशिंगटन में हुई अन्तरिम समिति की बैठक में सदस्य देशों को भुगतान शेष से सबन्धित गंभीर समस्याओं पर विचार किया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने साधनों को बढ़ाने के लिए अन्शदान बढ़ाने के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कोष की भूमिका की प्रशंसा की गई। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को विकासशील देशों का ऋण देने के संबन्ध में कोई निर्देशक सिद्धान्त निर्धारित नहीं किए गए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सल्फर के निर्यात पर रोक

1738. **श्री भीखा भाई** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश से सल्फर के निर्यात को पूर्णत: बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हा, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इसकी कमी का अनुमान लगाने में समर्थ नहीं है जिसके परिणाम-स्वरूप इसका निर्यात बन्द करना पड़ा;

(घ) क्या सरकार सल्फर के उत्पादन के अतिरिक्त स्रोत का पता लगाने में असफल रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सल्फर के निर्यात को बन्द करने के क्या कारण हैं;

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) देश में प्राकृतिक गंधक का कोई भी अभिज्ञात स्रोत नहीं है और हमारी सम्पूर्ण आवश्यकताएं आयातों के जरिये पूरी की जाती है। फलत: इस मद के निर्यात की अनुमति देने में कोई औचित्य नहीं होगा।

(घ) तथा (ङ) : देश में गंधक के विक्षेपों का पता लगाने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को रियायतें

1739. **श्री भीखा भाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एफ. एफ के अन्तर्गत उन सरकारी कर्मचारियों को रियायत देने का प्रावधान है जिनकी कुल आय केवल 8,000 रुपये प्रति वर्ष है;

(ख) यदि हां, तो आयकर उद्देश्यों के लिए कुल आय की सीमा को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिए जाने पर भी इसमें संशोधन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसमें भविष्य में कोई संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 एफ. एफ. में संशोधन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ङ) : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 च च के अधीन, जिन भारतीय नागरिकों की सकल कुल आय 12,000/-रु. से अधिक नहीं थी वे कतिपय मामलों में उच्च शिक्षा पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में एक निर्दिष्ट कटौती के हकदार थे। छूट सीमा को 10,000/-रु. से बढ़ाकर 12,000/-रु. कर दिये जाने से, यह उपबन्ध निरर्थक हो गया और तदनुसार वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम 1980 के जरिये इसे रद्द कर दिया गया है। यह 1 अप्रैल 1981 से लागू होगा। इस समय, धारा 80 च च के उपबंधों के संशोधन के लिए सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक देश में पर्यटन केन्द्र

1741 **श्री सी. चिन्नास्वामी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी पर्यटन अधिकारी विदेशों में दूर-दूर पर तैनात हैं और बहुत कम विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर पाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सारे विश्व में प्रति 250 पर्यटकों में से केवल एक व्यक्ति ही भारत का भ्रमण करता है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने हमारे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक देश में पर्यटन केन्द्रों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं। विदेशों में ऐसे नगरों और देशों में जहां से भारत की ओर पर्यटक यातायात के संवर्धन की अधिकतम संभावनाएं हैं, केन्द्रीय पर्यटन विभाग के 18 पर्यटक कार्यालय हैं। ये कार्यालय यू.एस.ए., कनेडा यू.के., कान्टिनेंटल यूरोप, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया और कुवैत में अवस्थित हैं। इनके अतिरिक्त यू.एस.ए., आस्ट्रेलिया, ईरान और जापान में पर्यटन की दृष्टि से लाभप्रद स्थलों पर सात अधिकारी भी तैनात किये गए हैं। भारत की ओर पर्यटक यातायात में, विश्व-स्तर पर 5.8 प्रतिशत की औसत की तुलना में, 1969-79 के दशक के दौरान 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। 1979 में भारत में पर्यटकों का औसत प्रवास 25.6 दिन रहा, जबकि विश्व-स्तर पर चार से छः दिन का औसत था। वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, 1969-79 की दस वर्ष की अवधि के दौरान पर्यटक यातायात 1969 में 244, 721 से बढ़ कर 1979 में 764,781 हो गया और इस तरह तीन गुणा से अधिक की वृद्धि हुई। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि भारत की ओर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में विदेश स्थित पर्यटन कार्यालय अपर्याप्त रूप से प्रभावी रहे। विदेश स्थित विभिन्न पर्यटक कार्यालयों की अवस्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारत में विदेशी पर्यटक के आगमन और विश्व-व्यापी पर्यटकों की यात्रा का अनुपात 1979 में 1: 353 था।

(ग) जब कभी भी आवश्यकता होती है, विदेशों में पर्यटक कार्यालय खोले जाते हैं, जिसके

लिये मूल रूप से मानदंड यही है कि प्रमुख देश से भारत की ओर पर्यटक यातायात को बढ़ाने की कितनी संभाव्यता है।

भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों की विदेशों में अवस्थिति दर्शाने वाला विवरण

विदेशों से पर्यटक यातायात का संवर्धन करने के लिए, विभिन्न देशों में भारत सरकार के 18 पर्यटक कार्यालय खोले गए हैं, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :—

क्रम संख्या	पर्यटक कार्यालय	कार्यक्षेत्र
1.	न्यूयार्क	यू. एस. ए., लैटिन अमरीका कनेडा और करेबीयन द्वीपसमूह
2.	लास एन्जेल्स	
3.	शिकागो	
4.	टोरांटो	
5.	लंदन	यू. के. और आयर
6.	जनेवा	कान्टिनेन्टल यूरोप
7.	पैरिस	
8.	फ्रैंकफर्ट	
9.	स्टाकहोम	
10.	ब्रुसैल्ज	
11.	मिलान	
12.	वीयाना	
13.	टोकियो	जापान, फिलीपीन,हांगकांग और थाईलैंड
14.	बैंकाक	
15.	सिडनी	आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी द्वीपसमूह, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया
16.	सिंगापुर	
17.	पर्थ	
18.	कुवैत	पश्चिम एशिया

सात अधिकारी यू. एस. ए. के अन्तर्गत वाशिंगटन, मियामी, डैल्लास, सान फ्रांसिस्को में आस्ट्रेलिया के अन्तर्गत मेलब्रोर्न में, ईरान के अन्तर्गत तेहरान में और जापान के अन्तर्गत ओसाका में तैनात हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयले की सप्लाई

1742. श्री के.पी. सिंह देव : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के उसकी 200 एम.वी.ए. की न्यूनतम आवश्यकता के मुकाबले केवल 110 एन.वी.ए. कोयला ही सप्लाई किया जा रहा है;

(ख) : क्या यह भी सच है कि अगस्त, 1980 के पहले पखवाड़े में इस्पात संयंत्र को 50 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और उसके उपकरणों की क्षति पहुँचने का खतरा है; और

(ग) : यदि हाँ, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) संभवत: प्रश्न का सम्बन्ध कोयले से न होकर वास्तव में बिजली की आपूर्ति से है। दामोदर घाटी निगम से बोकारो

इस्पात कारखाने के लिये 145 एम.वी.ए. बिजली देने का करार है और निरन्तर आधार पर न्यूनतम आवश्यकता 110 एम.वी.ए. की है। इसकी तुलना में अप्रैल से अक्तूबर, 1980 के दौरान 90 प्रतिशत या उससे अधिक समय तक दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली लेने पर लगाए गए प्रतिबन्ध 5 से 100 एम.वी.ए. तक थे।

(ख) : बोकारो जैसे इस्पात कारखाने के एकीकृत परिचालन में कोयले, बिजली आदि की कमी से इसके परिचालन में सामूहिक प्रभाव पड़ता है तथा उत्पादन में कमी होती है। अनुमान है कि अगस्त, 1980 के पहले पखवाड़े में केवल बिजली की कमी के कारण विक्रेय इस्पात के उत्पादन में हुई सांकेतिक हानि 18,000 टन है जिसका मूल्य 5.4 करोड़ रुपये बैठता है। जहां तक बिजली की अपर्याप्त अथवा रुक-रुक कर मिलने वाली सप्लाई से उपस्करों को हुई क्षति का प्रश्न है, यह सच है कि मोटरों के ठीक ढग से कार्य करने की क्षमता की अवधि ड्राइववाइंडिंग आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ग) : बोकारो इस्पात कारखाने के लिए बिजली की स्थिति में सुधार करने हेतु किए गये/किये जा रहे उपायों में इसके बिजली पैदा करने के अपने संयंत्र से अधिकाधिक बिजली पैदा करना, आदान सप्लाई करने वाले अभिकरणों से निकट तथा संतत सम्पर्क करना और बिजली की उपलब्धि के बारे में विभिन्न स्तरों पर स्थिति पर नियमित रूप से नजर रखना तथा बोकारो में विद्युत उत्पादन की अतिरिक्त रक्षित क्षमता की व्यवस्था करना शामिल है।

एक राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारियों को मुअत्तिल करना

1743. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :**

श्री माधवराव सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसा कि 17 अक्तूबर, 1980 के टाइम्स आफ इण्डिया, नई दिल्ली में प्रकाशित हुआ है कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक के आधे दर्जन से अधिक कर्मचारियों को कई लाख रुपयों के गबन करने तथा बड़े पैमाने पर बैंक के रिकार्ड में अनियमितताएं करने के कारण मुअत्तिल कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गिरोह (रैकट) का ब्योरा क्या है और उसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) इसमें शामिल व्यक्तियों का ब्योरा क्या है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट): (क) से (ग) अनुमान है कि यह प्रश्न पंजाब नेशनल बैंक की नया बाजार शाखा की निधियों के तथाकथित गबन से संबंधित है। यदि ऐसा ही है, तो यह उल्लेखनीय है कि इस संबंध में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा पायर शिकायत के आधार पर, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पंजाब नेशनल बैंक के तीन कर्मचारियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है तथा जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है। पूरा ब्योरा, केवल जांच पूरी होने पर ही ज्ञात हो सकेगा। इस बीच, बैंक ने अपने उन सात कर्मचारियों को, जिनके उक्त गबन में शामिल होने का आरोप हैं, मुअत्तिल कर दिया है।

दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तांबा और जिंक की उपलब्धता

1744. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूगर्भीय ने अपने हाल के प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया है कि दार्जिलिंग में पैंडोंग पेशाक, गारुबदल से पश्चिम बंगाल में और सिक्किम में रांगपो से मानवांग तक भारी मात्रा में तांबा और जिंक उपलब्ध है; और

(ख) इन खानों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जिन निक्षेपों का पता लगाया है, वे हैं—(1) गोरुबाथन सीसा-जस्ता निक्षेप, जिसके मलखोत्रा और डेलिंग चू खंडों में 4.01% सीसा और 4.23% जस्ता वाले 2.79 मिलियन टन भंडार तथा दार्जिलिंग के पैंडोंग और पेशाक क्षेत्रों तथा सिक्किम के मांग में 2.5 किलोमीटर विस्तार में तांबा खनिजीकरण के संकेत (2) सिक्किम में रंगपो में टिटलांग में ममबांग तक भोटांग खान के तांबा-सीसा-जस्ता खनिजीकरण का पश्चिमी विस्तार। भोटांग के पश्चिमी विस्तार में 100 मीटर समानान्तर लम्बाई तथा 200 मीटर गहराई वाले खनिजीकरण की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 2.96 से 5 92 प्रतिशत तांबा-सीसी-जस्ता है। गोरुबाथन और भोटांग दोनों निक्षेप छोटे है। गोरुबाथन निक्षेप का खनन पट्टा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को मंजूर किया गया है, जिसके प्रोन्नत आधार पर गवेषण की स्कीम खनिज गवेषण निगम लिमिटेड ने हाल ही में सरकार को दी है, जो विचाराधीन है : इन क्षेत्रों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भी ड्रिलिंग और गवेषण कार्य जारी है। भारत सरकार और सिक्किम सरकार का सन् 1960 में गठित संयुक्त उपक्रम, सिक्किम खनन निगम रंगपो निक्षेप से सान्द्रों के खनन और उत्पादन के लिए जिम्मेदार है।

दार्जिलिंग जाने वाले विदेशी पर्यटकों पर लागू होने वाले विशेष प्रतिबन्धों को हटाया जाना

1745. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग जाने वाले विदेशी पर्यटकों पर कोई विशेष प्रतिबन्ध लागू होता है;

(ख) क्या इस प्रतिबन्ध को हटाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) भारत में सबसे ऊंचा पर्वतीय स्थान (हिल स्टेशन) दार्जिलिंग को जाने वाले पर्यटकों के लिए रेल सेवा और विमान सेवा तथा होटल सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या विशेष उपाय किये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) विदेशियों सम्बन्धी (प्रतिबन्धित क्षेत्र) आदेश 1963 दार्जिलिंग पर लागू है। तथापि, पर्यटन सम्वर्धन के हित को देखते हुए दार्जिलिंग में विदेशी पर्यटकों को 7 दिन तक के प्रवास के लिए उदारतापूर्वक परमिट दिए जाते हैं। जो विदेशी पर्यटक बागडोगरा तक और वहां से वापसी की यात्रा विमान द्वारा करते हैं, उन्हें परमिट के बगैर 15 दिन तक दार्जिलिंग की यात्रा करने की अनुमति दी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इण्डियन एयरलाइंस कलकत्ता और बागडोगरा के बीच, तथा दार्जिलिंग के लिए

सबसे समीप हवाई अड्डा है, एक दैनिक उड़ान का संचालन करती है। इस उड़ान द्वारा अन्य महानगरों से सुविधापूर्वक संपर्क स्थापित हो जाता है।

न्यू जलपाइगुड़ी एक रेल हैड है जो कि कलकत्ता और दिल्ली से रेल-सेवाओं द्वारा जुड़ा हुआ है। दार्जिलिंग न्यू जलपाइगुड़ी के साथ सड़क मार्ग द्वारा तथा एक नियमित छोटी लाइन वाली रेल-सेवा द्वारा जुड़ा हुआ है।

जहाँ तक आवास-सुविधाओं का सम्बन्ध है, चार पश्चिमी ढंग के होटल हैं जो केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित हैं। इनके अतिरिक्त, वहाँ भारतीय ढंग के कई होटल, पर्यटक लाज, आदि हैं। पर्यटन विभाग ने दार्जिलिंग में एक यूथ होस्टल का निर्माण किया है। यदि धनराशि उपलब्ध हुई तो अनन्तिम रूप से यह प्रस्तावित किया गया है कि दार्जिलिंग क्षेत्र में ट्रैकिंग सुविधाओं का विकास किया जाए।

पश्चिम बंगाल में कूच-बिहार हवाई अड्डे को फिर से खोला जाना

1746. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कूच-बिहार हवाई अड्डे को छोटे विमानों की उड़ान के लिए फिर खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो कूच-बिहार हवाई अड्डे को पुनः कब खोला जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) कूच-बिहार विमान क्षेत्र उन हवाई अड्डों में से एक है, जिन पर सरकार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तीसरी फीडर विमान सेवाएँ चालू करने के लिए विचार कर रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफी बागानों का विस्तार

1749. **श्री के. मालन्ना :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफी बागानों के विस्तार द्वारा उत्पादन सम्बन्धी सम्भावनाओं के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में काफी विकास के लिये आदिवासी मालिक उत्पादकों को भी प्रोत्साहन देने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) काफी बोर्ड द्वारा किए गए प्रारम्भिक सर्वेक्षणों के आधार पर देश में, जिसमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र भी शामिल है, काफी विस्तार के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई थी। 1995 तक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 36,000 हेक्टार भूमि को काफी के अंतर्गत लाने का विचार है और छठी योजना के दौरान इस क्षेत्र में 13,550 हेक्टार भूमि को काफी के अन्तर्गत लाने का विचार है। अब तक इस क्षेत्र में 1,860 हक्टार भूमि को काफी के अन्तर्गत लाया जा चुका है। काफी बोर्ड ने अब तक असम और नागालैंड में एक-एक काफी प्रदर्शन फार्म स्थापित किया है और छठी योजना के दौरान एक क्षेत्रीय काफी अनुसंधान केन्द्र व पाँच और काफी प्रदशन फार्म उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आरम्भ करने का विचार है। काफी विस्तार के लिए एक मानव-शक्ति विकास योजना

को भी छठी योजना में शामिल कर लिया गया है। खेती एवं अनुबंधी कार्यों के लिए श्रमिक आवश्यकता प्रति हेक्टार 3,25 व्यक्तियों की है और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में काफी विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगभग 45,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है।

(ग) उत्तर-पूर्वी राज्यों में आदिवासी मालिक-उपजकर्ताओं को काफी के विकास के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों एवं काफी बोर्ड द्वारा सभी सहायता दी जा रही है। यह सहायता बीजों और रोपण सामग्री की सप्लाई, काफी रोपण के लिए उपदान तकनीकी सहायता और विपणन सुविधाओं के रूप में दी जा रही है। इन कार्यक्रमों से होने वाले आर्थिक लाभों का 75 प्रतिशत से अधिक भाग, आदिवासी जन संख्या तथा समुदाय के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों को मिलने की संभावना है।

आय कर अधिकारियों द्वारा छापे

1750. **श्री जैनुल बशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आय कर प्राधिकारियों द्वारा कितने छापे मारे गए;

(ख) कितना अपवंचित कर पकड़ा गया; और

(ग) कितने व्यक्तियों को दण्डित किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सखाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) महोदय, आयकर विभाग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित तलाशियां लीं—

वित्तीय वर्ष	तलाशियों की संख्या
1977-78	617
1978-79	1345
1979-80	2109

इन तलाशियों के दौरान निम्नलिखित परिसम्पत्तियां पकड़ी गई थी—

वित्तीय वर्ष	पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य
	(लाख रुपयों में)
1977-78	353
1978-79	512.31
1979-80	1214.68

चोरी किये गये कर की मात्रा तथा आय छिपाने के कारण इन मामलों के सम्बन्ध में, जिन व्यक्तियों पर अर्थ दण्ड लगाया जाना है उनकी संख्या का पता, कर-निर्धारण तथा अर्थदण्ड सम्बन्धी कार्यवाहियों को अन्तिम रूप दे दिये जाने के बाद लगेगा।

कालीन बुनकरों का प्रशिक्षण

1751. **श्री जैनुल बशर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालीन बुनकरों को प्रशिक्षण देने के लिए उत्तर प्रदेश में किसी सरकारी एजेंसी को धनराशि दी थी;

(ख) क्या वह एजंसी बुनकरों को स्वयं प्रशिक्षण देती है अथवा इस प्रयोजन के लिये निर्माताओं को वित्तीय सहायता देती है;

(ग) अब तक कितने कालीन बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है; और

(घ) क्या सरकार प्रशिक्षित बुनकरों को स्वय अपना निर्माण कार्य आरंभ करने के लिये करघों और कच्चे माल हेतु कोटे वित्तीय सहायता देने की भी व्यवस्था कर रही है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारत सरकार द्वारा कालीन बुनकरों के प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम यू.पी. एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लि० को अनुदान दिये गये थे।

(ख) से (घ) यू.पी. एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लि० से जानकारी एकत्र की जा रही है।

रुद्राक्ष के आयात के मामले में कदाचार

1752. **श्री जैनुल बशर** : क्या वाणिज्य मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रुद्राक्ष के आयात के मामले में बड़े पैमाने पर हुए कदाचार की ओर दिलाया गया था जैसा कि वाराणसी से दिनांक 10 अप्रैल, 1978 के 'डेली गाण्डीव' में प्रकाशित हुआ था;

(ख) क्या इस मामले में जनता सरकार द्वारा कोई जाँच कराई गई थी;

(ग) इस जांच के क्या परिणाम हैं; और

(घ) क्या वर्तमान सरकार इस पूरे मामले पर पुनर्विचार करेगी ?

वाणिज्य मंत्री तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हाँ।

(ख) इस मामले की जांच केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा की गई थी।

(ग) तथा (घ) यह आरोप भारत साधु समाज को दिए गये दस-दस हजार के दो लाइसेंसों के आधार पर रुद्राक्ष के मनकों के आयात से सम्बन्धित है। माल का आयात करने के लिए प्राधिकार-पत्र श्री कुमार भट्टाचार्य को जारी किया गया था। आयात की गई मात्रा 92 बोरियां थी जिसमें से 85 बोरियाँ पुलिस द्वारा पकड़ ली गई हैं, मालाएँ बनाने के लिए छ. बोरियां श्री संकट बाजपेयी के पास पाई गई थीं और एक बोरी आधी इस्तेमाल की गई पाई गई और बताया जाता है कि इसमें से 385 मालाएँ बनाकर भारत साधु समाज को दी गई थीं। की गई जाँच के आधार पर कोई भी दण्डनीय कार्रवाई नहीं की जा सकी। इस मामले को पुनः खोलने का कोई विचार नहीं है।

उचित दर की दुकानों से आयातित आर. बी. डी. पाम आयल तथा रेपसीड आयल का वितरण

1753. **श्री जैनुल बशर** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयतित आर. बी. डी. पाम आयल तथा रेपसीड आयल के उचित दर की अनाज की दुकानों से वितरण की व्यवस्था है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि इन खाद्य तेलों को हलवाइयों, होटलों, रेस्टोरेंटों आदि जैसे भारी मात्रा के प्रयोक्ताओं को बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वनस्पति और सरसों के तेल की मांग बाजार में कम हो जाये और इसके मूल्य कम हो जायें;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा आयतित तेल पसन्द नहीं किया गया है और उनकी बिक्री कम है तथा उत्तर प्रदेश सरकार पर उनकी बिक्री बढ़ाने के लिये दबाव डाला जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : जी हां।

(ख) से (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार ने आयातित खाद्य तेलों को राज्य में भारी मात्रा के प्रयोक्ताओं को बेचने की अनुमति देने के बारे में पहले अनुरोध किया था। तथापि, खाद्य तेलों की आयात की जा रही सीमित मात्रा और इन तेलों को उपभोक्ताओं, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को, उचित तथा युक्तिसगत मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए इनके सार्वजनिक वितरण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को देखते हुए, राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वह अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त एवं फिर से सक्रिय बनाएं। किसी भी नई वस्तु की तरह उपभोक्ताओं के बीच आयातित तेलों के लोक-प्रिय बनने में भी समय लगा, परन्तु हाल ही के महीनों में अब इनकी पर्याप्त मात्रा राज्य सरकार द्वारा उठाई तथा वितरित की गई है। यद्यपि तेल वर्ष 1978-79 (नवम्बर, 78 अक्तूबर, 1979) के दौरान, राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण के लिये आयातित तेलों की केवल 2.776 मीटरी टन मात्रा उठाई, तथापि, बाद के तेल वर्ष 1979-80 (नवम्बर, 1979 अक्तूबर, 1 80) में यह मात्रा 18.261 मीटरी टन तक पहुंच गई। अतः यह कहना सही नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं ने आयतित तेलों को पसन्द नहीं किया है अथवा राज्य सरकार पर इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए दबाव डाला जा रहा है।

बैंकों की ऋण नीतियों में बार-बार परिवर्तन

1734. श्री बी. बी. देसाई : क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह स्वीकार किया है कि उनके द्वारा ऋण सम्बन्धी नीतियों और प्रक्रियाओं में बार-बार किये गये परिवर्तनों से अपेक्षित परिणाम नहीं निकले क्योंकि बैंक अचानक किये गये परिवर्तनों का पालन नहीं कर सके;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की 19.9-80 के लिये भारत में बैंकधारी कार्यों के समान और प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एक तिमाही के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्यों का पालन करना बैंकों के लिये सम्भव नहीं था; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस कार्यवाही का सुझाव दिया गया है।

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) ऋण नीति अनिवार्यतः एक अल्पकालीन साधन है तथा इस नीति में परिवर्तन, किसी विशेष अवधि के दौरान, मौद्रिक मुद्रा और ऋण की परिस्थितियों पर निर्भर होता है। इस संदर्भ में, ऋण नीति में किए गए परिवर्तनों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वे बहुत जल्दी-जल्दी किये जाते हैं। बैंकों ने मोटे तौर पर ऋण नीति में हुए परिवर्तनों के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। बैंकों को दिए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कहा गया था कि वर्ष 1979-80 के दौरान खाद्य-भिन्न ऋण विस्तार पिछले वर्ष से कम होना चाहिए तथा यही मार्गदर्शी सिद्धान्त 15 महीने तक चले। इस दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी व्यवस्था का कार्य-निष्पादन समग्रता पर्याप्त रूप से संतोषजनक रहा।

(ग) पुनर्वित्त सुविधाओं को अप्रैल, 1980 में तथा फिर जुलाई, 1980 में कठोर बनाया गया। वर्ष 1980 के मदी के मौसम में ऋण विस्तार मोटे तौर से मदी मौसम विषयक मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप ही रहा है।

सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में इस्पात के उत्पादन में गिरावट

1755. **श्री बी.वी देसाई :**

श्री डी. पी. जुदेजा :

श्री के. प्रधानी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः महीनों में सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में इस्पात के उत्पादन में आई 8 लाख टन की कमी के कारण इस वर्ष उपलब्धता अन्तर 20 लाख टन से अधिक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए मुख्यतः कौन से कारक जिम्मेदार हैं;

(ग) छः महीने बाद, अर्थात, नवम्बर, 1980 तक की स्थिति क्या है;

(घ) यदि हां, तो क्या बिजली की कमी जारी रहने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सुधार नहीं हुआ; और

(ङ) उत्पादन में वृद्धि के लिये सरकार का क्या दम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में अप्रैल-सितम्बर, 1980 की अवधि में विक्रेय इस्पात के वास्तविक उत्पादन में इस अवधि के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुपात में 7.14 लाख टन की कमी हुई थी। अनुमान है कि पूरे साल में कुल आवश्यकता तथा देशीय उत्पादन का अन्तर 14 लाख टन होगा जिसे बैंक-टू-बैंक, सामान्य खुले लाइसेंस और बफर आयात जैसी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आयात द्वारा पूरा किया जायेगा।

(ख) उत्पादन में कमी मुख्य रूप से बिजली की आपूर्ति पर लगे कड़े प्रतिबन्धों तथा इस्पात कारखानों को कोककर कोयले की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण हुई है।

(ग) और (घ) वर्ष के पहले छः महीनों के रुख के विपरीत अक्तूबर, 1980 में विक्रेय इस्पात का 4.06 लाख टन का वास्तविक उत्पादन गत वर्ष के इसी महीने के उत्पादन से कुछ अधिक रहा। लेकिन उत्पादन बढ़ाने में बिजली की कमी एक बड़ी अड़चन रही है।

(ङ) इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ मुख्य उपायों में, कोककर कोयला आयात करना, इस्पात कारखानों की अपनी इकाइयों में बिजली का अधिकाधिक उत्पादन करना, आदान सप्लाई करने वाले श्रमिकरणों के साथ निकट तथा सक्त सम्पर्क रखना, बिजली और कोयले की स्थिति पर विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी रखना, दुर्गापुर और बोकारो में अतिरिक्त रक्षित बिजली उत्पादन सुविधाओं के लिए योजनाएं बनाना, शामिल हैं।

सरकारी उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति

1756. **श्री बी. बी. देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कोयला, इस्पात, नौवहन और उर्वरकों के सरकारी उपक्रमों की कार्य प्रणाली की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन हैं;

(ग) समिति का क्षेत्र और उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्री मोहम्मद फजल, सदस्य, योजना आयोग।

—अध्यक्ष

2 श्री के. एस. राजन्, महानिदेशक तकनीकी विकास तथा सचिव, तकनीकी विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।

—सदस्य

3. डा. एस. के. वहल, अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०, नई दिल्ली।

—सदस्य

4. श्री प्रह्लादकुमार, बसु, महानिदेशक, सरकारी उद्यम कार्यालय एवं अपर सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)।

—सदस्य-सचिव

(ग) इस विशेषज्ञ समिति को चाहिए कि वह अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी उद्यमों के कार्यानिष्पादन में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय निर्धारित करे तथा निम्नलिखित के विषय में एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करे :

(क) संस्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना;

(ख) प्रचालन-लागतों पर समुचित नियंत्रण सुनिश्चित करना;

(ग) संयंत्र और उपस्कर के निवारक और पूर्वानिर्धारित अनुरक्षण में सुधार करना; और

(घ) प्रबंधकीय और प्रचालनात्मक कार्यकुशलता बढ़ाना।

(ङ) विशेषज्ञ समिति की, कोल इण्डिया और उसकी सहायक कंपनियों के विषय में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा वह इस समय सरकार के विचाराधीन है। आशा है कि समिति अपने गठन (समिति 12 अगस्त, 1 अगस्त, 1980 को गठित की गई) से एक वर्ष के भीतर अपना काम पूरा कर लेगी तथा अन्य क्षेत्रों के विषय में समय-समय पर अपनी रिपोर्टें जब कभी तैयार हो जाएं, प्रस्तुत करेगी।

मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए पांच सूत्री योजना

1757. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए एक पांच-सूत्री योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से एक उपाय मुद्रा का मूल्य बढ़ाना और लाभांशों पर दो वर्ष के लिए रोक लगाना है;

(ग) यदि हां, तो मुद्रास्फीति रोकने के अन्य किन-किन उपायों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक कोई निर्णय लिए जाने की आशा है ?

वित्त मंत्री श्री आर. वेंकटरामन : (क) से (घ) सरकार कीमतों की स्थिति की लगातार निगरानी करती रहती है और जैसी स्थिति उत्पन्न होती है उसे ध्यान में रखते हुए उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं। स्थूल रूप में इस संबंध में नीति यह है अर्थात (1) सरकारी वितरण प्रणाली सुदृढ़ बनाना (2) उत्पादन में वृद्धि करना (3) आयात द्वारा घरेलू पूर्ति में वृद्धि करना (4) मुद्रा उपलब्धि और बैंक ऋण में अनावश्यक वृद्धि पर रोक लगाना और (5) जमा खोरी और मुनाफाखोरी जैसे असामाजिक कामों का दमन करना।

बैंक नोट प्रेस, देवास में करेंसी नोटों की चोरी

1758. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्योरो मध्य प्रदेश स्थित बैंक नोट प्रेस, देवास में हुई करेंसी नोटों की चोरी की जांच कर रहा है और क्या प्रेस के वरिष्ठ अधिकारियों के घरों की तलाशियां आदि की गई हैं ?

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विस्तृत जानकारी क्या है; और

(ग) बैंक नोट प्रेस, देवास से अब तक कितने मूल्य के करेंसी नोट चोरी हुए हैं तत्संबंधी पूर्ण ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) अब तक बैंक नोट प्रेस, देवास से चुराए गए करेंसी नोटों का कुल मूल्य केवल 1700 रुपए है, जिसमें से 50 रुपए के मूल्य के 4 नोटों के 5-11-1976 को गुम होने की रिपोर्ट की गई और 8-1-78 को यह पता चला कि 100 रुपए के मूल्य के 15 नोटों में कम हैं। इसके अलावा 50 रुपए के मूल्य के 28 नोटों की बिना नम्बरों की छपी हुई एक शीट के गुम होने का पता 8-2-80 को और एक 100 रुपए के मूल्य का बिना नम्बर के छपे हुए नोट के गुम होने का पता 27-9-80 को चला, इन नोटों का सांकेतिक मूल्य कुल 1500 रुपए होगा। प्रत्येक मामले में जाँच किए जाने पर गुम हुए नोट बरामद नहीं हो पाए।

पाकिस्तान को लोह-अयस्क की सप्लाई

1759. **श्री डी.पी. जदेजा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को लोह-अयस्क का निर्यात करने के लिये इस देश के साथ कोई करार किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त करार के अधीन पाकिस्तान को कितनी मात्रा में लोह-अयस्क की सप्लाई की गई; और

(ग) तत्संबंधी शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) जी हां।

(ख) करार में सितम्बर, 1980 से मार्च, 1987 के 7 वर्षों की पूरी अवधि में 1.93 मिलियन मे. टन लौह अयस्क की सप्लाई के लिए व्यवस्था है।

(ग) लौह अयस्क की अदायगी अमरीकी डालर में होगी तथा सप्लाई के लिए कीमत प्रति वर्ष (अप्रैल-मार्च के आधार पर) बातचीत द्वारा तय की जाएगी।

राज्य व्यापार निगम द्वारा किये जा रहे निर्यात को धक्का लगना

1760. **श्री पी.एम.सईद** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा किये जा रहे निर्यात को चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों (अप्रैल से जुलाई तक) में भारी धक्का लगा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान निर्यात और आय में कितनी कमी हुई है; और

(घ) जुलाई से स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) चालू वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा 121 करोड़ रु. के निर्यात किये गये जब कि गत वर्ष की उसी अवधि के दौरान 175 करोड़ रु. के निर्यात हुए थे। यह कमी मुख्यत: निर्यात के लिए चीनी, अलकोहल तथा सीरे की अप्राप्यता के कारण आई। अरण्डी के तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में सहसा कमी और चमड़े की विश्व मांग में तीव्र गिरावट से निर्यातों पर और अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। निर्यात आय में वृद्धि करने के लिए राज्य व्यापार निगम विनिर्मित उत्पादों के निर्यातों पर अधिक बल दे रहा है और अगामी फसल

मौसम में स्वदेशी उपलब्धता की शर्त के अधीन अन्य कृषि संबंधी वस्तुओं के निर्यात की संभाव्यता पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

भारत से हथकरघा उत्पादों तथा हस्तशिल्प वस्तुओं के आयात पर आस्ट्रेलिया द्वारा लगाया गया प्रतिबंध

1761. **श्री पी.एम.सईद** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने भारत से कुछ हथकरघा उत्पादों तथा हस्तशिल्प वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) ऐसी वस्तुयें कौन-कौन सी हैं जिन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(घ) किस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ङ) इससे भारत को कुल कितनी हानि होगी; और

(च) क्या भारत सरकार ने उनके साथ इस मामले का उठाया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) अनेक वस्त्रों, कपड़ा तथा फुटवियर उत्पादों के, जिनका हस्तशिल्प रियायत, जिससे इन उत्पादों को शुल्क-मुक्त, कोटा-मुक्त प्रवेश की अनुमति मिलती है, के अन्तर्गत निर्धारण होता है, आयातों के स्तर में कथित तीव्र वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से आस्ट्रेलिया सरकार ने अब तक इन उत्पादों में से कुछ पर उपलब्ध रियायती व्यवस्था पर कतिपय प्रतिबन्ध लगाए हैं। अब लगाए गए प्रतिबन्धों में सभी देशों से आस्ट्रेलिया के साथ इन उत्पादों के आयात भी शामिल हैं।

(ग) तथा (घ) जिन मदों पर हाल ही में। सितम्बर, 1980 से प्रतिबन्ध लगाए गए हैं वे हैं हस्तशिल्प तौलिए तथा तौलियों संबन्धी उत्पाद/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अब इन मदों की भूतपूर्व शुल्क-मुक्त कोटा मुक्त स्थिति पर कोटा सीमा निश्चित की जाती है। पहले। जुलाई, 1980 से हस्तशिल्प की वस्तुओं, निटेड कोटों, जम्पर्स, कार्डीगन्स तथा स्वेटर्स और ऐसी अन्य मदों के संबन्ध में एक कोटा प्रणाली लागू की गई है।

(ङ) कोई विदेशी सुद्रा हानि होने का पूर्वानुमान नहीं है।

(च) मामले को आस्ट्रेलियाई प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।

एम. एम. टी.सी. द्वारा उत्पाद निर्यात योजना के अन्तर्गत निर्यातकर्ताओं को रियायत दिया जाना

1762. **श्री पी.एम. सईद** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम.एम टी.सी. का विचार अपनी उत्पाद निर्यात योजना के अन्तर्गत निर्यातकताओं को पर्याप्त रियायत देने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी रियायतों के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इन रियायतों से निर्यातकर्ताओं को कितना लाभ पहुँचा है और निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या एम.एम.टी.सी. उत्पाद निर्यात योजना की प्रक्रिया में सुधार करने का प्रयास कर रही हैं; और

(ङ) वे कहां तक सफल हुए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) तैयार उत्पादों के निर्यात बढ़ावा देने के लिए विनिर्माता निर्यातकों को शुल्क-मुक्त कच्चे माल की सप्लाई की जा रही है बशर्ते निर्यातकों द्वारा खनिज तथा धातु व्यापार निगम के नाम से आर्डर प्राप्त किए जाएं। इसके अलावा विनिर्माता संगठनों द्वारा प्राप्त निर्यात आर्डरों पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा कोई सेवा प्रभार नहीं लिया जा रहा है। ऐसी आशा है कि इन रियायतों से निर्यात व्यापार बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

(ग) विनिर्माता निर्यातकों को दी गई रियायतों के परिणामस्वरूप उनके उत्पाद विश्व बाजार में प्रतियोगी बन गए हैं। फलस्वरूप निर्यात बढ़े हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्यातों के आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :—

1978-79	4 लाख रु.
1979-80	20 लाख रु.
1980-81	16 लाख रु।

(14.11.80 तक)

(घ) जी हां।

(ङ) तैयार उत्पादों के निर्यात में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और खनिज तथा धातु व्यापार निगम विदेशों से अनेक पूछताछ प्राप्त कर रहा है।

कम्पनियों से विदेशों में संयुक्त उपक्रमों के प्रस्ताव

1763. **श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री पी. एम. सईद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 कम्पनियों ने विदेशों में संयुक्त उपक्रमों के लिये सरकार की अनुमती मांगी है;

(ख) क्या सरकार ने उनके प्रस्ताव मंजूर कर दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन देशों एवं सम्बद्ध कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल-अक्तूबर, 1980) के पहले सात महीनों के दौरान 33 भारतीय कम्पनियों ने विदेशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए अनुमोदन मांगे थे।

(ख) प्राप्त हुए 33 आवेदन-पत्रों में से 14 प्रस्ताव अनुमोदित कर दिये गए हैं और जिन 5 प्रस्तावों पर विदेशों में संयुक्त उपक्रमों संबंधी अन्तमंत्रालय समिति द्वारा विचार किया गया था उन पर अन्तिम निर्णय आगे स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद लिया जाएगा। एक आवेदन-पत्र आवेदक कम्पनी द्वारा वापस ले लिया गया है और एक अन्य आवेदनपत्र को आवेदक कम्पनी के अनुरोध पर प्रास्थगन में रखा गया है। शेष 12 आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है।

(ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विदेशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए अप्रैल-अक्तूबर, 1980 के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों के ब्यौरे

क्रमांक	भारतीय कंपनी का नाम	स्थापना का देश	सहयोग का क्षेत्र	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स करना होटल्स, प्रा. लि. बंगलौर	अमेरिका	शाकाहारी रैस्तरां	अनुमोदित
2.	मैसर्स पर्ल एजेंसीज, नई दिल्ली	पश्चिम जर्मनी	सिले-सिलाये फैशन परिधानों के लिये बाजार	अनुमोदित
3.	मैसर्स टाटा एक्सपोर्टस लि० बम्बई तथा मैसर्स कमानी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०, बम्बई	सऊदी अरब	टर्न की परियोजनाएँ शुरू करना	अनुमोदित
4.	मैसर्स किर्लोस्कर ब्रदर्स लि०, पूणे	अमेरिका	पंपों का व्यापार और विपणन	अनुमोदित
5.	मैसर्स राप्ताकस, ब्रेट एण्ड कं० बम्बई	जाम्बिया	विशेष शिशु आहार	"
6.	मैसर्स बी.डी.ए. इन्वेस्टमेंट्स एण्ड कन्सल्टेंट्स प्रा०लि० जालन्धर	संयुक्त अरब अमीरात	स्टील रोलिंग मिल	"
7.	मैसर्स दि. इण्डियन होटल्स कं०लि०, बम्बई	श्री लंका	500 कमरे वाले होटल	"
8.	मैसर्स किर्लोस्कर ब्रदर लि०, पुणे	ब्रिटेन	पंपों का व्यापार तथा विपणन	"
9.	मैसर्स एशियन पेंट्स (इण्डिया) लि०, बम्बई	टोंगो	रोशन, इनेमल तथा वार्निश	सिद्धांत रूप में अनुमोदित
10.	मैसर्स श्री अम्बिका मिल्स लि०, अहमदाबाद	थाईलैंड	रंजक, रंग सामग्री आदि	अनुमोदित
11.	मैसर्स पुनालूर पेपर मिल्स लि०, पुनालूर	आस्ट्रेलिया	ग्रीन वुड को वुड चिप्स में बदलना	कंपनी में आवेदन पत्र वापिस ले लिये

1	2	3	4	5
12.	मैसर्स पंजाब कैमि.-प्लांट्स लि., चण्डीगढ़	ब्रिटेन	प्रमुख टर्न-की परियोजनायें	ब्यौरे न होने के कारण कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया।
13.	मैसर्स तेलगांना स्पिनिंग एण्ड वी विंग मिल्स लि., हैदराबाद	श्रीलंका	कताई मिल	पार्टी के अनुरोध पर आवेदन-पत्र को आस्थगित रखा गया।
14.	मैसर्स बाल्सेर लौरी एण्ड कं. लि., कलकत्ता	संयुक्त अरब अमीरात	सामान्य ठेके तथा निर्माण कार्य लेना	अनुमोदित
15.	मैसर्स केमोसीन प्रा. लि., बम्बई	तंजानिया	भेषजीय फार्मेलेशन	और अधिक जानकारी मिलने पर अनुमोदन किया जाना
16.	मैसर्स हरबर्टसन्स लि., बम्बई	श्रीलंका	फूट केनिंग/बर्टिलिंग संयंत्र	और अधिक जानकारी मिलने पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
17.	मैसर्स जार्ज मेजो एक्सपोर्टस प्रा.लि.,	अमेरिका	समुद्री आहार का व्यापार तथा विपणन	अनुमोदित
18.	श्री हरीश आई. भुवा एण्ड अदर्स, बम्बई	सिंगापुर	व्यापार तथा विपणन	आवेदकों द्वारा अपेक्षित जानकारी भेजे जाने पर अनुमोदन किया जायेगा।
19.	मैसर्स डडिसल प्रा.लि., बम्बई	मलेशिया	इरेक्शन तथा निर्माण कार्य	ब्यौरे न होने के कारण अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका।

1	2	3	4	5
20.	मैसर्स इंडियन रेलवेस कंसट्रक्शन कं. लि., नई दिल्ली	थाईलैंड	रेल सड़क परियोजनाओं का निर्माण	अनुमोदित
21.	मैसर्स भारत स्टील ट्यूब्स लि., नई दिल्ली	सिंगापुर	सिलिकोन, सेमि-कण्डक्टर्स, ट्रांसिस्टर्स, रेक्टीफायर्स आदि	,,
22.	मैसर्स इण्डियन डाइस्टफ इन्डट्रीज लि., बम्बई	थाईलैंड	रंजक सामग्री	कार्यवाही की जा रही है।
23.	मैसर्स एशियाटिक आक्सीजन लि., कलकत्ता	नाईजीरिया	औद्योगिक गैसें	कार्यवाही की जा रही है।
24.	मैसर्स एक्सट्रजन प्रोसेसिस प्रा. लि., बम्बई	जाम्बिया	अल्यूमीनियम कोलेप्सी बल ट्यूबों तथा रिजिड डिब्बा	—वही—
25.	मैसर्स रुक्मिणी इन्वेस्टमेंट प्रा.लि., सिलेमान (टी.एन.)	श्रीलंका	बुनाई फैक्टरी	—वही—
26.	मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड, पुणे	अमेरिका	व्यापार तथा विपणन	—वही—
27.	मैसर्स पौण्डस (इंडिया) लिमिटेड,	श्रीलंका	अंगराग तथा प्रसाधन सामग्री	—वही—
28.	मैसर्स एग्रो कार्गो ट्रांसपोर्ट लि., मद्रास	श्रीलंका	पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिस्टम	—वही—
29.	मैसर्स बिरला इंटरनेशनल प्रा.लि., बम्बई	थाईलैंड	वसायुक्त अम्ल तथा ग्लिसरीन	—वही—
30.	मैसर्स रसोई वनस्पति इंडस्ट्रीज लि., कलकत्ता	नेपाल	सोलवेंट एक्सट्रैक्शन	—वही—
31.	मैसर्स बर्डमैन कैमंग प्रा. लि., बम्बई	ब्रिटेन	व्यापार तथा विपणन	—वही—
32.	मैसर्स दि स्टैंडर्ड मिल्स कं. लि., बम्बई	इंडोनेशिया	वस्त्र तथा रसायन उद्योगों के लिए मशीन	—वही—
33.	मैसर्स शा वैलेस एण्ड कं. लि., कलकत्ता	साइप्रस	कम्प्यूटर कंसलटैंसी सर्विस	—वही—

सिल्चर में जीवन बीमा निगम का क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाना

1764. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 1974 में सिल्चर में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का किया गया निर्णय अभी क्रियान्वित किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की निर्धारित की गई अनुमानित तिथि क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) वर्ष 1974 में, जीवन बीमा निगम बोर्ड ने नये कारबार और चालू कारबार के मानदण्ड निर्धारित कर दिये थे जिन्हें नये डिवीजनल कार्यालय खोले जाने के प्रस्तावों पर विचार करते समय लागू किया जाना चाहिए। बोर्ड ने सिल्चर में अगले पांच वर्ष में नया डिवीजनल कार्यालय खोलने के प्रस्ताव का सिद्धांत रूप में अनुमोदन भी कर दिया था। उस समय यह आशा की गई थी इस अवधि में इस क्षेत्र का कारबार जो प्रस्तावित नए डिवीजनल को सौंपा जाना है, निर्धारित स्तर तक पहुँच जाएगा। लेकिन, कारबार आशा के अनुरूप नहीं बढ़ा और इसीलिए प्रस्तावित डिवीजनल कार्यालय खोलना संभव नहीं हुआ।

थोक सूचकांक में वृद्धि

1765. **श्री एन.ई. होरो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी वस्तुओं का सरकारी थोक मूल्य सूचकांक 9 महीनों से निरन्तर बढ़ रहा है और सितम्बर में अस्थाई रूप से 262·5 प्वाइंट था जबकि अगस्त में वह 259 प्वाइंट था;

(ख) क्या यह सच है कि सूचकांक में वृद्धि का कारण खाद्य उत्पादों के सूचकांक में भारी वृद्धि की है, रबड़ में 8·8 प्रतिशत व रबड़ उत्पादों में 2·1 प्रतिशत और विविध उत्पादों में 1·5 प्रतिशत की वृद्धि है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि खाद्य उत्पादों के सूचकांक में वृद्धि के बाद फलों और सब्जियों, डिब्बा बंद वस्तुओं, परिरक्षित मछली और समुद्री खाद्य पदार्थों, ग्रेनिमिल उत्पादों, बेकरी उत्पादों, चीनी खंडसारी और गुड़ के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है; और

(घ) यदि हां, तो मूल्यों को स्थिर रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें अगस्त-सितम्बर 1980 की अवधि के लिए थोक मूल्य सूचकांक दिए गए हैं। अगस्त-सितम्बर 1980 के दौरान कीमतों में हुई समग्र वृद्धि में चीनी, खण्डसारी और गुड़ का प्रमुख स्थान था जिनका खाद्य उत्पादों में कुल भारांश 54.4 प्रतिशत है।

(घ) सरकार ने मुद्रा स्फीति-निरोधक अनेक उपाय किए हैं, जिनमें ये शामिल हैं :

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना;

(1) आयात द्वारा आंतरिक पूर्ति में वृद्धि करना;

(3) मुद्रा उपलब्धि के अनुचित विस्तार पर अंकुश लगाना;

(4) जमाखोरी और चोर-बाजारी जैसे समाज-विरोधी क्रिय-कलापों का दमन करना; और

(5) उत्पादन में वृद्धि करना।

विवरण

थोक मूल्य सूचकांक

(आधार : 1970-71 = 100)

1980

समूह/वस्तु	सूचकांक		अगस्त 80 की तुलना में सितम्बर 80 में प्रतिशत घटबढ़
	अगस्त *	सितम्बर *	
समस्त वस्तुएं	259.0	262.5	+1.4
I प्राथमिक वस्तुएँ	234.5	233.1	—0.6
एक) खाद्य वस्तुएँ	207.4	205.4	—1.0
खाद्यान्न	210.5	213.4	+1.4
अनाज	191.9	192.5	+0.3
दालें	302.3	316.4	+4.7
फल और सब्जियाँ	231.4	212.8	—8.0
दूध और दूध उत्पाद	179.3	181.4	+1.2
अण्डे, मछली और माँस	256.6	262.5	+2.3
मसाले तथा गरम मसाले	113.7	112.6	—1.0
दो) खाद्य-भिन्न वस्तुएँ	213.2	213.1	नगण्य
रेशे	168.6	170.0	+0.8
तेलहन	226.1	224.8	—0.6
तीन) खनिज	1062.2	1064.5	+0.2
II इंधन, पावर, बिजली तथा लुब्रीकेंट	353.3	353.3	कोई परिवर्तन नहीं
III विनिर्मित उत्पाद	263.4	271.6	+3.1
1. खाद्य उत्पाद	336.9	366.5	+8.8
2. डेयरी उत्पाद (जिसमें संशोधित दूध और डिब्बा बन्द दूध शामिल है)	226.7	233.8	+3.1
3. डिब्बा बन्द और सुरक्षित मछली और समुद्री खाद्य	381.2	479.6	+25.8
4. डिब्बा बन्द और सुरक्षित फल व सब्जियाँ	202.7	205.2	+1.2
5. चना मिल उत्पाद	171.8	174 0	+ .3
6. बेकरी उत्पाद	185.7	192.3	+3.6
7. चीनी, खाण्डसारी और गुड़			
विविध खाद्य उत्पादक सूची	431.4	48 .2	+13.4

8. चीनी और मिठाई, कोको और चाकलेट	238.1	238.1	कोई परिवर्तन नहीं
9. विविध खाद्य उत्पाद (क+ख+ग)	229.4	222.5	—3.0
क) खाद्य तेल	226.7	219.2	—3.3
ख) खली	238.1	231.5	—2.8
ग) अन्य विविध खाद्य उत्पाद	236 7	237.0	+0.1
2. पेय पदार्थ, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	212.0	211.8	—0.1
3. वस्त्र	209.9	209.8	नगण्य
4. कागज और कागज उत्पाद	255.0	255.2	+0.1
5. चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	385.8	383.3	—0.6
6. रबड़ और रबड़ उत्पाद	248.4	253.5	+2.1
7. रसायन और रासायनिक उत्पाद	254.8	244.3	—4.1
8. धातु-भिन्न खनिज उत्पाद	272.2	274.4	+0.8
9. बुनियादी धातुयें, मिश्र धातुयें और धातु उत्पाद	267.4	268.6	+0.4
10 मशीनरी और परिवहन उपस्कर	235.8	236.4	+0.3
11. विविध उत्पाद	226.7	230.2	+1.5

* आँकड़े अनन्तिम हैं।

उचित दर की दुकानें खोलने का प्रस्ताव

1766. **श्री एन. ई. होरो :**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार का विचार कितनी उचित दर की दुकानों को खोलने का है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों की वर्तमान संख्या का राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) उचित दर की दुकानों की योजनाओं के अन्तर्गत शेष क्षेत्रों को कब तक शामिल किये जाने की सम्भावना है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लायें। यह सुझाव दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर 2000 की आबादी के लिए कम से

कम एक उचित दर की दुकान होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के मुख्यालय में वहाँ की आबादी का ख्याल किये बिना एक उचित दर की दुकान होनी चाहिए। दूरस्थ और दुर्गम इलाकों, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में, गाँव अथवा गाँव समूहों की, जैसी भी स्थिति हो, 1000 की जनसंख्या के लिए भी एक दुकान हो सकती है। तदनुसार, राज्य सरकारें कार्रवाई करती रही हैं। जनवरी, 1980 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों की संख्या में 31,000 की वृद्धि हुई है। उचित दर की दुकानों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर/राशन की दुकानों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य	उचित दर की दुकानों की संख्या		
		शहरी	ग्रामीण	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	4367	18892	3259
2.	असम	1642	12167	13809
3.	बिहार	5412	21697	27109
4.	गुजरात	2511	6719	9230
5.	हरियाणा	1069	3767	4836
6.	हिमाचल प्रदेश	195	2513	2708
7.	जम्मू व कश्मीर	432	1068	1500
8.	कर्नाटक	3563	10437	14000
9.	केरल	1340	9659	11499
10.	मध्य प्रदेश	4453	15813	20266
11.	महाराष्ट्र	6532	21079	27611
12.	मणिपुर	90	435	525
13.	मेघालय	312	1234	1546
14.	नागालैंड	75	26	101
15.	उड़ीसा	2390	13087	15477
16.	पंजाब	1679	5617	7296
17.	राजस्थान	1738	7572	9310
18.	सिक्किम	—	13	13
19.	तमिलनाडु	1925	15423	17348
20.	त्रिपुरा	72	673	745
21.	उत्तर प्रदेश	6911	30851	37762
22.	पश्चिम बंगाल	5238	12767	18005
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	43	151	194
24.	अरुणाचल प्रदेश	12	98	110
25.	चण्डीगढ़	160	21	181
26.	दादरा व नागर हवेली	—	40	40
27.	दिल्ली	2052	131	2183

28. गोवा, दमन व दीव	95	281	376
29. लक्षद्वीप	—	23	23
30. मिजोरम	84	247	331
31. पांडिचेरी	84	82	166
योग	54976	212583	267559

धन कर पर छूट की सीमा

1767. **श्री एन. ई. होरो :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक आवास गृह चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र स्थित हो अथवा शहरी क्षेत्र में धन कर से छूट प्राप्त होता है;

(ख) क्या सरकार की यह जानकारी है कि धन कर पर छूट की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर देने से मध्यम वर्ग के अधिकांश लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन दल नियुक्त किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह सिसोदिया) : (क) धन-कर अधिनियम अन्तर्गत, कर निधारिती के एक मकान अथवा मकान के एक हिस्से के मूल्य पर, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में हो अथवा शहरी क्षेत्र में, एक लाख रुपये तक छूट मिलती है।

(ख) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1980 के जरिये परिसम्पत्तियों के मूल्यों में आई किंचित तेजी को ध्यान में रखते हुए धन-कर की छूट की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये तक कर दिया है। ऐसा समझा जाता है कि अनेक व्यक्ति, जिनमें वे भी शामिल है जो अन्यथा धन-कर लगने योग्य हो गए होते, इस व्यवस्था से लाभान्वित हुए हैं।

(ग) जी, नहीं :

होटलों में पर्यटकों के लिए स्थान सुलभ कराने के लिए राज्यों को ऋण दिया जाना

1768. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार होटलों में पर्यटकों के लिए स्थान सुलभ कराने की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को ऋण जारी करती हैं;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा औद्योगिक वित्त निगम भी उपरोक्त उद्देश्यों के लिए ऋण देते हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में होटलों को दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) : भारत सरकार/वित्तीय संस्थान होटलों के निर्माण के लिए राज्यों को ऋण प्रदान नहीं करतीं। तथापि, वित्तीय संस्थान अर्थात् भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम, होटल परियोजनाओं को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं बशर्ते कि वे उनकी कुछ खास शर्तों की पूर्ति करती हों। (ग) तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में होटल परियोजनाओं को प्रदान किए गए ऋणों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

30 जून 1980 को समाप्त गत 3 वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. बी. आई.), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई. एफ. सी. आई.) और भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश निगम (आई. सी. आई. सी. आई.) द्वारा होटल परियोजनाओं को स्वीकृत ऋण दर्शाने वाला विवरण।

(रुपये लाखों में)

संस्था का नाम/ परियोजना की अवस्थिति	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृत वित्तीय सहायता								
		आई.एस.सी.आई.			आई.डी.बी.आई.*			आई.सी.आई.सी.आई.		
		ऋण	अंडरराइटिंग्स/ प्रत्यक्ष अंशदान	जोड़	ऋण	अंडर राइटिंग्स/ प्रत्यक्ष अंशदान	जोड़	ऋण	अंडरराटिंग्स/ प्रत्यक्ष अशदान	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1977-78 (जुलाई-जून)										
1. बिहार होटल्स लिमिटेड, पटना	बिहार	14.00	—	14.00	—	—	—	—	—	—
2. एस. बी. प्रोपर्टीज एण्ड एन्टरप्राइजिज लिमिटेड, जयपुर	राजस्थान	—	—	—	—	6.50	6.50	—	5.00	5.00
3. यू. पी. होटल्स एण्ड रेस्टोरेंटस लिमिटेड										
(1) जयपुर	राजस्थान	11.50	—	11.50	11.50	—	11.50	—	—	—
(2) लखनऊ	उत्तर प्रदेश									

* केवल प्रत्यक्ष परियोजना सहायता से सम्बन्धित।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	बनारस होटल्स लिमि- टेड, वाराणासी	उत्तर प्रदेश	40.00	7.50	47.50	26.00	9.50	35.50	10.00	5.00	15.00
5.	नार्दन इंडिया होटल्स लिमिटेड, आगरा	उत्तर प्रदेश	—	—	—	48.00	—	48.00	—	—	—
6.	इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, दिल्ली	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	64.00	—	64.00
7.	ट्रेड विंग्स लिमिटेड गोआ	गोआ	—	—	—	—	—	—	30-00	—	30.00
	उप-जोड़		65.50	7.50	73 50	85.50	16.00	101.50	104.00	10.00	114.00
	1978-79 (जुलाई-जून)										
1.	डोलफिन होटल्स लिमि- टेड, विशाखापट्टनम	आंध्र प्रदेश	17.50	—	17.50	—	—	—	10.00	—	10.00
2.	होटल बंजारा लिमिटेड, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	7.00	—	7.00	—	—	—	10.00	—	10.00
3.	गेरुप्रसाद होटल्स प्राईवेट लिमिटेड, बंगलौर	कर्नाटक	8.00	—	8.00	—	—	—	—	—	—
4.	त्रिमूर्ति होटल्स लिमिटेड, कटक	उड़ीसा	—	—	—	—	3.30	3.30	—	—	—
5.	ऐलऐल होटल्स एण्ड इन्वेस्मेंट्स लिमिटेड, बम्बई	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	18.00	—	18.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. जयप्रकाश एन्टरप्राइजिज दिल्ली लिमिटेड, नई दिल्ली		35.00	6 25	41.25	70.00	12.50	82.50	35 00	6.25	41.25
7. मारब्रेस्ट होटल्स प्राइवेट गोआ लिमिटेड, गोआ		42.00	—	42.00	—	—	—	—	—	—
8. ट्रेड विंग्स लिमिटेड, गोआ गोआ		3.50	—	36.50	—	—	—	—	—	—
	उप-जोड़	146.00	6.25	152 25	70.00	15.80	85.80	73.00	6.25	79.25
1979-80 (जुलाई-जून)										
1. ईस्टर्न इंटरनेशनल होटल्स महाराष्ट्र लिमिटेड, बम्बई		—	—	—	—	—	—	—	3.00	3.00
2. पाइम होटल्स लिमिटेड, महाराष्ट्र बम्बई		—	—	—	—	—	—	—	5 00	5.00
3. इंडियन रिजार्ट होटल्स गोआ लिमिटेड, गोआ		—	—	—	—	—	—	—	10.00	5.00
4. ट्रेड विंग्स लिमिटेड, गोआ गोआ		—	—	—	21.50	—	21.50	14.00	—	14.00
	उप-जोड़	—	—	—	21.50	—	21.50	14.00	18 00	32.00

सूरत में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

1769. **श्री छोतू भाई गामित :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला सूरत में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 1977 से जून, 1980 तक किन पदों के लिए ऋण दिए गए तथा ऋणों का वर्ष-वार और मद-वार ब्योरा क्या है; और

(ख) उक्त राशियों से आदिवासियों, हरिजनों, कृषि भूमिकों छोटे तथा सीमान्त कृषकों को कितनी राशि दी गयी तथा उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त श्रेणियों को ऋण मंजूर करने के लिए निश्चित प्रतिशतता निर्धारित की गई है अथवा करने का विचार है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या इस संबन्ध में बैंकों को कोई विशेष अनुदेश जारी किए गए हैं; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) अभी तक आंकड़ा सूचना प्रणाली में उस रूप में आंकड़े इकठ्ठे करने की व्यवस्था नहीं थी, जिस रूप में वे पूछे गए हैं। सूरत जिले में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिमों के संबन्ध में उपलब्ध सूचना निम्नलिखित है :—

सूरत जिले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋण

(करोड़ रुपए)

वर्ग	क्षेत्र				कुल बैंक ऋण 2+3+4+5	जिसमें से लघु उद्योग
	कृषि तथा सबद्ध कार्यकलाप	उद्योग	व्यापार	अन्य सभी		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1976	8.34	42 53	3.37	4.10	89.34	15,31
1977	10.83	50,00	3.54	5.36	58.73	20.46
1978	12.00	59.08	.59	6.15	81.82	23.58

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंक, कृषि सड़क तथा जल परिवहन, लघु उद्योग, खुदरा व्यापार, छोटे व्यापार, शिक्षा, तथा व्यासायिक तथा स्वनियोजित उद्योग जैसे उन क्षेत्रों को, जिनमें समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित अधिकांश लोग लगे हुए हैं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मानते रहे हैं।

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे वर्ष 1985 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले अग्रिमो की मात्रा को बढ़ा कर अपने कुल अग्रिम के 40 प्रतिशत तक पहुँचा दें। इन बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि उन्हें यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष में, अतिरिक्त ऋण का कम से कम 40 प्रतिशत भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्राप्त हो। बैंको को यह परामर्श भी दिया गया है कि जिन लघु उद्योगों की ऋण सीमाएं 25,000 रुपए समेत इस राशि तक की हैं, उन्हें "कमजोर वर्गों" की श्रेणी में मान लिया जाए और वर्ष 1985 तक इस प्रकार के "कमजोर वर्गों" को

दिए जाने वाले अग्रिमों का अंश लघु उद्योगों को दिए जाने वाले कुल अग्रिमों के 12.5 प्रतिशत तक पहुँच जाना चाहिए।

बैंकों को कृषि क्षेत्र में यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि वर्ष 1983 तक उनके द्वारा दिए जाने वाले सीधे अग्रिमों का कम से कम 50 प्रतिशत भाग उन छोटे और सीमांतिक किसानों को, जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम की कृषि योग्य भूमि है, तथा संबद्ध कार्यकलाप में लगे हुए उन भूमिहीन मजदूरों को जिनकी इन कार्यकलापों के लिए ऋण सीमाएं 10,000 रुपए से अधिक की नहीं हैं, दिया जाने लगे। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि जिला/खंड ऋण योजनाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में अधिक जोर दिया जाए तथा इन समुदायों के सदस्यों के उपयुक्त विशेष बैंक-सहायता-योग्य योजनाएं बनाई जाएं जिससे कि ऐसी योजनाओं में उनके लिए स्वनियोजन के वास्ते अधिक मात्रा में ऋण का प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

वर्ष 1972 से जारी विभेदी ब्याजदर योजना भी समाज के कमजोर से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के समग्र कल्याण के लिए बनाई गई थी। योजना के अन्तर्गत बैंक यह सुनिश्चित करते हैं कि दिए गए ऋणों का कम से कम 40 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को मिले। दिसम्बर, 1979 की स्थिति के अनुसार, योजना के अन्तर्गत, 20 लाख ऋण खातों में व्याप्त, 140.95 करोड़ रुपए बकाया थे। इसमें से 61.13 करोड़ रुपए की रकम, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर बकाया थी जिसमें लगभग 9 लाख ऋण लेखे व्याप्त थे। यह राशि योजना के अन्तर्गत दिए गए कुल अग्रिमों का लगभग 43.4 प्रतिशत बैठती है जबकि निर्धारित लक्ष्य 40 प्रतिशत का था।

उड़िसा में स्थापित किए जा रहे उड़ीसा स्पंज आयरन लि० की लागत

1.70. **श्री हरिहर सोरन** : क्या इस्पात खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के क्योंझर जिले में तंगरनी में स्थापित की जाने वाली उड़ीसा संयंत्र आयरन लिमिटेड परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) क्या इस परियोजना की स्थापना क्यू.एस.आइ.एल. द्वारा "इपिकोल" और टी.आर.एफ.आई. के सहयोग से की जा रही है;

(ग) यदि हाँ, तो विभिन्न सहयोगियों की शेयर पूंजी कितनी हैं; और

(घ) इस परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन कब से आरम्भ होने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) उड़ीसा स्पंज आयरन लि० परियोजना की अनुमानित लागत 23.60 करोड़ रुपये है।

(ख) संयुक्त क्षेत्र में एक नई कम्पनी गठित की गई है। इसका नाम उड़ीसा स्पंज आयरन लि० है। इसमें दो कम्पनियों नामतः इन्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड और स्टील रिसर्च फाउन्डेशन इन इन्डिया की भागीदारी है।

(ग) पता चला है कि 600 लाख रुपये की कुल इक्विटी पूंजी में विभिन्न सहयोगियों की शेयर-पूंजी इस प्रकार है :—

	लाख रुपये
इन्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड	186

टोर स्टील रिसर्च फाँउन्डेशन इन इन्डिया	120
एलिस चामर्स	60

(घ) कारखाने के वर्ष 1981 के अन्त तक चालू हो जाने की सम्भावना है।

उड़ीसा में जोड़ा में स्पज लौह कारखाने की स्थापना

1771. **श्री हरिहर सोरन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (इपिकोल) द्वारा उड़ीसा में जोड़ा में एक स्पंज लौह कारखाने की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने के लिए कितनी धनराशि लगाए जाने का अनुमान है;

(ग) क्या "इपिकोल" (आई.पी.आई.सी.ओ.एल.) इस कारखाने की स्थापना किसी विदेशी फर्म के संयुक्त सहयोग से करना चाहता है; और

(घ) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है और क्या इस कारखाने की स्थापना पांचवीं पंच-वर्षीय योजना की अवधि में की जाएगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) उड़ीसा में जोड़ा के स्थान पर स्पंज आयरल का एक कारखाना लगाने के सम्बन्ध में मैसर्स इन्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड (इपिकोल) से एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसे जून, 1980 में अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि मेसर्स इपिकोल को 3,00,000 टन वार्षिक क्षमता का एक कारखाना लगाने के बारे में पहले लाइसेंस दिया गया था जिसमें से वे 1,50,000 टन क्षमता का कारखाना ही लगा रहे हैं चूंकि उनके पास अभी भी 1,50,000 टन क्षमता शेष हैं अतः उन्हें और अधिक क्षमता लगाने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता था। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने यह बताया है कि वे बची हुई क्षमता से एक अन्य कारखाना लगाना चाहते हैं।

(ख) से (घ) उड़ीसा सरकार ने बताया है कि नए कारखाने में देशीय प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा जिसका विकास टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा किया गया है। उन्होंने अन्य ब्यौरों के बारे में अभी तक नहीं बताया है।

दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच सीधी विमान सेवा

1772. **श्री एन. नीलालोहिथा दसन नाडार** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच सीधी विमान सेवा के न होने के कारण वायुयान द्वारा त्रिवेन्द्रम से दिल्ली तथा दिल्ली से त्रिवेन्द्रम जाने वाले यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का त्रिवेन्द्रम से दिल्ली और दिल्ली से त्रिवेन्द्रम के लिए एक सीधी विमान सेवा प्रारम्भ करने के लिए कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो ये सीधी उड़ानें कब से प्रारम्भ की जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) इस मार्ग पर प्रतिदिन यात्रियों की औसत संख्या 15 होने का अनुमान लगाया गया है और इसीलिए त्रिवेन्द्रम-

नई दिल्ली के बीच सभी दिन एक वापसी सीधी विमान सेवा चालू करना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

तथापि, त्रिवेन्द्रम तथा दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए इण्डियन एयरलाइन्स की समयावलि इस प्रकार बनाई गयी है कि त्रिवेन्द्रम से दिल्ली के लिए तथा दिल्ली से त्रिवेन्द्रम के लिए यात्रा करने के लिए बहुत सुविधाजनक एवं तत्काल सयोजी उड़ानें उपलब्ध हो सकें जिनमें या तो मद्रास या बम्बई में केवल एक जगह ही स्टाप करना पड़ता है। त्रिवेन्द्रम तथा दिल्ली के बीच बम्बई तथा मद्रास दोनों ही के मार्ग से टिकट एव सामान की बुकिंग सीधे की जाएगी।

एल-बेस का आयात करने में आयात और निर्यात नियमों का कथित उल्लघन

1773. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अधिकार-पत्र पर एल बेस का आयात करने में स्टेट केमिकल एण्ड फार्मेस्युटिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा आयात और निर्यात नियमों का उल्लंघन किये जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी विस्तृत जांच की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकार पत्र पर एल बेस का आयात करने के लिये स्टेट केमिकल एण्ड फार्मेस्युटिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्राप्त किये गये दस्तावेज स्पष्ट रूप से निर्यात और आयात नियमों का उल्लंघन करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो उन्होंने किस अधिकार के अधीन ऐसा किया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि प्राधिकार पत्रों के आधार पर वास्तविक प्रयोक्ताओं की ओर से भारतीय राज्य रसायन तथा भेषजीय निगम के द्वारा आयात की गई एल-बेस पर वह बिक्री-कर वसूल कर रहा है। तदनुसार नियम ने इस मामले पर विचार किया और कानूनी राय प्राप्त की जिससे यह पता चला कि प्रश्नाधीन सौदों को बिक्री कर से मुक्त सौदों के रूप में नहीं समझा जा सकता।

(ग) तथा (घ) इस प्रश्न की जांच की जा रही है कि क्या इस सम्बन्ध में आयात व निर्यात नियमों के उपबंधों का कोई उल्लंघन हुआ है।

सरकार की आर्थिक विकास के लिये गावों को अपनाने की योजना में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा सहयोग करना

1774. **डा. बसन्तकुमार पंडित** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु पिछड़े क्षेत्रों में गांवों को अपनाने की सरकार की योजना में सहयोग करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश के किस-किस जिले के किन-किन गांवों को राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सहायक कम्पनियों द्वारा अपनाया जाएगा; और

(घ) आर्थिक विकास के लिये गांवों को अपनाने की योजना में और कौन-कौन से अन्य सरकारी उपक्रम सहयोग कर रहे हैं; यदि हां तो योजना का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने ग्रामीण विकास के समुचित कार्यक्रमों के लिए अनुषंगी नियमों को निम्नोक्त मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं :

(1) हथकरघा/शक्तिचालित करघा बुनकरों को तकनीकी सहायता देना ताकि उनके निष्पादन में सुधार आ सके, उन्हें धागे की सप्लाई हो सके तथा उनके द्वारा तैयार किए जाने वाले कपड़े के विपणन में सहायता दी जा सके।

(2) सिलाई मशीनों के लिए ऋणों की व्यवस्था करके तथा फैन्टस और रंग्स सप्लाई करके परिधान विनिर्माण का विकास;

(3) चमड़े के माल विशेष रूप से मिलों में काम आने वाली वस्तुओं के विनिर्माण में सहायता पहुँचाना

(4) अपनाए गए ग्रामों के बेरोजगार शिक्षित ग्रामीणों को मिलों में प्रशिक्षण देना ताकि बाद में विभिन्न विभागों में उन्हें खपाया जा सके;

तमिलनाडु, गुजरात जैसे लाभ अर्जित करने वाले कतिपय सहायक निगमों ने ऐसी योजनाओं का कार्यान्वयन आरम्भ कर दिया है।

(ग) नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन (मध्य प्रदेश) लि० निरन्तर घाटा उठा रही है और सरकारी उपक्रमों के ब्यूरो द्वारा जारी किए गए उन मार्गनर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जिनमें यह कहा गया है कि ऐसी योजनाएं केवल उन्हीं सरकारी उपक्रमों द्वारा अपनाई जाए जो कि घाटा नहीं उठा रहे हैं उसे वर्तमान स्थिति में ऐसे कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया है।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

चीन से टसर-रेशम के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव

17 5. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर सरकारी व्यापार द्वारा आपूरण लाइसेंसों के अंतर्गत 275 रुपये से 300 रुपये प्रति किलोग्राम तक के देश में मूल्य की तुलना में 110 रु प्रति किलोग्राम की दर चीनी रेशम का आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि चीनी लोग स्थानीय उद्योग को समाप्त करने के लिये असाधारण कम मूल्य पर टसर-रेशम का यहां ढेर लगा रहे हैं और गैर-सरकारी व्यापार न्यूनाधिक रूप से इसमें भागी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अधिक मात्रा में चीनी टसर रेशम से भारत को बचाने के लिये उससे आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) ऐसा आरोप लगाया गया है कि निजी व्यापारियों द्वारा प्रतिपूर्ति लाइसेंसो के अन्तर्गत स्वदेशी बाजार में स्वदेशी रेशम की प्रचलित कीमतों से कहीं कम कीमतों पर चीनी रेशम आयात की जा रही है।

(ग) वास्तविक प्रयोक्ता नीति के अन्तर्गत कच्चे रेशम के आयात पर पहले से ही रोक लगी हुई है। तथापि, प्रतिपूर्ति नीति के अन्तर्गत किये गये निर्यातों के आधार पर इसका आयात करने की अनुमति दी जाती है। सरकार ने टसर रेशम का आयात विनियमित करने के लिये पहले ही कार्रवाई की है और टसर रेशम के माल के निर्यात के आधार पर केवल टसर रेशम का आयात करने की अनुमति देने हेतु प्रतिपूर्ति नीति में संशोधन किया है। इससे आयातों की मात्रा में और कमी होने की संभावना है।

गुजरात राज्य को मोटा कपड़ा

1776. श्री आर. पी. गायकवाड : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 के दौरान गुजरात राज्य को मोटे कपड़े का कितना कोटा आवंटित किया गया और राज्य में इसका कितने मीटर उत्पादन होता है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने वर्ष 1979-80 और 1980-81 के लिये मोटे कपड़े का कोटा बढ़ाने की मांग है; और

(ग) राज्यों को मोटे कपड़े का कोटा आवंटित करने के बारे में क्या कसौटी निर्धारित की गई है; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1979 के दौरान गुजरात राज्य को 17.420 मिलियन वर्गमीटर कंट्रोल का कपड़ा आवंटित किया गया था। इस वर्ष के दौरान गुजरात राज्य में 57.500 मिलियन वर्गमीटर कंट्रोल का कपड़ा तैयार किया गया था।

(ख) जी हाँ।

(ग) राज्यों को कंट्रोल के कपड़े का आवंटन जनसंख्या एवं 400 मिलियन वर्ग मीटर के वार्षिक उत्पादन पर आधारित एक विशेष महीने के दौरान कंट्रोल के कपड़े की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना

1777. श्री टी.आर. शमन्ना : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: ईरान-इराक युद्ध का कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : इस समय यह ठीक-ठीक अनुमान लगाना समयपूर्व होगा कि ईरान और इराक के बीच चल रहे वर्तमान संघर्ष का ईरान द्वारा दो वर्ष पश्चात् कुद्रेमुख लौह-अयस्क सांद्रण खरीदने के बारे में दिए गए संकेत पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

गरीब उत्पादकों से भारतीय जूट निगम द्वारा पटसन की खरीद

1778. श्री नारायण चौबे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पटसन निगम द्वारा गरीब उत्पादकों से पटसन की कम खरीद की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो की गई खरीद का ब्यौरा क्या है और कम खरीद के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) भारतीय

पटसन निगम ने 1 जुलाई से 15 नवम्बर, 1980 तक की अवधि के दौरान पटसन की 7.09 लाख गांठों की मात्रा खरीदी है जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान उसने 5.04 लाख गाठें खरीदी थी। बल्क खरीद पटसन उपजकर्ताओं से की गई है।

जिला अजमेर (राजस्थान) में लघु बचत योजना के अधीन प्राप्त जमा राशियां

1779. आचार्य भगवान देव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के अजमेर जिले में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, लघु बचत योजना के अधीन कितनी जमा राशियाँ प्राप्त हुई ; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान तत्संबन्धी क्या लक्ष्य रखे गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) पिछले तीन वर्षों में राजस्थान के अजमेर जिले में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत जो रकमें जमा के लिए प्राप्त हुई है वे इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपए)

(अल्प बचत संग्रह की रकमें)

	सकल	निवल
1977-78	611	123
1978-79	817	226
1979-80	741	172

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के लिए अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

चीनी के निर्यात के बारे में वचन-बद्धता

1780. श्री एस बी. सिंदनाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी निर्यात के बारे में इस समय जो वचन-बद्धता है उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारत द्वारा इस समय चीनी संबंधी जो अन्तर्राष्ट्रीय करार किये गये हैं; उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) वर्ष 1980 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अन्तर्गत भारत को लगभग 7 लाख मे. टन सफेद चीनी के बराबर के मूल्य का 8 35 लाख मे.टन अपरिष्कृत का बेसिक निर्यात टनभार कोटा प्रदान किया गया है। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार नियमों के अनुसार निर्यात कोटों को पूरा किया जाना फरवरी, 1980 से निलम्बित कर दिया गया है और जब तक ये दुबारा लागू नहीं किये जाते, तब तक निर्यात कोटा बाध्यकारी नहीं है। परन्तु आगे कोटा आवंटनों का निर्धारण करते समय निर्यात निष्पादन का ध्यान रखा जाएगा।

कोटे के निलम्बन के मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के उपबन्धों के अनुसार सभी सदस्य देशों पर विशेष स्टाक रिलीज करने का दायित्व है।

निर्यात के लिए भारत की विशेष स्टाक वचनबद्धता लगभग 1.32 लाख मे.टन है।

चीनी के निर्यात के लिए भारत का यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ करार है जिसके अन्तर्गत हमें 30 जून, 1981 तक 25,000 मे.टन चीनी निर्यात करनी है।

पक्षियों का निर्यात

1781. **श्री डी.एस.ए. शिवप्रकाशम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कलकत्ता के पक्षी-बाजार से विदेशों को पक्षी निर्यात किये जा रहे है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि भेजने की उचित व्यवस्था (पैकिंग) न होने के कारण इनमें से बहुत से पक्षी रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं; और

(ग) क्या "एस पी सी ए." और "ज्यूलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया" को इस प्रकार के कोई अनुदेश दिए गए हैं कि वे प्रेषण से पहले पक्षियों का निरीक्षण करें और प्रमाण पत्र जारी करें।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) फिलहाल भारत से 24 किस्मों के जीवित पक्षियों के निर्यात की अनुमति दी जाती है।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ग) जी नहीं। निर्यात के लिए पक्षियों की सभी खेपों की पोतलदान के प्राधिकृत पत्तनों पर उपलब्ध वन्य जन्तु परिरक्षण के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा लदान पूर्व जांच की जाती है। पक्षियों के निर्यात के लिए कानूनी अधिप्राप्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक है।

केन्द्रीय रेशम अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान में श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करना

1782. **श्री आर.पो. दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान बहरामपुर, पश्चिम बंगाल के नैमित्तिक और समय-मान (टाइम स्केल) मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसंधान निदेशक को आवश्यक आदेश जारी करने के निदेश दे दिये गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी हां। नैमित्तिक और समयमान मजदूरों को नियमित करने के अनुदेश विद्यमान हैं बशर्ते कि वे आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हों और नियमित रिक्तियां विद्यमान हों।

बड़ी परियोजनाओं के लिये सोवियत सहायता

1783. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात और एल्यूमीनियम की ऐसी कौन सी बड़ी परियोजनायें हैं जिनके लिए सोवियत सहायता उपलब्ध है; और

(ख) नकद राशि तथा तकनीकी जानकारी के रूप में कुल कितने मूल्य की सहायता उपलब्ध है और उसका परियोजना-वार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) (क) और (ख) इस्पात क्षेत्र में जिन परियोजनाओं के लिए मुख्य रूप से सोवियत सहायता तथा सहयोग प्राप्त हो रहा है वे हैं—भिलाई इस्पात कारखाने की क्षमता का 25 लाख टन से 40 लाख टन तक विस्तार करना

तथा बोकारो इस्पात कारखाने की क्षमता का 17 लाख टन से 40 लाख टन तक विस्तार करना। जहां तक भिलाई कारखाने का सम्बन्ध है सहायता, ऋण सुविधाओं तथा तकनीशियनों को सहायता के रूप में दी गई है जिसे 1966 में दिए गए '00 मिमियन रूबल के ऋण से पूरा किया जाएगा। बोकारो के लिए दी गई सहायता में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाना, कार्यकारी ड्राइंग बनाना, ऐसे उपस्कर तथा सामग्री मुहैया करना जो भारत में उपलब्ध नहीं हैं; स्थापना के समय डिजाइन सुपरविजन तथा सोवियत रूस में भारतीय तकनीशियनों को प्रशिक्षण देना शामिल है। यह सब खर्च 1955 में किये गये करार के अन्तर्गत दिए गए 200 मिलियन रूबल के ऋण तथा देश की अन्य परियोजनाओं के लिए दिए गए ऋण में से बाद में दिए गए 85 मिलियन रूबल के ऋण से पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने प्रथम चरण के निर्माण के लिए भी सोवियत रूस से 250 मिलियन रूबल का ऋण प्राप्त हुआ है। इस कारखाने की प्रारम्भिक क्षमता 12 लाख टन होगी जिसे बाद में बढ़ाकर 34 लाख टन कर दिया जाएगा।

पूर्वी-तट के निक्षेपों का उपयोग करके 600000/800000 टन वार्षिक क्षमता की एक अल्यूमिना परियोजना लगाने के बारे में मेसर्स तिजवैतरोप्रोमएक्सपोर्ट ने शक्यता प्रतिवेदन तैयार किया था। इस समय सरकार की मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है। परियोजना में पूंजी-निवेश के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय लिए जाने से पूर्व परियोजना से सम्बन्धित वाणिज्यिक तथा आर्थिक पहलुओं के सम्बन्ध में सोवियत रूस से बातचीत करनी होगी। इस बात को देखते हुए यह बताना समय-पूर्व है कि अल्यूमिना परियोजना के लिए सोवियत रूस से कितनी सहायता प्राप्त होगी।

चौकसी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

1784. श्री चिंतामणि जेना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाने हेतु सुझाव देने के लिए किसी व्यक्ति अथवा पेनल की नियुक्ति करने का है;

(ख) क्या सरकार ने चौकसी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां। प्रत्यक्ष कानूनों को सरल बनाने हेतु सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) तथा (ग) अन्तरिम तथा अन्तिम रिपोर्टों में निहित 718 सिफारिशों तथा अभिमतों में से अब तक 18 सिफारिशों को, 1978 तथा 1979 के वित्त अधिनियमों तथा वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1980 के जरिये कार्यान्वित कर लिया गया है। समिति की बाकी सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

अहमदाबाद में कपड़ा मिल पर आयकर विभाग द्वारा छापा

1785. श्री निहाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद की उस कपड़ा मिल का क्या नाम है जिस पर आयकर अधिकारियों ने छापा मारा था और मिल द्वारा 1½ करोड़ रुपए की घोखा-धड़ी का पता चलाया था, जैसा कि

26 सितम्बर, 1980 के 'नव भारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और उस धोखाधड़ी का ब्योरा क्या है; और

(ख) छापों के दौरान किस प्रकार की अनियमितायें पाई गई और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) महोदय, आयकर विभाग ने, 24 सितम्बर 1980 से 29 सितम्बर 1980 के बीच मैसर्स असरवा मिल्स, अहमदाबाद तथा उससे सम्बन्धित समूह के मामलों के व्यापारिक तथा रिहायशी परिसरों की तलाशी ली है

(ख) अब तक की गई प्रारम्भिक जांच-पड़ताल के आधार पर, इस समूह के मामलों में छिपाई गई आय का अनुमान 1.40 करोड़ रुपये का लगाया गया है । इन मामलों में जांच-पड़ताल चल रही है और कानून के अनुसार यथोचित कार्यवाही की जायगी ।

पेंशन का हिसाब-किताब लगाने के लिए पुनरीक्षित दर

1786. **श्री आर० के० महालगी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेंशन का हिसाब-किताब लगाने के बारे पुनरीक्षित दरों के कारण, जैसा कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 25 मई, 1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19 (47-ईव/79) में अधिसूचित किया गया है, कुछ सरकारी पेंशन भोगियों को प्रतिमाह कुछ पेंशन की हानि उठानी पड़ रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार को ऐसे पेंशन भोगियों तथा उनकी एसोसियेशनों से इस बारे में फरवरी से जून, 1980 तक कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) उनके द्वारा की गयी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) 30-9-1977 से सेवा निवृत्ति लाभों के प्रयोजन के लिए 272 के औसत सूचकांक स्तर पर महंगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाने के लिए किए गये निर्णय के परिणामस्वरूप उन सभी पेंशनभोगियों की पेंशन में वृद्धि होगी, जो उस लाभ के साथ सेवा-निवृत्ति थे । लेकिन, यदि पेंशन और "पेंशन पर राहत" दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो कुछ पेंशनभोगियों को हानि होगी । इसके विपरीत ऐसे सभी पेंशनभोगी मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान तथा पेंशन के संराशिकृत मूल्य के रूप में अपेक्षाकृत अधिक बड़ी एकमुश्त राशि के हकदार होते हैं । इस कारण से पेंशनभोगियों को एक विकल्प दिया गया है ताकि यदि किसी व्यक्ति को नए आदेशों के अन्तर्गत हानि होती है तो वह पुराने आदेशों के अन्तर्गत विकल्प दे सकता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पेंशनभोगियों के लिए पहले से ही विकल्प देने की व्यवस्था है ताकि कोई भी पेंशन-भोगी ऐसे लाभों के लिए विकल्प दे सके जिससे वह अपेक्षाकृत अधिक लाभान्वित हो सके ।

सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क के मामलों के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण

1787. **श्री आर. एल. भाटिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क के मामलों के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के बारे में अब तक कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन न्यायाधिकरणों के सदस्य कौन होंगे और मामलों में निर्णय करने संबन्धी उनकीशक्तियां क्या होंगी;

(ग) उक्त न्यायाधिकरण कहां-कहां स्थित होंगे; और

(ख) वे कब अपना कार्य आरम्भ कर देंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित न्यायाधिकरण सीमाशुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ताओं के निर्णय के खिलाफ की गई प्रथम अपीलों की और सीमाशुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ताओं (अपील) द्वारा पारित किए गए अपीलादेशों के खिलाफ की गई दूसरी अपीलों की सुनवाई करेगा। न्यायाधिकरण में कानूनी पृष्ठभूमि एवं योग्यताओं वाले सदस्य और सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क विभाग से लिये गए तकनीकी सदस्य होंगे। न्यायाधिकरण को, जिन निर्णयों के खिलाफ अपील की गई हो, उनकी पुष्टि करने, उसमें परिवर्तन अथवा संशोधन करने के लिए अधिकार होंगे। अपना कार्य निष्पादित करने के प्रयोजनार्थ प्रकटीकरण और निरीक्षण, हाजिर कराने, लेखाबाडयों और दस्तावेजों को पेश करने के लिये बाध्य करने और कमीशन जारी करने के सम्बन्ध में, न्यायाधिकरण को एक सिविल न्यायालय के अधिकार होंगे। न्यायाधिकरण से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरे वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1980 की पांचवीं अनुसूची में दिए हुए हैं।

(ग) फिलहाल, न्यायाधिकरण की बैंचें दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) आवश्यक प्रशासनिक तथा कानूनी प्रबन्ध-व्यवस्थाए जिनके सम्बन्ध में कार्यवाही शुरू कर दी गयी हैं, पूरी होते ही न्यायाधिकरण द्वारा कार्य शुरू कर दिये जाने की आशा है; ऐसा यथासंभव शीघ्र होने की उम्मीद है।

समस्तीपुर जिले में सेंट्रल बैंक द्वारा दिये गये ऋण

1788. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या वित्त मंत्री समस्तीपुर जिले में दुधारु पशुओं के लिए कमजोर वर्गों को सेंट्रल बैंक आफ इन्डिया द्वारा दिए गए ऋण के बारे में 25 जुलाई 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5602 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर के भाग (ख) और (ग) से सम्बन्धित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस जानकारी को सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उस जानकारी को सभा-पटल पर रखे जाने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (ग) अतारांकित प्रश्न संख्या 5602 के भाग (ख) और (ग) से सम्बन्धित सूचना इस बीच, एकत्र की जा चुकी है तथा उसे सदन के पटल पर 24-11-1980 को रख दिया गया है।

मांगी गई सूचना नीचे लिखे अनुसार है :

1979-80 के दौरान, सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया ने, आई. आर. डी. पी. के अन्तर्गत दुधारु पशु खरीदने के लिए, समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित 401 लाभ प्राप्तकर्ताओं का, विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन, रियायती ब्याज दरों पर वित्त पोषण किया। कुल 9.30 लाख रुपए के ऋण सवितरित दिए गए। इसका शाखावार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपए)

शाखा	प्राप्त आवेदन-पत्र		स्वीकृत आवेदन-पत्र		लौटाए गए आवेदन-प	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
समस्तीपुर	80	3.18	78	3.10	2	0.08
दुलमिगसराय	53	0.90	11	0.22	42	0.68
सेराइरजन	140	2.72	120	2.42	20	0 30
ताजपुर	72	1.24	42	0.84	30	0.40
पूसा फारम	60	1.00	60	1.00	—	—
रोसोरा	90	1.80	90	1.80	—	—
	495	10. 4	401	9.38	94	1.46

उड़ीसा में लौह अयस्क, मैंगनीज और चूना पत्थर की खानों की संख्या

1789. श्री हरिहर सोरन . क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में लोह अयस्क, मैंगनीज और चूना पत्थर की कुल कितनी खानें हैं;

(ख) क्योंझर जिले में ऐसी कुल कितनी खानें हैं;

(ग) एम.एम.टी.सी और ओ.एम.सी. तथा निजी मालिकों की कितनी-कितनी खानें हैं और

(घ) निजी मालिकों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) उड़ीसी में 1979 लौह अयस्क, मैंगनीज और चूना-पत्थर की कुल खानें क्रमशः 58, 41 और 14 थीं।

(ख) क्योंझर जिले में लौह अयस्क, मैंगनीज और चूना-पत्थर की कुल खानें क्रमशः 4 22 और शून्य थीं।

(ग) एम.एम.टी.सी. की इनमें से कोई खान नहीं है। ओ. एम. सी. की 9 लौह अयस खानें और 7 मैंगनीज खानें हैं लेकिन चूना-पत्थर की कोई खान नहीं है। निजी मालिकों क 45 लौह अयस्क खाने, 33 मैंगनीज खानें तथा 12 चूना-पत्थर खानें हैं।

(घ) कृपया विवरण देखें।

विवरण

निजी खान मालिक

लौह अयस्क

1. श्री अर्जुन लछवा,
   पी.ओ. चाईबासा, जिला सिंहभूम।

2. श्री बी.डी. पटनायक,
   पी.ओ. बोनाईकेला, जिला क्योंझर।

3. मै. मानजा मिनरल्स (पी) लि.,
पी.ओ. क्योंझर गढ़, जिला क्योंझर (उड़ीसा)।
4. वर्ड एण्ड कं.लि.,
चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग, कलकत्ता।
5. मै. एच.जी. पांड्या एंड ब्रादर्स,
पी.ओ. बारबिल, जिला क्योंझर।
6. मै. हिन्दुस्तान जनरल इलैक्ट्रिक कोरपोरेशन लि., थापर हाऊस,
25, ब्राबोरन रोड, कलकत्ता।
7. श्री के.सी. प्रधान,
प्लॉट नं. 306/642, रोड नं. 8,
यूनिट IX, भुबनेश्वर-7
8. मै. कलिंगा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, पी.ओ. जोदा,
जिला क्योंझर।
9. मै. खटाऊ नरमेराम एण्ड कं.,
पी.ओ. गुआ, जिला सिंहभूम।
10. श्री एम.एच. रहमान,
पी.ओ. बारबिल, जिला क्योंझर।
11. मो. सिराजुद्दीन एण्ड क.,
19-ए, ब्रिटिश इंडियन स्ट्रीट, कलकत्ता।
12. मै. सिराजुद्दीन,
पी.-16, बैंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता।
13. मै. मणि लाल एण्ड ब्रदर्स,
पी.ओ. क्योंझर गढ़, जिला क्योंझर।
14. श्री निरंजन पटनायक, मुरगावेदा,
जिला क्योंझर।
15. मै. उड़ीसा मिनरल डेवे. क. लि.,
पी.बी. नं. 46, चार्टर्ड बैंक बिल्डिंग,
कलकत्ता।
16. आर.एस. भंजदेव,
पो.ओ. जोदा, जिला क्योंझर।
17. मै. रुंगटा माइन्स (पी) लि.,
पी.ओ. चाईबासा, जिला सिंहभूम।
18. मै. एस. लाल एण्ड कं. लि.,
आफिस आफ एजेंट, पी.ओ. बारबिल,
जिला क्योंझर।
19. अबिजीत राय एण्ड विक्रमजीत राय,
पी.ओ. बांसरानी, वाया जोदा,
जिला क्योंझर (उड़ीसा)।
20. श्री एस.सी. पाधी,
पी.ओ. जोदा, जिला क्योंझर।
21. श्री एस.नरायण एण्ड कं.,
174, एम.जी. रोड, कलकत्ता।
22. डा. (श्रीमती) सरोजिनी प्रधान,
तेलंगा बाजार, कलकत्ता।
23. मै. टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लि.,
पी.ओ. जमशेदपुर।
24. बजरंग लाल पाडिया,
पी.ओ. रायरंगपुर, जिला मयूरभंज।
25. श्री घनश्याम मिश्रा,
पी.ओ. गुरुमाहीसानी, जिला मयूरभंज।
26. मै. लाल ट्रेडर्स एण्ड एजेंसी (पी) लि.,
7, बाटरलू स्ट्रीट, कलकत्ता।
27. श्री जय किशोर चौबे,
पी.ओ. रायरंगपुर, जिला मयूरभंज।
28. मै. ओमप्रकाश उमाशंकर गौरीशंकर चौबे,
पी.ओ. रायरंगपुर।
29. आर.सी. दास,
पी.ओ. बदेम पहाड़।
30. मै. बानाई इंडस्ट्रीयल क.,
पी.ओ. बारबिल, जिला क्योंझर।
31. मै. फीग्रादे एण्ड कं. (पी) लि.,
पी.ओ. बारबिल, जिला क्योंझर।
32. श्री एम.जी. मोहंती,
स्टेशन रोड, पी.ओ. बारबिल,
जिला क्योंझर।
33. मै. एस. लाल एण्ड कं. लि.,
10, कैमक स्ट्रीट, कलकत्ता।
34. आयर्स माइनिंग एंड ट्रेडिंग कारपोरेशन (पी) लि.,
पी.ओ. कोयर, जिला सुन्दर गढ़।

मैंगनीज अयस्क

1. मै. टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लि., पी.ओ. जमशेदपुर ।
2. मै. उड़ीसा मिनरल डेवेलपमेंट कं. लि., पी.ओ. बारबिल, जिला क्योंझर, उड़ीसा ।
3. मै. सिराजुद्दीन एंड कं., पी.-16, बेंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता-1
4. मे. हिन्दुस्तान जनरल इलैक्ट्रिकल कारपोरेशन लि., पी.ओ. बारबिल, जिला क्योंझर, उड़ीसा ।
5. मांगीलाल रुंगटा, पी.ओ. चाईबासा, जिला सिंहभूम ।
6. मै. कलिंगा माइनिंग कारपोरेशन, पी.ओ. जोदा, जिला क्योंझर ।
7. श्री बी.डी. पटनायक, पी.ओ. बोनाई केला, जिला क्योंझर, उड़ीसा ।
8. मै एच.जी. पंडया एण्ड ब्रोदर्स, पी.ओ. जजांग, बाया जोदा, जिला क्योंझर, उड़ीसा ।
9. श्री नरायण एण्ड कं., पी.ओ. नोआ मंडी 833218 जिला सिंहभूम, बिहार ।
10. मै. एस. लाल एंड कं. लि., 10, कैमक स्ट्रीट, कलकत्ता-17
11. मै. उड़ीसा मैंगनीज एण्ड मिनरल (पी) लि., जिला क्योंझर ।
12. मै. फ्रीगादे एण्ड कं. लि., पी.ओ. बारबिल, क्योंझर, उड़ीसा ।
13. श्री टी.पी. रुंगटा, पी. ओ. चाईबासा, बिहार ।
14. मै. बोनाई इन्डस्ट्रीयल कं. लि., पी ओ. बारबिल, क्योंझर, उड़ीसा ।
15. मै. आयरन माइनिंग एण्ड ट्रेडिंग कारपोरेशन (पी) लि., पी.ओ. कोयरा, हैड आफिस: 61, स्टैंड रोड, कलकत्ता-3 ।

चूना-पत्थर

1. श्री ज्योति प्रमाणिक, मिशन रोड, पी.ओ. संभलपुर, उड़ीसा ।
2. मै. बिसरा स्टोन लाइम कं., जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) ।
3. श्री आर.ए. जालान, जे.डी.एल. माइन्स, पी.ओ. राजभंगपुर, जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) ।
4. मै. रमिक लाल एण्ड कं., पी.ओ. क्योंझरगढ़, जिला क्योंझर, (उड़ीसा) ।
5. मै. उड़ीसा सीमेंट लि., पी.ओ. राजभंगपुर, जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) ।
6. मै. टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लिमिटेड, पी.ओ. हातीबारी, जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा), (हातीबारी लाइमस्टोन क्वायरी)

7. मै. वी.डी. पटनायक,
स्थित/पी.ओ. बयोंझर गढ़, जिला बयोंझर (उड़ीसा)।

8. श्री सदाशिव त्रिपाठी,
पी.ओ. खटकुर बाहाल, जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा)।

9. श्री रानी सती माइनिंग ट्रेडर्स,
लाईम स्टील क्वायरीज, मैन रोड,
राऊरकेला-769001 (उड़ीसा)।

10. श्री जी.सी. शर्मा एण्ड ब्रादर्स,
माधो भवन, पी.ओ. खड़गपुर,
एस.ई. रेलवे (पश्चिम बंगाल)।

11. श्री विजय कृष्णलाल माइन ओनर एण्ड इंजीनियर, कंट्रक्टर कालोनी,
सेक्टर-6, पी.ओ. राऊरकेला-769002

12. मै. यूनाइटेड कोलियरीज लि.,
पी.ओ. लाँजीबरना, जिला सुन्दरगढ़,
उड़ीसा।

आयकर विभाग, दिल्ली द्वारा सर्वेक्षण

1790. **श्री धर्मदास शास्त्री :**

श्री सोमजी भाई डामोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग दिल्ली द्वारा दिल्ली में छिपाई गई आस्तियों तथा कर-अपवंचन का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उस सर्वेक्षण के फलस्वरूप जो पार्टियाँ पकड़ी गई हैं उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त सर्वेक्षण जन-शक्ति तथा संसाधनों का अपव्यय मात्र सिद्ध हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ख) : आयकर विभाग, दिल्ली में नये कर-दाताओं का पता लगाने के लिये और वर्तमान कर-दाताओं के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यवाही कर रहा है। अक्तूबर, 1979 से अक्तूबर, 1980 तक की अवधि के दौरान सर्वेक्षण सम्बन्धी इन कार्यवाहियों में लगभग 20,000 पार्टियों के परिसरों का सर्वेक्षण किया गया, आयकर के 8,300 नये मामलों और धनकर के 900 नये मामलों का पता लगाया गया और वर्तमान कर-दाताओं में से 9000 से अधिक के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की गई।

(ग) जी, नहीं।

बोनस के मामले पर एयर इण्डिया में हुई हड़ताल के कारण हुई हानि

1791. **श्री एस. एम. कृष्ण :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस के मामले पर "गिल्ड" द्वारा हड़ताल के दौरान एयर इण्डिया द्वारा यात्री तथा माल यातायात के रूप में हुई राजस्व की हानि का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्या गत वर्ष एयर इण्डिया ने 20 प्रतिशत बोनस देने का वचन दिया था, गिल्ड द्वारा किया गया यह दावा सही है;

(ग) यदि हाँ, तो किसने यह वचन दिया था; और

(घ) एयर इण्डिया के कर्मचारियों के विभिन्न संघों द्वारा की जा रही ऐसी अवैध

हड़तालों, जिससे राष्ट्रीय विमान कम्पनी की बदनामी हुई है, को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या ठोस कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) : एयर इण्डिया के प्रबन्धकर्ता ने 1978-79 से 1980-81 तक की अवधि के दौरान उत्पादकता से सम्बन्द्ध बोनस की अदायगी करने के लिए 1979 में यूनियनों के साथ एक उत्पादकता से सम्बन्ध बोनस समझौता किया था। क्योंकि उक्त फार्मूले के अनुसार वर्ष 1979-80 के लिए उत्पादकता से सम्बद्ध कोई बोनस देय नहीं था, एयर इण्डिया के प्रबन्ध वर्ग ने 8.33% के न्यूनतम सांविधिक बोनस की अदायगी करने की पेशकश की।

(घ) यूनियनों को गैर-कानूनी हड़तालें करने से रोकना सम्भव नहीं है। तथापि, समस्याओं का समाधान बातचीत/विचार-विमर्श करके करने के प्रयत्न किये जाते हैं।

सेवा निवृत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सहायता

1792. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यरत कर्मचारियों को 1973 तक जब कभी कोई वित्तीय लाभ दिये गए तो सेवा-निवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेन्शन में भी तदर्थ वृद्धि की गई; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1973 के बाद से अब तक दिए गए वित्तीय लाभों और भविष्य में दिये जाने वाले लाभों के साथ सेवा-निवृत्त कर्मचारियों की पेन्शन में भी उसी तरह तदर्थ वृद्धि किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, यह फोटो देखिये। हम लोगों ने एजोर्नमेंट मोशन दिया है कि बिहार में पुलिस यह ज्यादती कर रही है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन में कुछ घोषणा करनी है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं।

मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि मुझे सर्वश्री बापू साहिब परुलेकर, समर मुखर्जी, ज्योतिर्मय बसु, आर० के० महालगी, राम विलास पासवान, हरिकेश बहादुर, रामावतार शास्त्री, अटल विहारी बाजपेयी और सत्यसाधन चक्रवर्ती से—

बिहार पुलिस के बर्बर कृत्यों के कथित समाचार, जिसमें बिहार पुलिस पर यह आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा अनेक विचाराधीन बन्दियों को अन्धा किया गया के बारे में—स्थगन प्रस्ताव की सूचाएं मिली हैं।

जब इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनाएं मिली थीं तो अध्यक्ष महोदय ने

मामले की सही स्थिति जानने के लिये तत्काल मामले को गृह मंत्री महोदय के पास भेज दिया था। गृह मंत्रालय से मुझे एक अन्तरिम उत्तर प्राप्त हुआ है। सही स्थिति से अवगत कराने वाला अन्तिम उत्तर अभी प्राप्त किया जाना है। चूंकि उठाया जाने वाला मामला, जिसकी अनुमति मांगी गई है, एक लोक महत्व का मामला है, इस मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 1 दिसम्बर, 1980 सोमवार को लाने की अनुमति दी गई है। (व्यवधान)

श्री धनिक लाल मण्डल (झंझापुर) : यह केवल आंखें फोड़ने की बात है। बोद्ध गया में पुलिस क्या कर रही है, वह मैं बता रहा हूँ।...(व्यवधान)...आप केवल एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सबको सहयोग से काम लेना चाहिये। मैंने बताया है कि सोमवार को हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लायेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो भी बात कही जाए उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए।

मुझे यहदेखकर खेद होता है कि ये बातें दोहराई जा रही हैं यद्यपि मैं तथाकथित शून्य काल का सम्मान करने और कुछ करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयत्न कर रहा हूँ। परन्तु यदि आप इस तरप का व्यवहार करेंगे तो हम कुछ भी न हीं कर सकते हैं। मुझे बड़ा खेद है।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभापटल पर पत्र रखे जायेंगे। (व्यावधान)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें,

जिस न्यूनतम मूल्य पर पटसन और मेस्ता कलकत्ता में बेचा जायेगा उसके पुनर्निधारण की अधिसूचना और भारतीय कपास निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1978-79 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं।

(1) निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सेनेटरी तथा नल आदि के सामान का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1980 जो दिनांक 23 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां.आ. 2101 में प्रकाशित हुए थे।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(दो) मछली तथा मछली उत्पादों का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 30 अगस्त 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 2167 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सूखी मछली का निर्यात (गुण प्रकार नियत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 30 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सां०आ० 2168 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सूखी शाकं फिनो और मछली के जबड़ों का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 30 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सां०आ० 2169 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) धनिये का निर्यात (गुण प्रकार नियत्रण और निरीक्षण) नियम, 1980 जो दिनांक 6 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 2213 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) सालन चूर्ण (करी पाउडर) का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1980 जो दिनांक 20 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2438 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) एल्यूमिनियम के बर्तनों का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1980 जो 20 सितम्बर, 980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2440 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) विद्युत मोटर और जनित्रों का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1980 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सां० आ० 2554 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) निर्यात निरीक्षण एजेंसी (भर्त्ती) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1880 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०सा०नि० 1080 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी-1430/80]

(2) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 के अन्तर्गत अधिसूचना सां.आ. 2216 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 6 सितम्बर 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय सीमेंट निगम को उक्त अधिनियम की धारा 18 क के अन्तर्गत हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले में किसी खनिज की उपलब्धता के बारे में जाँच करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी.-1431/80]

(3) पटसन (लाइसेंस देना और नियंत्रण) आदेश, 1961 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सां.आ. 617 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 6 अगस्त, 1980 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उन न्यूनतम मूल्यों के निर्धारण के सम्बन्ध में है जिन पर अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित विभिन्न प्रकार और ग्रेड का पटसन और मेस्ता जून, 1981 को समाप्त होने वाले मौसम में कलकत्ता में

खरीदा अथवा बेचा जायेगा तथा उसका शुद्धिपत्र जो दिनांक 10 सितम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या सां.आ. 769 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-1432/80]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 197 -79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल टी.-1433/80]

विमान (पांचवां संशोधन) नियम

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हू :—

विमान अधिनियम, 1934 की धारा 14 क के अन्तर्गत विमान (पांचवां संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 23 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां.सां.नि. 883 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-1434/80]

कृषिक पुनर्वित तथा विकास निगम, बम्बई और आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं;

(1) कृषिक पुनर्वित तथा विकास निगम अधिनियम, 1963 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कृषिक पुनर्वित तथा विकास निगम बम्बई, के 30 जून 1980 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी.-1435/80]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (आठवां संशोधन) नियम 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 17 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां.आ. 894 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल.टी. 1436/80]

लोक लेखा समिति के विवरण

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं निम्नलिखित विवरणों के अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) रेलवे संचालन और आय पर 107वें प्रतिवेदन (छठी लोकसभा) के अध्याय एक में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय पांच के संबंध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

(2) रेलवे व्यय पर 117वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के अध्याय एक में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय पांच के सबध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना सभा को देनी है :—

'राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उबबन्धों के अनुसरण में मुझे असम विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1980, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 24 नवम्बर, 1980 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, को वापिस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में लोकसभा को कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, आयुर्विज्ञान शिक्षा इत्यादि को नई दिशा देने के बारे में याचिका

श्रीमती गीता मुखर्जी : राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, आयुर्विज्ञान शिक्षा को नई दिशा देने, आयुर्विज्ञान स्नातकों के रोजगार, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने और स्वास्थ्य पर बजट में और अधिक धन का प्रावधान करने के बारे में डा. अरुण मित्र तथा श्रीमती उषा श्रीवास्तव द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करती हूं।

रोजगार के अधिक अवसर जुटाने, मूल्य वृद्धि, शिक्षा सुधार, मूल अधिकारों में 'काम का अधिकार' शामिल करने आदि के बारे में याचिका

श्री के. ए. राजन : अधिक रोजगार उत्पन्न करने, मूल्य वृद्धि, शिक्षा सुधार, मूल

अधिकारों में 'काम का अधिकार' शामिल करने, मताधिकार-आयु कम करने तथा बेरोजगारी सहायता के बारे में श्री बंत सिंह बरार तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्तारांतरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

प्रसारण एककों की नीतियों तथा कार्यक्रमों से संबन्ध सलाहकार समिति को गठित कार्यक्रमो पर समिति गठन करने के बारे में वक्तव्य

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य दिये जायेंगे।

श्री वसन्त साठे।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री नीरेन घोष : नियम के 222 के अन्तर्गत। मैंने 1,37, 000 एक और पत्तन श्रमिकों की संभावी हड़ताल के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। आपने उसके बारे में कोई बात नहीं कही है। उस स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनेक बार बताया है कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति अथवा अस्वकृति के लिये अध्यक्ष द्वारा कारण नहीं बताये जायेंगे। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : "मे नारे" शब्दों का प्रयोग किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय श्री बसन्त साठे वक्तव्य देंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। (व्यावधान) इसकी नियम 222 के अन्तर्गत अनुमति नहीं दी जा सकती है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : सरकार कुछ समय से सूचना और प्रसारण मत्रालय के अधिन विभिन्न माध्यम संगठनों की पुनःसंरचना के उपायों और साधनों पर विचार करती रही है ताकि वे सगठन अधिक व्यवसायिक और दक्ष तरीके से कार्य कर सकें सरकार इस बात के लिए भी उत्सुक है कि माध्यमों को जनता की व्यापक आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, सूचना और प्रसारण मत्रालय के अधीन विभिन्न माध्यम सगठनों को उपयुक्त और कठीन कार्यक्रम सोचने होंगे ताकि लोगों की सांस्कृतिक अभिन्नता समृद्ध हो और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिले।

2. इस बात को ध्यान में रखते हुए, एक सलाहकार समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है जो सरकार को समय-समय पर उपयुक्त सिफारिशें देगी।

3. सलाहकार समिति के गठन और इसके विचारणीय विषयों से सम्बन्धित संकल्प की प्रति सदन की मेंज पर रखी जाती है।

(ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी 1447/80)

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। *

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, इसे कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा क्योंकि नियम 372 इस सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट है :

'लोक महत्व के किसी विषय पर अध्ययन की सम्मति से मन्त्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा, जिस समय वक्तव्य दिया जाये कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।"

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा, स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ। (व्यवधान) मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप और हम-दोनों * को नियमों का पालन करना चाहिये। (व्यवधान) नहीं, कृपया कोई स्पष्टीकरण नहीं।

श्री भीष्म नारायण सिंह।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, मैं घोषणा करने के लिए उठा हूं कि इस सदन में सरकारी कार्य··· (व्यवधान) *

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम 372 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण के लिये भी नहीं कह सकते। (व्यवधान)* जो भी बाधा उपस्थित करते हैं सदन को उन्हें जानना चाहिये। (व्यवधान) मैं नियमों के विरुद्ध अनुमति नहीं दे सकता हूं। नियमों का मैं और सदन नियमों का संरक्षक है। (व्यवधान) आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं मुझे बहुत खेद है।

हां, श्री भीष्म नारायण सिंह (व्यवधान) नहीं मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

सभा का कार्य

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 1 दिसम्बर, 1980 के प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :

(क) वर्ण पटह तथा वर्ण अस्थि (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का प्राधिकार) विधेयक, 1980

(ख) रंगभेद विरोधी (संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन) विधेयक, 1980

(ग) वायु (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) विधेयक, 1980

(घ) नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के उपयोग के लिए प्राधिकार) विधेयक, 1980

(ङ) जूट कम्पनियां (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1980

3. निम्नलिखित अध्यादेशों का अनुमोदन करने वाले संकल्पों पर चर्चा तथा साथ ही उनके प्रतिस्थान में विधेयकों पर विचार और पारित करना :

(क) वन (संरक्षण) अध्यादेश, 1980

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 1980

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

4. निम्नलिखित पर विचार और पारित करना :

(क) खुदाबक्श ओरियन्टल पब्लिक लायब्रेरी (संशोधन) विधेयक, 1980, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में ।

(ख) रामपुर रजा लाइब्रेरी (संशोधन) विधेयक, 1980, राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में ।

(ग) विक्टोरिया मेमोरियल (संशोधन) विधेयक, 1980,

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, क्या हुआ है ? यह अगले सप्ताह के लिए है और यह सारा ही सरकारी कार्य है । कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक में इस पर यह सहमति हुई थी कि सरकार साम्प्रदायिक स्थिति, किसानों के लिए मूल्य-वृद्धि तथा छठी पंच-वर्षीय योजना पर चर्चा होगी । यह तीनों मामले लोक महत्व के हैं । किन्तु अब सरकार यह कह रही है कि अगला समूचा सप्ताह सरकारी कार्य से ही भरा हुआ है । लोक महत्व के अन्य कार्य का क्या होगा ? कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक स्थगित की गई थी और अब इसकी बैठक नहीं हुई है । जब तक सरकार इन तीन मामलों अर्थात् साम्प्रदायिक स्थिति, किसानों के उत्पादों के लिये लाभकारी मूल्य आदि पर चर्चा के लिये सहमत नहीं होगी तब तक हम भी इस पर सहमत नहीं होंगे । आन्दोलन चल रहे हैं, कठिनाई बनी हुई है । छठी पंच-वर्षीय योजना का ढांचा परिचालित किया गया है; हम उस पर भी चर्चा करना चाहते हैं । सरकार को इस सम्बन्ध में क्या कहना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप कार्य मंत्रणा की बैठक में उपस्थित थे ?

श्री चन्द्रजीत यादव : यह सहमति हुई थी कि एक बैठक और की जायगी किन्तु ऐसा नहीं किया गया है; इसे स्थगित किया गया है । हम सदन के सत्र स्थगन करने जा रहे हैं; फिर क्या होगा ? हम अगले सप्ताह के लिए स्थगन कर रहे हैं; अगले सप्ताह का कार्य आरम्भ करने से पहले हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार समय कैसे निकालेगी और कैसे संसद-लोकसभा इन विषयों पर चर्चा करने का समय निकालेगी । यह विषय बड़े महत्वपूर्ण हैं और सरकार को उन पर चर्चा के लिए सहमत होना चाहिए । वरन् हम इस प्रकार नियमों की तोड़-मरोड़ के लिए सहमत नहीं होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कार्य मंत्रणा समिति के बारे में जानते हैं कि कारण बताये गए हैं । आप सभी उस पर बोल सकते हैं और तब मंत्री महोदय उसका उत्तर देंगे । यह कोई तरीका नहीं है ।...(व्यवधान)...इसके लिए प्रक्रिया तो होनी चाहिए । आप यही मामला उठाने जा रहे हैं । पर अन्त में इसका उत्तर देंगे । (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : कार्य मंत्रणा समिति किस लिये है ? आप उसकी बैठक नहीं बुलाते, वह समिति किस लिये बनाई गई है; अगर उसकी बैठक नहीं की जाती है । कार्य मंत्रणा समिति की अनुमति के बिना वह कार्य की घोषणा कैसे कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि उन्होंने इसे सदन के समक्ष रखा है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ।

प्रो मधुदण्डवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न प्रक्रिया के बारे में है—संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा वक्तव्य देने के बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत आप व्यवस्था प्रश्न उठा रहे हैं।

प्रो० मधुदण्डवते : नियम 376 के अन्तर्गत यह ही नियम है। हम 376 नियम को कितनी बार उदधृत करेंगे। हमने इसे जबानी याद कर रखा है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि वक्तव्य हमेशा कार्यमन्त्रणा समिति की बैठक के बाद दिया जाता है। कुछ कारणों से चूंकि अध्यक्ष महोदय का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक रद्द हो गई थी। अब कार्य मत्रणा समिति का उल्लंघन कर यहां पर संसदीय कार्य मन्त्री महोदय कार्य के बारे में अपना वक्तव्य देते हैं और वस्तव में उस निर्णय का उल्लंघन करते हैं जो कार्य मंत्रणा समिति की एक पहले की बैठक में हुआ था। यह बहुत ही आपत्ति-जनक है। इसलिये श्री अटल बिहारी वाजपेयी यह कह रहे थे कि वक्तव्य देने की समूची प्रक्रिया ही गलत है। अतः आपको संसदीय कार्य मंत्री से कहना और निर्देश देना चाहिये कि कार्य मंत्रणा समिति की सहमति के बिना ऐसा वक्तव्य नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूँ ?

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय इसका उत्तर देंगे। पहले मन्त्री महोदय को सुनें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपको पहले हमें सुनना चाहिये। आपने मन्त्री महोदय को वक्तव्य देने की अनुमति कैसी दी ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनका इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूँ। तब आप बोल सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह सत्य नहीं है कि कार्य मत्रणा समिति की बैठक नहीं बुलाई गई थी ? इसकी कोई बैठक नहीं हुई है। वह समिति से परामर्श किये बिना अगले सप्ताह के कार्य की घोषणा कैसे कर सकते हैं ? यह समिति सदन की समिति है (व्यवधान) क्या उन्हें हमारा सहयोग चाहिये अथवा नहीं ? यदि हमसे परामर्श नहीं किया जाता है तो हम समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम सभी समिति के सदस्य है··· ··

श्री भीष्म नारायण सिंह : कार्य मंत्रणा समिति तो समय का आवंटन करती है। वह समय आवंटित किया गया है। तब हम कार्य को व्यवस्थित करते हैं और आप के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह प्रक्रिया है। यदि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक स्थगित की गई थी तो यह मेरा दोष नहीं है। (व्यवधान) आप सरकारी कार्य लिये कार्य मंत्रणा समिति में समय का आवंटन करते हैं। तब मैं उसकी यहां घोषणा करता हूँ।···

श्री चन्द्रजीत यादव : यह महत्वपूर्ण प्रश्नों पर—दिन सदन क्या कार्य करेगा—विचार करती है। यह कोई तकनीकी समिति नहीं है (व्यवधान) आप कार्य मंत्रणा समिति को गम्भीर रूप से बिल्कुल नहीं लेते हैं। यह समय आवंटन करने वाली समिति नहीं है। मुझे इस पर गम्भीर आपत्ति है। यह समय आवंटन करने वाली समिति नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण समिति है और सदन की ओर से यह कार्य करती है कि सदन में क्या कार्य होगा। कार्य पर बहस होती है—सरकारी और गैर-सरकारी कार्य पर बहस होती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय अच्छी तरह जानते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति की

पिछल सप्ताह की बैठक में केवल तीन विषयों को चुना गया था। एक मूल्या का प्रश्न, जिस पर पहले ही इस सप्ताह चर्चा की गई थी; दूसरा, किसानों के उत्पादों के मूल्यों का कम होना। उस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। तीसरा साम्प्रदायिक स्थिति का प्रश्न है। यदि यह बैठक इस सप्ताह सामान्य रूप में हुई होती तो हम जानते हैं कि इनमें से एक विषय के लिए निश्चित रूप से समय मिल गया होता। चू कि बैठक हो नहीं सकी अत. वह उसका फायदा उठा रहे हैं और वे अपनी मनमानी कार्यसूची प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें वे समिति को परामर्श नहीं करते। हमने उनमें से एक विषय का चयन कर लिया होता और वह इससे सहमत हो गये होते। अध्यक्ष महोदय ने पहले ही आश्वासन दे दिया था। वैसा किए बिना वे केवल सरकारी कार्य लेकर प्रस्तुत हुए हैं। उन दूसरी मदों के बारे में क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यसूची भी रहने दी जाय। अध्यक्ष महादय ने पहले ही सदन को इस बात का आश्वासन दे दिया था कि उन विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। मैं आपकी उत्कट भावनाओं से अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दूगा, और सोमवार को जब अध्यक्ष महोदय आएंगे तो इन चर्चाओं के सम्बन्ध में कुछ घोषणा की जाएगी। (व्यवधान) श्री इन्द्रजीत गुप्त, मैं सदन की उत्कट भावनाओं से अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दूंगा···

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बासीरहाट) : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक क्यों नहीं बुलाते ?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : क्या मैं निवेदन कर सकता हूं ?

श्री राम विलास पासवान : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम 289 के मुताबिक लिखा हुआ है कि समिति की सिफारिशें सभा को प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत की जाएंगी, हम लोगों का प्वाइंट आफ आर्डर है कि जब समिति की बैठक ही नहीं हुई, समिति ने कोई सिफारिश ही नहीं की तो सभा में आप क्या प्रतिवेदन करा रहे हैं ? आप इस बारे में रूलिंग दीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, आपने मेरे व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न के सम्बन्ध में कोई विनिर्णय नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी के विचारों को पूछ रहा हूं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर सौहार्द पूर्ण ढग से निर्णय किया जाना है। (व्यवधान)

श्री भीष्म नारायण सिंह : पिछली कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का प्रतिवेदन पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था। यह अगले सप्ताह का कार्य है। प्रतिवेदन का प्रश्न ही कहां है ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या मैं एक ठोस सुझाव दे सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम उनका ठोस सुझाव सुनें।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : आज शाम को आप कार्य मत्रणा समिति की बैठक बुला सकते हैं। समिति की बैठक होने दीजिए और अगले सप्ताह के लिए कार्यक्रम पर चर्चा करने दीजिए। मंत्री महोदय ने कुछ गलत किया है। अकेले इसी कार्यक्रम के साथ उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए था।

श्री भीष्म नारायण सिंह : नियम 288 स्पष्ट है। आप नियम पढ़ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 88 में बताया गया है;

"समिति का यह कृत्य होगा कि वह ऐसे सरकारी विधेयकों के प्रक्रम या प्रक्रमों तथा

अन्य कार्य पर चर्चा के लिए समय के बटवारे की सिफारिशें करें जिन्हें अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से समिति को सौंपे जाने का निदेश दे।"

समवत. वह कहते हैं कि यह समिति का कार्य होगा कि वह समय की सिफारिश करे···

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : निर्णय समिति को करना है, मंत्री महोदय को नहीं। आप इसे सही मानते हैं तो यह समझा जाएगा कि हम अगले सप्ताह के लिए मंत्री महोदय द्वारा बताए गए इन विषयों के लिए सहमत हो गए हैं—बशर्ते कि सदन उससे सहमत हो जाता है। आपने अभी जो पढ़ा है उसमें 'समिति' का उल्लेख है, मंत्री महोदय का नहीं। समिति की सिफारिशें लेकर मंत्री महोदय को आना होता है और सदन में घोषणा करनी होती है

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल समय के आबंटन के लिए है।

श्री चन्द्रजीत यादव : दूसरे विषय हैं जो अध्यक्ष की सहमति से शामिल किए जाते हैं। यही कारण है कि समिति का सभापतित्व अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। उनकी अनुपस्थिति में आप समिति का सभापतित्व कर सकते हैं। यदि मंत्री महोदय इस तरह करते हैं तो यह बड़ी गलत परम्परा होगी। उसका मतलब होगा, हम अगले सप्ताह के लिए इस कार्य के लिए सहमत हुए होंगे। इस पर सहमति नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अगले सप्ताह का कार्य प्रस्तुत कर दिया गया है और जो भी आपका दृष्टिकोण है, वह आपने पहले ही बता दिया है, आपने इसमें शामिल किए जाने के लिए विषयों का सुझाव दे दिया है···

श्री चन्द्रजीत यादव : हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपने विषय बता दिये हैं।

कुछ माननीय सदस्यगण : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने विरोध किया होता।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : जिस तरीके से वे यह सब लेकर आए हैं। उसके खिलाफ मैं विरोध कर रहा हूं।'' (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : मेरा एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसको निपटाएंगे और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। हमें इस पक्ष की बात भी सुननी चाहिए। हमें दोनों पक्षों के विचार सुनने चाहिए। श्री पुजारी।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 290 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अपनी जानकारी से आपने यह कहा है कि प्रतिवेदन सदन के समक्ष पेश कर दिया गया है।

अब, मामला सदन के समक्ष है। नियम 290 के अनुसार सदन को अब इस पर विचार करना है।

'प्रतिवेदन सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के बाद किसी भी समय।'···(व्यवधान)

यदि उन्हें कोई आपत्ति हो—मैं अभी यह बात आपकी जानकारी में ला रहा हूं—

'प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि सभा प्रतिवेदन को स्वीकार करती है या संशोधनों के साथ स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है।'

एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है और आप इसे सदन के समक्ष रख सकते हैं भले ही सदन प्रतिवेदन से सहमत हो अथवा नहीं। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह नहीं माना जाना कि विपक्ष को सभी कुछ माना जायेगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यक्रम की मद संख्या 10 है : श्री भीष्म नारायणसिंह पहली दिसम्बर 1980 से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

उन्होंने पहले ही वक्तव्य दे दिया है। अब मैं एक-एक करके अपने सुझाव देने के लिए बुलाऊंगा जो उन्होंने पहले ही दे दिए हैं। श्रीमती दण्डवते। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, मैं एक मूलभूत आपत्ति उठा रहा हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसके लिए अनुमति नहीं दे रहा हूँ। उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। मुझे सभी को एक-एक करके बुलाना है। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठा रहे हैं। आपको उस पर अपना विनिर्णय अवश्य देना चाहिए। यह उस तरह तकनीकी विषय नहीं है। हमें दबाइए मत। आप मेरे द्वारा उठाये जा रहे व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न पर अपना विनिर्णय दीजिए।

नियम 288 तथा 289 के अन्तर्गत, दोनों को एक साथ मिलाकर, निश्चित कार्यविधि के आधार पर इस सदन का कार्य संचालित करना होता है। इस सदन में चर्चा किए जाने के लिए विषय—सरकारी विधेयक अथवा दूसरे—उसमें क्यों होंगे। उसके लिए एक कार्य विधि है जो नियम 288 और 89 में दी गई है। मैं उनको आपके विचारार्थ पढ़ रहा हूँ :

नियम 288 (1) कहता है :

"समिति का यह कृत्य होगा कि वह ऐसे सरकारी विधेयकों के प्रक्रम या प्रक्रमों तथा अन्य कार्य पर चर्चा के लिए समय के बटवारे की सिफारिशें करें जिन्हें अध्यक्ष सदन नेता के परामर्श से समिति को सौंपे जाने का निदेश दें।"

इसमें सरकारी विधेयकों को भी शामिल किया गया है जो समिति के पास आने होते हैं। यह ऐसा नहीं है कि यदि मंत्री महोदय आजाए। वक्तव्य दें। (व्यवधान) कृपया उनसे कहिए कि वे मेरी बात सुनें। अब मैं नियम 288 (2) पढ़ रहा हूँ जिसमें कहा गया है :

"समिति को प्रस्थापित समय सूची में यह दर्शाने की शक्ति होगी कि विधेयक के विभिन्न प्रक्रम तथा अन्य कार्य किस-किस समय पूरे होंगे।'

अब मैं नियम 288 (3) पढ़ता हूं, जो कहता है :

'समिति ऐसे अन्य कृत्य करेगी जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएं।' '

सदन के कार्य के लिए समिति जो कुछ कर रही है उसके अलावा। यह दूसरा कार्य भी करती है जिस पर अध्यक्ष द्वारा विचार किया जाता है। समिति उससे प्रतिबद्ध है। इसकी व्याख्या देखिये। यह कहती है :

'इस नियम तथा नियम 290 क और 291 में उल्लिखित 'अन्य कार्य' शब्द से तात्पर्य नियम 65 के अन्तर्गत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और नियम 150 के अन्तर्गत गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों को छोड़कर अन्य कार्य से है।'

अब मैं नियम 289 पढ़ता हूँ जो कहता है :

'समिति की सिफारिशें सभा को प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत की जायेंगी।"

कौन सिफारिशों को पेश करता है ? परम्परा यह रही है कि संसदीय कार्य मंत्री सदन के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत करते हैं। यह एक मात्र कार्य है जो मंत्री महोदय प्रस्ताव के साथ आकर करते हैं। अन्यथा हम सभी जानते हैं कि सरकार का छपा-हुआ कार्य क्या है और सरकार की मन्शा क्या है। सरकार ने इन सभी विधेयकों को वितरित कर दिया है जो हम सभी को मालूम है। परन्तु, सभा का कार्य, समय तथा प्रत्येक अन्य बात अध्यक्ष के साथ-साथ समिति द्वारा निर्णीत की जाती है। तब कार्य मंत्रणा समिति की ओर से मंत्री महोदय सदन में आते हैं और उस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हैं। उस प्रतिवेदन के आधार पर सदन कार्य करता है। नियमों और परम्राओं के अनुसार भी यह सुनिर्धारित कार्य है। हम में से किसी एक का भी विश्वास प्राप्त किए बिना मंत्री महोदय यहां आये हैं···व्यवधान)

श्री के. लक्कप्पा (टुमकुर) : नहीं-नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव : कृपया मेरी बात सुनिये। वे हममें से किसी का भी विश्वास प्राप्त किये बिना यहां आते हैं। कार्य मंत्रणा समिति द्वारा केवल एक बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में उपाध्यक्ष महोदय, आप मौजूद नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस बैठक में पिछला कार्य किया गया था। इसलिये, पिछला कार्य समिति की उस बैठक के निर्णय के अनुसार किया गया था।

हमने उस बैठक में निर्णय लिया कि सार्वजनिक हित के चार से पाँच महत्वपूर्ण विषयों पर सभा वाद-विवाद करना चाहेगी। सर्वप्रथम, देश में बिगड़ती हुई साम्प्रदायिक स्थिति; दूसरे, किसान वर्ग को लाभप्रद मूल्य देना जिसके लिये वे पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं; तीसरे, छठी पंचवर्षीय योजना का ढांचा जिसका उल्लेख किया गया है तथा हरिजनों पर हमले और अन्य मामले। उस समय मंत्री महोदय सहमत हो गये थे तथा समिति सर्वसम्मति से गत सप्ताह की कार्य सूची पर सहमत हुई थी इस बात पर सहमति हुई थी कि एक विषय, जैसे मूल्य वृद्धि, ही लिया जायेगा तथा उपरोक्त विषयों में से, आगामी सप्ताहों में, एक विषय प्रति-सप्ताह लिया जायेगा। यह निर्णय था। तत्पश्चात् बैठक में आगामी सप्ताह की कार्य सूची पर निर्णय लेना था। दुर्भाग्यवश, बैठक स्थगित हो गई।

श्रीमान, यदि अध्यक्ष महोदय अस्वस्थ्य हो जाते हैं और उनके स्थान पर आप ही सभा की अध्यक्षता तथा कार्य का संचालन कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत बात थी कि यदि आप स्वयं बैठक बुला लेते और आगामी सप्ताह की कार्यसूची पर कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय ले लेते। इस कार्यप्रणाली को अपनाये बिना मंत्री महोदय आगामी सप्ताह की कार्यसूची सहित आये हैं। यदि हम मंत्री महोदय के प्रस्ताव से सहमत होते हैं तो इसका अर्थ होगा कि मंत्री महोदय द्वारा रखे गये प्रस्ताव से सभा सहमत है और आप कहेंगे कि चूँकि सभा आगामी सप्ताह कार्यसूची से सहमत है इसलिये आगामी सप्ताह की कार्यसूची यह होगी। इसलिये, श्रीमान, मैं कह रहा हूं कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची के विषय में कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा किये बिना, किसी भी प्रकार की रिपोर्ट या वक्तव्य की घोषणा करना मंत्री महोदय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसलिए श्रीमान, हमारा अनुरोध बिल्कुल ठीक है। हम मंत्री महोदय के साथ सहयोग करते रहे हैं तथा मन्त्री महोदय को इस विषय में कोई शिकायत नहीं होगी। सरकारी कार्यों के

ठीक ढग से संचालन में भी हमारी रुचि है। तो इसमें क्या गलत है कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आगामी सप्ताह की कार्यसूची पर निर्णय लेने के लिये आज ही मध्यान्होपरांत बुला ली जाये और तब मंत्री महोदय आगामी सोमवार को सभा की कार्यसूची की घोषणा करें। (व्यवधान)

श्री के. लकप्पा : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, यह पहली बार नहीं हुआ है। यह संसदीय कार्य मंत्रणा की प्रथा है और श्रीमान कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई थी। सभी सदस्य उपस्थित थे और सरकारी कार्यों के लिये समय आवंटन पर चर्चा की गई। केवल पिछली बैठक ही स्थगित हुई। विपक्ष द्वारा यह विषय उठाना गलत है कि कार्य मंत्रणा समिति में कोई चर्चा नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि कार्य मंत्रणा समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी।

श्री के. लकप्पा : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक प्रति सप्ताह होती है। वे पिछले सप्ताह की बैठक का जिक्र कर रहे हैं। मैं कहता हूं, श्रीमान्, बैठक स्थगित हो गई थी।

श्री के. लकप्पा : उन्होंने नियम 289 के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु, मैं आपको इस विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया केवल इसी विषय पर बोलिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : जी हां, श्रीमान्, इसी विषय पर—जैसे मैं सभा में नया आया हूं! श्रीमान, मैं कार्य मंत्रणा समिति का एक दशक से भी अधिक से सदस्य रहा हूं। आप कृपया मुझे सिखाने का प्रयत्न न करें। श्रीमान्, प्रश्न यह है। हम दो कार्य-सप्ताहों के अन्त पर हैं। हमारी केवल एक मंत्रणा समिति है। कार्य मंत्रणा समिति की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति दिखाई जा रही है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं श्रीमान्।

श्री के. लकप्पा : यह एक गम्भीर टिप्पणी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप परिस्थिति जानते हैं। अध्यक्ष महोदय अस्वस्थ हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : श्री ज्योतिर्मय बसु की टिप्पणियां पूर्णतया असंगत हैं। वे अध्यक्ष महोदय की आलोचना कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु, मैं सोचता हूं आप अध्यक्ष महोदय की आलोचना तो नहीं कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अब क्रियात्मक भाग पर आता हूं। श्रीमान, पिछली कार्य मंत्रणा समिति में कुछ निर्णय लिए गये थे। (व्यवधान)। श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, यदि मुझे ठीक से याद है, सरकारी कार्यों के साथ-साथ तीन मद और थीं जिन्हें आपने मुद्रित करवा कर परिचालित किया था: एक श्री मधुदण्डवते की ओर से 'मूल्य-वृद्धि' पर वाद-विवाद दूसरा 'कृषि उत्पादों के गिरते मूल्य' तथा तीसरा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पर वाद-विवाद अब श्रीमान्, यदि माननीय मन्त्री महोदय ने कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्णीत मदों के साथ उन्हें अपनी ओर से शामिल किया होता तो शायद सभा में इतना रोष न होता जैसा अब हो रहा है···

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो पहले से ही है। मद 3 है। मैं समझता हूं कि आपने इसे देख लिया है यह छपा है। यह मद है।

श्री ज्योतिर्मय वसु : यह सच है परन्तु उन्होंने इस सप्ताह के कार्य में बाकी दो मदों में से एक को भी शामिल नहीं किया है। यही हमारी आपत्ति है। हमारी आपत्ति ठीक-ठीक यही है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है : यदि कार्य मंत्रणा समिति ने इस सप्ताह में अपनी बैठक की होती तो हमने दूसरे प्रश्न पूछने थे जो हमने प्रस्तुत किये होते। सेंचुरियन टैंक के अतिरिक्त पुर्जों के निपटान का प्रश्न है और महाराष्ट्र का उर्वरक कम्पलैक्स घोटाला है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब इसे आपने शामिल कर लिया है।

श्री ज्योतिर्मय वसु : कोई अवसर नहीं है और एक महत्वपूर्ण बात है। आपको 10 करोड़ रुपये के टैंक खरीदने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, आप अपनी बातें कहें, मेरी मदद करो, हम सब मिलकर निर्णय लें क्योंकि यह आगामी सप्ताह का कार्य है।

श्री जे.एम. बनातवाला : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्

श्री एन. के. शेजवलकर (ग्वालियर) : श्रीमान मैं समझता हूँ कि इस मामले का निर्णय लेना ही होगा। क्या मैं सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता हूँ। मद 'मन्त्री महोदय का वक्तव्य' है। यह एक प्रतिवेदन नहीं हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है, नियम 290 बिल्कुल भी लागू नहीं होता है।

एक माननीय संदस्य : इस पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। (व्यवधान)

श्री एन.के. शेजवलकर : वास्तव में हम से जो उम्मीद की जाती है वह यह है। नियम 288 की वास्तविक व्यवस्था क्या है ? मैं ठीक इसका उद्धरण करना चाहता हूं। ये पहले के उदाहरण हैं। कौल तथा शकधर : खण्ड II में पृष्ठ 659 पर यह कहते है; और मैं इसका उद्धरण दूंगा। यह परम्पराओं से हटकर है जैसा कि पहले बताया जा चुका है। परम्परा यह रही है कि वे मामले है जिनपर निर्णय लेना है, जिनपर आगामी सप्ताह की कार्यसूची में विचार किया जाना है। इन सब पर कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विचार किया जाता है। मेरी जानकारी के अनुसार यह कभी नहीं हुआ कि वक्तव्य मात्र दे दिया जाता है और यहाँ कार्य का समय प्रतिबंधित कर दिया जाता है। श्रीमान् यह समय निर्धारित करना कार्य मंत्रणा समिति का कार्य है परन्तु वे विषय भी तय करते हैं। यहाँ इस प्रकार कहा गया है।

"समिति नियम 184 के अधीन प्रस्तावों तथा अल्प अवधि के वाद-विवादों को सभा में चर्चा के लिये चयन करती है तथा उनके समय की सिफारिश करती है। सरकारी कार्य के बारे में प्राथमिकता सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। किन्तु कतिपय मामलों में समिति ने कार्य के व्यक्तिगत मदों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की है या उस समय तथा तारीख जिस पर कार्य के मदों पर चर्चा की जानी है सुझाव दिया था उस स्थिति में कार्य के कतिपय मदों के स्थगन की सिफारिश की है यदि समिति के समक्ष प्रस्तुत कार्य के निपटान के लिए सत्र के दौरान पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं था।"

इसलिये यह केवल समय के आवंटन का प्रश्न नहीं है, श्रीमान हम अब गलत उदाहरण

न दे। क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं ? सही बात यह है जो उस समय की गई होती। समिति मध्याह्न भोजन के बाद या मध्याह्न भोजन के दौरान थोड़ी देर के लिये बैठ सकती है और रिपोर्ट भेज सकती है। (व्यवधान)। श्रीमान् क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि इसके लिए केवल बैठक करने का ही उद्देश्य है। उन अच्छी परम्पराओं के विचार से जो हमने निर्धारित की है, जो हमें करना चाहिये वह यह है कि वे थोड़ी देर के लिये बैठ सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है। मुझे आशंका है कि नियम 290 के अधीन कुछ नहीं किया जा सकता है। अन्यथा इसका अर्थ नियम 290 में उपबन्धित संसद सदस्यों के अधिकारों का हनन करना होगा। संशोधन कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है ? मैं नहीं समझता हूं कि वक्तव्य के संशोधन का प्रस्ताव किया जा सकता है। यह तो केवल रिपोर्ट प्राप्त होने पर किया जा सकता है। यह प्रश्न तो केवल रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के बाद ही उठता है। अब रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है। इसलिए प्रश्न नहीं उठता है। मैं समझता हूँ कि उसका अर्थ मामले को तय करने के सभा के मूल्यवान अधिकार का हनन होगा। बिना समय निर्धारित किये मामले का निपटान कैसे किया जा सकता है ? कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है। कार्य के लिये समय निर्धारित किए बिना विशेष मद का कैसे लाया जा सकता है। (व्यवधान)।

श्री भीष्म नारायण सिंह : श्रीमान् (व्यवधान)

श्री जी एम. बनातवाला : श्रीमान् उस समय मैं बोल रहा था जब वे खड़े हुये। मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। आपके कहने पर ही मैं बोल रहा था, श्रीमान् (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने मन्त्री महोदय को पुकारा है। मैं आपको बोलने की अनुमति बाद में दूंगा।

श्री जी एम बनातवाला : बाद में अनुमति देने का कोई प्रश्न नहीं। आपने मुझे पुकारा था और मैं बोल रहा था। मैं उपाध्यक्ष महोदय को संबोधित कर रहा था। मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। अब आप मुझे बैठने के लिये कहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ बात जानना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या मैं उसे नहीं जान सकता हूं ? कृपया बैठ जाइये। मैं आपको बोलने की बाद में अनुमति दूंगा। मैं उनसे कुछ स्पष्टीकरणों के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं।

श्री जी एम. बनातवाला : आप इस जानकारी को बाद में ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं मन्त्री महोदय को सुनना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान् अब आपको उन्हें समय देना चाहिए ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बैठने के लिये कह सकता हूँ। मैं आपको भी बैठने के लिए कह सकता हूँ। मैं आप दोनों को बैठने के लिए कह सकता हूं। ...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

प्रो. मधु दण्डवते : श्रीमान् ठीक शुरू से, श्री बनातवाला खड़े हुये थे और व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे। सभा में यह परम्परा रही है कि सरकार की स्थिति के बारे में संसदीय कार्य मन्त्री महोदय द्वारा व्याख्या करने से पूर्व विपक्ष के सदस्य (व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री शेजवलकर द्वारा पूछे गये प्रश्नों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

प्रो. मधु दण्डवते : उसी प्रश्न पर श्री बनातवाला बोलना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जबकि मैं मन्त्री महोदय को बोलने का समय दे चुका हूं तो उन्हें अपने अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वह मुझे आदेश नहीं दे सकते हैं।

प्रो. मधु दण्डवते : कोई भी आदेश नहीं देना चाहता है। परम्परा यह रही है कि ससदीय कार्य मन्त्री महोदय से पूर्व (व्यवधान)

अन्त में वे अब उत्तर दे रहे हैं। श्री बनातवाला इस प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता है। उससे आपको मदद मिलेगी और ससदीय कार्य मन्त्री महोदय को सहायता मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने संसदीय कार्य मत्री महोदय को हस्ताक्षेप करने के लिए कहा है। मैं आप सभी को समय देने वाला हूं। मैं मामले को तय करना चाहता हूं। मैं श्री बनातवाला को इसके बाद समय देने वाला हूँ

श्री भीष्म नारायण सिंह : कोई प्रस्ताव नहीं था। मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। 8 मई, 1974 को इस सबन्ध में उचित प्रस्ताव के बिना विशेष दिनों के लिए कार्य-क्रम में किये गये परिवर्तनों पर विपक्ष के कई सदस्यों ने आपत्ति उठाई। उस पर उपाध्यक्ष महोदय ने इस प्रकार टिप्पणी 'कार्य की व्यवस्था करने का काम सरकार का था। कार्य-सूची का प्रस्ताव उनके द्वारा किया जाता है। मुझे यथा व्यवस्थित सरकार के कार्य को स्वीकार करना है और यदि वे एक विशेष विधेयक पर जोर नहीं देना चाहते हैं और इसे प्राथमिकता नहीं देना चाहते हैं, तो वे किसी अन्य विधेयकों को प्राथमिकता दे सकते हैं। यह उनका कार्य है।" यह सत्तारूढ़ दल था··· (व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : कार्य मंत्रणा समिति का उल्लेख किया गया था। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी और उनकी रिपोर्ट हमारे पास आई और दुर्भाग्य से इस सभा द्वारा इसे वापस भेजना स्वीकार कर लिया गया था। यदि आपको याद होगा मैंने एक प्रस्ताव किया था कि रिपोर्ट वापस भेजी जाए। कार्य मंत्रणा समिति की क्या सिफारिश थी ? मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि माननीय सदस्य श्री चन्द्रजीत यादव भी आज सभा में गलत ब्यान और झूठे वक्तव्य देने के लिए जिम्मेवार हैं। कार्य मत्रणा समिति ने यह सिफारिश की थी कि देश की साम्प्रदायिक स्थिति समेत कतिपय मदों पर वर्तमान सत्र के दौरान इस सभा द्वारा चर्चा की जायेगी··· (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : जो मैंने कहा था वह आपने सुना नहीं है। यह मेरे वक्तव्य में प्रथम मद था। मुझे यह कहते हुये खेद है कि आप आरोप लगा रहे हैं और मुझे सुने बिना गलत वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला : कार्य मंत्रणा समिति जिसमें विपक्ष के सदस्य भी थे न कि मुस्लिम लीग के थे ने यह विशेष सुझाव दिया था कि इस पर अब सत्र के दौरान किसी भी समय विचार किया जा सकता है। इसलिये मैं कहता हूं कि चाहे यह सत्तारूढ़ दल है जिसने अभी तक

साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा करने की पहल नहीं की है या चाहे वह विपक्षी सदस्य हो जो समिति में प्रतिनिधित्व करते हैं··· (व्यवधान) दोनों ही इस साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा करने के लिये इस सभा को तत्काल अवसर प्रदान दिलाने में असफल रहे हैं। मेरा प्रश्न है : क्या कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट में तारीख निर्धारित की थी और इस विस्फोटक स्थिति पर चर्चा करने के लिये समय निर्धारित किया था ? यह साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा करने के लिये कोई तारीख व समय निर्धारित करने में असफल रही। किन्तु मैं मांग करता हूं कि साम्प्रदायिक स्थिति पर यथ संभव तुरन्त चर्चा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी प्रबल भावनाओं को नोट कर लिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मामला प्रक्रिया से संबंधित है जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सभा के सदस्यों विशेश रूप से विपक्ष के अधिकार अन्तर्गस्त है। ऐसे मामलों पर चाहे वे सरकारी विधेयक हो या अन्य कार्य हो जिन्हें पहले ही कार्य मन्त्रणा समिति को भेज दिया गया है, यह कार्य मंत्रणा समिति का कर्तव्य तथा अधिकार है जो उस तथा समय निर्धारण में वोसेमी निर्णय लेने के लिये संसदीय समिति है। समय निर्धारण का आवश्यक रूप से यह अर्थ है कि कौन से विषय है जो आगामी सप्ताह के दौरान चर्चा के लिये लिये जायेंगे। जब तक कि समय निर्धारित नही किया जाता है तो कोई चर्चा नहीं हो सकती है। इसलिए समय निर्धारण के प्रक्रिया से समिति के पास ही ऐसे विषय पर निर्णय लेने का सुस्पष्ट अधिकार है जो चर्चा के लिये लाये जाएगें।

जहाँ तक उन मामलों का संबन्ध है जो कार्य मन्त्रणा समिति के समक्ष विचार और निर्णय हेतु लम्बित हैं और जिन पर कार्य मंत्रणा समिति ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और जो इसके क्षेत्राधिकार में भी है, क्या ऐसे मामलों के संबन्ध में मन्त्री महोदय कार्य मंत्रणा समिति से परामर्श किए बिना निर्णय ले सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि कार्य मंत्रणा समिति उन विषयों पर निर्णय नहीं ले सकती जो उसके समक्ष हैं। मन्त्री महोदय को नियमों के अधीन ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि मामले कार्य मंत्रणा समिति के विचाराधीन नहीं हैं तो मन्त्री महोदय निर्णय ले सकते हैं। परन्तु ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जो कार्य मंत्रणा समिति के क्षेत्राधिकार में हैं, मन्त्री महोदय द्वारा सदस्यों को विश्वास में लिए बिना एक पक्षीय निर्णय नहीं लिया जा सकता। क्या वह समय निर्धारित न किए जाने की मामूली प्रक्रिया के कारण उन विषयों पर चर्चा से बच सकते हैं जिन पर चर्चा करने का निर्णय कार्य मंत्रणा समिति ने कर लिया है। आज कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों द्वारा जो कुछ कहा गया है, इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि वे अगामी सप्ताह के आरम्भ में ही चर्चा के लिए दबाव डालते रहे हैं। अत: यद्यपि कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया है कि अगले सप्ताह सर्व प्रथम साम्प्रदायिक स्थिति पर विचार किया जाए परन्तु अब उस मामले को रोका जा रहा है। क्या चर्चा की अनुमति न देकर माननीय मत्री महोदय स्वत: इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा से बच सकते हैं ? इस मामले पर सरकार को निर्णय नहीं लिया जाना है। यह सरकारी कार्य की प्राथमिकता का प्रश्न नहीं है। यदि यह केवल सरकारी कार्य के प्राथमिकता का प्रश्न है तो मत्री महोदय को इस पर अध्यक्ष को लिखने और निर्णय करने का पूर्ण अधिकार है। अत:

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मामला कार्य मंत्रणा समिति के विचाराधीन है, उस पर वे निर्णय न लें।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : सभा कार्य मंत्रणा समिति के अधिकारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कार्य मन्त्रणा समिति का क्षेत्राधिकार केवल किसी मुद्दे पर विचारार्थ समय का सुझाव देने तक ही सीमित है। और इसके अतिरिक्त समिति को किसी मद का सुझाव देने का कोई अधिकार नहीं है।

महोदय, इस संबन्ध में मैं आपका ध्यान नियम 288 (3) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, नियम 288 का उल्लेख माननीय संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा किया गया था।

महोदय, उप खण्ड (3) में यह उल्लेख है "समिति समय समय पर अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को भी करेगी।" महोदय, क्या मैं माननीय संसदीय कार्य मन्त्री से पूछ सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि अध्यक्ष ने सभा के कार्य हेतु विषयों की सिफारिश करने और सुझाव देने का कार्य समिति को सौंपा था ? वे इससे इन्कार "नहीं" कर सकते। इस संबन्ध में महोदय, एक मिसाल है। मैं श्री शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 659 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं जिसमें यह कहा गया है कि समिति स्वतः ही सरकार को सभा में विचारार्थ कोई विषय लाने का सुझाव दे सकती है और सिफारिश कर सकती है और पूर्व दृष्टान्त के रूप में उस में क्रमांक 6 पर यह लिखा है कि समिति के सुझाव और सिफारिश पर ही कुछ सामयिक और आधुनिक विषयों पर जैसे 1954 में परमाणु ऊर्जा का शांति कार्यों के लिए प्रयोग पर, 1955 में सरकार की आर्थिक नीति पर, और 195 में सरकार की कृषि नीति और प्रेस आयोग की रिपोर्ट तथा व्यापार और प्रशुल्क संबन्धी सामान्य करार पर चर्चा की गई। महोदय, इसका अर्थ है कि यदि यह कहा जाता है कि उन्हें मिशाल का अनुसरण करने की सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं है, और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने सिफारिशें की और उनका स्वीकार कर लिया गया है। महोदय, यदि यही सिद्धान्त है, यदि कार्य मंत्रणा समिति सप्ताह का कार्य निर्धारित करने के लिए बैठक नहीं करती है तो महोदय, इसका अर्थ होगा समिति को विषय का चयन करके सिफारिश करने का जो अधिकार है उनसे उसे बंचित किया जा रहा है। अतः संसदीय कार्य मन्त्री ने जो नियम 288 का उल्लेख किया है, वह गलत है। उसे नियम 288 (3) के साथ पढ़ा जाना होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक निश्चित की गई थी और सदस्यों को इसकी सूचना भी दी गई थी। इसके बाद बैठक रद्द कर दी गई। क्या संसदीय कार्य मन्त्री का यह विचार है कि जब तक अध्यक्ष स्वयं उपस्थित न हों तब तक कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं हो सकती ? सभा को कार्य करना है और कार्य भी सामान्य ढंग से करना है। यदि अध्यक्ष नहीं है, तो आप इस पीठ पर बैठे हैं। आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुला सकते हैं। कार्य मंत्रणा समिति को विषय और समय का निर्धारण करना है। अब मन्त्री महोदय को यह सुझाव देने का पूर्ण अधिकार है कि सरकारी कार्य कैसे चले। परन्तु गैर-सरकारी कार्य का क्या होगा और मंत्री महोदय द्वारा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाए बिना सभा में आकर विपक्ष का सहयोग माँगने का कोई तरीका नहीं है।

अनेक माननीय सदस्य : यह सभा का अपमान है।

प्रो. मधु दण्डवते : यह सभा का अपमान है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अतः मैं सुझाव देता हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज मध्याह्न पश्चात् हो और तब हम सभा द्वारा अगले सप्ताह विचार किये जाने हेतु विषयों का निर्णय कर सकेंगे।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, परसों हम लोगों की बैठक बुलाई गई थी। मैं भी अध्यक्ष जी के चेम्बर में वहां गया, वहाँ जाकर मालूम हुआ कि अभी तुरन्त मीटिंग कैंसल हो गयी है। मैं बिजनस एडवायजरी कमेटी का मेम्बर हूं। जब मीटिंग कैंसिल हुई तब से मैं लगातार पूछ रहा हूं कि बैठक कब होने जा रही है। अभी तक मुझे नहीं बताया गया है कि बैठक कब होने जा रही है। आज उस समय भी मैंने आप से यह मामला उठाया था कि 289 क्लीयर कट कहता है कि प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। जब आप प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इतना झमेला क्यों करवा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि यह सदन का अपमान है। बिजनस एडवायजरी कमेटी में हम लोग आपके साथ कोआप्रेट करते हैं और आप भी कोआप्रेट करते हैं। लेकिन अभी आप कोआप्रेट नहीं कर रहे हैं। क्या आप कोआप्रेशन नहीं चाहते हैं? इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको पोस्टपोन कीजिए। अभी एक बजने वाला है, अभी तुरन्त चल करके बैठक कीजिए। इसमें अध्यक्ष का कोई मामला नहीं है। उपाध्यक्ष भी इसे कर सकता है। अभी आप चल करके बैठक कीजिए और बैठक करने के बाद यहां आकर इसे सदन में प्रस्तुत कीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : अब आपको अपना विनिर्णय देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति (सातवीं लोक सभा) ने अपना 8 वां प्रतिवेदन 17 नवम्बर, 1980 को प्रस्तुत किया जिसकी प्रति मेरे पास है। इसमें कुछ कार्य की सिफारिश की गई है या समय आवंटित किया गया है। मद संख्या 3 में यह भी कहा गया है कि "समिति यह भी सिफारिश करती है कि मौजूदा सत्र में निम्नलिखित मामलों पर भी विचार किया जाए :

(1) कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य;

(2) देश में साम्प्रदायिक दंगे;

(3) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कार्य निष्पादन।"

कार्यसूची में ये मद हैं। अतः मेरा सुझाव भी यही है। सामान्यतः सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों के महत्व को मैं समझता हूं। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक विभिन्न मदों के लिए समय आवंटित करने के लिए होती है। इस बार बैठक नहीं बुलाई जा सकी।

मुझे विश्वास है कि सरकार ने सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर गौर किया होगा। देश में साम्प्रदायिक दंगों अथवा कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य इन दोनों विषयों में से एक पर अगले सप्ताह विचार किया जा सकेगा।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : इस सप्ताह में।

अध्यक्ष महोदय : आगामी सप्ताह का अर्थ है आने वाला सप्ताह। सभा मध्याह्न भोजन पश्चात् लगभग 2 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोकसभा मध्यान्ह भोजन पश्चात् 2 बजकर 7 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर-मध्य) : आने वाले सप्ताह में बहस करने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। पहला और दूसरा सुझाव मैं एक साथ लेती हूँ यह चीनी के बारे में है। 1 दिसम्बर से सरकार ने ऐलान किया है कि लेवी चीनी की कीमत 2.85 पैसे के बजाय 3.50 होगी। इस ऐलान के पहले से ही किसान आन्दोलन चल रहा है। उनकी मांग तीनसौ रुपया टन केन की कीमत उनको दिये जाने के बारे में है। लेवी चीनी का कीमत बढ़ाने की जब घोषणा की गई उससे पहले से उनका आन्दोलन चल रहा है। इतना ही नहीं बहुत से लोगों को नवम्बर महीने में जो चीनी का कोटा है और जो उनको मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है। यह चीनी फ्रीज कर दी गई है। अब उनको यह चीनी 1 दिसम्बर के बाद 3.50 में मिलेगी। अगर आप लोगों को वक्त पर चीनी नहीं देते तो आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दिसम्बर में उनको 2.85 के भाव पर ही चीनी मिले। दीवाली के अवसर पर जो आपने चीनी का एडीशनल कोटा दिया था वह भी उनको नहीं मिली है। इसके बारे में शहरों और देहातों से शिकायतें आ रही हैं। यह इशु हमारे सामने आना चाहिये और इस पर अगले सप्ताह बहस का अवसर दिया जाना चाहिये।

सरकार ने अथम में नेशनल सिक्योरिटी आर्डिनेस लगाया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन ले लिया है। पिछले कई महीनों से वहाँ चीनी बाजार में सात रुपये से पच्चीस रुपये तक के भाव में बेची जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ इस आर्डिनेस के तहत कारवाई हुई ताकि लोगों को चीनी सस्ते दामों पर मिल सकती, इसके बारे में भी बहस होनी चाहिये।

अब मैं टेलीफोन फैल्योर और एक्शन टेकन के बारे में कहना चाहती हूं। आज अखबारों में हमने पढ़ा है कि टेलीफोन के जनरल मैनेजर मि० बनर्जी को कहा गया है कि वे छुट्टी पर चले जाएं। अगर मिनिस्ट्री ठीक से काम नहीं करती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं? जब इस बारे में लोगो की तरफ से शिकायतें हुईं और राज्य सभा तथा लोक सभा में इस पर बहस हुई तो कम्युनिकेशन्ज मिनिस्टर ने कहा कि यह तो ऐसे ही चलेगा, जिनको टेलीफोन नहीं चाहिए, वे सरेंडर कर दें। अगर मिनिस्टर इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करें, तो अफसर और नीचे वाले लोग किस प्रकार से काम कर सकते हैं? अगर मिनिस्टर की गलती के लिए आप अफसरों को फांसी देना चाहते हैं, तो इस प्रकार से इस देश का राज्य नहीं चलने वाला है।

कामर्स मिनिस्ट्री में भी सेक्रेटरी का ट्रांसफर कर दिया गया है। क्यों? पिछले हफ्ते श्री बापू साहिब परुलेकर* ने एक कालिंग एटेन्शन नोटिस दिया।

जब यह सवाल उठ या गया, तो सेक्रेटरी को वहाँ से हटा दिया। अगर मिनिस्ट्री की फैल्युर होती है, तो किसको सजा होनी चाहिए, उस पर क्या एक्शन होना चाहिए, इस विषय पर इस सदन में बहस होनी चाहिए।

आपने ब्लाइंडिड पर्सन्ज के बारे में कालिंग एटेन्शन नोटिस मंजूर किया है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि क्या पुलिस जगह-जगह लोगों को ब्लाइंड करने का एक नया तरीका

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अपनाया है। मुझे रेलायेबल सोर्स से पता चला है कि महाराष्ट्र में किसान आन्दोलन से सम्बन्धित किसानों की तो आँखें नहीं निकाली गई हैं, लेकिन बैलों की आँखें निकाली गई हैं। दे हैव बिन ब्लाइंडिड बाई दि पुलिस इन नासिक जेल में रखे गए प्रिजनर्ज के साथ यह कैसा व्यवहार हो रहा है ? मैं चाहती हूं कि इस विषय पर भी बहस होनी चाहिए।

मेरा आखिरी पाइन्ट यह है—इट इज एब्सोल्यूट्ली अरजेंट—कि 25 नवम्बर के पेट्रियट में यह खबर आई है कि श्री रानी सती हिसार में अपने पति की पायर पर सती हो गईं उसके सम्मान में दिल्ली शहर में यहां एक महिला संगठन सोमवार को एक जुलूस निकालने जा रहा है। आज हम चाहते हैं कि हमारी महिलायें ट्रेडीशन के शैकल्ज, जजीरों को तोड़कर इन्सान के न ते जीयें। इसके लिये वे संगठित हो रही हैं। इस प्रकार का काम बेकानूनी है। राजा राममोहन राय ने इस देश में एक हवा बनाई, जिससे एबालिशन आफ सती एक्ट पास हुआ। हमारे देश में आत्महत्या करना अपराध है। अगर देश के कैपिटल में महिलायें इस प्रकार का प्रोसेशन निकालती है, तो उसका मतलब यह है कि हम सती-प्रथा को पुनरुज्जीवित करना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि मिस्टिर इस बारे में यहां कुछ कहें।...(व्यवधान)...प्रधान मंत्री तांत्रिक पूजा करती हैं, उसे जाने दें। लेकिन इस पर विचार होना चाहिए।

श्री निरेन घोष (दमदम) : सभा की आगामी सप्ताह की कार्य सूची में सभा में उठाये गए कई महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ सम्पूर्ण देश में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति को लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सम्पूर्ण देश की बात करते हैं तो क्या इसमें पश्चिम बंगाल भी आता है।

श्री निरेन घोष : प्रधान मंत्री जी ने जो चुनावों से पहले कहा था कि लोगों को जल्दी ही अत्याचारों, कष्टों और साम्प्रदायिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अब कत्ल, अत्याचार और महिलाओं पर बलात्कार की हजारों घटनाएं हो रही हैं। यद्यपि हमने इन विषयों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये थे परन्तु केवल अहानिकर विषयों को चुना गया है, ताकि महत्वपूर्ण विषयों की उपेक्षा की जा सके और उन्हें सभा में न उठाया जा सके।

दूसरे, मैं औद्योगिक लाइसेंसों के बारे में पश्चिम बंगाल के प्रति किये गए भेदभाव का उल्लेख करना चाहता हूं। पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल में कोई केन्द्रीय निवेश नहीं हुआ है। केवल इतना ही नहीं, जब कभी निजी पूंजीपतियों को औद्योगिक लाइसेंसों की आवश्यकता होती है, दिल्ली में बैठे उच्चाधिकारी कहते हैं कि यदि कोई इकाई पश्चिम बंगाल में स्थापित की जानी है तो कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। उन्हें अन्य राज्यों में जाना पड़ता है।

हल्दिया पेट्रो-कैमिकल्स कम्प्लेक्स के लिए पिछले 20 वर्षों से एक औद्योगिक लाइसेंस का वायदा किया गया था परन्तु यह अभी तक जारी नहीं हुआ है। कल्याणी में आई. डी. पी. एल. यूनिट दमदम हवाई अड्डे पर (मुक्त व्यापार क्षेत्र) और साल्टलेक एरिया में एक इलैक्ट्रानिक यूनिट का भी यही मामला है।

अतः यह एक विषय है जिसे हमें सम्मिलित करना चाहिए और जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। बिहार में अधूरा से विस्तृत रिपोर्ट आ गई है। ऐसा मालूम पड़ता है कि यह

जनजातीय क्षेत्र है और यह उपनिवेशीय ढंग से इसका रहन-सहन है। वहां पर कोई विधि और व्यवस्था नहीं है। ऐसे समाचार हैं कि आदिवासी महिलाओं को नंगा किया जाता है और उनके साथ बलात्कार किया जाता है। उन्हें सताया जाता है। यह वन्य क्षेत्र है और इसमें वन्य अधिकारी आदि अन्तर्गस्त है। इन यातनाओं की बड़ी दुखद कहानियां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अधिक मद दिये हैं।

श्री निरेन घोष (दमदम) : साथ ही पश्चिमी बंगाल में उप-चुनावों के बारे में नोटिस दिया गया जो शीघ्र होने वाले हैं परन्तु राज्य के साथ परामर्श किये बिना ही चुनावों को स्थगित करने के निर्देश दे दिये गए हैं क्या यह इस कारण से है कि वे समझते हैं कि यदि पश्चिमी बंगाल में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस (आई) चुनावों में अवश्य हार जायेगी ?

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : क्योंकि पश्चिमी बंगाल सरकार इस मामले में पूर्णतः अन्तर्गत है।

श्री निरेन घोष : श्री टाईटलर वहां जायें और चुनाव लड़ें।

इसलिए राज्य सरकार के विरुद्ध यह भारी भेदभाव का एक उदाहरण है।

सोमवार को दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से यातना देने तथा अंधा किये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं। ऐसी तस्वीर है.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखने के अनुमति दे रहा हूं।

श्री निरेन घोष : परन्तु इस पर चर्चा क्यों नहीं ? केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ही क्यों ? उस पर कुछ संसद सदस्य बोलने के हकदार हैं। इसलिए इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए।

फिर राजस्थान के बैर निर्वाचन क्षेत्र में.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इनके बारे में पहले ही कह चुका हूं।

श्री निरेन घोष : आपने कुछ नहीं कहा है। बैर निर्वाचन क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा एक प्रेस दल ले जाया गया था। जब वे मतदान केन्द्र पर गए तो उन्होने देखा कि मतदान केन्द्र पर कब्जा कर लिया गया था और अधिक मत-पत्रों पर मोहर लगा दी गई थी और उन्हें पेटियों में डाल दिया गया था पुलिस ने उनका पीछा किया, उन्होंने उनकी पिटाई की और यह सूचना मिली है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव परिणामों की घोषणा नहीं की जानी चाहिए। संविधान का उल्लंघन तथा अवहेलना करते हुए चुनाव परिणाम रोक दिए गए हैं।

अन्त में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को राज्यों में भेजने के प्रस्ताव के बारे में है। केन्द्र अपने हाथों में विधि और व्यवस्था लेना चाहता है और राज्यों का दर्जा घटाकर एक शानदार नगर पालिकाओं को स्वरूप दे दिया गया है। यह ऐसी स्थिति है जिसे हम कभी ठीक नहीं समझते हैं और हम कभी भी इससे सहमत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री चित्त बसु। मैं देखता हूँ कि बहुत से मदों की पुनरावृत्ति की गई है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : श्रीमान्, एक बात पर पहले ही श्रीमती दंडवते द्वारा जोर दिया जा चुका है। आपको मालूम है कि सम्पूर्ण देश में डाक व तार सेवाओं में बड़ी गड़बड़ी रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कर्मचारियों के विरुद्ध या विभाग के विरुद्ध शिकायत कर रहे हैं ?

श्री चित्त वसु : जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, आप पूर्ण रूप से सही हैं। कर्मचारियों की यह शिकायत है कि खराब माल, खराब उपस्कर और खराब स्टाक है तथा कु-प्रबंध हैं। प० बंगाल में स्थिति अधिक खराब हो गई है। सम्पूर्ण डाक-तार सेवायें लगभग 64 होने की स्थिति को आ पहुँची है। इसलिए उस विषय को चर्चा के लिये शामिल कर लिया जाना चाहिए। यदि उस विषय को शामिल नहीं किया जाता है तो क्या मैं यह उम्मीद कर सकता हूं कि महान व कर्मठ मन्त्री महोदय श्री स्टीफन कम से कम यहां पर एक वक्तव्य तो देंगे ?

बहुत से बातें तो मेरे माननीय मित्र श्री निरेन घोष द्वारा पहले ही उठाई जा चुकी हैं। प. बंगाल सरकार के विरुद्ध जान-बूझकर भेदभाव की नीति अपनाई गई है। कुछ सदस्य अंधा धुन्ध आरोप भी लगा रहे हैं। आपको मालूम है कि भारी विरोध हुआ है। प. बंगाल के लोगों ने जिनका यहां प्रतिनिधित्व करने का हमें श्रेय प्राप्त हुआ है। प. बंगाल सरकार के विरुद्ध भेद-भाव करने की केन्द्र की नीति के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया है उसकी निन्दा की है। वह रोष कल के सफल तथा पूर्ण बन्द द्वारा व्यक्त किया गया है। केन्द्रीय सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यह मेरा आरोप है कि केन्द्रीय सरकार ने प. बंगाल के लोगों के साथ टकराव का रास्ता चुना है परन्तु प. बंगाल के लोग उस झूठे रास्ते को नहीं अपनायेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैंने कुछ विषयों का उल्लेख किया है। जिसमें से एक का उल्लेख यहां पर किया गया है। आपने यह आश्वासन दिया है कि साम्प्रदायिक स्थिति पर अगले सप्ताह के शुरू में चर्चा की जाएगी।

मै संसदीय मन्त्री महोदय से जो बड़े सौम्य व्यक्ति है तथा हर बात को हसकर टाल देते हैं, पुरजोर यह सुझाव देता हूं तथा निवेदन करता हू कि प. बंगाल सरकार के तथा जनता के इस आरोप कि राज्य के लोगों के न्यूनतम वैध अधिकारों तथा हितों की हनन करने का केन्द्र द्वारा जानबूझ कर अपनाई गई नीति, से उत्पन्न समस्या पर कोई चर्चा होनी चाहिए। जानबूझ कर यह प्रयास किया गया है। पिछले दस महीनों में हमें पता चला है कि मन्त्री महोदय द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव को भी प्रधान मन्त्री महोदया के स्तर पर अस्वीकृत कर दिया जाता है। कुछ मामले मन्त्री महोदय के पास अनिर्णीत पड़े हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इलेक्ट्रानिकी परियोजना आदि हैं। विधेयकों को रोका जा रहा है। इस देश में अर्द्ध संघीय ढांचे को भी राज्य के निर्वाचित विधान मंडल द्वारा पारित विधेयकों को लागू होने देने से पूर्णतया निष्प्रभावी बनाया जा रहा है क्योंकि इन विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति महीनों तक नहीं दी जाती है। कोई कारण नहीं बताया जा रहा है और राज्य सरकार के अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी से सचिव तक भाग-दौड़ करनी पड़ती है और उन्हें उनको मनाना पड़ता है तथा उनसे इन विधेयकों पर यह कहते हुए विचार करने के लिये निवेदन करना पड़ता है कि ये विधेयक महत्व-पूर्ण है। भूमि सुधार विधेयक, शिक्षा सुधार विधेयक तथा मजदूरों के अधिकारों के बारे में विधेयक जैसे सारे विधेयक रुके हुए हैं। यदि आप यह समझते हैं कि आप ठीक हैं तो आप इसकी व्याख्या जनता तथा राष्ट्र के समक्ष करें ताकि राज्य की जनता, राज्य सरकार तथा राज्य का

सत्ता रूढ़ दल यह न सोचे कि यह राज्य को परेशानी में डालने का एक सुविचारित तथा जान-बूझकर प्रयास किया गया है। आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें। आपको इस अवसर का स्वागत करना चाहिए। चूंकि उनकी आत्मा दोषी है इसलिए वे उस विषय पर भी संसद के समक्ष नहीं आना चाहते हैं। अब यह बहुत स्पष्ट हो गया है। वे भागना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका इरादा बहुत स्पष्ट है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा इरादा साफ है कि हम उनकी गर्दन पकड़ना चाहते हैं। जैसा कि मेरे माननीय मित्र चित्त बसु ने कहा है उन्हें दीवार पर लिखी गई बातों को देखना चाहिए। इसे हमेशा झूठ नहीं समझा जा सकता है।

दूसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है—भूतपूर्व राज्य रक्षा मंत्री महोदय यहां उपस्थित है। सम्भवतः उन्होंने कलकत्ता के दो सौ वर्ष पुरानी आयुद्ध कारखाने को हटाने में अपना योगदान दिया है। लगभग ८०० कर्मचारी अर्तग्रस्त हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने इसका विरोध किया है। पहले यह निर्णय लिया गया था तथा यह आश्वासन दिया गया था कि वे आयुद्ध कारखाने को कलकत्ता से हटाये जाने पर विचार नहीं कर रहे हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि इसे कलकत्ता से हटाया जाएगा। हमारी यह जानकारी यह है कि यह निर्णय सेवा अधिकारियों की सिफारिश के भी विपरीत है। कुछ राजनैतिक खींचातानी रही है। इसीलिये इसे हटाया जा रहा है।

दूसरा प्रश्न पुलिस के अमानवीय व्यवहार के बारे में है। मैंने इसके बारे में चर्चा का पुरजोर समर्थन करता हूं। पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की होने वाली हड़ताल के सम्बन्ध में सरकार को तत्काल एक वक्तव्य देना चाहिये जिससे जनता को इसकी स्थिति पता लग सके।

राजस्थान के गैर निर्वाचन क्षेत्र के उप-चुनाव के सम्बन्ध में देश स्थापित चुनाव तंत्र का उपहास हुआ है। इस सम्बन्ध में सरकार एक वक्तव्य दें।

वे इस समस्या से हमेशा बच नहीं सकते हैं। उन्हें समस्याओं का सामना करना होगा। अन्यथा जनता अपना रास्ता अपनायेगी।

प्रो० मधुदण्डवते (राजापुर) : मैं सरकार से इन दो विषयों पर स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहूंगा।

प्रथम यह है कि जून, 1980 में दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटना में श्री संजय गांधी के साथ कैप्टन सक्सेना भी मारा गया था। कितने महीने बीत चुके हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या कैप्टन सक्सेना की विधवा को उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र दिया जा चुका है और क्या उसे मुआवजा दिया जा चुका है और यदि ऐसा है तो मुआवजा कितना है।

इसके बाद, कैप्टन सक्सेना फ्लाईंग क्लब, हैदराबाद से संबंधित था। वहां उसे कुछ धनराशि देय थी। वह आन्ध्र उच्च न्यायालय में गया और याचिका पर फैसला उसके हक में हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उसको देय राशि का उसकी विधवा को भुगतान किया जायेगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कोई वित्तीय सहायता कैप्टन सक्सेना की विधवा को दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक पत्र मंत्री महोदय को लिख सकते हैं और आप को उत्तर मिल जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते । उसने कुछ नहीं होता है । इसलिए मैं इस प्रश्न को यहां उठा रहा हूं । यदि यह इतना सरल होता तो मैंने इसे कर दिया होता ।

ये दो व्यक्ति हैं जो विमान दुर्घटना में मरे हैं । एक के लिए तो स्मारक बनाये जा रहे हैं; बहुत योजनाएं तैयार की जा रही हैं । मुझे खुशी है कि यह किया जा रहा है ·· (व्यवधान) आप निश्चिन्त रहिए मैं इस प्रकार के शोर-शराबे में नहीं घबराऊंगा (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप दूसरे मद को शुरू करें ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कैप्टन सेक्सेना की विधवा को दिल्ली फ्लाईंग क्लब से देय धनराशि का भुगतान किया जा रहा है ।

दूसरा मद यह है कि देश के विभिन्न राज्यों में माध्यमिक अध्यापकों को पहले ही सलेक्शन ग्रेड दिया जा चुका है । किन्तु दुर्भाग्यवश मुझे बताया गया है कि यद्यपि शिक्षा मंत्रालय से पहले ही एक निदेश जा चुका है परन्तु गोवा, दमन व दीव में माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को सलेक्शन ग्रेड नहीं दिया जा रहा है । जिसके परिणामस्वरूप, अध्यापक भारी संख्या में 1 दिसम्बर से सामुहिक भूख-हड़ताल करने वाले हैं । मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री महोदय तुरन्त निदेश दें और वह सुनिश्चित करें कि वहां की सरकार इसका कार्यान्वयन करे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा होगा कि आप शिक्षा मंत्री महोदय को भी एक पत्र लिखें ।

श्री आर. के. महालगी (ठाणे) : मैं चाहूंगा कि सरकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न के बारे में स्थिति स्पष्ट करे ।

संविधान के अनुच्छेद 350-ख के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक के विशेष अधिकारी का पद गत 2½ वर्ष से नहीं भरा गया है । इससे पहले का पदधारी मई, 1977 में सेवानिवृत्त हो गया था । तभी से पद खाली पड़ा है । इसमें संवैधानिक असफलता जैसी है जो केन्द्र में सरकार के ध्यान में नहीं आई है ।

अनुच्छेद 350-ख में इस प्रकार कहा गया है कि :

(1) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेषपदाधिकारी होगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(2) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जिन संरक्षणों की इस संविधान के अधीन व्यवस्था की जाए उनसे संबन्ध सब विषयों का अनुसधान करना और ऐसी अन्तरावधियों पर उन विषयों के संबन्ध में, जैसे कि राष्ट्रपति निदिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा, और राष्ट्रपति ऐसे सब प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा ।"

इसलिये संवैधानिक असफलता स्पष्ट है क्योंकि अनुच्छेद 350 ख की शब्द उप-धाराओं (1) व (2) में शब्द 'शेल' (किया जायेगा) का प्रयोग किया गया है । इसलिये मैं सरकार से उस संबध में अगले सप्ताह एक वक्तव्य देने का आग्रह करता हूं ।

श्री जी एम० बनात वाला (पोन्ननी) : श्रीमान, दिल्ली के जूनियर डाक्टरों ने हड़ताल की थी । उनके 58 दिन के आन्दोलन के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय और जूनियर डाक्टर संघ, नई दिल्ली के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुये थे । यह समझौता काम के घंटों तथा रेजिडैन्सी के

ई दीवाली के अवसरों, छुट्टी का लाभ मंहगाई भत्ते की असमानताओं को दूर करने, अवार्ड, ले ऑफ का भुगतान तथा आदि के बारे में था। चिन्ता का विषय है कि इस तथ्य के बावजूद कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद तीन महीने बीत गये हैं परन्तु उन्हें क्रियान्वित करने के कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं। यही नहीं बल्कि स्थानीय प्राधिकारी इन्टरन्स तथा रेजिडेन्ट डाक्टरों को हड़ताल में भाग लेने के लिये उन्हें तंग भी कर रहे हैं। अन्तरिम सहायता दिये जाने का जो आश्वासन दिया गया था उसकी घोषणा भी नहीं की गयी है।

इसलिए सरकार को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि संघ ने अब यह घोषणा की है कि संघ इस समझौते के कार्यान्वियन के मुद्दे पर सांघी कार्यवाही करने को बाध्य होगा।

दूसरा मद पत्तन और गोदी कर्मचारियों की हड़ताल है जिस पर सरकार का वक्तव्य आवश्यक है। उन्होंने हड़ताल करने की धमकी दी है। सरकार को उस पर एक वक्तव्य देना चाहिए।

29 नवम्बर अन्तर्राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में फिलस्तीनियों द्वारा मनाया जाता है। सरकार को बम्बई में इस्राइली कन्सुलेट को बन्द करने की घोषणा करते हुए एक वक्तव्य देना चाहिए और इस्राइल के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध अवश्य लगा देना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह में अगले सत्र में साम्प्रदायिक हिंसा पर चर्चा हो। आपने पहले ही अपने निदेश दे दिये है और मुझे आशा है कि इस पर चर्चा शीघ्र ही होगी। वहां निर्दोषों की अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियां हो रही हैं। उनको भी नजरबन्द किया जा रहा है जो राहत कार्य कर रहे हैं और पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। इसमें स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा किये जा रहे राहत कार्य ठप्प हो रहे हैं। वकीलों पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं और उन्हें नजरबन्द किया जा रहा है। यह बहुत ही गम्भीर स्थिति है। (व्यवधान)

भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग जिस गतिरोध का सामना कर रहा है उस पर भी इस सभा में चर्चा की जानी चाहिए। गंगा-जल के दीर्घावधि संबंधन के बारे में भारत तथा बंगलादेश दोनों देशों द्वारा प्रस्ताव किये गये हैं। चूंकि भारत तथा बंगलादेश दोनों एक दूसरे के प्रस्तावों से सहमत नहीं है इसलिये वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार करने का कार्य संयुक्त नदी आयोग को सौंप दिया जाए। इस समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिये संयुक्त नदी आयोग में नैपाल की भागीदारी की आवश्यकता है क्योंकि पानी का स्रोत नैपाल में है। इस समस्या के शीघ्र समाधान के लिये इस मामले पर इस सदन में विस्तार से चर्चा की जानी चाहिये।

श्री रामअवतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह के लिए मुझे तीन विषयों पर चर्चा करनी है। मैं लिखा हुआ पढ़ देता हूं, ताकि समय कम लगे।

उपाध्यक्ष महोदय; बिहार में 6 वामपंथी एवं जनवादी दलों द्वारा आसमान छूती कीमतों, भीषण बेकारी, बिगड़ती कानून-व्यवस्था, जन-विरोधी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, अध्यादेश, सांप्रदायिक जहर तथा नागरिक आजादी पर हमले के विरोध में 27 नवंबर को आयोजित सफल बिहार बन्द को असफल बनाने के उद्देश्य में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज, घरों में घुसकर बच्चों तथा अन्य लोगों को पीटने, बीस हजार लोगों को गिरफ्तार करने तथा पटना से प्रकाशित हिन्दी दैनिक, "जनशक्ति" के सह-संपादक श्री यू. एन. मिश्रा को जेल में डालने का समाचार मिला

है। मैं चाहूंगा कि गृहमंत्री महोदय, मेहरबानी करके इन सवालों पर एक वक्तव्य सदन के सामने दें।

उपाध्यक्ष महोदय, सेकण्ड आयटम संबंध में बड़े संजोग की बात है कि यहां पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री इस समय मौजूद हैं, मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम आधे घंटे की चर्चा करने वाले हैं।

श्री राम अवतार शास्त्री : महोदय; आकाशवाणी जनविरोधी।

उपाध्यक्ष महोदय : तीसरे मद पर आइये। हम उस पर आधे घण्टे की चर्चा करनी है।

श्री राम अवतार शास्त्री : यह आकाशवाणी नहीं है; यह आल इण्डिया रेडियो है आप शायद आकाशवाणी को नहीं समझ सकते हैं। शायद आप इंदिरा वाणी' को समझ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आकाशवाणी के जन-विरोधी एवं पक्षपात-पूर्ण रवैये के बारे में सदन में बहस होनी चाहिए, ताकि उसे इंदिरा वाणी की भूमिका अदा करने से रोका जा सके। आकाशवाणी संसद के कार्यों के प्रति उपेक्षा और शेष-भाव की नीति तो बरतती ही है, बल्कि वह जन-आन्दोलनों के समाचारों को या तो प्रसारित ही नहीं करती या तोड़-मरोड़ कर सरकार का पक्ष ही उजागर करती है, जिस प्रकार सफल बिहार बन्द को असफल बतलाया गया। 24 नवम्बर से 28 नवम्बर तक चल रहे छात्रों, नौजवानों के आन्दोलन, उन पर किए गए लाठी-चार्ज तथा गिरफ्तारियों की घटनाओं को भी प्रसारित नहीं किया गया।

तीसरी और आखिरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, भागलपुर जिले में दो विचाराधीन बंदियों की आँखों में एसिड डालकर उन्हें अन्धा बनाया गया। इसके लिए कानिंग अटेंशन की इजाजत दी है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, बल्कि इस पर पूरी बहस होनी चाहिए। अगर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो ये पुलिस वाले पागल होकर मंत्रियों की आँखों में जहर डालेंगे, मंत्री लोग भी अन्धे हो जाएंगे। इस पर बहस होनी चाहिए। उमेश यादव और बलजीत सिंह को अन्धा बना दिया गया, जिसकी खबर अपने अखबारों में भी पढ़ी होगी।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मेरी पहली बात पत्तन और गोदी कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के बारे में है। जैसा कि बताया जा चुका है कि यह बहुत गम्भीर बात है। मैं समझता हूँ कि इस पर चर्चा को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

मेरा दूसरा प्रश्न अकाल की स्थिति के बारे में है जिसके बारे में समाचार मिले हैं। जिसके परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश में रायल सीमा में बहुत व्यक्ति मर रहे हैं। यह बहुत गंभीर स्थिति है और मैं समझता हूँ कि इस विषय पर यहां चर्चा होनी चाहिए।

पं० बंगाल के मिदनापुर जिले में बहुत समय पहले विद्यासागर विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी थी। परन्तु इसकी स्थापना अभी तक नहीं हुई है। जो लोग यहाँ पर बैठे हुये हैं वह वहाँ पर हुए होते। वह व्यक्ति 19वीं शताब्दी में बंगाल में पैदा हुआ और उनकी यादगार को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और उस पर हमें यहाँ चर्चा करनी चाहिए कि इस विश्वविद्यालय की वहां पर कब स्थापना होने वाली है। अन्त में, जैसा कि प्रत्येक ने कहा है मैं बिहार में पुलिस द्वारा बन्दियों को अन्धा करने के बारे में है। उस पर भी यहां चर्चा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर। आपके बहुत पद हैं। कृपया संक्षेप में कहिए॥

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) बहुत रेल-दुर्घटनायें हुई थी। हमने स्थगन प्रस्ताव ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये हैं। इसके अतिरिक्त नियम 184 के अधीन प्रस्ताव भी दिये थे। हम चाहते हैं कि नियम 184 के अधीन ये स्वीकृत किये जाएं और उन पर यहां चर्चा हो सकती है॥ बिहार में भूखमरी से कई मौतें हुई हैं—यह बहुत गम्भीर मामला है। मैंने स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिये हैं। हमारे देश में भारी मात्रा में खाद्य उत्पादन है। हम दूसरे देशों में भी खाद्यान्न भेज रहे हैं परन्तु यहां लोग भूखे मर रहे हैं। यह बहुत गम्भीर स्थिति है॥ इस पर यहां चर्चा होनी चाहिए।

संयुक्त बैंकों का लेन देन घपले का लेन देन है। इस पर दूसरी सभा में चर्चा हुई थी। इसलिए उस पर इस सभा में भी चर्चा होनी चाहिए। स्थगन प्रस्ताव भी दिये गये हैं। मैं आपसे सरकार को निदेश देने के लिये निवेदन करता हूं कि वे इसे अगले सप्ताह की कार्य सूची में अवश्य शामिल करें।

थल और हाजिरा में स्थापित किये जाने वाले बम्बई के अरोमिया संयंत्रों तथा गोबर पर आधारित उर्वरक संयंत्रों का मामला एक गम्भीर मामला है। 55 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की हानि हो सकती है। इसलिए यह बहुत गम्भीर मामला प्रतीत होता है और इस पर यहां अवश्य चर्चा होनी चाहिए। हमने नियम 184 और 193 के अधीन नोटिस दिये हैं। मैं चाहूंगा कि आप सरकार को इस पर यहां चर्चा करने के लिए निदेश दें।

दूसरा मामला उड़ीसा में एक बुद्धिमान पत्रकार की हत्या के बारे में है। यह मामला कई बार उठाया गया था। सरकार पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। प्रेस स्वतन्त्रता खतरे में है। यदि महत्व के मामले कोई पत्रकार उजागर करता है तो उसका परिवार सुरक्षित नहीं है। हमें इस मामले पर निश्चित रूप से चर्चा करनी चाहिए। यह गम्भीर मामला है जिसका सम्बन्ध प्रेस की स्वतन्त्रता से है। मैं आप से सरकार को निदेश देने के लिये निवेदन करूंगा कि इसे आगामी सप्ताह के कार्य में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

हरिजनों पर अत्याचार के बारे में हमने ध्यानाकर्षण के कई नोटिस दिये हैं। उनमें से कम-से-कम एक नोटिस पर चर्चा की जानी चाहिए। तामिलनाडु बिहार तथा हर जगह अनुसूचित जनजातियों तथा हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं।

अब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बन्द होने की बात पर आता हूं। इस मामले को चर्चा के लिए नहीं लाया गया है। यह एक गम्भीर मामला है। यह मामला शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित है। सौभाग्य से यह किसी राज्य का विश्वविद्यालय नहीं है। अतः यह केन्द्र का मामला है और इसलिए इस पर यहां चर्चा अवश्य होनी चाहिए।

मैं देश भर में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर आता हूं। इस मामले पर वाद-विवाद किया जाना चाहिए। मैंने इस बात का उल्लेख नहीं किया है। लेकिन इस पर भी वाद-विवाद किया जाना चाहिए क्योंकि इस पर दूसरी सभा में वाद-विवाद किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वसु, आपने कोई मुद्दा नहीं दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह आवश्यक नहीं है। दूसरे सप्ताह में एक बार

कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक होना चाहिए। सभा को एक फार्मूला बनाने में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। किसी भी चीज को रोकने पर कोई प्रश्न नहीं है। समिति को उन मामलों पर वाद-विवाद करना चाहिए जिनके बारे में सदस्यों में रोष उत्पन्न हो रहा है।

उदाहरण के लिए एयर इण्डिया को ही लीजिए। पिछले वर्ष इसमें 50 करोड़ रुपय का हानि हुई और इस हानि को वे कर लगाकर पूरा करना चाहते हैं। मेरा विचार है कि इस वर्ष इस हानि में और वृदि हो जायेगी। जो वृद्धि होने पर यह हानि 60 से 70 करोड़ रुपये हो सकती है। अत: सभा में इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। एयर इण्डिया के मामले की जाँच करने के सम्बन्ध में एक ससदीय आयोग कर गठन करने के लिए एक वहस होनी चाहिए। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने अपना काम किया था। लेकिन अब इसे और अच्छी तरह किया जाना है।

अब मैं छठी पचवर्षिय योजना को लेता हूँ। यह देश की अर्थ व्यवस्था का मामला है। पिछली कार्य मन्त्रणा समिति मे इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। यह वह मामला था जिसके सम्बन्ध में हममें से कुछ सदस्यों ने इस पर वाद-विवाद के लिए बार-बार निवेदन किया था। इस सभा में छठी योजना के दस्तावेज क दृष्टिकोण के सम्बन्ध में पूर्ण बहस के लिए कुछ समय निकल जाना चाहिए। हम इससे कैसे हट रहे है? मेरे मित्रों ने सेन्चुरियन टैंकों उनके पुर्जों तथा सके फालतू पुर्जों के निपटान के बारे में कहा था। यह बहुत चिन्ता की बात है क्योंकि इस सम्बन्ध में एक पत्र प्रस्तुत किया गया है जो एक अन्तराष्ट्रीय जाल साज श्री माईकल द्वारा हस्ताक्षर किया गया था जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरी सभा के सदस्य दूसरी सभा की एक महिला सदस्य ने उससे सिफारिश की थी। मन्त्री महोदय को वह पत्र कैसे मिला वह उसके घनिष्ठ सम्पर्क में कैसे आये तथा उसके साथ उन्होंने मित्रता तथा घनिष्ठता कैसे की ये बातें हैं जिन पर सभा में वाद-विवाद होने की आवश्यकता है क्योंकि इस सम्पूर्ण मामले में बहुत सा व्यर्थ का धन लगा हुआ है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। और महोदय, हम इस बात से ज्यादा नाराज हैं उन्हें मेना को ज्यादा टैंको तथा उपकरणों से पुन: सुसज्जित करने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा निदेश की आवश्यकता है। हमें महाराष्ट्र के उर्वरक कम्प्लैक्स पर वाद-विवाद करना चाहिए। हमें विद्यार्थी मोर्चा तथा डेलोकेटिक यूथलीग द्वारा विद्यार्थी प्रदर्शन तथा उनके साथ किये गये व्यवहार के विषय में वाद-विवाद करना चाहिए। हमारी मुख्य आलोचना आकाशवाणी के सम्बन्ध में है। प्राय: ऐसा होता है कि जब तक कुछ बातें प्रधान मन्त्री जी के सचिवालय से स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक उन्हें आकाशवाणी से प्रसारित नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि हमारे देश तथा बंगलादेश के मध्य रेलवे के संबन्ध में एक समझौता होने जा रहा है। हम यह चाहते हैं कि माननीय रेलवे मन्त्री महोदय, तथा विदेश मन्त्री महोदय सभा की स्थिति से अवगत कराते हुये सभा में एक वक्तव्य दें जिससे हमें इस सबन्ध में इसका ब्यौरा मिल सके।

श्री हरि कृष्ण शास्त्री (फतेह पुर) महोदय, मैंने बंगला बंद के संबन्ध ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कर नोटिस दिया है। महोदय, इस पर बहस की जानी चाहिए ··· (व्यावधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इन बातों का उल्लेख किया है; वह भी इनका उल्लेख कर सकते हैं।

श्री ह र कृष्ण शास्त्री : बहुत सी हत्याएं की गयी है; इस मामले को स्वीकृत दे जाये तथा इस विषय पर वाद-विवाद के लिए समय दिया जाये। (व्यावधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है। किसी व्यक्ति को इसपर विरोध क्यों करना चाहिए। इसे देखना तथा इसके सबन्ध में कुछ करना सरकार का काम है; आप इसके बारे में उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम इसका समर्थन करते हैं। मैंने यह कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इतने असहनशील क्यों होते हैं ? कृपया शान्त रहें। श्री पासवान (व्यवधान) मैंने श्री पासवान को पुकारा है।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) *

वह कहते हैं कि वह यहां 20 वर्ष से हैं और यदि 20 वर्ष यहां रहने के बाद यह परिणाम रहा तो ईश्वर ही जानता है कि दूसरे पांच वर्षों के बाद क्या होगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट के दोनों सदनों-राज्य सभा और लोक सभा में और बाहर देश में यह बात आम लोगों के दिमाग में घर कर गई है कि सरकार ने प्रेस और रेडियो पर बिना लिखे सेन्सरशिप जारी कर दिया है। इसका जीता-जागता सुबूत यह है कि राज्य सभा और लोक सभा दोनों की बैठकें चल रही हैं, लेकिन हिन्दुस्तान के लोगों को पता नहीं चल रहा है कि इस देश में पार्लियामेंट भी चल रही है या नहीं। सरकार के खिलाफ जितनी भी बातें है, उन्हें इस ढंग से रखने की कोशिश की जा रही है और सरकार के द्वारा इस प्रकार का दबाव डाला जा रहा है, जिससे जाहिर होता है कि सरकार ने रेडियो और अखबारों पर अलिखित सेन्सरशिप जारी कर दिया है मैंने इस सम्बन्ध में एक बयेदचन भी दिया, लेकिन वह एडमिट नहीं हुआ। हमारे पास लिखित रूप यह सूचना भेजी गई कि इस तरह की कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि मिनिस्टर सदन में कहें कि सेन्सर-शिप नहीं है। मेरे पास प्रूफ है कि सेन्सरशिप लगाया गया है और वह जारी है।
मैं आप से आग्रह करूंगा कि इस पर बहस होनी चाहिए कि सैंसरशिप लगाया है। हम लोग इसको साबित करेंगे कि सैन्सरशिप लगाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन यह है कि बिहार में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं हैं और बिहार के जो संसद सदस्य हैं, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, आप उन से पूछ लीजिए कि बिहार में कोई कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है (व्यवधान)··· बिहार की सरकार को खत्म करना चाहिए··· (व्यवधान)

श्री सत्यदेव सिंह (छपरा) : वहां कानून-व्यवस्था ठीक है।

श्री राम विलास पासवान : आप नए-नए आए हैं, इसलिए कह रहे हैं···(व्यवधान)··· जनता पार्टी से नए-नए गए हैं, इसलिए कह रहे हैं···(व्यवधान)··· कांग्रेस के लोगों से पूछिए, कोई नहीं कह रहा है कि···(व्यवधान)

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : देश में ला-एण्ड-आर्डर सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि पूरे देश में कानून-व्यवस्था खराब है. उस पर चर्चा हो जाये, इसके लिए हम लोगतैयार हैं। दूसरी जगहों पर आंख में सीख डालकर गरीब लोगों को अन्धा किया जाता है। इसके अलावा दो-एक चीजें और महत्व-पूर्ण हैं। आज कल अखबारों में महन्त के सबन्ध में डेली आ रहा है कि उसके पास 20-22 हजार एकड़ जमीन है, जब उस जमीन पर हरिजन और आदिवासी लोग जोतने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर लास्ट ईयर तीन हत्यायें की गई और फसल काटने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उस पर डिसकशन होना चाहिए। मैंने लिख कर दिया है कि 15 आदिवासियों को पुलिस द्वारा मारा गया है, इस सबन्ध में मैंने एडजोर्नमेंट मोशन और कालिंग एटेंशन भी दिया है, लेकिन आप कहते हैं कि फैक्ट्स मंगा रहे हैं, परन्तु अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है कि फैक्ट्स मगाए जा रहे हैं या नहीं मंगाए जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। आप इस यहां क्यों उठाना चाहते है ? अगली बात पर आइए।

श्री राम विलास पासवान : बिहार में हुई घटना की जवाबदेही केन्द्रीय सरकार की है, राज्य सरकार की नहीं है। बिहार में आदिवासी और हरिजनों पर दिन-दहाड़े कत्ले आम हो रहे है। सरकार को इसके लिए स्ट्रांग कदम उठाने चाहिए।

तीसरी बात यह है कि ब्रिटेन में एक नियम बनाया गया है कि भारतीय बच्चों के प्रवेश पर उनका एक्सरे लिया जाएगा। एक्सरे लेने से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इस लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो ब्रिटेन में बच्चों के सबन्ध में कानून बनाया गया है, उसको रुकवाया जाए तथा मेरा सरकार से निवेदन है कि इनको इस पर स्टेटमेंट देना चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आप अपनी बातों को दुहरा रहे हैं।

श्री रामविलास पासवान : अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, जूनियर डाक्टर्स की हड़ताल के संबन्ध में यहाँ पर बहस की माँग की गई है, मैं उनका समर्थन करता हूँ।

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसद-कार्य मंत्री जी ने जो बिजनेस अगले सप्ताह के लिये रखा है उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रह गया है। कल बंगाल में वहाँ के सत्तारूढ़ दल के लोगों ने जबरदस्ती अपनी गुण्डागर्दी के द्वारा, अपनी दादागीरी के द्वारा बन्द करवाया है, उसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। वहाँ पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए पश्चिमी बंगाल की सरकार ने विरोध पक्ष के लोगों का जीवन दूभर कर दिया है···(व्यवधान)···वहाँ की सरकार सामान्य आदमी के जीवन की सुरक्षा करने में बिलकुल असमर्थ हो गई है, वहाँ का सामान्य आदमी आज अपने आप को बिलकुल असुरक्षित महसूस कर रहा है। एक नई स्थिति वहाँ पर पश्चिमी बंगाल की सरकार ने पैदा कर दी है। वहाँ के एक मन्त्री के द्वारा पश्चिमी बंगाल के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वे केन्द्र की सत्ता को नहीं मानेंगे। यह एक नई बात है अगर वहाँ के मंत्री इस तरह की बात को कहेंगे कि केन्द्र की बात को नहीं मानेंगे तो यह हिन्दुस्तान से अलग हटने की बात हो जाती है।

मैं चाहता हू कि अगले सप्ताह के बिजनेस में पश्चिमी बंगाल की सरकार के इस घृणा कार्य के लिये उसकी निन्दा की जानी चाहिये तथा यह मामला सदन में विस्तार से विचार किया जाना चाहिये। यदि जरूरत पड़े तो पश्चिमी बंगाल में रिजर्व पुलिस भेजी जानी चाहिये ताकि वहां के नागरिकों का जीवन सुरक्षित हो सके, विरोधी दल के लोगों का जीवन सुरक्षित हो सके। यदि इतने से भी मामला न सुलझने वाला हो तो पश्चिम बंगाल की सरकार को, जो जन-विरोधी सरकार है जो केन्द्र के साथ लड़ाई लड़ना चाहती है, उस को भंग कर के राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रपोजल रखी जाय।

दूसरी बात- केरल के सम्बन्ध में है। केरल में जो सत्तारूढ़ दलों का कम्बिनेशन है, उस में विभिन्न फैक्शनज हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं मारपीट कर रहे हैं। जिस की वजह से वहां सरकार नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। आम आदमी असुरक्षित महसुस कर रहा है। इस लिये केरल सरकार के कन्डक्टर पर भी विचार किया जाना चाहिये।

आप यहां पर रोज देखते हैं- अपोजीशन जीरो आवर में जिस तरीके से स्थिति को उठा कर हल्ला-गुल्ला मचाता है, उसी तरह से वह बाहर भी करने लग गया है। नासिक में रेल की पटरियां उखाड़ने, रेलों को रोकने का काम हो रहा है, जिससे आम आदमी का जीवन जो रेल में सफर कर रहा है खतरे में पड़ सकता है। *

इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश में विरोधी पक्ष सिस्टेमेटिक तरीके से सदन में और बाहर भी···

श्री राम विलास पासवान : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय यह क्या है ? वह जो कुछ कहना चाहते हैं उन्हें कहने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

श्री राम विलास पासवान : आप मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर सुन लीजिए। प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अधीन ? व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : एक माननीय सदस्य के प्रति ऐसी बात कही जा रही है, विदआउट, प्रायर-इनफार्मेशन···

उपाध्यक्ष महोदय। नहीं, नहीं, कृपया बैठ जाइए। आप क्या उठा रहे हैं ?. जो कुछ वह कहना चाहते हैं उन्हें कहने दीजिए। जो कुछ पत्रों में आ रहा है उससे अधिक।

श्री राम विलास पासवान : व्यवस्था का प्रश्न···

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अधीन ? आप किस नियम के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ? (व्यवधान) यह तरीका नहीं हैं। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। क्या होने वाला है ? उन्हें बोलने दीजिए। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। (व्यवधान) मैं आपको अभी अनुमति नहीं दे रहा हूँ। मैंने पहले ही आपको अनुमति दी है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जायेगा। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जायेगा। यह उचित नहीं है।

जब आपने बहुत कुछ कहा तो वे आपको सुन रहे थे।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री राम विलास पासवान *

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत : त्रिपुरा में वहां की सरकार द्वारा वहाँ के ट्राइब्स को परेशान किया जा रहा है जिससे वहां अशान्ति भड़के। त्रिपुरा की मार्क्सवादी सरकार वहाँ सिस्टेमेटिक तरीके से पूरे पूर्वांचल में अशान्ति भड़काने की कोशीश कर रही है जिससे हमारे पुर्वांचल में विघटन की प्रवृति बढ़े। यह खतरनाक बात है, इस पर सदन में विचार किया जाना चाहिये।

इस देश के कई प्रान्तों में ढाई साल तक जो एक सरकार रही, कहीं लोक दल की, कहीं जनसंघ की, आर.एस.एस. की, उन लोगों ने पुलिस में अपने लोगों को भरती करवाया है और वे लोग सिस्टेमेटिक तरीके से हमारी सरकार को बदनाम करने के लिये जगह-जगह हरिजनों पर अत्याचार कर रहे हैं। इस स्थिति पर सदन में विचार होना चाहिये।

लास्ट-टाइम जनता पार्टी की सरकारों के मंत्रियों ने एक दूसरे पर विदेशी एजेन्ट होने के आरोप लगाये थे···

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा करने दीजिए। समय नहीं है। उन्हें इसे पूरा करना है। हमें इसे 3 बजे तक पूरा करना है।

श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत : इस से सारे हिन्दुस्तान के लोगों के मन में हमारे देश के इन नेताओं के प्रति, जो इस समय विरोध पक्ष में है, सन्देह पैदा हो गया है। हमारा निवेदन है कि उन के कन्डक्ट पर भी विचार किया जाये।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : आपने मेरे प्रति बड़ी कृपा की है और मैं कह सकता हूं कि मैं सत्तारूढ़ दल तथा विपक्ष के सदस्यों की इच्छाओं को समायोजित करने का निरन्तर ही प्रयत्न करता हूं। हमने इस बारे में आपके विचारों को नोट किया है। मैं कह सकता हूं कि हमारा अगले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य की घोषणा करने का जो अभिप्राय था वह स्थापित प्रथा के अनुसार ही था। किन्तु साम्प्रदायिक दंगों पर चर्चा करने की सभा की इच्छा पर विचार कर सरकार इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष द्वारा एक प्रस्ताव स्वीकार करने बुधवार, 3 दिसम्बर, 1980 को चर्चा के रखने के लिए सहमत हुई है।

माननीय सदस्यों ने जो अन्य मुद्दे उठाये हैं मैं उन पर विचार करूंगा और जो कुछ मुझे उचित लगेगा उसे मैं कार्य सलाहकार समिति के नोटिस में लाऊंगा।

एक माननीय सदस्य : तीन दिसम्बर।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं कह चुका हूं, तीन दिसम्बर।

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र

(श्री जानकी बल्लभ पटनायक)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि आज अध्यक्ष को उड़ीसा के कटक निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री जानकी बल्लभ पटनायक का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है। अध्यक्ष ने उनका त्याग-पत्र 29 नवम्बर, 1980 से स्वीकार कर लिया है।

---

*कार्यवृत्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

समिति के लिए निर्वाचन

(केन्द्रीय रेशम बोर्ड)

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : श्री खुर्शीद आलम खाँ की ओर से, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :—

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 के नियम 4 और 5 के साथ पठित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें श्री जैनुल बशर के स्थान पर जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 के नियम 1955 के नियम 4 और 5 के साथ पठित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, श्री जैनुल बशर के स्थान पर जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

जो सदस्य पक्ष में हों वे कृपया हाँ कहें।

कुछ माननीय सदस्य : हाँ।

उपाध्यक्ष महोदय जो सदस्य पक्ष में न हों वे कृपया ना कहें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से निर्णय 'हाँ' वालों की पक्ष में हुआ है, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं, मैं कहता हूं, निर्णय 'ना' वालों के पक्ष में गया है। आपको मत विभाजन कराना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 के नियम 4 और 5 के साथ पठित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें श्री जैनुल बशर के स्थान पर जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

(दसवां प्रतिवेदन)

श्रीमती कृष्णा साही (बेंगूसराय) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करती हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दसवें प्रतिवेदन से जो 26 नवम्बर, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दसवें प्रतिवेदन से जो 26 नवम्बर, 1980 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आदिवासी क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के बारे में संकल्प जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब 1 अगस्त, 1980 को श्री गिरिधर गोमांगो द्वारा प्रस्तुत किये गए निम्नलिखित संकल्प पर और आगे चर्चा होगी।.....(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, इसके लिये एक घंटे 20 मिनट का समय दिया गया है।...(व्यवधान)...इसके बाद मुझे एक और मद प्रस्तुत करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का जिक्र एक घंटे उन्नीस मिनट बाद कीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उस पर कई सदस्य बोलने वाले हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप समय बढ़वाना चाहते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम इस पर पाँच बजकर पचपन मिनट तक चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

मैं नहीं चाहता ...(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : समय बढ़ा दिया जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे पास एक संकल्प है। मैं इसे प्रस्तुत करना चाहता हूं। (व्यवधान) मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसका बुरा नहीं मानेंगे। (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है। हमने राज्य और आदिवासी दोनों ही योजनाएं रखी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं उस दिन कुछ उदाहरण दे रहा था और मैं समझ रहा था कि जबसे पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ था इसके बाद जो हरिजन-आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, वे मकवाना जी के प्रयास से होम मिनिस्टर के प्रयास से और भारत के प्रधान मंत्री और भारत सरकार के प्रयास से कम होंगे, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता गया और इसका एक ही कारण है, जो

कि मैंने उस दिन कहा था कि सरकार चाहे हरिजनों के लिए जितना चिल्ला ले, लेकिन सरकार की नीयत कभी साफ नहीं है और यही कारण है, जब तक नीयत आपकी साफ नहीं रहेगी तब तक आप चाहे जितनी योजनाएँ बनाये चाहे जितना रुपया खर्च करें, उसका कोई उपयोग नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अभी पूरे देश में हरिजनों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर जो घटनायें घटी हैं, उसका लेखा-जोखा अखबारों से आप कर लीजिए। कोई ऐसा दिन नहीं मिलेगा जिस दिन हरिजन या आदिवासी और कमजोर वर्ग के ऊपर अत्याचार न हुआ हो, उनकी हत्यायें न हुई हों, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है।

सभापति महोदय, मैं बोद्ध गया का जिक्र कर रहा था। हमारे बिहार में एक-एक आदमी के पास 10-10/20-20 हजार एकड़ जमीन है और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी के पास 20 धुर जमीन भी नहीं है। सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए, हरिजन-आदिवासियों के लिए काम करना चाहते हैं और दूसरी तरफ यह हालत है। कैसे आप हरिजन-आदिवासी की रक्षा करेंगे जबकि आपके पास हिम्मत नहीं है, आप बड़े लोगों से जमीन नहीं छीन सकते। जब तक आपके पास यह हिम्मत नहीं आएगी तब तक आप चाहें कि हरिजन-आदिवासी और गरीब लोग खुश रहें, यह नहीं हो सकता।

अभी आपने अघोरा के सम्बन्ध में पढ़ा होगा, सासाराम जिले का मामला है, यहां पर आदिवासी लोग 14 मील ऊँचे पहाड़ पर बसे हुए हैं, सेठ-साहूकार लोग वहां पर जाते हैं, सौ-सौ रुपये देकर उनकी जमीन ले लेते हैं, उसके बाद उस जमीन को लेकर उसकी जमीन पर उसी से काम करवाते हैं और बाद में कह देते हैं कि यह सब सूद में जमा हो गया और इस प्रकार पुश्त दर पुश्त वे सूद भरते रहते हैं। बौद्ध गया का मामला मैंने उठाया। वहाँ पर एक महन्त हैं, वे कहते हैं कि उनके पास कोई परिवार नहीं है, लेकिन उसके पास 22000 एकड़ जमीन है। उसको इतनी जमीन रखने का क्या अधिकार है। इस पर संघर्ष वाहिनी के लोगों ने आंदोलन चलाया, हरिजन-आदिवासियों ने आंदोलन चलाया, पिछली बार तीन हरिजनों को मार दिया गया, हरिजन जो कि सबसे कमजोर वर्ग के होते हैं, उनको कत्ल कर दिया गया। वह जमीन अभी भी हरिजन-आदिवासी के कब्जे में है, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आंदोलन हो रहे हैं, प्रतिदिन अखबारों में समाचार निकले रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। न बिहार के प्रशासन, न दिल्ली के प्रशासन में इतनी हिम्मत है कि वह हरिजन-आदिवासियों को उनके अधिकार दे सके।

सरकार चाहे कितनी ही नीतियाँ बना ले, लेकिन जब तक हिम्मत नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तलवार भले ही आपके पास है, लेकिन अगर उसे चलाने के लिए हाथ नहीं हैं तो उस तलवार से आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ नीति बना देने से, भाषण दे देने से मामला हल नहीं होगा।

सभापति महोदय, अभी सिंहभूमि जिले में 15 आदिवासियों की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई, लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक इस सदन में एक मिनट भी चर्चा नहीं हो पाई है। सरकार द्वारा यह नहीं कहा गया कि यह हत्या क्यों हुई। इसके हत्यारों का मन बढ़ा है और हरिजन-

आदिवासी का मन घटा है, चाहे उसके लिए पैसा दे दीजिए, योजना बना दीजिए, कुछ काम नहीं आएगा।

सबसे पहले आप हरिजनों, आदिवासियों, कमजोर वर्ग के लोगों को विश्वास दिलायें कि यह देश उनका है। उनको अभी तक इसका विश्वास नहीं हो पाया है कि यह देश उनका है। उनकी संख्या कम नहीं है। उनका मन मरा हुआ है, पेट भी मरा हुआ है, दिमाग भी मरा हुआ है। उनके मन को हजारों साल से मार कर रखा गया है, आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से। उनका हर तरह से शोषण हुआ है। उनको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यह सब किये बिना आप करोड़ों रुपया उनके वास्ते खर्च कर दें उनका उद्धार नहीं होगा। नीति और नीयत साफ होनी चाहिये। मकवाना जी होम मिनिस्टरी के स्पोक्समैन हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब कभी हरिजनों और आदिवासियों के सम्बन्ध में प्रश्न किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा जो राज्य सरकारों को निर्देश जारी किये गये हैं उनका कहां तक इम्प्लमेंटेशन हो रहा है तो जवाब मिल जाता है कि आशा की जाती है कि राज्य सरकारें उन पर अमल करेंगी। कानून आप बनाते हैं, निर्देश आप देते हैं, राज्यों में आपकी सरकारें हैं लेकिन आप कहते हैं कि आप आशा करते हैं कि वे उनको कार्यान्वित करेंगी। जब कहा जाता है कि पूर्व चलो तो ऐसा मालूम पड़ता है कि पश्चिम की ओर जा रहे हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि मुझको शंका है कि कहीं भारत सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को उनके कान में जाकर यह तो नहीं कह दिया हो कि यदि हम हां कहें तो न समझना और जब न कहें तो हां समझना। जब कभी जोर से सरकार कहती है कि वह हरिजनों और आदिवासियों की रक्षा करना चाहती है तो देखने में आता है कि उतनी ही जोर से इन पर अत्याचार होने लग जाते हैं।

एस.सी.एस.टी. में हम लोग साउथ में गये थे। एक घटना के बारे में हमने मकवाना जी को भी लिखा है, प्रधान मंत्री जी को भी लिखा है। एक जगह पर सतरह हरिजन महिलाओं के साथ रेप किया गया। रेप करने के समय उस हरिजन महिला का जो पति था उसकी भी जमींदार के द्वारा तुरन्त हत्या कर दी गई। हत्या के बाद वहां हरिजन आदिवासी संघ के लोगों ने जलूस निकाला। पुलिस ने लाठी चार्ज किया और उन लोगों को जेलों में बन्द कर दिया।*

गृह मंत्रालय कानून बनाता है, कायदा बनाता है लेकिन उसका पालन किसी भी कार्यालय में नहीं होता है। कल बोकारो स्टील प्लांट से लोग आए थे। वे कह रहे थे कि हमारी जमीन छीनी गई है। सरकार के कानून के मुताबिक जिस किसी हरिजन या किसी अन्य जाति वाले की जमीन छीनी जाती है, उसको नौकरी में प्राथमिकता दी जाती है लेकिन यहां ऐसा भी नहीं हुआ है। अगर इस आधार पर किसी को नौकरी मिल भी गई है और वह रिजर्व्ड कोटे में आता है तो उसको इसमें जोड़ दिया गया और इस आधार पर कह दिया जाता है रिजर्वेशन मिल गया है। देखने में आता है कि आदिवासियों को, हरिजनों को दूकानें नहीं मिलती हैं। इस वास्ते आप नीयत साफ करें। चाहे सरकारी नौकरी हो, व्यापार हो, कारखाने हों सब चीजों में आप आरक्षण की व्यवस्था करें।

एंटी शेड्यूल्ड कास्ट और एंटी शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग यहां बोट क्लब पर आमरण

* अध्यक्षपीठ के अदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अनशन पर बैठे हुए है। वे कहते हैं कि आरक्षण खत्म करो। भारत सरकार की नाक के नीचे यह असांविधानिक काम हो रहा है। यह आरक्षण इस सरकार ने हमको नहीं दिया है। इन्दिरा गांधी ने मुझे आरक्षण नहीं दिया है। यह आरक्षण मुझे मिला है संविधान के तहत, लड़ कर मिला है और जब तक यह सदन रहेगा इस देश में पार्लियामेंट रहेगी, मुझे इस अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। यह किसी की व्यक्तिगत देन नहीं है। जब यह एक सांविधानिक अधिकार है, तो अगर संसद के बगल में, उससे सौ गज की दूरी पर, लोग आमरण अनशन पर बैठते हैं और कहते हैं कि रिजर्वेशन को खत्म करो, और भारत सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है, तो इसका मतलब यह है कि भारत सरकार भीतर ही भीतर लोगों को ऐसे आन्दोलन करने के लिए उकसाती है। इसलिए यह सरकार अपनी नीयत और अपनी नीति को साफ करे।

मंत्री महोदय भी उसी परिवार से आये हैं और पूरी स्थिति को जानते हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता हूं कि विरोधी दल के सभी लोग गरीबों के पक्षपाती और हितैषी हैं और सत्ता पक्ष के लोग उनके दुश्मन और विरोधी हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार यह देखे कि वह जो फंड्ज देती है, उनका सही उपयोग हो रहा है या नहीं—बीच में कहीं कोई राक्षस या जानवर तो नहीं है, जो उन फंड्ज को गरीबों तक नहीं पहुँचने देता है। सबसे बड़ी विडम्बना यह रही है कि हरिजनों पर अत्याचार करने वालों, हरिजनों के आरक्षण को न मानने वालों और हरिजनों के आरक्षण को हड़प करने वालों में से एक भी पदाधिकारी के खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं हुई है। सरकार यह मन बना ले कि ऐसे दस लोगों को चुन कर कठोर से कठोर सजा दी जाये, जो हरिजनों और आदिवासियों के आरक्षण को पूरा नहीं करते हैं और उन पर जुल्म करते हैं। आंखे निर्दोष आदमियों की नहीं निकालनी चाहिए। आंखें ऐसे अफसरों की निकालनी चाहिए, जो हरिजनों और आदिवासियों के हक को मार रहे हैं, जो हरिजनों आदिवासियों की औरतों के साथ बलात्कार करते हैं और उनकी जमीन को छीनते हैं। तभी हरिजनों और आदिवासियों के लिए सरकार ने जो रुपया दिया है, उसका सही ढंग से उपयोग होगा।

श्री दलबीर सिंह (शहडोल) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री गोमांगो, ने हरिजनों और आदिवासियों के सम्बन्ध में जो रेजोल्यूशन रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

1969 की जन-गणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सारे हिन्दुस्तान में 3.80 करोड़ थी, जो देश की जनसंख्या का 6.94 प्रतिशत है, और अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या 4.11 करोड़ थी, जो देश की जनसंख्या का 7.5 परसेंट है। होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स में दर्शाया गया है कि सरकारी नौकरियों में हरिजनों और आदिवासियों को कितना आरक्षण दिया जाता है। 1979-80 में नौकरियों में इन वर्गों का जो प्रतिशत रहा है, मैं उसके कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रथम श्रेणी में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण है, लेकिन वह 4.75 प्रतिशत रहा और अनुसूचित जन-जातियों के लिए 7.5 प्रतिशत के स्थान पर 0.49 परसेंट रहा। द्वितीय श्रेणी में शिड्यूल्ड कास्ट्स का प्रतिशत 7.37 और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का 1.03 रहा। इसी तरह से तृतीय श्रेणी में शिड्यूल्ड कास्ट्स का प्रतिशत 12.50 और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का 3.11 रहा। चतुर्थ श्रेणी में शिड्यूल्ड कास्ट्स का प्रतिशत 19.32 और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का 5.19 रहा।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने रोस्टर और कैरी फारवर्ड के नियम बनाये हैं, लेकिन इन आंकड़ों से पता चलता है कि प्रथम पचवर्षीय योजना से लेकर पांचवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक संतोषपूर्ण कार्य नहीं हुये हैं, छठी पंचवर्षीय योजना बनने जा रही है—हरिजनों और आदिवासियों की कोई भलाई नहीं हो पाई है।

मैं आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ कि प्रथम पंच-वर्षीय योजना में सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए जो रुपया रखा था, वह कहां तक इन वर्गों पर खर्च हुआ है।

प्रथम पच वर्षीय योजना	1951-56	30 04	करोड रु०
द्वितीय पंच वर्षीय योजना	1956-61	79.41	,,
तृतीय पच वर्षीय योजना	1961-66	100.14	,,
एन्युअल प्लान	1966-69	68.50	,,
चौथे प्लान में	1969-74	172.70	,,
पांचवे आउट-ले प्लान	1974-78	288.88	,,
स्पेशल सेंट्रल असिसटेंस फोर सब-प्लान्स विद ट्राइबल्स		120 00	,,

सभापति महोदय, जो राशि राज्यों को आइ. टी. डी. पी. के तहत केन्द्र द्वारा सहायता के लिए दी जाती है, यदि आप आंकड़े उठा कर देखें तो 180 सब-प्लान्स बनाए गए और 1979 तक और 1-9 सब प्लान बनें। क्या सब प्लान बनें और यदि बनें तो वे हरिजन और आदिवासियों के लिए क्या काम कर रहे हैं ? अभी 100 करोड़ रु. हरिजनों के विकास के लिए दर्शाया है और कहा है कि कम्पोनेंट प्लान्ट बनेंगे, तो वह राशि सही रूप में खर्च हो रही है या नहीं इस पर भी मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन और आदिवासियों के बीच में बहुत से ऐसे बच्चे हैं; जो स्कूल भी नहीं जाते हैं और सिर्फ रोजी-रोटी कमाने की तरफ लगे रहते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे परिवारों के लिये हमारी सरकार क्या सहायता दे रही है और यदि सहायता नहीं दे रही है, तो केन्द्रीय सरकार को उनकी सहायता के लिये सोचना चाहिए।

इसके साथ ही साथ मेरा गृह राज्य मंत्री जी से निवेदन है कि आप छठी पच वर्षीय योजना बनाने जा रहे हैं। इसमें आपने 350 करोड़ रुपया हरिजनों को दिया है और उसको बढ़ाकर 250 करोड रिकमेंडेशन कर रहे हैं; इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि 1976 के बाद आदिवासियों की संख्या बढ़ी ही है घटी नहीं हैं। हरिजनों के लिए छठी पच वर्षीय योजना में आप जितना ज्यादा रुपया बढ़ाने जा रहे हैं, उस अनुपात में आदिवासियों के लिए भी आप 750 करोड़ रु० का प्रावधान इस योजना में रखें। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से आज हरिजनों के साथ अन-टचेबिलिटी का सवाल आया है और 11 राज्यों में इसको मद्दे नजर रखते हुए इस बारे में सर्वेक्षण किया गया जिनमें से चार राज्यों में न्यायालय स्थापित किए गए। इसलिए इस ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान जाना आवश्यक है।

जहां तक आदिवासियों का सवाल है, इन आदिवासियों को जो 20 सूत्री कार्यक्रम के

तहत जमीनें दी गई है, उन जमीनों का सही रूप से आवंटन नहीं हो पाया है। इस ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान जाना चाहिए। जहां-जहां पर जंगलों को काटा जा रहा है, वहां पर फ्रुट प्लान्ट लगाए जाने चाहिए। यह सुनने में आया है कि बस्तर जिले में कोई कनाडा की कम्पनी है, जो पाइन के पौध लगाने जा रही है, वहां पर जो पहले फ्रुट प्लान्ट के पौधे लगे हुए हैं, उनको काट कर। इसलिए केन्द्रीय सरकार को तो पौधे ही राज्य सरकार को यह निर्देश देने चाहिए कि इस तरह के जो जंगल हैं, जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, उनका वहां पर हनन नहीं किया जाना चाहिए। जो रिजर्व फारेस्ट हैं; जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं; उनको जो जमीनों का अलाटमेंट है, उनको अभी तक रिवेन्यू के अन्तर्गत नहीं लाया गया है।

जहां तक आदिवासियों की समस्या का संबन्ध है, कई स्थानों पर वर्षा अधिक होती है और कई स्थानों पर सूखा-फाल अधिकांशतया समय पर होता है, इसलिए इन लोगों को केवल एक-दो महीने काम करने का मौका मिलता है और सरकार द्वारा निर्धारित की गई राशि का समय पर सही प्रयोग न होने के कारण वह सारा पैसा लैप्स हो जाता है।

इसके साथ-ही-साथ जो श्री गोमांगो साहब रिजोल्यूशन लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार में सिर्फ आदिवासियों और हरिजनों के लिए एक डिवीजन काम कर रहा है, जब कि ढेबर कमीशन की एक यह रिकमेंडेशन है कि डिपार्टमेंट होना चाहिए। इस कमीशन की रिकमेंडेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और अभी भी हरिजन और आदिवासियों के लिए सिर्फ एक डिवीजन काम कर रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह राज्य मंत्री जी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी केन्द्रीय शासन हरिजन और आदिवासियों के विकास के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट खोले। इसी तरह से पालियामेंट्री कमेटीज बनी हुई हैं -- 1971 में कायम हुई, 1973 में कायम हुई और अभी भी बनी हैं—कान्स्टीट्यूशनली उनको क्या महायता दी गई है और क्या वे अपनी रिपोर्ट सदन में रखती है या नहीं। यदि रखी जाती हैं, तो शासन उन पर पूरा-पूरा ध्यान देता है या नहीं। इस ओर भी देखना पड़ेगा।

इसके साथ ही साथ जितनी हमारी आदिवासियों और हरिजनों की समस्यायें हैं, हरिजनों की जहां सबसे बड़ी समस्या अनटचेबिलटी की है, वहां आदिवासियों की समस्या सोसियो-एकोनामिक है और उनका जो एक्सप्लायटेशन हो रहा है उसको सरकार को देखना पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस रेजोलूशन का समर्थन करता हूं।

श्री मन मोहन हुडु (मयूरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं श्री गिरिधर गोमांगो द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प का समथन करना चाहूँगा।

सरकारी विवरणानुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का जो प्रतिशत यहां दिया गया है, वह तो केवल 22 प्रतिशत ही है। मेरे विचार से वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। कुछ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को छोड़ दिया गया है। उनको भी सूचीबद्ध किया जाए। सही सूचियां बनाई जाएं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जिन लोगों को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है उन्हें सूचीबद्ध किया जाए। यह मेरा एक सुझाव है जो मैं देना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि हम अ० जा० और अ० ज० जा० के लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं ? हम तो उनकी भाषा के बारे में भी काफी अनभिज्ञ हैं। यह एक बड़ा ही आवश्यक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब तक हम उनकी भाषा को नहीं जान लेते हम सही ढंग से उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं।

और फिर जो धन आवंटित किया गया है वह पर्याप्त नहीं है और जो कुछ आवंटित किया गया है वह भी अन्य लोगों की जेबों में चला जाता है। मैं यहां कुछ आंकड़े दे सकता हूं। संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत बड़े लम्बे समय से काई आवंटन नहीं किया गया है। केवल 1974 में ही 20 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। हमारे द्वारा मांगी गई राशि 1200 करोड़ रुपये थी। योजना आयोग ने भी यह सिफारिश की है कि 1000 करोड़ से कम का आवंटन न किया जाए। मेरे विचार से तो यह राशि भी अपर्याप्त है। मैं मांग करता हूँ कि 1200 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाए और इसके अतिरिक्त और 1000 करोड़ रुपये दिए जाएं। अतः तदानुसार 2200 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाए। मेरा मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि वे यह देखें कि यह सरकार इस मांग को पूरा करे।

दूसरी जो बात मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं वह आदिवासी विकास योजनाओं और उनके कार्यान्वियन के बारे में है। जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वे देश के कुछ भागों की आदिवासी भाषा और हरिजन भाषा से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। सरकार को इन भाषाओं को मान्यता प्रदान कर देनी चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी सेवारत हो या भारतीय प्रशासन सेवा का अधिकारी हो उसे उनकी भाषा आनी चाहिये। तभी उसे नियुक्त किया जाए और तभी हमें कुछ सफलता मिल सकती है। अन्यथा नहीं।

आजादी के 33 वर्ष बाद भी अ. जा. और अ. ज. जा. के लोगों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही कम और निराशाजनक है। उनमें से भारतीय प्रशासन सेवा में आने वालों की तो बात ही क्या करें। अनुसूचित जातियों में इसका शायद 3 प्रतिशत है और अ. ज. जा. में और भी कम।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

इसलिए, हमें आदिवासी अधिकारियों तथा हरिजन आदिवासियों को महत्वपूर्ण पदों पर रखना चाहिए। मान लीजिए, एक अनुसूचित जिला है। वहां ऐसा मजिस्ट्रेट होना चाहिए जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों में से हो, जिसे अनुसूचित जिले का प्रशासक होना चाहिए। केवल तभी कुछ किया जा सकता है। कुछ कार्यान्वित किया जा सकता है।

इस प्रकार से मैं सरकार को इस बात का सुझाव दूंगा कि जब तक ऐसा कार्य नहीं किया जाता और किसी समुचित व्यक्ति को वहां नियुक्त नहीं किया जाता तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। हम पर्याप्त धनराशि आवंटित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। इसलिए, मैं इस सरकार से पुनः इस बात का अनुरोध करूंगा कि इसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए और वहां कल्याण अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए अधिकारी विशेष रूप से हरिजन और आदिवासी लोगों में से होने चाहिए।

दूसरा मुद्दा यह है कि यहां हर व्यक्ति चिल्ला रहा है—विपक्ष से और सरकारी पक्ष से परन्तु मैं समझता हूँ कि वे सभी घड़ियाली आंसू हैं क्योंकि हम कार्य तथा कार्यक्रम को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के इस देश में एक आपात्तकालीन कार्य के रूप में घोषित किया जाना चाहिए और हमें धनराशि आवंटित करनी चाहिए तथा इसे क्रियान्वित करना चाहिए।

दूसरी बात इस बारे में है कि किस तरह हम आदिवासी लोगों का शोषण कर रहे हैं और उससे किस तरह असंतोष पैदा हो रहा है। सिमिलीपाल पहाड़ियों में मयूरभंज जिले में वे वन उत्पादों पर निर्भर करते हैं। परन्तु उड़ीसा में सिमलीपाल वनों का एक निगम—सिमिलीपाल विकास निगम—द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है और निगम के माध्यम से साल के पेड़ों तथा दूसरे पेड़ों को काटा जाता है और बाहर ले जाया जाता है। सिमलीपाल क्षेत्र में आदिवासी जातियां लम्बे अरसे से, हजारों वर्षों से रहती आई हैं। वे हैं, खाडिया और मांकीडिया, आदि। अब, इस निगम की स्थापना के बाद, उन्हें सिमलीपाल क्षेत्र से बाहर जाना होगा। बड़े लोग और गैर-सरकारी लोग इस स्थिति का लाभ उठा रहे हैं और इसलिए आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है। इसलिए इस योजना के माध्यम से हम अप्रत्यक्षरूप से कहने को हम उनके विकास के लिए धन दे रहे हैं और निगम की स्थापना के लिए धन का आवंटन कर रहे हैं—उनका शोषण कर रहे हैं, हम उन्हें मार रहे हैं। अभी हमने उनको बसाया नहीं है। मांकीडिया और खाडिया तथा दूसरी आदिवासी जातियां जो वहां हजारों वर्षों से रह रही हैं; अब उन्हें बाहर जाना होगा। इसलिए यहां मैं सरकार से इस बात का अनुरोध करूंगा कि वन विकास निगम स्थापित करने के नाम पर इस तरह की आदिवासी जातियों को सिमिलीपाल क्षेत्र से बाहर निकालने से पूर्व, उन्हें पहले बसाया जाना चाहिए। योजना आदिवासियों तथा हरिजनों की प्रगति के लिए है, परन्तु इसके साथ ही उनका शोषण किया जाता है। यह विरोधाभास की बात है और इस तरह की बात को अवश्य रोका जाना चाहिए।

वहां कोई शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम भी नहीं है। इसलिए, यदि हम उनका आर्थिक विकास करना चाहते हैं, तो यह कैसे किया जा सकता है? आप उन्हें लिखने-पढ़ने की सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, आप उनको संरक्षण नहीं दे रहे हैं। वहां हर जगह उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं और आप इसे रोक नहीं सकते।

मेरा सुझाव है कि साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में से भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जैसी सेवाओं में लोगों की भर्ती की जानी चाहिए और उन्हें महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया जाना चाहिए, ताकि वे राष्ट्र की, अपनी मातृभूमि की सेवा कर सकें। इसीलिए मैं सुझाव देता हूं कि किसी आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने से पूर्व शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मेरा अन्तिम निवेदन यह है। मैं फिर विषय की बात कर रहा हूं कि 1952-74 की अवधि में हुई मान्यता की पूर्ति की जानी होगी और अब अपेक्षित धन दिया जाना चाहिए। इसके साथ योजना आयोग की सिफारिशों पर भी विचार किया जाना चाहिए और 1000 करोड़ रुपए उप-योजना तथा कम्पोनेन्ट योजना के लिए अवश्य दिए जाने चाहिए।

श्री अरविंद नेताम (कांकेर) : सभापति जी, श्री गिरिधर गोमांगो द्वारा यह जो रिजोल्यूशन सदन के सामने लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि वे बहुत सही समय पर इसको सदन के सामने लाए हैं।

सभापति महोदय, हम पांचवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त करने की तैयारी में हैं और छटवीं पंचवर्षीय योजना के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में यह जो रिजोल्यूशन है वह हरिजन और आदिवासियों के लिए नीति बनाने के सम्बन्ध में विचार करने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

सभापति जी, यह सबप्लालन 1974 में ट्राइबल एरिया में शुरू किया गया। उसके पहले तक बहुत से एक्सपेरीमेंट हुए, और इस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो सबप्लान लाया गया, मैं समझता हूं कि यह प्रोग्राम ट्राइबल एरिया में ही लाया गया। अभी सबसे बड़ी बात जो सब प्लान के बारे में मैं आपके माध्यम से गृह राज्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि वैसे तो यह कार्यक्रम सबप्लान के तहत बहुत अच्छा है, लेकिन 74 से लेकर अब तक, आज पांचवीं पंचवर्षीय योजना हम समाप्त करने जा रहे हैं, आप देखें कि आज तक हमारा क्या एचीवमेंट रहा, क्या हमको मिला ? यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसे भारत सरकार को बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए।

सभापति जी, मैं अपने बस्तर जिले के बारे में आपको बतलाना चाहता हूँ कि वहाँ पर आपके सब-प्लान के जितने भी कार्यक्रम हैं, उनका मैंने बड़ी गम्भीरता से अध्ययन किया है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अभी भी भारत सरकार को बहुत से कदम उठाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसे का ठीक ढंग से उपयोग हो तो आज भी बहुत से कदम उठाने होंगे तभी आप उस इलाके के बारे में न्याय कर सकेंगे, जस्टीफाई कर सकेंगे।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से गृह राज्य मंत्री जी को बतलाना चाहता हूँ कि ये जो सब-प्लान हैं उनमें यह देखना चाहिए कि कौन सा कार्यक्रम, कौन सी स्कीम अच्छी हो सकती है, कौन सी स्कीम लागू हो सकती है, वही वहां पर लागू होनी चाहिएं। अभी बस्तर जिले में एक मजेदार बात सामने आई। वहाँ पर सन् 56 से अब तक ब्लाक की तरफ से सिंचाई के लिए कुओं का प्रावधान है, उसके लिए पैसा देते हैं, लोन देते हैं, सब्सिडी देते हैं और अब के पी एच. ई. डिपार्टमेंट द्वारा ड्रिंकिंग वाटर के लिए ट्यूबवैल, कुओं आदि खोदने का प्रावधान है।

मैंने पूछा था तो पी. एच. ई. ने बताया कि पीने के पानी के लिए बस्तर में कुआं खोदना फीसिबल नहीं है। इतना होने पर सिंचाई के लिए अभी भी कुओं के लिए वहां पैसा दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि या तो पी. एच. ई. सही या फिर आपका इरिगेशन विभाग या ब्लाक डिवेलेपमेंट डिपार्टमेंट सही है। दोनों में से एक तो गलत है।

साउथ बस्तर में सब प्लान के तहत जरसी कऊज दी गई हैं। एक साल में 42 गायें मर गई हैं। जो आदिवासी अपनी स्वयं की देखभाल नहीं कर सकते हैं उनको आप ने जो सब प्लान के तहत गायें दी उनकी देखभाल वे कैसे कर सकते हैं। इस वास्ते मेरा कहना है कि जिला स्तर पर कहीं न कहीं रिव्यू इन सब चीजों को करने की व्यवस्था होनी चाहिये। आप यहां से पैसा देते रहेंगे और वहाँ उसका दुरुपयोग होता रहेगा तो उससे कोई फायदा नहीं है।

आपने माइनर इरिगेशन के तहत फील्ड तक चैनल बनाने का कोई प्रावधान नहीं किया

है स्टेट गवर्नमेंट की पालिसी में इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। केवल टैंक बनाने का प्रावधान है। इससे हुआ यह है कि सब प्लान के तहत इरिगेशन के जितने भी काम हुए हैं उनमें अभी तक पचास परसेंट से काम का ही युटिलाइजेशन हो पाया है। आप कहते हैं कि फील्ड तक फैनल ट्राइबल लोग ही बनाए जोकि सम्भव नहीं है। इस वास्ते मेरा कहना है कि जिला स्तर पर हर साल इस तरह की जो स्कीमें हैं उनका रिव्यू होना चाहिये और वहां की परिस्थितियों के मुताबिक सब प्लान में परिवर्तन होता रहना चाहिये।

आपने सब प्लान 19 4 में शुरू किया तब से अब तक आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप को चेंज करने की तरफ ध्यान नहीं दिया। तब से आज तक अगर आप एसेसमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी अचीवमेंट पचास परसेंट से भी कम है। इसका कारण यह है कि सब प्लान के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आपने विशेष रूप में तैयार नहीं किया है और वही सेटअप रखा है जो पहले से चला आ रहा था। इसके रहते सब प्लान कभी भी सफलतापूर्वक चल नहीं सकते हैं। इस पर आपको बड़ी गम्भीरता से सोचना होगा। यह तो वही बात है, पुटिंग दी कार्ट बिफोर दी हार्स। आपने सब कुछ बना लिया, पैसे का इन्तजाम कर लिया, प्लानिंग कर ली, प्रोग्राम बना लिया, डिजाइन कर लिया परन्तु एडमिनिस्ट्रेटिव सैट-अप पर आज तक कोई विचार नहीं किया। आपने यहां से निर्देश दे दिए। उनका कोई खास असर नहीं हुआ। आई. टी. डी. पी. के अन्तर्गत आपने प्रजेक्ट अफसर रख दिया। उसका रोल क्या है? मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि इसको आपने इंटेग्रेटेड डिवेलेपमेंट प्रोग्राम का नाम दिया है लेकिन इंटेग्रेशन नाम की इसमें कोई चीज नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट को आप देख लें। इरिगेशन का एग्रिकलचर के साथ कोई इंटेग्रेशन नहीं, पी. डब्ल्यू. डी. का इरिगेशन के साथ कोई इंटेग्रेशन नहीं। सब अलग-अलग और इंडिपेंडेंटली काम कर रहे है। इसीलिए आपका सारा सब प्लान फैल होता जा रहा है। सारा दोष एडमिनिस्ट्रेटिव सैट-अप का है। आपने कलैक्टर पर सारी जिम्मेदारी डाल दी है। उसको फुर्सत ही नहीं होती है, वह रेवेन्यू का काम करे, ला एण्ड आर्डर के काम को देखें, वी. आई. पी. के जो दौरे होते हैं, उसको अटेंड करे या इस काम को देखें। उसको फुर्सत ही नहीं होती है। इसी तरह से एस. डी. ओ. की हालत होती है। उसके पास भी उतना ही काम होता है जितना कलैक्टर के पास। इस वास्ते इस काम के लिए एक अलग सैट-अप होना चाहिये। यह काम रेगुलर काम के अलावा है। इन दोनों को साथ-साथ कलैक्टर भी नहीं कर सकता है, एस. डी. ओ. भी नहीं कर सकता है। आपने ट्राइबल सब प्लान बहुत अच्छे ढंग से, मेहनत करके बनाया है लेकिन यह सारे का सारा फैल होने वाला है।

माननीय प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, 1974 से इस बारे में प्रयास करती रही हैं। उन्होंने उस वक्त होम मिनिस्टर को ट्राइबल डेवेलपमेंट के बारे में साफ तौर पर गाइड लाइन दिये थे, जिनका सम्बन्ध एक्साइज, फारेस्ट, इन्डस्ट्री, माइन्ज और मार्कैटिंग के साथ था। मैं गृह राज्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि गवनमेंट आफ इण्डिया ने 1974 में जो एक्साइज पालिसी तय की थी, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। मैं तो कहूंगा कि 1974 में एक्साइज पालिसी के बारे में जो कुछ तय हुआ था, उससे ठीक उलट राज्य सरकारों ने किया है। मेरी अपनी स्टेट मध्य प्रदेश में जिन चार जिलों में शराब बनाने की छूट थी, उनमें से तीन जिलों में उसे विदड्रा कर लिया गया है। चौथे जिले—मेरे अपने जिले में पिछली गवर्नमेंट ने पिछले

साल नवम्बर में उसे विदड्रा किया था। लेकिन प्रधान मंत्री के इन्टरवेन्शन पर यह सिस्टम फिर से लागू किया गया है। एक्साइज पालिसी के सम्बन्ध में शायद राज्य सरकार का अपना स्वार्थ हो, लेकिन वह इसको गम्भीरता से नहीं ले रही है।

पिछले सत्र में कृषि मंत्री ने कहा था कि राष्ट्रीय वन नीति पर पुनर्विचार हो रहा है। 1952 के बाद पहली बार यह पुनर्विचार किया जा रहा है। मैं राज्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें गृह मंत्रालय का क्या रोल है, नेशनल पालिसी आनफारेस्ट्स में उसका क्या कान्ट्रीब्यूशन है। यह बड़ी अजीब बात है कि फारेस्ट पालिसी एग्रीकल्चर मंत्रालय बना रही है, परन्तु जितने फारेस्ट्स हैं, वे सब ट्राइबल एरिया में हैं और वहां पर रहने वाले लोगों के बारे में बहुत कम विचार हो रहा है। 1922 की जो फारेस्ट पालिसी है, उसमें वनों के बारे में बात की गई है, लेकिन वनो में रहने वाले ट्राइबल्ज की बात नहीं की गई है। मैं चाहता हूँ कि जो नई नेशनल पालिसी बन रही है, उसमें ट्राइबल लाइफ पर भी विचार किया जाये और उसके अनुरूप पालिसी को निर्धारित किया जाये।

फारेस्ट डिपार्टमेंट के जितने काम हैं, वे व्यावसायिक, कामर्शल, होते जा रहे हैं और उसके कारण वहां रहने वाले ट्राइबल्ज की कोई परवाह नहीं करता है। बस्तर में मध्य प्रदेश फारेस्ट कार्पोरेशन · । वहां पर वर्ल्ड बैंक की मदद से पाइन योजना शुरू की गई है। एशिया का सब से अच्छा साल फारेस्ट बस्तर में है। ट्राइबल इकानोमी बहुत कुछ फारेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंड करती है। ये जितने भी फारेस्ट कार्पोरेशन हैं, उनकी जूरिसडिक्शन पर कहीं न कहीं रेस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। वे सब कुछ केवल कामर्शल दृष्टि से देखते हैं। इसका परिणाम यह है कि फारेस्ट्स का जितना एक्सप्लायटेशन हो रहा है, वह ट्राइबल लाइफ को देख कर नहीं, राज्य की इनकम को बढ़ाने के लिए हो रहा है। या तो फारेस्ट्स को कानकरेंट लिस्ट में रखा जाये, वर्ना फारेस्ट कार्पोरेशन के अधिकार-क्षेत्र पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया जाना चाहिए। वर्ल्ड बैंक की मदद से जो पाइन प्राजेक्ट चल रही है, गवर्नमेंट आफ इण्डिया का उस पर कहीं न कहीं चैक होना चाहिए। हमने कहा है कि इसको बन्द किया जाये और फिर से रेव्यू किया जाये।

निस्तार के राइट्स करटेल होते जा रहे हैं। आज बिहार में क्या हो रहा है ? बिहार में अनरेस्ट का मुख्य आधार है जंगल और आदिवासी। मैं चाहता हूं कि इस कनटेक्स्ट को मद्दे-नजर रखते हुए सारी फारेस्ट पालिसी पर गंभीरता से विचार किया जाये।

ट्राइबल लोगों की लाइफ को मद्दे नजर रखते हुए, वहाँ पर नई-नई इन्डस्ट्रीज लगाने की अनुमति देनी चाहिए। बिहार में भी आदिवासी एरिया है और राउरकेला में भी आदिवासी लोग हैं, लेकिन इन लोगों के लिए कोई सेफगार्ड नहीं हो रहा है। इस तरह से यदि सब प्लान में इनकी सहायता करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया तो जो बिहार की स्थिति हो रही है, वही सारे हिन्दुस्तान के ट्राइब्लस के लोगों की स्थिति हो जाएगी। इसलिए इस ओर भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

सभापति जी, अब मैं कुछ बातें छठी पंच-वर्षीय योजना के संबंध में कहना चाहता हूं, चूंकि पांचवी पंच-वर्षीय योजना में भार सरकार ने जो कुछ भी किया, उसमें बहुत सी कमजोरियां रह गई थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार पंच-वर्षीय योजना और सब प्लान में क्या-क्या कमियां रही गई थी और कहां-कहां हम पिछड़ गए हैं, उन सब को एसेस करके, छठी

पंच-वर्षीय योजना में पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने मांग की है कि छठी पंच-वर्षीय योजना में इन लोगों की सहायता के लिए जो ड्राफ्ट बन रहा है, उसमें क्या करने जा रहे हैं, उसके बारे में मंत्री महोदय को रिप्लाई देना चाहिए। हमारा कहना यह है कि सेन्ट्रल एसिसटेंस जो शैड्यूल्ड कास्ट कम्पोनेंट प्लान और शैड्यूल्ड ट्राइब्स सब प्लान दोनों में कम से कम शैड्यूल्ड कास्ट के लिए दो हजार करोड़ रु. और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक हजार करोड़ रुपया वर्किंग ग्रुप ने रिकमण्ड किया है। हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहते हैं कि पैसा वर्किंग ग्रुप ने रिकमण्ड किया है उसके बारे में प्लानिंग कमीशन का क्या रुख है ? मैं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की कटौती प्लानिंग कमीशन की तरफ से नहीं होनी चाहिए। अगर कटौती की जाएगी तो सारी की सारी योजनाएं धरी रह जाएंगी। उसी तरह से अगर हम फिफ्थ प्लान का एलोकेशन करें तो मेरे हिसाब से साढ़े 5 हजार करोड़ रुपया आदिवासियों और हरिजनों के लिए इसमें होना चाहिए।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं कि यदि प्लानिंग कमीशन इस पैसे में कोई कटौती करता है तो आपको इस संबंध में उनसे लड़ना होगा। जब आप जवाब दें तो आप इस संबंध में बताएं कि आप उनसे लड़ने में किसी भी प्रकार की कसर नहीं रखेंगे।

इन शब्दों के साथ सभापति महोदय मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए वक्त दिया और इसके साथ ही गृह राज्य मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मुद्दे मैंने अपने भाषण में उठाए हैं, उन सब बातों का ध्यान रखकर जवाब देंगे और कुछ प्रकाश डालेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, मैं इस संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन यह काफी नहीं है, इतना मैं शुरू में ही कह दूं कि आदिवासियों और हरिजनों की स्थिति में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वह आमूल परिवर्तन इस संकल्प के पास हो जाने पर भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आज आदिवासियों में एक नई चेतना जागी है। अब तक जो उनको दबाकर रख गया था, उसके खिलाफ वे संगठित होकर लड़ने के लिए उठ खड़े हुये हैं। मैं अपने सूबे की बात जानता हूं और यह बात कमोवेश सभी जगह है। हमारे मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। रांची के इलाके में, छोटा नागपुर और संथाल परगणा में आदिवासियों की संख्या काफी है लेकिन 33 वर्ष की आजादी में उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन अभी तक नहीं हो पाया है। यह सरकार खर्च जरूर करती है, नाकाफी हो या काफी हो, यह अलग सवाल है लेकिन उस राशि का उनके लिए इस्तेमाल नहीं होता है और आज भी दक्षिण बिहार में गैर-आदिवासी लोग उनका निर्मम शोषण करते हैं। 'गैर-आदिवासी' कहने का मेरा यह मतलब न समझा जाये कि वे मामूली लोग हैं। उनमें सबसे बड़े हमारे टाटा साहब हैं। इस तरह के लोग आदिवासियों का शोषण करते हैं और उनकी तरक्की को देखना पसंद नहीं करते। जमीन पर जो अधिकार है, उससे उन्हें वंचित करते हैं। अगर वे जंगलों से अपने जलावन के लिए लकड़ी लाते हैं, तो उस पर बंदिश लगाई जाती है। उनके लिए जो आरक्षण है, उसमें उन्हें हिस्सा नहीं दिया जाता और कोई न कोई बहाना बनाकर उनको महरूम रखा जाता है। कोई कहता है कि उनके लिए यह आरक्षण 2 प्रतिशत पूरा हुआ है और कोई कहता है कि 4 प्रतिशत है। जो उनका अधिकार है, वह भी उनको नहीं दिया जाता है। उनके लिए जो

सरकार और राज्य सरकारें पैसा निर्धारित करती हैं, वह भी खर्च नहीं होता है। अभी तीन, चार दिन पहले अखबारों में रांची के बारे में एक लेख निकला था और उसमें आंकड़े देकर बताने की कोशिश की गई है कि सरकार से जो उनको पैसा आवंटित हुआ है, वह खर्च नहीं किया गया है। आदिवासियों के विकास के लिए बोर्ड बनाया जाता है लेकिन उस बोर्ड को अधिकार आप नहीं देते हैं। हमारे सामने जो मंत्री महोदय बैठे हुए हैं, वे उसके उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आदिवासियों के लिए आंसू तो बहुत बहाये जाते हैं, अगर उन्हें घड़ियालू आंसू कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन उनके लिए काम उतना नहीं किया जाता है। इसीलिए उनमें असंतोष है और उस असंतोष को जो फूटवादी तत्व हैं, जो फूट-परस्त शक्तियां हैं, वे इस्तेमाल करती हैं और गलत नारे उनके लिए लगाये जाते हैं और उनको उकसाया जाता है। नारा दिया जा रहा है कि तीन सूबों, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों को मिलाकर एक राज्य बनाया जाए। एक नारा तो यह है और दूसरा नारा यह है कि छोटा नागपुर और संथाल परगना के 9 जिलों को मिलाकर एक राज्य बनाया जाए। क्या इस तरह के राज्य बनाने से, जैसा अभी कुछ लोग कर रहे हैं, सचमुच में आदिवासियों की समस्याओं का समाधान होगा ? नहीं होगा। जब उनके दिमाग में यह बात बैठ गई है इतने दिनों के आपके आचरण से, कि सरकार हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहती और जो योजनाएं उनके लिए बनती हैं वे भी अमल में नहीं आतीं, तो वे यह सोचने लगते हैं कि हमारे लिए अलग से झारखण्ड राज्य बनना चाहिए। इस तरह का झारखण्ड का नारा चल रहा है। हमारा दल और हम बिहार में भी काम करते हैं और वहां हमारा दल काफी शक्तिशाली है। जो दो तरह के नारे लोग दे रहे हैं उनके बारे में हमने उनसे कहा है कि इससे आदिवासियों का शोषण सभव नहीं हो सकता है, इससे वे प्रगति मार्ग पर बढ़ने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। लेकिन हम यह जरूर कहते हैं कि झारखण्ड राज्य बनना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं। हमने उनसे कहा है कि संथाल परगना और रांची के जो आदिवासी मेजोरिटी एरियाज हैं, बहुमत वाले इलाके हैं उन तमाम को मिलाकर एक राज्य बनना चाहिए जिसमें कि आदिवासियों का बहुमत हो। जब तक किसी सरकार में उनका बहुमत नहीं होगा तब तक कोई भी सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर सकेगी : हमने यही कहा है कि इन जिलों के इलाकों का और इनके अगल-बगल में उनके बहुमत वाले जो इलाके हों उनको मिलाकर एक राज्य उनका बना दीजिए। उस राज्य में यह बुनियादी बात होनी चाहिए कि उनका बहुमत हो। लेकिन अगर आप इन सभी राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों या अन्य जिलों का झारखण्ड राज्य बनाना चाहते हैं तो उससे उनका शोषण समाप्त नहीं होगा। जिन अन्य जिलों को मिला करके आप उनका राज्य बनाना चाहते है उससे भी उनका शोषण समाप्त नहीं होगा और उसमें वे अपने भाग्य का फैसला नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस तरह का राज्य बनाया जाए जिसमें कि उनका बहुमत हो। उनके बहुमत वाला राज्य अगर नहीं बनेगा तो काम नहीं चलेगा। जब तक आप उनके बहुमत वाले हिस्सों को लेकर राज्य नहीं बनाइयेगा तब तक उनका असंतोष दूर नहीं होगा और उनमें फूट पैदा करने वाले लोग उनका इस्तेमाल करके उनको गलत रास्ते पर ले जाएंगे। (व्यवधान) यह आपकी बुद्धि के परे है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए।

मैं कह रहा हूं कि हमारे प्रस्ताव को मानने से, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्ताव को मानने से

हमारे राज्य की एकता बनी रहेगी और देश की एकता भी बनी रहेगी। साथ ही साथ आदिवासियों का भी उत्थान होगा। वे महसूस करेंगे कि अब बाहर के लोग, छोटा नागपुर के उस मंच पर जा करके उनका शोषण नहीं कर सकेंगे। फिर वे लोग टाटा की नाक में भी नकेल पहना सकेंगे और पूंजीपतियों को भी शांत कर सकेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप को इस तरह की बातों पर विचार करना चाहिए। आप यह प्रस्ताव जरूर पास कीजिए, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। उनके जीवन में आमूल परिवर्तन लाने के लिए आपको इस तरह का राज्य बनाना चाहिए।

सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनका आन्दोलन तेज होगा। मकवाना साहब आप समझ लीजियेगा, अभी यह बात आपकी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि आपके यहां यह समस्या नहीं है। हमारे यहां तो यह समस्या बहुत ही भयंकर रूप में है।

आप हरिजनों के लिए भी कानून बनायें। आदिवासियों पर भी जुल्म हो रहे हैं, हरिजनों पर भी जुल्म हो रहे हैं। आपने सुना होगा कि सिंहभूम जिले में गुआ नामक जगह पर जहां कि लोहे की बहुत खदानें हैं, वहां पर भी जंगल के सवाल पर उन्होंने आन्दोलन शुरू किया। उन पर गोली चली और 8 सितम्बर को सरकार के अनुसार 11 आदमी मारे गये, गैर सरकारी रिपोर्ट के अनुसार वहां 15-20 आदमी मारे गये। आदिवासियों के साथ यह आपका व्यवहार है। अगर वे आन्दोलन करते हैं तो आप उनके आन्दोलन को समझिये। उसे टालने से काम नहीं चल सकता है।

पूरे देश में हरिजनों की हालत क्या है। सब से बुरी हालत हमारे सूबे में है। नालन्दा जिले में जहां से हमारे संसद सदस्य श्री विजयकुमार जी यादव आते हैं, उसके महतोचक गांव, थाना चण्डी में चार हरिजन कत्ल कर दिये गये। हमारे यादव जी वहीं गये हुए हैं। उनकी हत्या कर दी गई और उन पर इल्जाम लगाया गया कि ये डकैत हैं। किसी को डकैत कह दीजिए किसी की हत्या कर दीजिए किसी की आंखों में मिर्चें डाल दीजिए, किसी की आंखों में एसिड डाल कर अंधा कर दीजिए और कह दीजिए कि ये डकैत थे, यह कोई मानवता का रास्ता नहीं है। अभी हाल ही की नालंदा जिले की बात है और पिपरा का मामला अभी कोर्ट में है, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बतलाना जाना चाहता। बिहार की एक दर्जन के ज्यादा घटनाओं के बारे में आप जानते हैं, आप कहते हैं कि कार्यवाही करने के लिए बिहार सरकार को कहा है, बिहार सरकार क्या कार्यवाही करती है, यह आपके सामने है। उसका रवैया, उसके कारनामे आपके सामने हैं।

एक माननीय सदस्य : आप ही लोग तो करवाते हैं।

श्री राम अवतार शास्त्री : हम करवाते हैं तो हमको पकड़िए, गोली क्यों मारते हैं? गोली मारने का अधिकार आपको नहीं है। हम तो हमेशा सही काम करते हैं इसलिए गलत काम का सवाल ही नहीं है, लेकिन आप सोचते हैं कि शासन सूत्र आप हैं।

सभापति महोदय, मेरा कहना है कि यदि आप आदिवासियों के जीवन में सुधार लाना चाहते है तो उनको आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए, उनके बीच में जमीन का बटवारा कीजिए। जो बड़े बड़े लोग अभी भी जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं, आप अपने बीस सूत्रीय कार्यक्रम द्वारा उस जमीन को लेकर आदिवासियों में बांट दीजिए। जो भी कानून भूमि सुधार के बारे में बनें,

उन्हें अमल में लाया जाए, लेकिन आप क्या अमल में लाएगे ? पश्चिम बंगाल के भूमि सुधार कानून को आप राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोके हुए हैं। कैसे आप जमीन का बटवारा करना चाहते हैं ? आपका मन नहीं है या आप आधे मन से करना चाहते हैं। जो सरकार कुछ करना चाहती है उसके द्वारा भेजे गए कानून को भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक दिया गया है। आप जमीन का बटवारा कीजिए, उनको रोजगार दीजिए, जितना आरक्षण उनके लिए किया गया है, उसको अमल में लाइए। आप सोचते हैं कि हम हरिजन और आदिवासियों को बहकाकर ले जाते हैं, वे क्यों बहकते हैं ? आप ऐसी स्थिति पैदा कीजिए कि वे बहक न सकें।

सभापति महोदय, मैं अपने संशोधन के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, प्रस्ताव में जो मैंने संशोधन किया है और सरकार से आग्रह करता हूँ, कि वह उन लोगों के विरुद्ध जो अपने निहित स्वार्थों के लिए आदिवासियों और हरिजनों पर अत्याचार करने के लिए दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे। यह इस प्रस्ताव में नहीं है। मैं इसको आपरेटिव पार्ट मानता हूं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो लोग हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं, उनके अधिकारों से उनको वंचित रखते हैं, वे आपकी बात नहीं मानेंगे, लेक्चर आपके और हमारे सुनते रहेंगे और करेंगे अपने मन की। कत्ले आम हरिजन-आदिवासियों के होते रहेंगे। तो मेरा कहना है कि इस आपरेटिव पार्ट को लीजिए ताकि जो ऐसे लोग हैं, जो वेस्टेड इनट्रेस्ट लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए ताकि इसका असर दूसरे लोगों पर पड़े। और कोई जमीदार या भूमिपति या दूसरे लोग उसको तंग न कर सकें और सही मानो में हरिजनों और आदिवासियों का कल्याण हो सके, उनको हम अपने बराबर ला सकें। यह बात सही है कि सन तन काल तक रिजर्वेशन के सिद्धान्त को लागू नहीं रखा जा सकता है। जब तक जरूरत होगी जरूरत रखेंगे, जब तक हम औरो के मुकाबले में उनको अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर देते हैं तब तक रखेंगे और दूसरे लोगों के मुकाबले पर उनको खड़ा करने के वास्ते यह जरूरी है कि उनको जो सताने वाले हैं, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको सख्त से सख्त दंड मिले।

इन शब्दों के साथ मैं अपने इस संशोधन के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बागुन सुम्बरुई (सिंहभूम) : श्री गोमांगो ने जो संकल्प हरिजनों और आदिवासियों के सम्बन्ध में रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

आज से कुछ दिन पहले मैं उधर उन बेंचों पर बैठता था और अब इधर आ गया हूं। हो सकता है कि मैं राजनीतिक अनुसासन के लिहाज से गलती कर रहा होऊं जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं जब बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उसको कहने की मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिये।

मेरा अनुरोध है कि जिन वास्तविक बिन्दुओं को, वास्तविक समस्याओं को हम यहां रखे उन पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये और उन पर अमल होना चाहिये उनका ठीक से इम्प्लमेंटेशन होना चाहिये। आज का यही मुख्य विषय है। अगर इम्प्लमेंटेशन नहीं होना है तो इस प्रकार की बहस का कोई लाभ नहीं है।

हम जनता द्वारा चुन कर यहां आते हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। उन पर जो जुल्म होते हैं, जोर जबर्दस्ती होती है, उन घटनाओं को अगर हम आपके सामने रखते हैं तो उस ओर

आपका ध्यान जाना चाहिये और आपको देखना चाहिये कि इस तरह की चीज आगे से न हो। मैं जानता हूं कि इम्प्लमेंटेशन के रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन और सरकार का यह कर्त्तव्य है, उसका यह धर्म है कि वह उन पर गम्भीरता से विचार करे और जो रचनात्मक सुझाव दिये जाते हैं उनको अमल में लाए।

हम लोगों का जिले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और यहां तक कि केन्द्र के स्तर पर भी कोई मां बाप नहीं है, कोई हमारा गार्डियन नहीं है, ऐसा हम महसूस करते हैं यह आज की सरकार की बात नहीं है। विगत वर्षों में जो भी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार भी बनी, चाहे मोरारजी देसाई की बनी हो और चाहे चरण सिंह जी की बनी हो, हम लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ है उससे यही साबित होता है कि हमारा कोई माई बाप नहीं है और बिना गार्डियन के हम लोग अत्याचारों के, जुल्मों के और जबर्दस्ती के शिकार हो रहे हैं ये अभी भी जारी हैं। किसी भी सरकार को इसके लिए दोष देना या मंत्री विशेष या अधिकारी विशेष को दोष देना शायद उचित नहीं होगा। समाज, जाति और संस्कार जो हमारे हैं उन्हीं का यह दोष है। पाप के घड़े पर चाहे हम पार्लियामेंट के मेम्बर हों, एम. एल. ए. हों या मंत्री हों या बड़े पदों पर बैठे हों, हम लोग बैठे हैं। हुकुमत के आदेशों का पालन नहीं होता है हम किसको कहें जाकर? चौधरी चरण सिंह की सरकार के साथ बात की तो हम अजीब जवाब मिला, मोरारजी देसाई की सरकार से बात की, इन जुल्मों के बारे में और इन अत्याचारों के बारे में तो वहां कुछ नहीं हुआ। हम लोग अपनी इन समस्याओं को रखें तो कहां रखें? अभी हम लोग प्रधान मंत्री जी से उनके निवास पर 13 अगस्त को मिले थे। उस मीटिंग में ट्राइबल एरियाज के मामलों को लेकर, हरिजनों के मामलों को लेकर हम लोगों ने अपनी बात उनके सामने रखी थी लेकिन आज तक तीन चार महीने गुजर जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है, उसका कोई असर नहीं हुआ है। जिले के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर, केन्द्र के स्तर पर अगर इन समस्याओं पर गम्भीरता से विचार किया जाए और इनके बारे में निदान सोचा जाए, इन घटनाओं को रोकने के प्रयास किए जाएं तो मैं समझता हूं कि इनका कुछ हल निकल सकता है। माई बाप मैं इस लिए कहता हूं कि हमारी जो समस्यायें हैं ये गृह विभाग सम्बन्ध रखती हैं। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। हम लोगों के कल्याण एवं विषयक के जितने कार्यक्रम हैं, जितनी जुल्म और अत्याचार की घटनायें हैं उनका संबंध गृह मंत्रालय से ही आता है और उसकी जिम्मेदारी आती है और वही हम लोग की देखभाल करता है। इतनी सरकारें बनीं और 30 से 40 आदिवासी सदस्य पार्लियामेंट में आये, अगर हरिजन और आदिवासियों को कोई बड़ा पद मंत्री परिषद् में मंत्री (केबिनेट) नहीं दे सके, तो उन्हें कोई मंझला और छोटा पद ही दे सकते थे, मगर किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। अगर हमारे आदमियों को गृह मंत्रालय दिया जाता और उनसे गलती होती, तो हम पर आरोप लगाये जा सकते थे कि आपको जिम्मेदारी दी गई है, अगर आप हरिजनों और आदिवासियों का कल्याण नहीं कर सके। लेकिन आजादी के बाद से ही गृह-मंत्रालय अन्य जातियों के व्यक्तियों के पास ही रहा। अगर हमारी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो हम किसको दोष दें? आप हमें दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने हमें जिम्मेदारी देकर लायक नहीं बनाया। यह सत्ता और सरकार का ही दोष है कि वह हमें योग्य नहीं बना सकी अथवा योग्य होते हुए भी वह हमें हमारा हिस्सा नहीं दे सकी।

राज्य सरकारों, सरकारी अधिकारियों और आई. ए. एस. अफसरों आदि को धमकाने से

कुछ नहीं होगा। अगर केन्द्र और राज्य सरकार आदिवासियों को नालायक समझती है तो वह हमें राजनीतिक ट्रेनिंग दे ताकि हम ऊंचे पदों पर आ सकें। ज्ञानी जैल सिंह आदिवासी नहीं हैं। हरिजन भी नहीं हैं मैं नहीं जानता कि मकवाना साहब भी हरिजन या आदिवासी हैं या नहीं।

एक माननीय सदस्य। वे हरिजन हैं।

श्री बागुन सुम्बरूई: हमने उन्हें कई चिट्ठियां लिखीं, जिनके उत्तर हमारे पास हैं। अगर एक हरिजन मंत्री की ओर से इस प्रकार के उत्तर आयें तो मैं क्या कह सकता हूं। उन सब में यही लिखा रहता है कि अमुक तारीख का अमुक विषय पर आपका पत्र आया है. मैं उसको देख रहा हूं। आगे की कार्यवाही से कोई मतलब नहीं है। यह बहुत दुःख की बात है, कम-से-कम उत्तर में यह तो बताना चाहिये कि किसी काम को कितने दिनों में करवायेंगे और इस बारे में हमारे साथ बातचीत करेंगे।

सभापति महोदय: क्या सभा यह चाहती है कि इस संकल्प पर चर्चा के लिए समय को बढ़ाया जाए ?

कुछ माननीय सदस्य: जी हाँ।

सभापति महोदय: कितना समय बढ़ाया जाए ? आधा घंटा या ज्यादा ?

कुछ माननीय सदस्य: एक घंटा।

सभापति महोदय: ठीक है। यह समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

श्री बागुन सुम्बरूई: हमने पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार को भी देखा है। वहां 17 आदिवासी एम. एल. ए. हैं, मगर सिर्फ एक ही राज्य मंत्री है। यहां तक कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी एक आदिवासी मेम्बर नहीं रखा जा सका। एक दूसरी पार्टी के सिर्फ 3 मेम्बर हैं मगर उसे मंत्री बना दिया गया। अगर हम लोग लायक होते हुए भी नालायक बना दिए हैं तो कौन अफसर हमारी बात सुनने के लिये तैयार होगा ?

सूबे बिहार में छोटा नागपुर और संथाल परगना एरिया के 7 जिलों में सबसे ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं, उस एरिया के विकास के लिये 1970-71 में खूब आन्दोलन करके हमने एक छोटा नागपुर संथाल परगना विकास प्राधिकरण संगठित किया। 1972 में उसका केन्द्र के गृह मंत्री द्वारा उद्घाटन हुआ, लेकिन वह अथारिटी वेदप्राउट एथारिटी थी। कम्युनिकेशन विभाग के वर्तमान राज्य मंत्री, श्री कार्तिक उरांव उसके डिप्टी चेयरमैन बने। वह 0 साल तक उसके डिप्टी चेयरमैन रहे, 10 साल में एक मोटर गाड़ी के टायर को घिसा दिया, मगर विकास के काम नहीं है। 10 साल के बाद उन्होंने 10 पेज लिखकर रिजाइन कर दिया कि यह डैवलपमैंट अथोरिटी एक जाल है, धोखा है। जनता पार्टी का जब शासन आया तो जनता सरकार ने तीन टुकड़ों में बांट दिया। मीटिंग के नाम की कोई चीज नहीं, काम नाम की कोई चीज नहीं और तीन डिप्टी चेयरमैन बना दिए। सरकार 6 महीने हो जाने के बावजूद इस अधिकार के पदाधिकारियों की मीटिंग नहीं हुई। वहां पर स्टाफ के लोग हर साल लाखों रुपये तनख्वाह पा रहे हैं। इस प्रकार हम लोगों के साथ आँख-मिचौली करने से काम नहीं होगा। हम लोगों को विकास की आवश्यकता सिंहभूम है। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हजारी बाग, संथाल परगना रांची इत्यादि ये सब ट्रायबल जिले हैं। रांची के लिए ठीक है कि केन्द्र में एक राज्य मंत्री भी बन गए हैं और दो बिहार सरकार में

केबिनेट मिनिस्टर बने, लेकिन उधर देखिए संथाल परगना और सिंहभूम जबकि बहुत बड़ा जिला है वहाँ पर मंत्री परिषद् में न तो मंत्री बनाये गये न हीं आज तक कांग्रेस सरकार रेलवे लाइन और कम्यूनिकेशन आदि की आज तक जिला मुख्यालय में कोई सुविधा हो पहुँचा सकी। हम विरोधी दल में थे, हम चिल्लाते रहे। चिल्लाते रहे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। हमने सोचा हम जीत कर तो आते हैं और चिल्लाते भी रहे हैं, तब भी हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। 30-32 साल तक हम विरोधी दल में एम. एल. ए. रहे और चिल्लाते रहे, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हो सका। संथाल परगना डिस्ट्रक्ट हैडक्वाटर दुमका में आज तक रेलवे लाइन नहीं जा सकी। और हजारी बाग जिला मुख्यालय हजारी बाग में आज तक रेलवे लाइन नहीं जा सकी। ट्राइबल की आप क्या बात करते हैं। सब-प्लान और प्लान मे रुपए की क्या बात करते हैं।

जब हम कंप्लेंट करते हैं तो आफिसर कहते हैं कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम बस में नहीं चल सकते, पक्की सड़क नहीं है रेल नहीं है, हम नहीं चल सकेंगे। हम लोगों की कंप्लेंट 6-6 साल तक पड़ी रहती है। एम. एल. ए. या मदस्य एक साल कंप्लेंट करता है, दूसरे साल आश्वासन मिल जाता है लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता।

जहां तक हरिजन-आदिवासियों की सरकारी नौकरी का सवाल है संविधान के द्वारा हम लोगों को आरक्षण दिया गया है। इस विषय पर बारबार हम कहते हैं कि आरक्षण पर इम्प्लीमेंटेशन हो, 13 अगस्त को जब प्राइम मिनिस्टर के यहाँ मीटिंग हुई थी, मैंने कहा था कि बिहार सरकार के फायनेंस विभाग और केन्द्र सरकार के रेल विभाग ट्रायबल विभाग के अधिकारियों के बीच में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि यह आरक्षण गलत है। मैंने यह भी कहा था कि या तो संविधान के अनुसार हम लोगों के आरक्षण की रक्षा कीजिए नहीं तो आरक्षण उठा दीजिए हम साधारण इन्सान के रूप में भी रहने को तैयार हैं। वहाँ पर और लोगों का तो प्रमोशन हो रहा है लेकिन आदिवासियों के प्रमोशन रुके हुए हैं। अभी विरोधी दल के सदस्य पासवान जी ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया था कि बड़े-बड़े साइन बोर्डों में बोट क्लब पर लिखा हुआ है कि आदिवासी और हरिजनों का आरक्षण समाप्त हो और दूसरी तरफ हम लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इनके आरक्षण के लिए बहस करते हैं। न आप उनको समझा पा रहे हैं और न ही आप उनको वहां से उठा पा रहे हैं। न उसको कानूनी बोल रहे हैं और न ही गैर कानूनी बोल पा रहे हैं। क्या यही तमाशा है। हम समझते हैं कि गैर-आदिवासी लोग यहां पर तो हम लोगों के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन यही लोग जब बाहर जाते हैं तो हमीं पर डंडे चलवाते हैं। (व्यवधान)...हमारे यहां टाटा कम्पनी की बड़ी-बड़ी खदानें हैं, कारखाने हैं लेकिन उनकी स्थिति क्या है। अभी हमारे श्रम मंत्री जी यहाँ बैठे हुये थे और जब मैंने बोलना शुरू किया, तो वे चले गये। खैर, हमारे गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जितनी यूनियनें है, वे सब बड़े-बड़े कारखाने वालों की ही यूनियनें हैं, उन यूनियनों की सत्ता उनके हाथ में चली जाती है क्योंकि प्रेसीडेंट उनका है, सेक्रेटरी उनका है और यहाँ तक कि मैम्बर उनके हैं। हम लोगों का आदिवासियों और हरिजनों का एक भी मेम्बर एक्जीक्यूटिव कमेटी में नहीं रखे जाते हैं और यूनियन के माध्यम से जितनी बहाली होगी, यूनियन जिनको चाहेगी, बहाली कर लेगी और अगर सरकार से कहा जाता है, तो वह कहती है कि यह तो

प्राइवेट कम्पनी है, सरकारी कम्पनी नहीं है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर इस तरह के नमूने देने लगूं, तो यही कहा जाएगा कि ये तो विरोधी दल का अभी भी चरित्र रखते हैं। इसलिए मैं इस मामले में शांत होकर बोल रहा हूं। एक-एक डिपार्टमेंट को आप लें, तो यह पाएंगे कि हरिजनों और आदिवासियों का जो रिजर्वेशन का कोटा है, जो प्रोमोशन उनको मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि जितना परसेन्टेज उनको मिलना चाहिए, वह आज तक नहीं मिला है। पुराने समय में नहीं मिला, तो नहीं मिला, वह एक अलग जीच है और अब उसके लिए पछताने से कोई फायदा नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान में तो इसका इम्पलीमेंटेशन होना चाहिये। एपाइन्टमेंट और प्रोमोशन के रोस्टर के मुताबिक, सरकारी हुक्म के अनुसार जो अफसर काम नहीं करेगा, तो उसमें यह बात लिखी हुई है कि उसके खिलाफ 'उचित कार्यवाही' की जाएगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत वेग भाषा है। साफ-साफ शब्दों में यह लिखा जाना चाहिये कि कोई अफसर अगर इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, एपाइन्टमेंट और प्रोमोशन के मामले में अगर सरकारी आदेशों को नहीं मानेगा तो उसे पांच साल की जेल होगी। एपाइन्टमेंट और प्रोमाशन के रोस्टर के मुताबिक सरकारी जो हुक्म हैं, उनके मुताबिक अगर कोई अफसर काम नहीं करता है, तो खाली यह लिख देने से कि 'उचित कार्यवाही की जाएगी' काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने पहले कहा उसको आप पांच साल के लिये जेल भेजें, तो मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार का उदाहरण दूसरों के लिये होगा। उसको आप डिसमिस करें क्योंकि सस्पेंशन कोई सजा नहीं है। उसको अगर आप डिसमिस कर देते है या जेल भेज देते हैं, तो उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है अन्यथा नहीं।

पीने के पानी के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं, जनता पार्टी की सरकार के जमाने में भी मैं इस बारे में कह चुका हूं। हमारे यहां किरिगुरु और मेगाघातु की आइरन ओर की एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, जो सेल के अन्दर है, एन. एम. डी. सी. की बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। साढ़े तीन करोड रुपये की लागत से वहां पर एक डेम बनना है। आइरन ओर को उसमें वाश करके पानी को शुद्ध करने की बात थी लेकिन वहां पर लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। वहां पर श्री जी. डी. सिंह चीफ इन्जीनियर हैं। उन्होंने साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से उस डेम को बहुत गलत ढंग से बनाया है। जनता पार्टी की सरकार के समय में भी मैं इसके बारे में बोला था। उस वक्त बीजू पटनायक मंत्री थे। उन्होंने कहा कि ईमानदार अफसर कहां मिलेंगे। साढ़े तीन करोड़ रुपये का डेम गलत ढंग से बनाया है। उससे जो गन्दा, विषैला पानी निकलता है, कम से कम 25 मील तक वह पानी जाता है और वहां के गांवों की आदिवासी जनता को वह पानी पीने के लिए मिलता है क्योंकि शुद्ध पानी नहीं है विषैला पानी हो गया। आदमी एव उससे जानवर मरते हैं। यह आदिवासियों पर अत्याचार का नगा उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है। उनको न पीने का पानी दे सकते हैं, न नौकरी दे सकते हैं। न इन लोगों को इन्डस्ट्री मिलती है, न किसी प्रकार का कारोबार लाइसेन्स और परमिट ही इन हरिजनों और आदिवासियों को मिलता है। अगर आप इन लोगों की उन्नति और विकास चाहते हैं, तो जिस प्रकार से अन्य लोगों को लाइसेंस और परमिट दिये जाते हैं उसी प्रकार से लाइसेन्स और परमिट इन लोगों को दिए जायें।

एक बात और कहना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन, युनिवर्सिटी एवं एजूकेशन

कॉन्ट्रैक्ट कमीशन जैसी संस्थाएं हर स्टेट्स में भी होंगी, तो मैं समझता हूँ कि आदिवासियों की भी नियुक्ति हो तो उद्धार हो सकता है। हम लोगों के लिखने, पढ़ने से कोई फायदा नहीं दिखता है चाहे हम एम. ए. कर लें, डबल एम. ए. कर लें, ला कर ले। हम वैसे के वैसे ही नालायक आदमी बन कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए मेरी आप से अपील है, प्रार्थना है कि जो भी स्कीम आप बनाएं, वह इम्पलीमेंट हो और टाइम-बाउन्ड प्रोग्राम हो।

मैं बीस-सूत्री कार्यक्रम की यहां पर याद दिलाना चाहता हूं। पहले ट्राइबल एरियाज में इसको लागू किया गया था लेकिन बीच में यह बीस सूत्री कार्यक्रम बन्द हो गया था और अब फिर चालू हो गया है। इसी माह के 5 और 6 तारीख को पटना में एक मीटिंग हुई है। आदिवासियों से जो जमीन गैर-आदिवासियों ने हड़प ली थी; गैर-कानूनी ढंग से ले ली थी, उसको वापस दिलाने की व्यवस्था उसमें थी। मैं बताना चाहता हूँ कि करोड़पति, लखपति लोग और उसमें कांग्रेस के सदस्य भी शामिल हैं चाहे वे एम. एल. ए हों या एम. पी., उन्होंने आदिवासियों की जमीन हड़प ली थी और वह जमीन अभी उनको वापस नहीं दिला सके हैं। फिर हमारे राज्य या जिले में बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करायेंगे तो हम तो बलि का बकरा बन जायेंगे। राज्य सभा के माननीय सदस्य* ने अभी आदिवासियों की जमीन को हड़प लिया है।

सभापति महोदय : कृपया किसी का नाम मत लीजिए। उस नाम को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

श्री बागुन सुम्बरुई : हमने लोगों से कहा, सरकार से कहा कि अगर वह जमीन हमको वापिस की जा सकी तो हम कह सकेंगे कि हमारे यहां बीस सूत्री कार्यक्रम सफल हुआ अन्यथा यह मांग है। सभापति जी हम तो बोलेंगे कि हमें जमीन वापस होनी चाहिये या उचित मुआवजा मिलना चाहिये। अन्यथा हमें बीस सूत्री कार्यक्रम की कमेटी से हटवा दीजिए। अगर हमें वहां रखना है तो उनको निर्देश दीजिये कि आदिवासियों की जमीन वापिस हो। नहीं तो क्या होगा कि हम बोलते रहेंगे और आदिवासियों को बीस सूत्री कार्यक्रम से कोई फायदा नहीं होगा सरकार बदनाम। फिर हमारे एम. पी. बने रहने का क्या फायदा है अगर बीस सूत्री कार्यक्रम इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो। इसमें आपका भी दोष है और हमारा भी दोष है क्योंकि हम इलेक्शन के समय उनसे मदद लेते हैं। मगर गैर-कानूनी ढंग से उन्होंने जो जमीन ले रखी है मेहरबानी करके वह तो वापस कराइये। जयहिन्द।

****श्री आर. के. महालगी (ठाणे)** : महोदय, मुझे एक शहरी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने का संयोग मिला है और कुछ माननीय सदस्यों को इस बात पर आश्चर्य होगा कि मैं आदिवासी लोगों के सम्बन्ध में क्यों बोल रहा हूँ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश लोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं। ऐसा होने से मुझे उनके सम्पर्क में आने का अवसर मिला है तथा उनकी समस्याओं का अध्ययन किया है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए बनी कल्याण योजनाएं सही ढंग से कार्यान्वित नहीं की गई हैं और इसलिए, इन योजनाओं से जितना लाभ उनको मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला है। इसी वजह से मैं श्री गिरधर गोमांगो द्वारा पेश किये गये संकल्प को अपना पूरा समर्थन देता हूँ।

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आदिवासी लोग अपनी स्थिति के प्रति जागरूक हो गये हैं और जो अन्याय उनके साथ किया जा रहा है, उसे वे जानते हैं। वे जानते हैं कि अपराधी कौन हैं जो उनके साथ किये जाने वाले न्याय के रास्ते में बाधा बनकर खड़े हैं। यह जागरूकता प्रोत्साहनजनक है, क्योंकि इससे अपना हक हासिल करने के लिए उनके आंदोलन को बल मिलेगा। मध्यावधि योजना (1978-83) के अन्तर्गत आदिवासी जातियों के विकास के संबन्ध में एक कार्यकारी दल गठीत किया गया था। उसके प्रतिवेदन के अनुसार, सरकार से 180 उपयोजनाओं को क्रियान्वित किये जाने की आशा की गई थी। परन्तु इस तरह की केवल 129 उपयोजनायें तैयार की गई थीं। सौभाग्य वश महाराष्ट्र ने इस तरह की 15 योजनाएं तैयार की और उन सभी को अन्तिम रूप दे दिया गया था। तथापि, सभी राज्यों की ऐसा स्थिति नहीं थी। उदाहरण के लिये, आसाम में 19 उप-योजनाओं में से केवल एक योजना तैयार की जा सकी। इससे जाहिर होता है कि सरकार ने इन योजनाओं पर उतनी गंभीरता से विचार नहीं किया जितनी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए था। इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और योजनायें तैयार नहीं की जा सकीं।

मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि हमारे आदिवासियों की सरकार द्वारा तथा हमारे समाज द्वारा अपेक्षा की जाती रही है। उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण दया और कृपालुता का है। हम ऐसा अनुभव करते प्रतीत होते हैं कि हम उनकी थोड़ी-सी सहायता कर उन पर अहसान कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण को बदलना होगा क्योंकि इस दृष्टिकोण के कारण ही हम आदिवासियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके जीवन में सुधार लायें। जब तक हम इस बात को नहीं समझते हैं तब तक हम इस दिशा में अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिये कार्य करना होगा। हमें उसी तरह उन पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा जैसे एक माँ अपने उत्तम बच्चे की ओर अधिक ध्यान देती है, क्योंकि उसे अधिक सहायता की आवश्यकता होती है।

सरकार को अनुसूचित जनजातियों के प्रति ऐसा ही व्यवहार करना चाहिये जैसा व्यवहार एक माँ अपने अपंग बच्चे के साथ करती है उनके कल्याण सम्बन्धी सभी योजनाओं का बिना हिचक के कार्यान्वयन किया जाना चाहिये। 180 आदिवासी कल्याण योजनाओं में से केवल 1.9 योजनाएं ही कार्यान्वयन के लिये की गई हैं, इस बात से यह सिद्ध हो जाता है कि आदिवासी लोगों के प्रति सरकार की सहानुभूति नहीं है। इन योजनाओं को छठी पंच वर्षीय योजना में प्राथमिकता दी जानी चाहिये। नये वर्ष के रेल बजट में आदिवासी क्षेत्रों में रेल संचार के लिये विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये। इस आदिवासी जनता के लिये कुछ अच्छा कार्य करने की दृष्टि से इन क्षेत्रों में पूर्ण-विकसित संचार और परिवहन व्यवस्था की जानी चाहिए।

किन्तु सरकार द्वारा बनाई जाने वाली 180 उप-योजनाओं से देश की 65 प्रतिशत आदिवासी आबादी लाभान्वित होती है। वह केवल समीप के स्थानों पर ही ध्यान देते हैं और देश में दूर-दराज के क्षेत्रों में फैली आदिवासी आबादी पर ध्यान नहीं देते हैं।

इस संबन्ध में कार्यकारी दल की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जाना चाहिये और इन योजनाओं के अन्तर्गत जो 35 प्रतिशत आदिवासी आबादी नहीं लाई जा सकी है उसे लाने का

प्रयास किया जाना चाहिये। इन क्षेत्रों के आदिवासियों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

बलोक विकास अधिकारियों की तरह ही आदिवासी विकास अधिकारियों की भी नियुक्ति की जानी चाहिये। कार्यकारी दल को उनके प्रतिवेदन के एक पृथक अध्याय में आदिवासियों के लिये दी गई विशेष सुविधाओं पर भी ध्यान देना चाहिये। हमें अब तक अपेक्षित आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिये।

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्टसगंज) : इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं।

30-35 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी मैं समझता हूँ कि जो लिस्ट शड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइबज की है वह राशनलाइज नहीं हुई है बहुत सी हरिजन और ट्राईबल जातियों को संविधान में मान्यता नहीं मिली है। इनकी गणना की जाए तो यह करोड़ों में होगी।

दूसरी एनामली यह है कि बहुत से राज्यों में ट्राइब्ज जो हैं उनको शड्यूल्ड कास्ट्स में शामिल कर लिया गया है। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं। 1962 से उत्तर प्रदेश की सरकार बराबर केन्द्र को अपनी सिफारिश भेजती आ रही है कि मिर्जापुर इलाहाबाद, बुन्देलखंड के जो हिस्से हैं तथा हिमाचल के उत्तरी हिस्सों में तराई में जो ट्राइब्ज रहती हैं नैनीताल तथा अन्य भागों में, उनको ट्राइब्ज में शामिल किया जाए। लेकिन उस हेतु केन्द्र अभी तक कोई संविधान संशोधन विधेयक नहीं लाया है। 1967 में इसके बारे में एक विधेयक यहाँ आया था जिसको किसी कारणवश वापिस ले लिया गया था। जनता राज्य में कुछ संशोधनों के साथ उसको फिर पेश किया गया लेकिन वह पास नहीं हो सका। जो संशोधन जनता राज्य के वक्त या कांग्रेस शासन के वक्त आया था उसमें भी बहुत सी जातियाँ छूट गई थीं और उसमें बहुत सी एनामलीज थीं। पिछली बार मैंने मंत्री महोदय से पूछा था तब उन्होंने कहा था कि अगले सेशन में यानी इस सेशन में इसको हम लाएंगे। लेकिन कार्यसूची को देखने से पता चलता है कि कोई इसके सम्बन्ध में संविधान संशोधन विधेयक नहीं आ रहा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा आभारी हूँ कि केन्द्र की स्वीकृति प्राप्त हुए बगैर ही उसने ट्राइब्ज की लिस्ट एनाउंस की और उनकी जो समस्याओं की नेचर है उसके अनुसार डिवेलेपमेंट के का करने की स्कीमें बनाई लेकिन जो सहायता केन्द्र द्वारा स्वीकृति मिल जाने पर मिलती है वह चूंकि नहीं मिली इसलिए बहुत ज्यादा फायदा उन लोगों को नहीं मिला। ट्राइब्ल्ज के लिए जो उत्तर प्रदेश की एडजायनिंग स्टेट्स है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, वहां जो कुछ हो सका वह उत्तर प्रदेश में मान्यता न मिलने के कारण नहीं हो सका। इसलिए एक कम्प्रिहैंसिवबिल इसके विषय में आना चाहिये और जो जातियां छूट गई हैं उनको शामिल करने की व्यवस्था होनी चाहिये।

एक और बात आप देखें। मध्य प्रदेश में एक जाति एक जिले में, एक पर्टिकुलर एरिया में अगर ट्राइब है तो दूसरे जिलों में जहाँ उनकी संख्या काफी भी होती है उनको ट्राइब नहीं माना जाता है। सीमा को हटाने के बारे में एक बिल लाया गया था लेकिन विभिन्न राज्य सरकारें इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही हैं। जो बिल पास हुआ था उसके मुताबिक राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया था कि वे शीघ्र से शीघ्र सीमा की पाबन्दी को दूर

करें। सीमाबन्दी के कारण बहुत से हरिजन उन सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो उनको मिलनी चाहिये और ये लोग महाराष्ट्र में भी हैं, गुजरात में भी हैं, बिहार तथा दूसरी जगहों पर भी हैं।

होल आफ दी विल्लेज के आर्थिक डिवेलेपमेंट के शो कार्यक्रम बने हैं ये भारत के केवल 74 गाँवों पर लागू हुए हैं। यदि आप आर्थिक विकास करना चाहते हैं हरिजनों और आदिवासियों का और सब प्लांज की बात करते हैं तो निश्चित रूप से छठी योजना में इसका आप विस्तार करें और पूरे हिन्दुस्तान में जहां-जहां पर ऐसे पिछड़े हुए पाकेट्स हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में उनको हाथ में लें।

राज्य सरकारों को जो केन्द्र से निर्देश जाते हैं उनका पालन नहीं होता है। अभी हिमाचल प्रदेश के हमारे एक साथी कह रहे थे कि वहां पर हरिजनों की आबादी 22 प्रतिशत है लेकिन रिजर्वेशन आप केवल सात प्रतिशत देते हैं। क्यों ऐसी धांधलेबाजी हो रही है? कानूनी उसका जो हक है वह उनको क्यों नहीं मिल रहा है। केन्द्र से बहुत से आदेश, होम मिनिस्टरी के द्वारा बहुत से आदेश राज्यों को भेजे जाते हैं। एक आदेश यह भेजा गया था कि हर राज्य में हर जिले में शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब का एक न एक अफसर जरूर होना चाहिये। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। यदि आप राज्य सरकारों से इनका पालन नहीं करवा सकते हैं तो आप ऐसे आदेश न दें क्योंकि इस प्रकार के वक्तव्य दे देने से जनरय कास्ट्स का हरिजनों और आदिवासियों के प्रति विद्वेष पैदा कर देते हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

या तो आप इन बातों को पूरा करें, नहीं तो इस तरह के स्टेटमैंट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे झगड़ा, ईर्ष्या और द्वेष की भावना पैदा होती है। बहुत से अधिकारी शिड्यूल्ड कास्ट् के अधिकारियों को अक्षम सिद्ध करना चाहते हैं।

अलीगढ़ में कलैक्टर और एस.पी. की कोई गलती नहीं थी, लेकिन किसी को सी.आई.डी. में डाल दिया, किसी को कहीं डाल दिया। कई सरकारी अधिकारी जो हरिजन और आदिवासियों के विरोधी हैं, यह सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी निकम्मे हैं, ताकि वे कह सकें कि हमने काम दिया था, यह नहीं कर सके। यह भावना दूर होनी चाहिये। जब तक यह भावना दूर नहीं होगी। तब तक इन वर्गों का कल्याण होने वाला नहीं है।

30 सालों के बाद भी केन्द्र और राज्यों में रिजर्वेशन पूरा न होने का कारण यह है कि एपाइन्टमेंट करने वाले अधिकारियों की नीयत साफ नहीं है। बिहार के एक साथी ने कहा है कि ऐसे लोगों को उचित दण्ड दिया जाये। उचित दण्ड की कोई परिभाषा नहीं है। जो अधिकारी कोटा पूरा न करता हो, उसको डिसमिस किया जाये और आवश्यकता पड़ने पर जेल की भी सजा दी जाये, क्योंकि कांस्टीट्यूशन में जो प्रावधान है, उसने उसका उल्लंघन किया है।

माननीय सदस्य श्री पासवान अक्सर हरिजनों और आदिवासियों की बात कहते हैं और सारा सदन उनके साथ हमदर्दी होता है। अभी हम एक दौरे पर तमिलनाडु गये थे। एक जगह 17 हरिजन स्त्रियों का रेप किया गया, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। कहा जाता है कि इसमें पोलिटिकल प्रैशर पड़ा है। हमारा ख्याल है कि वह ग्रुप यहां आया था और प्राइम मिनिस्टर से मिला था।

श्री राम विलास पासवान : उसमें केन्द्रीय मन्त्री का हाथ है।

श्री राम प्यारे पनिका : मंत्री का हाथ है या नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूं। सत्ता पक्ष हो या विरोधी पक्ष, हम सब लोगों को इस तरह के अत्याचारों की तरफ ध्यान देना चाहिये। श्री पासवान इस प्रश्न को उठाने वाले थे।

श्री राम विलास पासवान : मैंने अपने भाषण में इसको उठाया है।

श्री राम प्यारे पनिका : श्री पासवान मौके पर थे, उन्होंने सब लड़कियों के बयान लिये मैं उनका आभारी हूं।

इन वर्गों के विकास के लिये वित्त निगम बनाये गये हैं, लेकिन इन लोगों को सहायता देने वाले जो ऊंचे अधिकारी हैं, वे ऐसे झंझट लगा देते हैं, हरिजनों को इतनी फौर्मेलिटीज पूरा करने के लिये बाध्य कर देते हैं, कि उन्हें वह सहायता नहीं मिल पाती है। ये निगम केवल अखबारों की शोभा बढ़ाने के लिये और हरिजनों को संतोष देने के लिये बनाये गये हैं। मंत्री महोदय इस बारे में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश के रिजल्ट मंगाये, जिला स्तर पर कलैक्टरों को जिम्मेदार बनाना चाहिये। आज स्थिति यह है कि हरिजन कल्याण अधिकारी रिकमैंड करता है, फिर कागज कलैक्टर के पास जाता है और उसके बाद जब वह वित्त निगम के पास पहुँचता है। तब वहां ओवजेक्शन लगा दिया जाता है, जिसका परिणाम यह है कि सालों तक सहायता नहीं मिलती है और वह सारा रुपया लैप्स हो जाता है।

डी.पी.ए.पी. के तहत सूखाग्रस्त लोगों और हरिजनों की सहायता की व्यवस्था की गई है, वह खर्चा केवल इसलिये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उससे हरिजन और आदिवासियों की तरक्की होगी। सरकार पिछले 33 सालों का सर्वेक्षण कराये कि इन वर्गों के विकास के लिये जो धन-राशि दी गई थी, उसका कितना परसेन्ट रुपया खर्च किया गया है? आप देखेंगे कि उसकी मात्रा बहुत कम है। केवल बजट में प्रावधान करने से काम नहीं चलता है, इम्पलीमेंटेशन को देखने की जरूरत है। इसके लिये केन्द्रीय सरकार के स्तर पर एक सशक्त बाडी होनी चाहिये। यह कहने से भी काम नहीं चलेगा कि हरिजन और आदिवासियों को उठाना प्रदेशों का काम है। यह हमारा काम है। यहां पर इसके लिये एक सैल बनाया जाये और सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर स्टेट को डायरेक्शन्ज भेजे जायें। जो स्टेट गवर्नमेंट उन डायरेक्शनन्ज को न मानें, उन्हें दंडित करने का प्रावधान किया जाये।

पुनः मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी शेड्यूल ट्राइब्स की जातियां हैं जो कि लिस्ट में नहीं आई है जिनको कि लिस्ट में लाया जाना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी सक्षम हैं, बैठकर सारी लिस्टों को देख लें। एक मछिया जाती है, जो कि गंगा नदी के किनारे पर बसी है, ट्राइबल्स हैं, लेकिन उनको लिस्ट में नहीं लिया गया है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास एक बेहरा जाति है वह भी लिस्ट में नहीं है। इस प्रकार से 15 जातियां और हैं, जिनको लिस्ट में लिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भी समुचित विकास के कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनके इंप्लीमेंटेशन की व्यवस्था करें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आज हम छठी पंचवर्षीय योजना डिसकस कर रहे हैं। पांचवीं योजना बीत चुकी है। सदन में जिस प्रकार से सदस्यों की उपस्थिति है उससे जाहिर

होता है कि ऐसे मामलों में ऐसे संकल्प में जो बड़े-बड़े जन-प्रतिनिधि हैं वे कितने इट्रेस्टेड हैं। आज मैंने 10 अप्रैल का अखबार पढ़ा था, जिसमें त्रिपुरा से 18 लड़कियों को रांची से ले जाया गया और उनको कई महीने तक वहां रखा गया और बलात्कार किया गया। ऐसे ही और भी लाखों लोग अपनी भुकमरी को शांत करने के लिए दूसरे जिलों, पंजाब, यू.पी. में जाते हैं। सैंकड़ों लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, किस तरह से वे व्याभिचार के शिकार होते हैं, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। इस प्रकार की स्थिति से हम अपना जीवन स्तर ऊंचा नहीं कर सकते हैं। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यू०पी० के अंदर कितने आदिवासियों और हरिजन लड़कियों को उन ठेकेदारों के चंगुल से बचाया है जो इन लोगों को प्रलोभन देकर ले जाते हैं। आज आदिवासियों में जो बड़े-बड़े मंत्री बन चुके हैं, जो पदाधिकारी हैं क्या आदिवासियों के नाम पर जो पैसा रखा जाता है उसका लाभ वही लोग उठायेंगे, इन गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा ? आदिवासियों के नाम पर कमिश्नर अपने चार लड़कों को शिक्षा दे सकता है, लेकिन गरीब आदिवासी को शिक्षा पाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। हम योजनायें बनाने में अफसरों की फौज तैयार करने में और स्कीमें बनाने के लिए तैयार हैं तो हमें इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैं 20 साल तक नगरपालिका का चेयरमैन रहा हूं। आज भी इन लोगों द्वारा सिर पर मैला ढोया जाता है। मैं कहता हूं कि इसको कानून द्वारा बन्द कर दीजिए। किताबों में डाल दीजिए कि मैला नहीं ढोया जाएगा। अगर कोई हिम्मत वाले आदिवासी हैं तो ये काम बंद कर दें और जो अपने आपको सवर्ण समझते हैं उनको यह काम करने दीजिए। सारे लोगों के लिए आप एक कानून बना दीजिए। क्या आप आंकड़े बतायेंगे कि आपने जो सन् 1955 में अनटेचबिलिटी का कानून बनाया था, उसमें जिन लोगों ने अछूतों जैसा व्यवहार हरिजनो के साथ किया है, कितने लोगों को अब तक आपने सजा दी है या कनविक्ट कराया है। ये आंकड़े गृह मंत्री जी दे दें। आज भी कई इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, जिनको कहना चाहिए अधिकांशत. वे साहूकार हैं, जिन्होंने इन लोगों का शोषण किया है। आप शोषण विहीन समाज बनाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। यहां पर बड़े अच्छे-अच्छे बोलने वाले लोग हैं और अभी एक भाई कह रहे थे, राज्य सभा के एक मेम्बर की बाबत उन्होंने कहा, कि उन्होंने उन लोगों की जमीन हड़प ली। उन्होंने इस सदन में इस बात को कहने की हिम्मत की। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी में इस बात की हिम्मत है कि वह उनके खिलाफ कार्यवाही करे, जिन लोगों ने गरीब लोगों की जमीन हड़प ली है। सीलिंग कानून लाये जाते हैं लेकिन होता क्या है कि सीलिंग का उल्लंघन करने वालों से समझौता कर लेते हैं। पूंजीपतियों से वे मिले रहते हैं और क्रान्ति, क्रान्ति की बात करते हैं। उनके घर भी वे चले जाते हैं और उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। तो मेरा कहना यह है कि शोषण विहीन समाज की बात तो हम लोग करते हैं लेकिन हमारा जो समाज है, वह शोषण पर ही टिका हुआ है और हमें उसको मिटाना होगा। क्या गांवों में आदिवासियों और हरिजनों को लोन मिल सकता है ? आपने जो 2 हजार करोड़ रुपये और 5 हजार करोड़ रुपये की इनके लिए योजना बनाई है, क्या केन्द्रीय सरकार यह देखती है कि वह रुपया कैसे खर्च होता है। मेरा कहना यह है कि अगर इनके लिए आपको कुछ करना है, तो इस रुपये को खर्च करने के लिए आप डेडीकेटेड वर्कर्स को काम में लगाइये। सत्ता में आज जिन लोगों को लगा रखा है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वे काम नहीं करना चाहते हैं। उनके दिमाग में तो यह बैठा हुआ है कि

हमें इनका शोषण करना है। वे शोषण पर टिके रहना चाहते हैं। इस शोषण को मिटाना होगा। इसके साथ ही साथ हमारे जो हरिजन भाई हैं जो आदिवासी भाई हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पर यहां आते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को मुकाबला करना वे सिखायें। नहीं तो, आने वाले जमाने में दीवारों पर यह लिखा होगा कि वे मेम्बर बने हुए थे और इतने साल तक मेम्बर रहे लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। यहां पर पासवान साहब हैं और दूसरे लोग हैं, उनको इस तरफ काम करना होगा कि कैसे इन लोगों में मुकाबला करने की हिम्मत आय। हम यह देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य की बात बहुत की जाती है और इन लोगों के लिए जो स्कीमें हैं, उनका प्रचार करने में आप बड़े माहिर हैं। रोजाना रेडियो पर सुनते हैं कि आदिवासियों का कल्याण हो रहा है। क्या कल्याण हो रहा है ? जो रोस्टर प्रणाली आपने बनाई है और जो रिजर्वेशन इन लोगों के लिए किया है, आपको बताऊं कि उसमें उनको ठीक रिजर्वेशन नहीं मिलता है। मैंने नगरपालिका के बारे में पूछा कि कितना परसेंटेज हरिजनों का है, तो एक अफसर ने बताया कि 18 परसेंट से ज्यादा है। उसमें उन्होंने जो 300 सफाई करने वाले कर्मचारी थे, उनको भी जोड़ लिया। मैंने कहा कि बाबू और इंजीनियर कितने हैं, तो उनके सही आंकड़े नहीं मिले। आंकड़े जो दिये गये उनमें जो सफाई करता है और मैला होता है, उन सबको मिला दिया। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने जो इनके लिए योजनायें बनाई हैं और उनमें जो पैसा मुकर्रर किया है, उस रकम को आप ले सकेंगे और उसका उपयोग इनके लिए कर सकेंगे या नहीं, इसके बारे बतायें।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आदिवासियों के उत्थान के लिए पहला काम तो यह करना होगा कि जो सीलिंग ला है, उसको सख्ती से लागू करना होगा और उन लोगों को योजनाओं के कार्यान्वियन में इनवोल्व करना होगा, उन लोगों को उनमें लेना होगा। झारखण्ड राज्य के लिए वे आन्दोलन करते हैं और कहते हैं कि हमें हमारी जमीन दे दो, हमारे वन दे दो। आपने वन छीन लिये, जंगल और धंधे से उनको बेरोजगार कर दिया। आज आप उनकी हालत क्या कर रहे हैं ? हमारे राजस्थान में कितने ही वन साफ हो गये। ठेकेदारों, राजनीतिज्ञों और चोटी के शासन करने वाले लोगों ने उनके वनों को साफ करके अपने उपयोग में ले लिया। आज आदिवासी की अपनी धरती नहीं है जिस पर रह कर वह गुजारा कर सके।

मैं कहता हूं कि आदिवासियों की जितनी वन सम्पत्ति है वह सारी आदिवासियों के विकास के काम में लाई जानी चाहिए और किसी काम में नहीं लाई जानी चाहिए। आपकी गवर्नमेंट के जितने भी पब्लिक सेक्टर के कारखाने हैं, आप उनमें से किसी की भी रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए किसी में तीन परसेंट आदिवासियों को नहीं लगाया गया है। आप प्राइवेट सेक्टर वालों से उनकी इंडस्ट्रीज से कह सकते हैं कि आपको इतने परसेंट आदिवासियों को अपने यहां लगाना पड़ेगा।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के नाम से श्री गिरिधर गोमांगो साहब जो संकल्प लाये हैं उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपने गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप छठी पंच-वर्षीय योजना में दो हजार करोड़ हरिजनों के लिए रख रहे हैं और एक हजार करोड़ रुपये आदिवासियों के लिये रख रहे हैं। यह सारा का सारा रुपया उनके विकास के काम में लाया जाए ताकि उनका विकास हो सके। आप कम से कम रेवेन्यू एक्ट में या सीलिंग एक्ट

में ऐसा कानून तो बना दीजिए कि उनकी जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकती है। कोई भी उनकी जमीन अपने नाम नहीं करा सकता है। ऐसे कानून तो हैं लेकिन उनका अनुपालना नहीं होती और होशियार लोग उनकी जमीनें हड़प लेते हैं। मैंने त्रिपुरा में देखा कि सारे आदिवासियों की जमीनें बड़े-बड़े लोगों ने हड़प ली हैं। साहूकार लोग, मुनाफाखोर लोग उनकी जमीनें दबाये बैठे हैं। आज हरिजनों और आदिवासियों की यह हालत है।

आपने इम्मोरल ट्रैफिक एक्ट पास कर रखा है लेकिन बलात्कार अब भी उनकी औरतों के साथ हो रहे हैं। जुल्म जो होता है वह गरीब पर ही होता है। अगर कोई सबसे बड़ा अभिशाप है तो गरीबी है। आदिवासियों के घरों में ही हमने उनका शोषण कर दिया, उनकी सम्पत्ति का शोषण कर दिया। आदिवासियों से कह दिया कि हम तुम्हारे लिये रामराज्य लायेंगे। पता नहीं यह रामराज्य कब आयेगा। छठी पंच-वर्षीय योजना में भी अगर हमने अपने हरिजन और आदिवासी भाइयों के लिए कोई काम नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया तो समझ लीजिए कि वे लोग वैसे ही रहने वाले हैं। आप उन लोगों के लिए कानून बनाइये। जो आदिवासी मालदार हैं आप उनको अलग कर दीजिए, उनमें जो कमजोर लोग हैं उनको लाभ पहुँचाइये। यही मेरा कहना है।

श्री पीयूष तिरकी (सर्लाघुन्दुवार) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का 200 वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा और स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय निहित स्वार्थों द्वारा शोषण किया जाता रहा है और सताया जाता रहा है।

आदिवासियों को दीन-हीन बना दिया गया है और आज देश में वह अत्यधिक दबे वर्गों में से हैं।

अखण्डता, आधुनिकता और औद्योगिकरण की तथाकथित प्रक्रिया से भारत के आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक जीवन की जड़े ही टूट गई हैं।

उन्हें अपने जीवन से हाथ धोने पड़े है। गैर-आदिवासी ठेकेदार, सूदखोरों ने आदिवासियों को दास बना दिया है।

आदिवासी पट्टी में औद्योगिक परियोजना के कारण उजड़े लाखों आदिवासी पुनः नहीं बसाये गए हैं।

1971 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासी आबादी 360 लाख थी इसमें असम और अण्डेमान और निकोबार के द्वीपों जहां आदिवासी नौकरियों के लिए बाहर गए है, को शामिल नहीं किया गया है और असम में लगभग 450 लाख लोगों को ओ. बी. सी. दिखाया गया है।

आदिवासियों में ओरओं, मुण्डा, हो, संथाल, खरिया प्रमुख आदिवासी जातियां है यह जातियाँ मध्य और पूर्वी भारत में रहती हैं। इन आदिवासी लोगों में आज 80 प्रतिशत खेतीहर मजदूर मध्य क्षेत्र में रहते हैं। आदिवासी कभी साम्प्रदायिक नहीं रहे हैं। 1832 का ओल विद्रोह, 1857-58 का संथाल विद्रोह और 1895-90 का बिरसा-भगवान आन्दोलन शोषकों अर्थात् सूदखोरों, राजस्व समाहर्ताओं, जमींदारों और पुलिस के विरुद्ध था। इसी प्रकार 1931 का ओल विद्रोह, 1944 की हजंग अशांति और 1967 की नक्सलबाड़ी और 1968-9 का रांची में हुआ विश्रासा आन्दोलन भी इन्हीं के विरुद्ध था।

केन्द्रीय सरकार ने पिछली पंच-वर्षीय योजनाओं की अवधि में आदिवासी और अनुसूचित जातियों के तीव्र विकास के लिए करोड़ों रुपये व्यय किये हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत क्रमश: 7.16, 15.53, 20.04, 32.50 तथा 19 करोड़ रुपये व्यय किये गए किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्या और गम्भीर हो गई है इसका कारण हमारी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था और विकास का पूंजीवादी रास्ता है।

मैं 6 आदिवासी विकास ऐजेंसियों के नामों का उल्लेख करना चाहूंगा :

(1) आंध्र प्रदेश (श्री काकुलम)।

(2) बिहार (सिंहभूम)।

(3) मध्य प्रदेश (डंडेवाड और कोन्टा)।

(4) उड़ीसा (गुनुपुर और पर्लाखेमुण्डी)।

(5) कोरापुर (उड़ीसा)।

(6) बलीगुड़ा (उड़ीसा)।

उन्हें 1973-74 में आरम्भ किया गया था और उन्हें 1978-79 तक पांचवीं योजना तक जारी रखा गया।

भारत के महानियंत्रक एव लेखा-परीक्षक ने 1978-79 के अपने प्रतिवेदन में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं का पता लगाया है। मार्च, 1979 तक 17.38 करोड़ रुपये अनुदान के दिये गए। आदिवासी विकास ऐजेंसी के लेखे से यह पता चलता है कि 16.66 करोड़ रुपय खर्च किये गए किन्तु उपयोग प्रमाण-पत्र के अनुसार 14.63 करोड़ रुपये ही व्यय किए गए। कयेपुर (उड़ीसा) की आदिवासी विकास एजेंसी ने वास्तव में 79,444 मामले बताये जबकि इसमें केवल 71,165 मामले ही वास्तविक थे शेष 8275 मामले थे ही नहीं। इन एजेंसियों ने इस प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं रखा जिससे इन लाभों की सीमा का पता चल सके। इन एजेंसियों का प्रशासनिक व्यय 5 प्रतिशत की प्रतिबंधित सीमा पार कर गया और यह व्यय कुल का 7.5 प्रतिशत हो गया। लिगुड़ के बारे में 14 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय दिखाया गया है। प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि सम्बद्ध एजेंसियों द्वारा शिक्षा, सफाई, रहन-सहन के सम्बन्ध में आदिवासी जीवन पर प्रभाव के बारे में कोई सामान्य मूल्यांकन नहीं किया गया है।

महोदय, सरकार को इसाई मिशनरियों से सबक सीखना चाहिए कि वह जिस प्रकार देश में आदिवासी क्षेत्रों में अनेक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। सरकार को उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य के लिए दोष नहीं देना चाहिए बल्कि उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। जो लोग संस्कृति और भाषा को समझते है और सेवा करना चाहते हैं उन्हें ही इन लोगों के विकास के लिए भेजा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है। (व्यवधान)

श्री पीयूष तिरकी : महोदय एक मिन्ट और दीजिए क्योंकि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा कुछ राज्य सरकारों द्वारा इसाई मिशनरियों पर सारा दोष मढ़ देने से आदिवासी जनता में रोष फैला है क्योंकि केवल मिशनरियों ने ही शिक्षा के क्षेत्र में तथा इन लोगों के सामाजिक उत्थान के लिये अच्छा कार्य किया है। अत: सरकारी एजेंसियों

को आदिवासियों के सामाजिक उत्थान के बारे में इन मिशनरियों से सीखना चाहिये क्योंकि इतनी अधिक धनराशि व्यय की जा चुकी है और की जा रही है कि उससे इन लोगों के उत्थान का कार्य नहीं हो रहा है। अतः मेरा यह अनुरोध है कि सरकार को राज्य सरकार को धन देने के लिये गम्भीर विचार करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि वास्तव में आदिवासियों के लिये कौन कार्य कर रहा है और किस प्रकार के विकास कार्यों पर धन व्यय किया जा रहा है। सरकार को यह सब देखना चाहिये क्योंकि समूचे भारत में आदिवासी विकास की पूरी जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति पर है। अतः एक केन्द्रीय समिति बनाई जानी चाहिये जो ऐसे लोगों से सम्बन्ध स्थापित करें जो आदिवासी जनता की आदतें, भाषा, संस्कृति जानते हों और जो उनमें विश्वास पैदा कर सकें उन्हीं लोगों के वहां के विकास कार्य सौंपे जाने चाहिये तभी आदिवासी जनता की सामाजिक, आर्थिक अवस्था सुधारी जा सकती है और उन्हें देश की प्रमुख धारा में मिलाया जा सकता है।

श्री चक्रधारी सिंह (सरगुजा) : मैं श्री गोमांगो द्वारा जो संकल्प रखा गया है उसका समर्थन करता हूं। हरिजनों और आदिवासियों की जो कष्ट हैं तथा उनके जीवन की जो मार्मिक कहानी है, उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

हम लोगों को स्वतंत्र हुए 32 वर्ष गुजर गए हैं। संविधान में हरिजनों और आदिवासियों के कल्याण की व्यवस्था की गई है तथा इसके लिए उसमें प्रावधान बनाये गए हैं और यह कहा गया है कि सरकार उनकी उन्नत्ति के लिए क्या क्या करेगी। सरकार द्वारा जो नीति निर्धारित की गई है इसके जो नियम बनाए गए हैं, वे बहुत अच्छे है। उनको देखने से ऐसा प्रतित होता है कि हम आदिवासीगण भविष्य में विकास की सीमा को स्पष्ट कर मेरा और उनका जीवन स्तर दूसरी जातियों के लोगों के बराबर हो जाएगा लेकिन वास्तविकता भिन्न है क्योंकि यह केवल पन्नों में है व्यवहार में नहीं क्योंकि जितना अंश उनके हिस्से के लिए रखा गया है वह भी उनको प्राप्त नहीं होता है, उनके हिस्से की चीज उनके अधिकार की वस्तु उनको प्राप्त नहीं होती है।

मैं उदाहरण देता हूँ। आजादी के बाद किसानों की विपुल पैदावार हो सके इसके बारे में लिट्रेचर निकाला गया और उसमें बताया गया कि इस प्रदेश के अमुक जिले में इस किस्म की जलवायु है और इस जलवायु में अगर इस किस्म का गेहूँ बोया जाए तो एक एकड़ में पचास मन फसल पैदा होगी। यदि एक एकड़ में इतनी खाद दी जाये, खेतीवार सिंचाई की जाये इन सब के बारे में लिट्रेचर निकाला गया। इस देश के किसान अधिकतर निरक्षर और आदिवासी हैं जो आज तक अपनी पुरानी पद्धति से ही कृषि का कार्य करते आ रहे हैं, परन्तु अब उन्हें विपुल पैदावार का कार्यक्रम बताया गया है। आज वह इस खुशी में हैं कि इस नई पद्धति के द्वारा बहुत अधिक अनाज पैदा होगा और वे लाभान्वित होंगे। इसलिये उन्होंने बैंक में जाकर ऋण लिया, उनके नाम से खाते में ऋण लिख लिया गया, लेकिन वास्तव में स्थिति भिन्न है। क्योंकि दायित्व अधिकारियों और ग्रामसेवकों को सौंपा गया था कि वह बतायें खेती कैसे हो, उनके द्वारा ऐसा न करने से वह अधिक पैदावार उन किसानों को नहीं मिल पाई है और जिसका परिणाम यह है कि उनका कर्जा बढ़ता जा रहा है और इस तरह से इस समय जब उनको अपनी जमीन से भी हाथ धोना पड़ रहा है। या तो उनकी जमीन बैंक के द्वारा नीलाम कर दी जाती है या सेठ-साहूकार जमीन को हड़प लेते हैं।

मेरा सुझाव है कि जो नीति सरकार के द्वारा बनाई गई है, वह बहुत अच्छी है, उससे आदिवासी और हरिजनों का विकास हो सकता है और निस्संदेह होगा, परन्तु कार्य करने की पद्धति को बढ़ाना होगा, वह कार्य जो सबको करना चाहिये, उसके सुचारु रूप से न होने के परिणामस्वरूप से अभी तक जो आदिवासी और किसान हैं, वह अपने पुराने स्थान पर ही हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाये, गांव में अधिकतर आदिवासी और किसान हैं, जिनके लड़के स्कूल और कलेजों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, परन्तु वास्तव में देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ उनको अक्षर ज्ञान ही है, उनके दिमाग में कोई ऐसा डैवलपमैंट नहीं हुआ है जिससे वह अपने आप में यह महसूस कर सके कि उन्होंने एक अच्छी शिक्षा हासिल कर ली है। कहीं भी किसी क्षेत्र में जब वह आगे आते हैं तो या तो उनके पास बहुत कम डिग्री रहती है या अगर उनको डिग्री मिली भी है तो उसका फायदा उन्हें नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार के द्वारा निर्धारित नीति का कि आदिवासी और हरिजनों को नौकरी में संरक्षण दिया जायेगा या उनके लिये जो स्थान सुरक्षित किया गया है, वह फलन नहीं हो रहा है। इस देश में ऐसे भी बहुत बड़े-बड़े पद हैं जहां पर आदिवासी और हरिजनों के शायद सूची में अंक कम होने पर नहीं लिया जाता है। जितने अंक उनको मिलने चाहिये, वह उनको प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिये उनके लिये जो स्थान सुरक्षित है, वह स्थान उनको नहीं दिया जाता।

इस प्रकार हम देखेंगे कि आदिवासी या हरिजन, जो उनका अधिकार है, जो सरकार के द्वारा आरक्षण और सुरक्षित स्थान दिये गये हैं, उन स्थानों पर आज तक आदिवासी और हरिजन नहीं पहुँच पाये हैं।

सामाजिक क्षेत्र में भी हम देखेंगे कि आदिवासी और हरिजन को सवर्ण जाति के हैं उनके बराबर सरकार के चाहते हुए भी, उनके लिये स्वर्णकार नहीं मिला है सरकार सुविधाएं प्रदान करने के बावजूद भी आदिवासी और हरिजनों को इस स्तर पर नहीं ला सकी है कि वह अपने को यह कह सकें और स्वयं में महसूस कर सकें कि वह जिन्दगी के रास्ते में और लोगों के साथ हैं। बल्कि हम लोगों को जहां अधिकतर आदिवासी और हरिजन गांव में रहते हैं, जहां 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते है वहाँ गांव के निवासी और दूसरी जातियों के लोग जो कि आदिवासी श्रेणी में ही आते हैं उनके जीवन को देखना चाहिये। उनके तन में न लगोटी है न खाने के लिए अनाज है आज तक हम उनको अपने करीब नहीं ला पाए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो गरीब आदिवासी पहले था आज भी वह उसी स्तर पर कायम है। आप 1947 से देख लें, जितनी भी आपने हरिजन-आदिवासियों को सुविधाएं दी हैं, जितने उनके लिए अनुदान दिए हैं, उसके अनुपात से उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। जिन सरकारी विभागों को इन लोगों के विकास के लिए काम सौंपा गया है अगर वह विकास का काम नहीं हुआ है तो उनसे स्पष्टिकरण मांगा जाना चाहिए कि वह काम अभी तक क्यों नहीं हुआ है ? सरकार द्वारा जो ऋण लोन बीज, खाद, पंपिंग सैट इत्यादि के लिए दिया जाता है उसके उपयोग और विकास की ओर ध्यान न देकर उसकी वसूली की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कृपया मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देने का कष्ट करें कि यदि उसका उत्पादन कम हो रहा है तो वह ऋण की अदायगी कैसे करेगा ? आप देखें कि 1947 से पहले जो आदिवासी किसान अपने बलबूते पर खेती करते थे वे बहुत खुशहाल थे, लेकिन आज वही किसान शहरों की तरह आगे बढ़ने की होड़ में कर्ज लेकर

कर्ज में इतना दब गया है, वह आर्थिक रूप से मानसिक रूप से इतना दब गया है कि वह अपने आपको मनुष्य कहलाने में भी संकोच करता है। सभ्य समाज में आगे आने में अपने आप में हीनता की भावना महसूस करता है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने इस संकल्प पर चर्चा के लिये पहले ही समय एक घंटा बढ़ा दिया हैं। बहुत से और माननीय सदस्य बोलना चाहते है। अतः सभा की अनुमति से समय बढ़ाया जाता है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हाँ, हमें समय बढ़ाना चाहिये।

श्री चक्रधारी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आदिवासी और हरिजन लोगों का वास्तव में विकास करना है, अगर उनको समाज में आगे लाना है तो सरकार को चाहिए की जो नीतियां निर्धारित की गई हैं उनकी प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए वे नीतियाँ वास्तव में सही रूप में कार्य रूप में परिणीति की जाये। जो उसका इम्पलीमेंटेशन है, उसका वास्तविक फायदा उन विशेष वर्गों को मिले और वे अपने अधिकारों को और अपने कर्तव्य को महसूस कर सकें। जब तक सरकार का उचित सहयोग और मार्गदर्शन नहीं रहेगा, तब तक इन आदिवासियों और हरिजनों की समृद्धि एवं प्रगति का मार्ग अवरुद्ध रहेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, जो रेजोलूशन श्री गिरीधर गोमांगो ने हाऊस में रखा है, बैकवर्ड बलासेज, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की तरक्की के बारे में, उनकी बहबूदी के लिए जो कुछ होना चाहिए, उनके लिए जो यह रेजोलूशन है, इस पर दो राय नहीं हो सकती हैं। इनके जो कुछ हक हमारे कांस्टीट्यूशन में हैं, वे उन को मिलने चाहिएं।

मेरी जो राय इस बारे में है, मैं उसके लिए पुरानी हिस्ट्री को दोहराना चाहता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी के दरमियान कुछ कोरेपोन्डेंस उनकी किताबों में है। यह उस वात की है जब सरदार पटेल होम मिनिस्टर थे। उनके कुछ ख्यालात इस तरह के थे। उन्होंने कहा था कि हिमालियन स्लोप के जितने मंगोलियन हैं, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि शायद वही हमारी पालिसी रही है। जहाँ तक इन आदिवासियों का सवाल है, उन्होंने वक्त के साथ प्रूव कर दिया है कि उनके जो ख्यालात थे, वे सही नहीं थे।

दूसरी बात यह है कि हमारे जो मिजोरम, नागालैंड और कुछ और आदिवासियों के खास तौर पर ऐसे इलाके हैं, जहां के लोगों के दिलों में, शायद यही वजह हो सकती थी, जिसके कारण तकलीफ पहुँची होगी। कुछ ऐसे ही ख्यालात हमारे नेता लोग रखते थे और बाद में हमारे मुल्क के आजाद होने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर उन इलाकों में भेजे गये, उनका स्टीट्यूड उन लोगों के साथ जो रहना चाहिए था, वह नहीं रहा। उन्होंने यह देखा कि ये पहाड़ी लोग हैं, जंगली हैं और बिल्कुल अनपढ़ हैं। लिहाजा जिस ढंग से उनको चलाना चाहिए था, उस तरीके से उन्होंने नहीं चलाया और जैसा बर्ताव पहले ब्रिटिशर्स हमारे मुल्क के बाकी लोगों के साथ किया करते

थे, वही सलूक इन एडमिनिस्ट्रों ने वहाँ के लोगों के साथ करना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि वहाँ के लोगों के दिलों में तकलीफ पहुँची। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि ये जो ख्यालात हैं, ये निकाल देने चाहिए और जो भी अफसर वहां जाते हैं उनको वहाँ की प्राब्लम्स को समझना चाहिए। वहां के लोगों की जो थींकिंग है, रहन-सहन के तरीके हैं, उनको समझे बिना आप दिल्ली के रूल उन पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। नतीजा रिवोल्ट होता है। उन लोगों में नाराजगी पैदा हो जाती है। लिहाजा मैं मिनिस्टर आफ स्टेट साहब से यह गुजारिश करूंगा कि जो भी आप वहाँ आफिसर भेजें वे खास तौर पर सेलेक्टेड केडर के होने चाहिएं। होना तो यह चाहिए कि उसी इलाके के लोगों को कांफिडेंस में लें और उन्हीं को रिस्पोसिब्लिटीज सौंपें। आप के लिये वे बहुत यूजफुल हो सकते हैं।

मैं अपने इलाके की कुछ और बातें भी कहे बिना नहीं रह सकता। हमारा इलाका न शैड्यूल्ड कास्ट्स में है, न शैड्युल्ड ट्राइब्स में है और वह बेकवर्ड एरिया है। यह हमारी बदकिस्मती ही समझिये कि हमें शुरू से ही ऐसा रखा गया जैसे कि हम हर तरह से दिल्ली बराबरी करते हों, दिल्ली के रहने वालों के साथ हर बात में मुकाबला करते हों। आपको पता है कि हमारा स्टेंडर्ड आफ लिविंग हमारा स्टेंडर्ड आफ एजूकेशन क्या है ? हम किसी बात में आपको मुकाबले में नहीं बैठ सकते, न बैठ सके हैं और न आइन्दा भी ऐसा हो सकेगा। इसका नतीजा यह है कि हमारे सारे इलाके से सिर्फ दो आइ. ए. एस. और एक आई. पी. एस. आफिसर हैं। हमारे मुकाबले में लाहौल स्पीति को ले लीजिए। हमारी और उनकी कल्चर एक है, रहन-सहन एक है। चूंकि वे पंजाब के साथ रहे और उस समय पंजाब के चीफ मिनिस्टर प्रतापसिंह कैरो थे जिन्होंने कि उन्हें शैड्यूल्ड ट्राइब्स में रख दिया। वहाँ की आबादी लद्दाख की आबादी से एक चौथाई है लेकिन यहाँ के आज बीसियों आई. ए. एस. और बीसियों आई. पी. एस. आफिसर हैं। आज उनकी पोजिशन यह है। ये जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं इनमें उनकी यह पोजिशन है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन भी जारी रख सकते हैं।

डा० सुब्रामाण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : क्या मैं आपका ध्यान निर्देश संख्या 2 की ओर आकर्षित कर सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय किसी विषय पर चर्चा नहीं हो रही है। कृपया आप बैठ जाएँ।

डा० सुब्रामाण्यम स्वामी : अब आप आधे घण्टे की चर्चा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी नहीं।

डा० सुब्रामाण्यम स्वामी : मैं एक विषय को समाप्त करने और दूसरे को शुरू करने के बारे में बात कर रहा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ?

डा० सुब्रामाण्यम स्वामी : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। माननीय गृह मंत्री उपस्थित हैं। असम में कुछ वारदातें हुई हैं। इस पर उन्हें एक वक्तव्य देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सब ठीक है।

डा० सुब्रामाण्यम स्वामी : जो असम में हो रहा है वह बिल्कुल ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आधे घण्टे की चर्चा ! श्री राजदा।

आधे घण्टे की चर्चा

महात्मा गांधी पर फिल्म

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 295 के उत्तर से उत्पन्न एक लोक महत्व का मामला उठा रहा हूं।

सरकार ने श्री एटनबरो को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से 5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देकर तथा सह निर्माता बनने का एक दुर्भाग्य पूर्ण निर्णय लिया है। इसने देश भर में विवाद खड़ा कर दिया है। यह प्रेस तथा जन साधारण में क्रोध का विषय बना हुआ है। लोगों की भावना उत्तेजित हो गई है। मैं केवल भावनाओं की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि इससे कुछ वास्तविक कारण भी हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ऐसा विषय नहीं है कि सहजता से लिया जाए और कोई भी सरकार जो देश भक्त होने का दावा करती है और महात्मा गांधी के नाम से दिन-प्रतिदिन लाभ उठा रही हो, को इस विषय को इतनी सहजता से नहीं लेना चाहिए जैसा कि वे कर रहे हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे देश के प्रतीक थे। उनके जीवन को पर्दे पर उतारना आसान काम नहीं है और इस देश के कई जिम्मेदार विचारकों का यह दृष्टिकोण है कि एक विदेशी के लिए महात्मा गांधी की आत्मा, दर्शन, जीवन-शक्ति, लोकाचार और व्यक्तित्व तथा स्वतंत्रता संग्राम का चित्रण करना असम्भव होगा। वह महात्मा गांधी के जीवन तथा संदेश के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा और यह संदेह युक्ति संवद्ध भी है क्योंकि इससे पहले, पंडित नेहरू के समय में, ऐसा प्रयास किया गया था और एक फिल्म "नाइन आवर्स टू रामा" बनाई गई थी। सरकार ने कथा वस्तु की जांच की। एक भारतीय श्री कश्यप ने महात्मा गांधी का रोल किया था। जब जवाहर लाल नेहरू जी ने फिल्म देखी तो उन्हें गहरा धक्का लगा। वे उठे और चीख उठे "यह लड़खड़ाता हुआ बूढ़ा मेरा बापू नहीं है।"

अब यही खतरा है। केवल यही नहीं। स्वतंत्रता संघर्ष के लोग जो महात्मा गांधी जी के साथ थे, उन्होंने उनकी शिक्षा, आदर्शों आदि को सीखा और आत्मघात किया। वे सब लोग जीवित हैं। उनकी भावनाओं को गहरा धक्का लगेगा क्योंकि सरकार का उद्देश्य बहुत संदिग्ध है।

सरकार इस बात के लिये आधार बदलती रही है। उन्होंने अब तक नहीं बताया कि श्री एटनबरो को महात्मा गांधी की फिल्म बनाने की अनुमति देने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। महात्मा गांधी के सन्देश का प्रचार करने के लिये क्या सरकार इतनी लालायित अथवा उत्सुक है? यदि यह उद्देश्य होता तो सरकार को बधाई देने वाला मैं पहला व्यक्ति होता। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो फिल्म की कथावस्तु को सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित किया जाना चाहिए था। लेकिन किसी ने कथावस्तु प्रकाशित नहीं की। श्री एटनबरो प्रेस वक्तव्य दे रहे हैं कि पंडित ने नेहरू ने कथावस्तु देखी थी और वर्तमान प्रधान मंत्री ने भी कथा-वस्तु देखी है। मैं नहीं जानता। आज पंडित जी जीवित नहीं है। इसलिए हमें पता नहीं है कि पंडित जी ने कथावस्तु देखी भी थी और अनुमोदित की थी या नहीं। मेरा विचार है कि एटनबरो

या किसी और का यह कहना ठीक नहीं होगा कि पंडित नेहरू ने कथावस्तु का अनुमोदन किया था या उसकी जांच की थी।

कथावस्तु की जांच करने में भी खतरे हैं। जैसा कि मैंने 'नाइन अवर्स टू रामा' के संबन्ध में कहा, कथावस्तु की जांच के बावजूद महात्मा गांधी का वास्तविक जीवन नहीं बल्कि उसका विकृत रूप ही प्रस्तुत किया गया और पंडित नेहरू ने फिल्म पर रोक लगा दी। आज भी वही खतरा है। श्री बसन्त साठे जैसे व्यक्ति को भ्रमित नहीं किया जा सकता है उन्हें भ्रमित होना भी नहीं चाहिये। उन्हें चाहे बाहरी व्यक्ति हों या अपने देश के व्यक्तियों के हाथों बहकावे में नहीं आना चाहिये। उन्हें किसी भी दबाव के वशीभूत नहीं होना चाहिये। उन्हें सभी तथ्यों को प्रकाशित करना चाहिए। जब राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की बैठक हुई और इस फिल्म से सम्बन्धित कुछ खतरों को माननीय मंत्री श्री बसन्त साठे के सामने रखा गया तो उनके पास यह कहते हुए एक ही उत्तर था 'सरकार ने निर्णय ले लिया है। अब कोई तर्क नहीं चलेगा। हमने निर्णय ले लिया है और फिल्म बनाई जाएगी।" यह प्रकट करता है कि सरकार इस प्रकार की समस्या पर कुछ सुनना नहीं चाहती है।

यह प्रतिष्ठा का प्रश्न है; यह भारत के लोगों के सम्मान का प्रश्न है। आप राष्ट्रपिता को इतनी सहजता से नहीं ले सकते। यदि उनके आदर्शों का गलत चित्रण हुआ तो इस देश के लोग इसे सहन नहीं करेंगे। इस पर वे शांत नहीं रहेंगे और समूचे देश में, हर गली हर मोहल्ले में, सामूहिक आन्दोलन होंगे।

वे कहते हैं कि सरकार ने कथावस्तु की जांच की है, वे कहते है कि कुछ अग्रगण्य व्यक्तियों द्वारा जो गांधी जी के सहयोगी थे, कथावस्तु की जांच हो चुकी है। हमें नहीं मालूम वे अग्रगण्य व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के जीवन की व्याख्या की और जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ काम किया। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। यदि माननीय मंत्री महोदय पूरी कथा-वस्तु सभा पटल पर रखेंगे क्योंकि यह सभा और देश इस फिल्म के बारे में सारा ब्यौरा जानने के हकदार है। चूंकि देश और संसद सब कुछ जानने के हकदार हैं, मैं मांग करता हूं कि उन्हें सभा पटल पर पूरी कथावस्तु रखनी चाहिए। लोगों को तथा संसद् सदस्यों को इसे देखने दें। प्रो० मधु दण्डवते जैसे सभा में कई गांधीवादी हैं। जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है मैं स्पष्ट करता हूं कि मैं दलगत दृष्टिकोण से यह भावात्मक नहीं उठा रहा हूं। महात्मा गांधी सम्पूर्ण मानवता के थे। आइंसटीने ने कहा था 'आने वाली पीढ़ियां बहुत कम विश्वास करेंगी कि इस व्यक्ति जैसा हाड़-मांस का पुतला इस धरती पर छुआ था।" जब आइंस्टीन जैसे व्यक्ति ने यह श्रद्धांजलि अर्पित की तो मैं समझता हूं कि इस विषय को इतनी सहजता से न लेने की सरकार की जिम्मेदारी होगी।

मैं मांग करता हूं कि सम्पूर्ण कथावस्तु, सम्पूर्ण करार का मसौदा, पूरा ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाए। मैं नहीं जानता कि तत्सबन्धी करार पर अभी तक हस्ताक्षर हुए हैं या नहीं। कभी तो अनुसमर्थन के लिए बात होती है कभी वे कहते हैं कि कोई लंदन गया हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि वे ब्यौरे क्या हैं, वे शर्तें क्या हैं और इस समझौते की प्रत्येक शर्त क्या है? वह भी सभा पटल पर रखी जानी चाहिए।

जहां तक बजट का सम्बन्ध है, वह कितनी राशि का है? हालांकि उन्होंने कहा है कि

5 करोड़ रुपये असीम दिये जा रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी भी कुछ आशंकायें हैं। 5 करोड़ रुपये तो बाहर से दिखाया जा रहा है, परन्तु इस 5 करोड़ के अलावा सरकार इसके लिये और कितनी राशि खर्च करने जा रही है। मैं जानना चाहूँगा कि कुल बजट क्या है ? यह कितने हिस्सों में हैं और इसे किस प्रकार खर्च किया जाएगा तथा प्रत्येक आय-कर दाता के प्रत्येक रुपये का किस प्रकार अपव्यय किया जाएगा।

इसके अलावा, सरकार विभिन्न प्रकार की सहायता दे रही है। पुलिस सहायता दे रही है। जहाँ कहीं भी फिल्म की 'शूटिंग' हो रही है वहां पुलिस भी होती है जैसे कि यह कोई बड़ा तमाशा या बड़ी हुकमशाही हो। मुझे किसी ने बताया था (जहां फिल्म की शूटिंग हो रही है) कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की उपस्थिति ऐसे वातावरण का निर्माण करती हैं जैसे वहाँ केवल पुलिस राज हो और कोई भी 'महात्मा गांधी की जय' जैसे नारे भी नहीं लगा सकता जैसा कि आपातकाल में हुआ था। यह कुछ बातें हैं जिनकी तरफ मैं संकेत करना चाहता हूँ। मैं श्री साठे से कहता हूँ कि वे इन दुर्भाग्य पूर्ण बातों के शिकार न बनें क्योंकि ऐसी बातों का परिणाम सदा अहितकारी होता है और यह बात उल्टे सरकार को भी हानि पहुँचा सकती है यदि सरकार सारी बातों को इतनी सहजता से लेती है। अब सरकार पुलिस पर खर्च कर रही है।

प्रेस में रिपोर्ट थी कि श्री एटनबरो ने 5000 किलो ग्राम चीनी की मांग की है। आजकल हमारी जनता को 14 या 15 रुपये प्रति किलो के भाव से भी चीनी नहीं मिल रही है परन्तु हमें उन्हें 5000 किलो ग्राम चीनी देनी ही चाहिए। ऐसा लगता है कि सरकार श्री एटनबरो के लिए अत्यन्त दयालु हो रही है उन्हें कोई भी भारतीय फिल्म निर्माता नहीं मिला। यहां सत्यजीत रे, मृणाल, सेन जैसे निर्माता भी हैं। हमारे पास अच्छी प्रतिमाये हैं और हमें पता है कि गाँधी जी भारतीय जनता के अन्तर्गंतको गहराई से प्रभावित कर सकते थे। भारतीय लोग गाँधी जी की भावनाओं को आत्मसात् कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि श्री एटनबरो या अन्य कोई विदेशी कभी ऐसा कर सकेंगे। एक बड़े गांधीवादी आचार्य कृपलानी ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई है। उन्होंने कहा मुझे सरकार के उद्देश्य पर सन्देह है।' जिन सच्चे व्यक्तियों ने महात्मा गाँधी के साथ काम किया या जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कार्य किया, किन्तु जो महात्मा गांधी के आंदोलन के स्तम्भ थे, उनका चित्रण इस फिल्म में नहीं होगा। इस फिल्म का लक्ष्य, बिना किसी सम्बद्धता तथा साम्य के इतिहास को तोड़-मरोड़ कर, उन व्यक्तियों को उभारने का है जो आजकल सरकार में हैं। इस प्रकार के सारे स्वतन्त्रता संग्राम के पूरे इतिहास, राष्ट्रपिता के इतिहास को विकृत कर देना चाहते हैं। (व्यवधान)

यदि सरकार का उद्देश्य महात्मा गाँधी के संदेश का प्रचार करना है तो पहले से ही एक फिल्म है जिसमें महात्मा गांधी के जीवन का सत्यनिष्ठ तथा प्रामाणिक चित्रण हुआ है। यह बिट्ठल झावेरी की पांच घण्टे की फिल्म है—एक सत्यनिष्ठ दस्तावेज। इसका प्रेस, जन साधारण तथा अग्रगण्य गांधी-वादियों ने स्वागत किया था। मुझे नहीं पता कि जिन अग्रगण्य गांधीवादियों ने इसकी कथा वस्तु में सहयोग दिया था, उन्होंने यह फिल्म देखी भी या नहीं। सभी ने सर्वसम्मति से उस फिल्म को स्वीकार किया था। सरकार उस फिल्म को ले सकती है और यदि यह फिल्म लम्बी है तो इसे काट-छाँट कर, सम्पादन करके तीन घण्टे की बनाया जा

सकता है और सरकार इसका प्रचार कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार महात्मा गांधी के नाम का प्रतिदिन उपयोग करती है। क्या मैं श्री साठे से पूछ सकता हूँ कि यदि उद्देश्य इतना स्पष्ट, महात्मा गांधी के संदेश का प्रचार करना है, तो महात्मा गांधी के शताब्दी वर्ष के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के कार्यों और शिक्षाओं की केवल 5000 प्रतियों का ही आदेश क्यों दिया ? यह महात्मा गांधी का शताब्दी वर्ष था और उन्होंने केवल 5000 प्रतियों का ही आदेश दिया। उस समय क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि यह उनका शताब्दी वर्ष है, महात्मा गांधी का संदेश केवल अपने देश के कोने-कोने में ही नहीं, बल्कि संसार के सभी भागों में फैलाएं और लोगों को उनका संदेश समझायें। किसी ने ठीक ही कहा है कि वह बीसवीं सदी का सबसे महान व्यक्ति है और यदि अणु बम का कोई जवाब है तो वह गांधी है। मेरा विचार है डा. लोहिया ने इसी प्रकार अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इसलिए जिस ढंग से सरकार इस काम को सम्भाल रही है उससे लगता है, सरकार के उद्देश्य वास्तव में बहुत सन्देहाजनक हैं। यह बताया गया था कि कोई भी प्रोड्यूसर आगे नहीं आया। मैं यह बात माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा। एक भारतीय प्रोड्यूसर को, जो फिल्म बनाना चाहता हूँ, हम साढ़े तीन लाख रुपये तो अग्रिम दे रहे हैं। यह एक प्रोत्साहन है जो सरकार दे रही है। इस 20 या 30 वर्ष की लम्बी अवधि में हमने भारतीय प्रोड्यूसरों को कुल 3 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम दी है। और अब एक विदेशी आया है। ऐसी कई बातें हैं जो 'प्रोब' ने अपने लेख में लिखी हैं। मैं ब्यौरों पर नहीं जाऊंगा। कोई लन्दन से आया और एटनबरो ने उसे विश्वास में ले लिया और उसने यहाँ किसी को विश्वास में ले लिया, यही शक्ति है। मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वे मेरे तर्क का सार नहीं हैं। सरकार ने कभी भी हमारे प्रतिभावान भारतीय प्रोड्यूसरों को एक करोड़ रुपया अग्रिम नहीं दिया, किन्तु यहां आप श्री एटनबरो को एक दम से 5 करोड़ रुपये दे रहे हैं। इसीलिए लोग शंकित हैं और वे सोचते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है सरकार के कुछ विभागों द्वारा अनावश्यक दबाव डाला गया इसीलिए ये बातें हो रही हैं।

इस दृष्टि से मैं श्री साठे से निवेदन करूंगा कि वह हमें बतायें कि यदि पाण्डुलिपि में महात्मा गांधी का संदेश तोड़-मरोड़ कर रखा गया तो फिर क्या होगा। आप श्री एटनबरो के साथ सह निर्माता हैं। क्या आप उसके बाद 5 करोड़ रुपये का अपव्यय करने के बाद इस फिल्म पर प्रतिबन्ध लग येगे जैसा कि जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था जब उन्होंने कहा था कि 'यह लड़खड़ाता बूढ़ा मेरा बापू नहीं है।' और 'नाइन आवर्स टु राम' फिल्म पर प्रतिबन्ध लगाया गया ? इस दृष्टि से सरकार को इस गलत प्रयास को—इसे मैं उद्यम नहीं कहूंगा, यह गलत प्रयास है - आरम्भ करने से पहले न केवल दो बार किन्तु हजार बार सोचना पड़ेगा।

इसके बाद मैं मंत्री महोदय का ध्यान समाचार पत्रों में व्यक्त विचारों तथा आचार्य कृपलानी जैसे महान व्यक्तियों द्वारा व्यक्त किये गए विचारों की ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं उन्हें पढ़ नहीं रहा हूँ। वे कई हैं और सैकड़ों में हैं। मैं समझता हूं मंत्री महोदय राष्ट्र के सम्मान के हित में उन पर विचार करेंगे। एक भारतीय नागरीक के नाते यह सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य हो जाता है कि राष्ट्रपिता का नाम ग़लत ढंग से प्रस्तुत न किया जाये। यह उनका कर्तव्य हो जाता है और चूंकि प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना हो जाता

है कि महात्मा गांधी की फिल्म की बजाय विश्व के समक्ष उनका विकृतरूप प्रस्तुत न किया जाये।

एक और भी खतरा है। अटेनबोरो महात्मा गांधी के जीवन की अधिकांश सभी घटनाओं को चित्रित करने जा रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति तब तक महात्मा गांधी की जीवनी नहीं लिख सकता है जब तक वह स्वयं भी महात्मा गांधी के सामने महान न हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब यह विचार व्यक्त किया था। तो वह शत्प्रतिशत सही थे। किन्तु मुझे मालूम हुआ है कि श्री अटेनबोरो उस समय के साम्प्रदायिक हिंसा के चित्रों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जब जिन्ना पाकिस्तान के लिए आन्दोलन चला रहे थे। इस बारे में मेरी अपनी गम्भीर आशंकाएं हैं। उन घावों को इतने वर्षों के बाद अब नहीं खोला जाना चाहिये, क्योंकि वे बहुत ही भावनात्मक और नाजुक चीजें हैं जिनके बारे में सरकार को सोचना होगा। यदि महोदय, इस फिल्म में केवल हिंसा ही दिखाई जाये अथवा यह दिखाया जाये कि एक आदमी दूसरे आदमी के सीने में तलवार भोंक रहा है और धार्मिक नारे लगा रहा है तो मैं सोचता हूं इसका बुरा असर होगा।

हम जानते हैं कि आज हमारे देश में क्या स्थिति है। कतिपय गैर-जिम्मेदार लोगों राजनीति या दूसरे लोगों के द्वारा थोड़ी उत्तेजना से ही गुंडागर्दी तथा देश में तनाव पैदा हो जाता है। मुरादाबाद, गोधरा और इन सब स्थानों को ही लीजिए. हम जानते हैं वहां क्या हुआ है। थोड़ी सी उत्तेजना से आज हमारे देश में साम्प्रदायिक दंगे हो जाते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन साम्प्रदायिक दंगों पर काबू पाने में सरकार सर्वथा असफल रही है। यह दूसरी बात है।

किन्तु, महोदय, सरकार को इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए। अन्त में, महोदय, इस देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ काम किया है। उन्होंने उनके पद चिन्हों का अनुसरण किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो महात्मा गांधी के जीवन और उनके आदर्शों के बारे में विस्तार से जानते हैं और वे अपने तरीके से उनका अनुसरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे इस बारे में बहुत भावुक हैं (व्यवधान)। डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी गांधी वादी नहीं थे किन्तु जनता पार्टी में आने के बाद वह गांधीवादी हो गये हैं। उनका राजघाट पर अभिषेक हुआ था। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वे विचारक हैं और वे सही सोचते हैं। एक विदेशी के लिए महात्मा गांधी के जीवन एवं आदर्शों को वास्तविक रूप से तथा प्रामणिक रूप से प्रदर्शित करना तथा उनकी फिल्म बनाना बिल्कुल असंभव है। अतः मेरा मंत्री महोदय से जो एक गतिशील व्यक्ति हैं, और मेरे अच्छे मित्र हैं विनम्र निवेदन है कि वह इन बातों में न बहकें। मुझे बहुत आश्चर्य है ···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने अन्य तर्कों से उन्हें जीत सकते हैं।

श्री रतनसिंह राजदा : महोदय, कहा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 32-33 वर्षों में इस समय का मंत्रिमण्डल अच्छे योग्य मंत्रियों के साथ-साथ सबसे बड़ा मंत्रिमण्डल है। कुछ अपवाद भी हैं और उनमें मैं श्री साठे और वित्त मन्त्री श्री वेंकटरामन को लेता हूं। जब मैं उन्हें इतना श्रेय दे रहा तो श्री साठे को न्याय करना चाहिए।···(व्यवधान) वित्त मंत्री अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानते हैं। यह एक अलग बात है कि आप सरकार की नीति से सहमत होते हैं या

नहीं। अन्य मंत्रियों में मंत्रियों जैसी योग्यता नहीं है। वे मजाक भी पसंद नहीं करते। पिछले दिन जब मैंने गृह मंत्री को कहा कि पुलिस कानून को अपने हाथ में ले रही है तो उनका उत्तर था कि आप शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी को पुलिस कर्मचारी के रूप में नियुक्ति होती है और जब हम कानून की पुस्तक भारतीय दंड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता उसके हाथ में देते हैं तो वह कानून अपने हाथ में लेता है। वह इस प्रकार उत्तर देते हैं। मुझे खेद है। जैसा कि मैंने कहा है, श्री साठे की क्षमता है। किन्तु मेरा उनसे निवेदन है कि वह इस पर फिर से विचार करें और इस में पड़ने से पहले इस पर हजार बार सोचें और मैं फिर से मांग करता हूँ कि पांडुलिपि, बजट और सभी विवरणों को जिसकी मैंने पहले भी मांग की थी—सभा-पटल पर रखे जाने चाहिए क्योंकि यह सभा की सम्पति होगी और इस समस्त संसद को पांडुलिपि की जांच करने का अधिकार होगा और जब इस सभा के सभी पक्षों के कई लोग जो गांधी जी के जीवन के बारे में जानते हैं इसे देख लेंगे उसके बाद ही इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। यही कारण है कि मैंने आप से कहा है कि (व्यवधान) हमें इस बारे में पक्षपात नहीं करना चाहिए। श्री देसाई यहां हैं। हम यह देखें कि हमारा यह सर्वसम्मत उद्देश्य हो (व्यवधान)। यह हमारा सर्वसम्मत उद्देश्य होना चाहिए।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : संसद में कितने गांधियन आइडियालोगी वाले हैं, जो उनको समझेंगे ?

एक माननीय सदस्य : आप लोग तो इन्दिरा गांधियन हैं।

श्री रतनसिंह राजदा : हम तो आप पर पूरा विश्वास रखते हैं। आप महात्मा गांधी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, यह हमारा विश्वास है। आप साठे साहब को मजबूर करेंगे कि वह महात्मा गांधी के साथ अन्याय न करें और प्रधान मंत्री जी को भी मजबूर करेंगे कि वह न करें।

महोदय, इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : महोदय, मैं अपने मित्र श्री राजदा को इस विषय को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं भी महसूस करता हूं कि इस प्रकार के नाजुक विषय पर हमें लोगों के दिमाग में जो भी संशय हों अथवा उनकी जो भी आशकाएं हों उन्हें दूर करना चाहिए और हम उन्हें उन सभी तथ्यों को बताएं जो हम सच्चाई से तथा खुले रूप से उन्हें बता सकते हैं। महोदय, मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ कि राष्ट्रपिता की जीवनी जैसे विषय को उपेक्षित रूप में नहीं ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इसे इस प्रकार लेने की नहीं सोच सकता है। महोदय, उनके जीवन की महानता एवं इससे, "मेरा जीवन मेरा सन्देश है" इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। जब तक महात्मा गांधी के जीवन को यथा सम्भव सत्यता से तथा वास्तविक भावना से प्रदर्शित नहीं किया जाता और गांधी जी के जीवन को समस्त विश्व तथा मानवता के लिए एक संदेश के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक उनके जीवन को एक फिल्म के रूप अथवा एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। अतः मैं सर्वप्रथम यही कहूंगा कि मेरे मित्र श्री राजदा ने जो मामले उठाये हैं हमने उन पर गहराई से विचार किया है। हमने इन सब पहलुओं पर विचार किया है। इस सारी परियोजना का एक

इतिहास है। अचानक कोई बात नहीं हुई है। श्री रिचर्ड अटेनबोरो इस बारे में काफी पहले से विचार कर रहे थे। उन्हें लगभग 20 वर्ष पहले श्री मोतीलाल कोठारी से प्रेरणा मिली थी। तब से वह इस परियोजना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। इस कार्य करने की उनकी योग्यता के अतिरिक्त वे इस विचार से पूरी तरह से सम्बन्ध थे। जहाँ तक उनकी योग्यता का सम्बन्ध है इस देश के श्री सत्यजीत राय जैसे व्यक्ति ने उनकी निदेशक निर्माता एवं अभिव्यकर्ता के रूप में उनकी योग्यता का बड़ा सम्मान किया है। उनकी कार्यनिष्ठा के अतिरिक्त, गांधी जी के बारे में वह क्या सोचते हैं ? इस बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान व्यक्ति भी उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए थे। मैं यह उचित समझता हूं कि इस विषय में उन्हें उद्धिरत करूँ। उस समय अटल जी राज्य सभा के सदस्य थे। 1963 में यह प्रश्न राज्य सभा में उठाया गया था। इसे हम उस वर्ष की 26 नवम्बर की राज्य सभा के वाद-विवाद में देख सकते हैं। मैं इससे उद्धरित करना चाहूँगा। इससे आपको मालूम हो जायेगा कि पंडितजी के इस समस्त परियोजना के बारे में क्या विचार थे, इससे "नाइन आवर्स टु राम" के बारे में जो कुछ भी गलत फहमी हो, दूर होगी। इन प्रश्नों से यह स्पष्ट हो जायेगा।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : प्रश्न किसने उठाया था ?

श्री बसंत साठे : श्री कृष्ण चन्द्र ने यह प्रश्न उठाया था यह था प्रश्न सख्या 153

मैं इसे उद्धरित कर रहा हूँ :

1. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री 29 अगस्त, 1963 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 325 के दिये गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रिटेन के फिल्म निर्माता-अभिनेता रिचर्ड अटेनबोरो द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर बनाई जाने वाली फिल्म की पाण्डुलिपि मिल गई है;

(ख) क्या सिनेगोअर्स एशोसिएशन आफ इंडया तथा इंडियन पिक्चर्स प्रोडक्ट्स एसोसिएशन ने उन्हें पत्र लिखे थे जिनमें इसकी शूटिंग की अन्तिम आज्ञा देने से पूर्व कतिपय शर्तें रखने की बात कही थी; और

(ग) यदि हाँ, तो वे शर्तें क्या थीं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) और (ग) : द सिनेगोअर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया और द इण्डियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया और द इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन ने इस सम्बन्ध में पत्र लिखे हैं। दूसरी संस्था ने केवल पर्याप्त सावधानी रखने की सलाह दी है; सिनेगोअर्स एसोसियेशन ने निम्नलिखित शर्तें सुझाई हैं :

(1) शूटिंग की पाण्डुलिपि एक समिति द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए जिनमें सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के पदाधिकारी, इण्डियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन के पदाधिकारी और सिनेगोअर्स एसोसियेशन आफ इण्डिया के प्रतिनिधि होंगे।

(2) शूटिंग पाण्डुलिपि गाँधी स्मारक निधि द्वारा भी स्वीकृत होनी चाहिए।

(3) लाभों का एक निश्चित प्रतिशत, जिस पर भारत सरकार, सम्बन्धित निर्माता और गांधी स्मारक निधि आपस में सहमत हों, हरिजन फंड को दिया जाना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र : "नाइन अवर्स टु राम" फिल्म के बारे में दुःखद अनुभव को ध्यान में रखते हुए शर्तें आरोपित करना उचित अथवा आवश्यक क्यों नहीं समझा गया ?

श्री सत्यनारायण सिंह : विधि के अधीन हम इसके लिए कोई विशिष्ट विवरण अथवा शर्तें नहीं लगा सकते। उसे करने के लिए उन्हें पूरी स्वतन्त्रता है। वे सामान्यतया हमारे पास इस कारण से आते हैं कि सरकार से कतिपय सुविधाएं चाहते हैं। जहां तक इस व्यक्ति का का सम्बन्ध है, हमने विश्वसनीय सूत्रों से पूछताछ कर ली है। उन्हें गांधी जी के प्रति अत्यधिक निष्ठा है और उन्हें उन्हीं सारी बातों में निष्ठा है जिनमें गांधी जी को थी।

श्री कृष्ण चन्द्र : पाण्डुलिपि कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

श्री सत्यनारायण सिंह : ये सज्जन अनौपचारिक रूप से कुछ दिन पूर्व यहां थे और उन्होंने पाण्डुलिपि के प्रारूप को प्रधान मंत्री द्वारा पढ़े जाने और टिप्पणी किए जाने के लिए उन्हें दे दी है।

श्री भूपेश गुप्त : महात्मा गांधी का जीवन किसी अन्य जीवन की भांति कोई प्रस्थापना नहीं है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय के महत्व को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने इस बात को सामान्य नियमों पर छोड़ देने की बजाय इस बारे में कोई विशेष नियम रखे हैं कि गांधी जी के जीवन को कब, कैसे और किस तरीके से चित्रित किया जाएगा ? यही तथ्य कि स्वतः प्रधान मंत्री उस पर विचार कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि इस विषय के बारे में कोई गम्भीर बात है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : कुछ दिन पूर्व पाण्डुलिपि की एक प्रति मुझे दी गई और श्री अटेनबोरो ने कहा कि इससे पूर्व कि वे औपचारिक पाण्डुलिपि को औपचारिक रूप से सरकार को, अर्थात् मेरे साथी के मंत्रालय को प्रस्तुत करें, वे उसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया जानना चाहते थे कि क्या वह सही ढंग पर है अथवा उसमें कोई गलती है जिसे बदला जाना होगा। मैं नहीं समझा कि जब मेरे मित्र विशेष नियम बनाने की बात कह रहे हैं तो उससे उनका आशय क्या है, जब तक कि उनके कहने का अर्थ यह न हो कि विशेष ध्यान दिया जाना होगा और ऐसा निःसंदेह किया जाना चाहिए।

श्री ए. एम. तारिक : मुझे याद आता है कि इस पत्र में जब "नाइन अवर्स टु राम" फिल्म के बारे में प्रश्न उठाया गया था तब माननीय प्रधान मंत्री ने सफाई में यह कहा कि उन्हें फिल्म की पांडुलिपि दी गई थी किन्तु जब फिल्म वास्तव में तैयार हुई तो वह पाण्डुलिपि के अनुसार नहीं थी। प्रधान मंत्री ने बाद में इसे स्वीकार किया था। अतः मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार के पास इस बात की क्या गारंटी है कि फिल्म ठीक उसी पाण्डुलिपि के अनुसार तैयार की जाएगी जो हमें दी गई है ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : मुझे इस बारे में याद नहीं आता कि मैंने ऐसी कोई सूचना इस सभा को दी थी कि मैंने वह पाण्डुलिपि देखी थी। मैंने वह पाण्डुलिपि कभी नहीं देखी है

और मैंने उसे अभी भी नहीं देखा है। मैंने इसे परदे पर देखा है जो मुझे दिखाया गया था। मुझे उसकी पाण्डुलिपि पहले कभी नहीं मिली।

श्री ए. डी. मणि : गांधी जी के जीवन के बारे में विदेशों को जो दिलचस्पी है उसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार गांधी जी के जीवन सम्बन्धी एक फिल्म स्वत: निर्माण करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : वह विचार कर सकती है किन्तु मुझे खेद है कि सरकारी विभाग के लिए सह काम इतना कठिन है कि वह उसे हाथ में नहीं ले सकता।

श्री भूपेश गुप्त : गांधी जी के कारण ही हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि सरकार अनुभव करती है कि महात्मा गांधी के जीवन की फिल्म तैयार और सारे विश्व में परिचालित की जानी चाहिए तो सरकार को ऐसी फिल्म तैयार की जाने के लिए विशेष व्यवस्था करने में इतनी कठिनाई क्यों होनी चाहिए ? क्या यह उपक्रम सारे देश की दृष्टि से उपयोगी नहीं होगा कि राष्ट्र का पूरा ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित हो और हम जो कुछ सर्वोत्तम निर्माण कर सकते हैं वह निर्माण किया जाए ?

सभापति महोदय : मेरे विचार में इसका उत्तर प्रधान मंत्री द्वारा इससे पूर्व दिये गए उत्तर में पहले ही मौजूद है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : केवल इसी कारण कि सरकार इसे करने की स्थिति में नहीं है। उनके पास यह कार्य करने के लिए सक्षम व्यक्ति नहीं है। अन्तत: सरकार यही कर सकती है कि वह किसी ऐ व्यक्ति को इस काम में लगाया जो इसे करने के सक्षम हो। सरकार तो केवल यही कर सकती है। इस बारे में श्री एटनबरो लगभग एक वर्ष पहले आए थे और उनकी बातों से काफी उत्साह झलक रहा था। यदि मैं यह कहूँ कि वे दिमागी तौर से इस कार्य को करने के लिए तैयार थे तो ठीक होगा। हमने उस समय उनसे केवल इतना कहा कि वे हमें पहले इसकी कथावस्तु दे दें बाद में अन्य बातें विचारार्थ प्रस्तुत करें। वे हमें इस काम के लिए एक सक्षम व्यक्ति लगे। उस समय हम केवल इतना ही कर सके।"

महोदय, 1963 में ये शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस फिल्म के बारे में इस फिल्म सम्बन्धी प्रस्ताव तथा रिचर्ड एटनबरो नामक इस व्यक्ति तथा उसकी नेकनीयत के बारे में कहे गए थे। तत्पश्चात्, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सबसे अधिक आवश्यक बात थी कथावस्तु प्राप्त करना और उसे देखना। यह कथावस्तु उन लोगों द्वारा देखी जानी जरूरी थी जो गांधी जी को जानते थे, जो गांधी जी को समझते थे।

महोदय, मैंने जैसा कि पहले कहा है श्री रिचर्ड एटनबरो पहले व्यक्ति हैं जो काफी लम्बे से इस कार्य के पीछे पड़े हुए हैं। वे इसे गम्भीरता से ले रहे थे। उन्होंने केवल गांधी जी पर पुस्तक या उनकी आत्मकथा पढ़ने के बाद ही नहीं कह दिया कि "ठीक है, मैं इस पर फिल्म बनाऊंगा।" नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होने कथावस्तु तैयार करने का निश्चय किया। उन्होंने कथावस्तु जवाहरलाल नेहरू को दिखाई। इसके बाद भी उन्होने लोगों से कथावस्तु बनाते रहने के लिए कहा ताकि वह अधिकाधिक सच्ची हो सके। वे स्वयं इस काम के प्रति समर्पित थे। कोई भी व्यक्ति किसी परियोजना विशेष पर इतना समय नहीं लगाएगा। यह श्रेय एटनबरो को जाता है।

महोदय, इस कथावस्तु के बारे में जिस सर्वप्रथम व्यक्ति से परामर्श किया गया वह उन विशिष्ट व्यक्तियों में से एक थी जो गांधी जी के बारे में जानते हैं, जिसने सारा जीवन गांधी जी के साथ कार्य किया था। ये थीं मीरा बहन, जो पहले कु० मैडले स्लीव थी, जो यहां आकर गांधी जी के सहयोगी की शिष्या बन गई। जी हां, यही प्रथम महिला थी जिससे श्री रिचर्ड एटनबरो ने परामर्श किया। कथावस्तु तैयार हो जाने के बाद वे यहां आए और यहां आकर उन्होंने जिन व्यक्तियों से परामर्श किया वे थे प्रो. स्वामीनाथन, जो महात्मा गांधी के जीवन पर लिखी पुस्तकों का सम्पादन करते रहे हैं, उदाहरणार्थ प्रकाश प्रभाग का 19वां खण्ड सम्पूर्ण वाङ्मय। इसके बाद श्री बी. आर. नन्दा से परामर्श किया गया जो प्रसिद्ध जीवनी लेखक और गांधीवादी विद्वान् है और भारत में हम जिन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं अर्थात् गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के श्री राधाकृष्णन से भी उन्होंने परामर्श किया।

एक माननीय सदस्य : आचार्य कृपलानी से ?

श्री बसन्त साठे : धैर्य रखिये। मैं स्वयं को महात्मा गांधी पर बोलने के योग्य ही नहीं समझता। मैं स्वयं को इतना दीन समझता हूँ। विश्व में जीसस क्राइस्ट या भगवान बुद्ध या महात्मा गांधी पर लिखी कथा वस्तु पर उस देश में कभी भी सभी की सहमति नहीं हो सकती। यह ऐसा मामला नहीं है जिसे आप मतदान के लिए इस सभा में या कहीं और रख सकें। आपको इसकी भावना से ग्रहण करना है। मैं कथा वस्तु के आरम्भ के कुछ वाक्यों को उद्धृत करता हूँ। यह किस प्रकार आरम्भ होता है, कथावस्तु के लेखक के दिमाग में मुख्य विषय क्या है? वह सब इन शब्दों से स्पष्ट हो जाएगा। यह पृष्ठ। पर इस प्रकार आरम्भ होती है 'यह कैमरा एक भारतीय शहर की ओर घूमता है। हम बहुत ऊंचे और दूर खड़े हैं, परन्तु यह कोई बहुत बड़ा दृश्यपटल नहीं है. पर्दा छोटा है, रंग मूक।' आप (उपाध्यक्ष) फिल्मी दुनियां से सम्बन्ध रखते हैं, आप इसके बारे में कुछ जानते भी हैं, आप इसकी सराहना करेंगे इसमें आगे आता है 'पर्दे पर निम्नलिखित शब्द उतरते हैं :

> गांधी जैसे महान व्यक्ति की जीवन गाथा एक ही बैठक में नहीं कही जा सकती। इस व्यक्ति और उस महत्वपूर्ण क्षण को प्रत्येक वर्ष एक निर्धारित समय पर स्मरण कर लेना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में केवल सच्ची भावना से निष्ठावान हुआ जा सकता है और इस व्यक्ति के हृदय तक पहुँचने का प्रयत्न किया जा सकता है।...''

यह फिल्म इस प्रकार आरम्भ होती है मैं शव यात्रा के दृश्य को उद्धृत करता हूँ। दृश्य के अनुसार सम्पूर्ण विश्व के कमेंटेटर इस समारोह का विवरण दे रहे हैं, हम एक कमेंटेटर अर्थात अपने काल के माने हुए प्रसारण कर्त्ता अमेरीका के एटवर्ड आर. मुरो पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं। वह एक कामचलाऊ मंच पर खड़ा है, हाथ में माइक्रोफोन है और समारोह का विवरण दे रहा है। तकनीशियन और स्टाफ शांति से उसके पीछे चला जाता है।' और वह कहता है :

> *"जिस व्यक्ति को यह जनसमूह श्रद्धांजलि दे रहा है, वह एक निजी व्यक्ति के रूप में जीया और मरा। उसके पास धन-सम्पत्ति नहीं थी, उसके पास कोई सरकारी पदवी या पद नहीं था।"*

"महात्मा गांधी किसी महान सेना का सेनापति नहीं था। वह विशाल साम्राज्य का अधिपति भी नहीं था। कहने को उसके पास कोई वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, न ही उसमें कोई कलात्मक गुण था।

फिर भी सम्पूर्ण विश्व के व्यक्ति, सरकारें और हस्तियां लंगोटी वाले इस छोटे भारतीय को, जिसने अपने देश को स्वतन्त्रता दिलाई, श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुई हैं।

आवाज फिर उभरती है, और कहती है :

"यह वह व्यक्ति था जिसने नम्रता और साधारण सत्य को साम्राज्यों से अधिक शक्तिशाली बना दिया।" अल्बर्ट आइंसटीन ने भी कहा है, "आने वाली पीढ़ियाँ बड़ी कठिनाई से विश्वास करेगी कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति हाड़-मांस में इस धरती पर हुआ था।"

परन्तु इस शन्तिदूत, इस योद्धा के लिए, जो बिना किसी दुर्भावना झूठ या घृणा से लड़ा, सबसे अधिक उपयुक्त श्रद्धांजलि जनरल डगलस मैकआर्थर ने दी है। उनके शब्दों में :

जनरल ने आगे कहा :

"यदि हमारी सभ्यता को जीवित रहना है तो सभी व्यक्तियों को गांधी जी के इस विश्वास को मानना होगा कि युद्ध की समाप्ति के लिए शक्ति का इस्तेमाल न केवल अनुचित है अपितु इसमें हमारे अपने विनाश का बीज छुपा है।"

शायद हम शेष लोगों के लिए इस दुःखद घटना पर सर्वाधिक सन्तोषजनक टिप्पणी न्यूयार्क के अक्खड़ प्रधान मंत्री की है जो उन्होंने आज की है :

"इस विश्व से, जो महात्मा गाँधी जी की मृत्यु पर इतनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है, अब भी कुछ आशा की जा सकती है।"

आप भावना देखिए। अतः यह कहना कि चूंकि श्री एटनबरो विदेशी हैं इसलिए वे गांधी जी को नहीं समझ सकेंगे, उनके प्रति अन्याय है और यह उनके प्रति अनुचित भी है। उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में कहा है :—

"गांधी जी किसी देश या किन्ही लोगों की सम्पत्ति नहीं है। गांधी जी पर सम्पूर्ण विश्व का अधिकार हैं, वे सम्पूर्ण मानवता के हैं।"

अब श्री राजदा को प्रसन्न होना चाहिए। यह गांधी जी को यह श्रद्धाजलि भारत के लिए सम्मान ही है। कि ब्रिटेन का एक व्यक्ति गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है। और उनके सन्देश को सम्पूर्ण विश्व तक पहुँचाना चाहता है। अतः हमें उन्हें एक विदेशी या किसी अन्य रूप में नहीं देखना चाहिऐ। मैं आप लोगों से पूर्णतया सहमत हूं कि कथावस्तु उसमें निहित भावना निश्चय ही महत्वपूर्ण है। मैंने पांडुलिपि को उद्धृत किया है, आप उसकी सराहना करेंगे। गांधी जी पर जिस भावना से फिल्म बन रही है। जिस ढंग से वह फिल्म बनाने का प्रयत्न कर रहा है उससे मैं यही कहूंगा कि गांधी जी के जीवन पर विश्व के लिए इससे अधिक अच्छा सन्देश नहीं हो सकता।

अब यदि इस पर सहमति हो जाती है तो प्रश्न उठता है सरकार को क्या करना चाहिए ? हम इस परियोजना की ओर आकृष्ट क्यों हुए ? मुख्य कारण यह था कि यदि इस प्रकार की फिल्म को विश्व भर में व्यवहारिक कोण से दिखाया जाता है तो आप जैसा कि जानते हैं कि बम्बई से आने वाली फिल्म के मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपके पास वितरण का

ठेका या अधिकार है। भारत में बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं। वहाँ बहुत अच्छे निर्देशक और अभिनेता हैं। परन्तु इनमें से कितनी फिल्मों को विश्व के सिनेमा घरों में दिखाया जाता है? इन्हें वितरक स्वीकार नहीं करते। जब तक प्रदर्शन पर जिनका अधिकार है, वे वितरक इस फिल्म को स्वीकार नहीं करते। तब तक उसे प्रदर्शित नहीं किया जाता। पहले भाग को छोड़कर जो कि एटन घरों की नियत और कथावस्तु के बारे में था और जिन दोनों को स्वीकृति दे दी गई है। तब दूसरा और महत्वपूर्ण भाग था। प्रश्न जो व्यवसायिक है, आर्थिक पहलू है, वह यह है विश्व भर में इस फिल्म को किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकेगा? यदि इस विश्व में प्रदर्शित नहीं किया जाता है तो फिल्म बनाने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि इसकी भारत से कोई संगति नहीं है क्योंकि गांधी जी हमारे बहुत करीब हैं और हम लोग उन्हें भली-भांति जानते हैं। भारत के लिए गांधी फिल्म का का कोई विशेष आकर्षक नहीं है। अतः इस फिल्म की ओर किसी समय की अपेक्षा आज के बारे में आकर्षण और संगति अधिक है। अतः हमने इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया और जब हमें पता चला कि इस फिल्म निर्माण में आई. एफ. आई. जी. एफ. आई. वितरण कम्पनी भी संबद्ध है। यह कम्पनी ब्रिटेन और अमेरीकन सहयोग से चल रही है। इस फिल्म का वितरण अधिकार आई एफ. आई. जी. एफ. आई. के पास है। कुल धनराशि का दो तिहाई यह कम्पनी दे रही है। इस सारी परियोजना के दौरान हमें बताया गया कि इस फिल्म की कुल लागत 210 लाख डालर होगी और जिसमें से 140 से 150 लाख डालर इस कम्पनी द्वारा निवेश किए जाएंगे। यह इस बात कि गारंटी है कि उनका भी इसमें उपयुक्त अंशदान है। उनका भी इस बात में हित है कि डालरों के रूप में लगी उनकी धन राशि वसूल हो जाए। उनकी वसूली कहाँ से होगी? श्री राजदा जैसा कि जानते हैं एक निर्माता फिल्म के निर्माण से पूर्व वितरक से संपर्क करता है और वितरण अधिकार सुनिश्चित कर लेता है ताकि वह जो कुछ निवेश करता है उसकी वह वसूली कर सके। अतः जब हमें यह दिखाया गया और निवेश का आश्वासन दिया गया, तभी यह प्रश्न उठा कि क्या हमें निवेश करना चाहिए अथवा नहीं?

श्री रतन सिंह राजदा : 140 लाख डालरों में से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है।

श्री बसन्त साठे : समूची धनराशि की गारंटी है। सारी धनराशि अभी व्यय नहीं की जायेगी।

तब यह प्रश्न उठा : हमारी इसमें क्या रूचि है? आपने यह कथन तो ठीक ही है कि यदि स्क्रिप्ट सही होने पर भी फिल्म के उत्पादन में कुछ गलत हो जाता—उसके चित्रण में कुछ विकृति आ जाती है तो क्या हमारी आवाज सुनी जायेगी? अतः हमारे विचार सुनें जाने चाहिये, अतः हमने यह प्रस्ताव किया है कि इस फिल्म को दोनों देशों के सहयोग से बनाया जाये। यह 'नाइन आवर टू रामा' के समान नहीं होगी। हमने इस बारे में साहस किया था।

वाणिज्यिक पक्ष के सम्बन्ध में निर्माण और वितरण में अपना महत्व बनाये रखने के लिये हमने क्या किया है? हम सह-निर्माता हैं। सह-निर्माता होने के नाते भारत और समीप के क्षेत्रों का प्रतिलिपि अधिकार हमारे पास है इसके अतिरिक्त समूचे विश्व का सामान्य प्रतिलिपि अधिकार भी हमारा है। दूसरे, जहाँ तक वितरण का सम्बन्ध है, समझौते में यह व्यवस्था है कि

भारतीय हिस्सेदार अर्थात् राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को भारत के लिये तथा अफगानिस्तान तक के समीप के क्षेत्रों में तथा दक्षिण-पूर्व में मलेशिया और इंडोनेशिया तथा सभी समाजवादी देशों में वितरण का अधिकार होगा। इस प्रकार हम वह क्षेत्र सुनिश्चित कर रहे हैं जहाँ पर भारत सरकार का अन्य सरकारों के साथ व्यापार रुपये मुद्रा में होता है और जहाँ पर हम उस फिल्म का वितरण कर सकते हैं। और अच्छे निवेश का प्रयास कर सकते हैं। किन्तु यही काफी नहीं है। विचार यह है कि दोनों संविदा सहयोगियों द्वारा निवेश किया गया धन समेकित किया जायेगा और जब तक दोनों हिस्सेदारों को अपने निवेश की वापसी नहीं होती कोई भी लाभ नहीं लेगा। अतः पहली शर्त यह है कि निवेश किया गया धन पहले पूरा वापस आ जाये। उदाहरण के तौर पर कल्पना करे यदि हम आधे से अधिक निवेश प्राप्त नहीं करते तो क्या होगा? जब तक उसका दूसरा आधा भाग डालरों में नहीं प्राप्त होगा तब तक किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब यह प्राप्ति पूर्ण हो जायेगी तब लाभों में से हमें उसी अनुपात से मिलेगा जितना हमने धन निवेश किया होगा। यह शर्त बहुत ही उचित है। अतः इन सब बातों पर ध्यान दिया गया है।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से पहले परामर्श क्यों नहीं किया गया? यह बात पूछने के पीछे भावना सही है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के बोर्ड की स्थापना सितम्बर में की गई थी। यह निर्णय मंत्रिमंडल में 28 अगस्त को लिया गया था। अतः हमने निजी तौर पर देश के उन उच्च-कोटि के फिल्म-निर्माताओं से विचार-विमर्श किया जो इस कार्य से परिचित थे और जो भूतपूर्व फिल्म वित्त निगम से सम्बद्ध थे। अतः हमने इन सब बातों का ध्यान रखा है। ज्योंहि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम बोर्ड का गठन किया गया, उसकी पहली बैठक में ही उनके सामने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जैसा कि आपने उल्लेख किया है, मैं इमानदारी के साथ यह बता रहा हूँ कि उनमें से कुछ फिल्म-निर्माताओं ने अपनी अशकाएं व्यक्त की, किन्तु जब उन्हें मामले के बारे में पूरी बातें समझाई गई तो वह सहमत हो गये कि यह अच्छा सौदा है; इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।'

मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सौभाग्य से यह संयोग की ही बात है कि जब आज आपने यह प्रश्न पूछा है—बम्बई में बोर्ड की बैठक हो रही है और मुझे यह सूचना मिली है कि समूचे बोर्ड ने इस समझौते को स्वीकृति दे दी है जिसकी शर्तें मैंने अभी आपको बताई हैं।

मैं यह निवेदन करता हूं कि हम इस समझौते के पीछे की भावना को समझें। जैसा कि मैंने कहा है कि गाँधी जी मेरी अथवा आपकी सम्पत्ति नहीं है। वह समूचे विश्व के हैं। और एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें उनके प्रति अत्यधिक निष्ठा है। इस बारे में उसके कटु आलोचक भी इस बात को स्वीकार करते हैं। अतः हमें गलतफहमी पैदा नहीं करनी चाहिये, हमें अंशकायें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए।

यह कहा गया है कि शायद इस फिल्म के माध्यम से हम इस समय सत्तारूढ़ व्यक्तियों को ऊंचा उठाना चाहते हैं। यदि आपके दिमाग में यही बात है तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस समूची फिल्म में श्रीमती इन्दिरा गांधी को कहीं भी एक बार भी नहीं दिखाया गया है। अतः आप इस प्रकार के आरोप क्यों लगाते हैं? हाँ, पंडित जवाहर लाल नेहरू उसमें हैं। सरदार बल्लभ भाई पटेल भी हैं।

श्री रतन सिंह राजदा : उन्हें उसमें होना चाहिये।

श्री वसंत साठे : अतः यदि आप यह कहें कि यह व्यक्ति भी उसमें नहीं होने चाहिये, तब तो यह दूसरी बात है। किन्तु यदि आपके दिमाग में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम उनमें होने चाहिये तो यह फिल्म महात्मा गांधी के बारे में हैं और उन व्यक्तियों के बारे में नहीं है जिनका नाम आप फिल्म में शामिल करना चाहते हैं।

श्री रतन सिंह राजदा : मन्त्री महोदय मेरी बात का उल्लेख विकृत रूप में कर रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : श्री किन्तु आपने उद्देश्य के बारे में आरोप लगाया है। यदि यह आरोप लगाया गया है कि हम इस फिल्म के माध्यम से वर्तमान सरकार के लोगों को उठाना चाहते हैं तो यह आरोप अत्यधिक अनुचित है।

श्री रतन सिंह राजदा : मैं तो केवल उस आशंका को अभिव्यक्त कर रहा था जो आचार्य कृपलानी ने सार्वजनिक रूप से कही है।

श्री वसन्त साठे : आचार्य कृपलानी भी गलत हो सकते हैं। उन्हें पूरी सूचना न मिली हो, ऐसा सम्भव है। आज मैंने सभी तथ्यों के बारे में यहां पर स्पष्टीकरण दे दिया है, तो अगर आप जैसे व्यक्ति माननीय आचार्य कृपलानी जी जाकर स्पष्ट करें तो जो सन्देह उनके मन में है दूर हो जायेंगे और मुझे विश्वास है उन्हें कोई आशंका नहीं रहेगी।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : जिस दृश्य लेख को आपने पढ़कर सुनाया है वह सुन्दर है। अनेक उद्धरण दिए गये हैं, परन्तु वास्तव में निग्रो नेता का उद्धरण सर्वोत्तम है जिसमें यह कहा गया है कि गांधी जी ने अपने बन्दीकर्ता की जेल के सीखचों को शहीदन के चमकदार आभूषणों में परिवर्तित कर दिया। इसमें बढ़कर तो सहारना हो ही नहीं सकती।

श्री वसन्त साठे : यदि वे इसे भूल गये हैं तो इसके साथ और अन्य बातों को काम में लाया जा सकता है। यदि इस चलचित्र के बनाने के बारे में कुछ सुझाव है, यदि कोई बात आपको इसमें सही नहीं लगती है या और कोई बात छूट गई है तो उसको सुधारने की सदा गुंजाइश है। यहां एक ऐसा आदमी है जो खुले दिमाग का है, क्योंकि वह गांधी जी को उनकी सच्ची भावना से चित्रित करना चाहता है। अतः आपको किसी कारण से कोई शंका नहीं होनी चाहिये।

जहां तक पुलिस संरक्षण का सम्बन्ध है, साधारण चलचित्रों तक के लिए पुलिस संरक्षण दिया जाता है। लोगों की उत्सुकता के अतिरिक्त दुर्भाग्य से इस देश में हर बात को विरोध का मामला बना दिया जाता है। यद्यपि मेरे मित्र राजदा का यह मन्तव्य नहीं था, फिर भी ऐसा संकेत दिया गया है कि भारी आन्दोलन छेड़ा जायेगा, आन्दोलन करने, आदि की धमकी दी जायेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि गांधी जी के वास्ते गांधी जी को इसमें मत घसीटो। यदि आप ठीक समझते हैं तो आप कार रैली पर पथराव कर सकते हैं जो कि बहुत बुरी बात है। किसी भी सभ्य आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कोई प्रस्तर युग के आदमी नहीं हैं जो ऐसा करें, परन्तु यदि आप ऐसा करते हैं तो कोई भी इसका मतलब समझ सकता है।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : हमने तो ऐसा नहीं किया।

श्री वसन्त साठे : आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। परन्तु भगवान के वास्ते इस चलचित्र के निर्माताओं के सामने प्रदर्शन न करें और किसी को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करके अपना

ओछापन प्रकट करने का प्रयत्न न करें। यह भारतीय चरित्र और भारतीय लोकाचार के विरुद्ध है।

जहां तक चीनी की बात है उस पर से नियन्त्रण हटा लिया गया है, फिर आप उस मामले को दोबारा क्यों उठा रहे हैं ? कोई भी आदमी दस हजार किलोग्राम की मांग नहीं करता। जितनी चीनी उन्हें चाहिए मिल सकती है। बात का बतंगड़ मत बनाइये। परमात्मा के वास्ते ऐसा मत कीजिए।

इन टिप्पणियों के साथ मैं सोचता हूं कि मैंने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है।

श्री रतन सिंह राजदा। मुझे एक और स्पष्टीकरण चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : राजदा जी, नियमानुसार तो मन्त्री जी से आपको पहले ही स्पष्टीकरण मिल चुका है और भी चार आदमी बोलने वाले हैं। अब आप किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की मांग नहीं कर सकते। यदि आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो आप उनके कमरे में जा कर ले लें। अब नियमानुसार अनुमति नहीं मिल सकती। अब श्री वृद्धि चन्द्र जैन बोलेंगे।

श्री रतन सिंह राजदा : चलचित्र तैयार हो जाने के बाद आप क्या करने वाले हैं यदि यह देखने में आए···

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यह नियमों के विरुद्ध है। (व्यवधान)*

श्री वसन्त सठे : मैंने आपको बताया है कि हम सह-निर्माता हैं। हम हर चरण पर इस फिल्म को देखेंगे, इसी प्रकार इसके अन्तिम रूप में बन कर तैयार हो जाने के बाद भी देखेंगे आप ऐसा अनुमान क्यों लगाते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वातावरण बहुत ही अच्छा है। आप किसी बात को मत उठाइये। (व्यवधान) श्री जैन, आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते है मैं भाषण की अनुमति नहीं दूंगा, आप केवल एक प्रश्न ही पूछ सकते हैं (व्यवधान) सबको नियमानुसार चलना चाहिए और यदि आप नियमों का पालन नहीं करते तो सदन की कार्यवाही नहीं चला सकते। मुझे नियम पढ़ाना आप का काम नहीं है। आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं इस विषय पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी (वाराणसी): यह तो केवल आधे घण्टे की चर्चा है। परन्तु एक घण्टा पन्द्रह मिनट तो पहले ही लग चुके हैं। आप इसके लिए कितना समय देना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान)

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : (बाड़मेर) मैं केवल दो तीन मिनट का समय ही लूंगा उससे अधिक नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न के रूप में होना चाहिए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राष्ट्रीय नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने अभी जो जवाब दिया है, उससे मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ और मेरी गलतफहमियां भी दूर हो गई हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होने स्क्रिप्ट के बारे में

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कनसल्टेशन किया है। आचार्य विनोबा भावे भी महात्मा गांधी के बहुत ही नजदीक थे। अगर स्क्रिप्ट के बारे में उन्हें भी कनसल्ट किया जाये और उनकी भी राय ली जाये, तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मंत्री महोदय एग्रीमेंट्र की कापी सदन में प्रस्तुत कर दें, तो जो भी मिस-अंडरस्टैंडिंग्ज हैं, वे दूर हो जायेंगी। मैं चाहता हूँ कि एग्रीमेंट की कापी के साथ ही अगर स्क्रिप्ट की कापी भी प्रस्तुत की जा सकती है, तो मंत्री महोदय उसे भी प्रस्तुत कर दें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : कोई भी व्यक्ति, जो गांधी जी और उनके मूल्यों तथा आदर्श को समझता है, भलिभांति उन पर चलचित्र बना सकता है। यदि उसका चलचित्र बनाने का विचार हो। यह विश्वास करने के कई कारण हैं कि श्री अटेनबरो इस काम को कर सकते हैं, जैसा कि मंत्री महोदय ने भलिभाँति स्पष्ट किया है। लेकिन मुद्दा तो यह है कि सरकार इसके लिए 5 करोड़ रुपये खर्च कर रही हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस देश के पांच करोड़ लोग भाषा समस्या के कारण इस फिल्म को समझ सकेंगे या नहीं ? क्या यह बात उस समय भी सोची गई थी जब आपने यह काम श्री अटेनबरी को सौंपने का निर्णय लिया था ?

मैं यह भी जानना चाहता हूँ क्या सरकार को भारतीय फिल्म निर्माताओं की ओर से गांधी जी के जीवन पर हिन्द-ब्रिटेन फिल्म के निर्माण में भाग लेने के इस निर्णय के विरुद्ध विरोध पत्र प्राप्त हुए हैं, और यदि हां तो उन विरोध पत्र के प्रमुख मुद्दे क्या हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, महात्मा गांधी को मैं सबसे बड़ा साम्राज्यवाद विरोधी मानता था और दूसरे उन्होंने देश भर में देश भक्ति की उत्कट भावना पैदा की। इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि इन दो बातों का निर्वाह किसी भी फिल्म में जरूर किया जाए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह जो दो आस्पेक्ट हैं उनकी लाइफ के, उसके बारे में फिल्म में कोई चर्चा, यथेष्ट चर्चा है या नहीं ?

ठीक ही कहा गया है कि गांधी जी के साथ काम करने वाले, उनके दर्शन में विश्वास करने वाले भले ही बाद में दूसरे रास्ते पर चले गए हों, जैसे कि आचार्य विनोबा भावे हैं, आचार्य कृपालानी हैं, डा. राजेन्द्र प्रसाद जी थे, मौलाना आजाद थे और डा. पट्टाभि सीतारमैया थे—यह सारे लोग उनके सहयोगी थे। प्यारेलाल जी तो उनके सहयोगी थे ही। तो इन लोगों से कोई राय, विचार-विमर्श इस वृत्त चित्र के निर्माण के सिलसिले में किया गया है या नहीं। पं० जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र किया गया···

उपाध्यक्ष महोदय : जिनका आपने जिक्र किया है उनमें से एक भी व्यक्ति जीवित नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उस समय तो वे जीवित थे जब पहले वाली फिल्म बनाई जा रही थी और उन्होंने पंडित नेहरू जी के नाम का उल्लेख किया है।

प्रो. मधु दण्डवते (रजापुर) : आचार्य कृपलानी और प्यारेलाल जी तो जीवित है।

श्री रामावतार शास्त्री : यह फिल्म बनाने का काम बहुत दिनों से चल रहा है।

इसके अतिरिक्त फोरम फार वेटर फिल्म्स, जो संस्था है, उसके जो बड़े-बड़े निर्माता हैं उन लोगों से इसके बारे में कोई राय ली गई ? अगर ली गई तो क्या उनकी राय आपको मिली ? इसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं समय की कमी की वजह से नाम नहीं पढ़ रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप गांधीवादी हैं या मार्क्सवादी ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं तो मार्क्सवादी हूं। गांधीवादी नहीं हूं।

लेकिन हमने उनके साथ काम किया है, उनको हम सबसे बड़ा साम्राज्यवाद विरोधी और देशभक्ति की उत्कट भावना वाला मानते थे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मार्क्सवादी हैं, गांधीवादी नहीं। फिर भी आप गांधी जी पर फिल्म बने इसमें रूचि रखते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या यह बात सच है कि इस फिल्म को अंतिम रूप देने के सिलसिले में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरागांधी का भी इंटरव्यू लिया जाने वाला है ? यह चर्चा चल रही है कि उनका इंटरव्यू लिया जाएगा ताकि गांधी जी के साथ-साथ इनका सारी दुनिया में प्रचार हो जाए।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : उनके प्रचार की कोई कमी नहीं है। वे बगैर प्रचार के जन-जन के दिल में समाई हुई हैं। उनके लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या इस फिल्म के बारे में श्रीमती इन्दिरा गांधी से साक्षात्कार करने की कोई सम्भावना है।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हम लोगों ने गांधी जी को नहीं देखा है और इसी लिए गांधी जी की आवश्यकता हम लोगों को अधिक है। मैं कहता हूँ कि जब पहली बार हमने बचपन में रामलीला देखी थी तो हम इसी उद्देश्य से देखने गये थे कि जैसी रामलीला में फोटो होगी वैसे ही भगवान होंगे। इसलिए महात्मा गांधी की जब चर्चा करते हैं तो हमें इतने हल्के-फुल्के ढंग से इस चीज को नहीं लेना चाहिये। यह बात सही है कि सरकार जो चाहेगी, मनवा लेगी और हम लोग चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, विरोध करना चाहेंगे तब भी इस 20 साल की दिमाग की उपज को एक दिन में तोड़ा नहीं जा सकता है। साठे जी के जमाने में यह मामला हो रहा है, इसीलिए उसके साथ नेक-नामी और बदनामी, दोनों के हकदार साठे जी होंगे। इसलिए हम लोगों की और साठे जी की यह ड्यूटी है कि दोनों पक्ष के लोग अपनी-अपनी जिम्मेदारियो को समझकर मामले को उठाएँ। जहां तक हमने सुना है कि विदेशों के आदमी भी महात्मा गांधी के मामले में उनके भक्त हो सकते हैं। हम लोग अरविंदो आश्रम गये थे, वहां हमने माताजी को देखा था, माताजी विदेश की ही थीं। लेकिन जब आप इस फिल्म को प्रोड्यूस कीजिएगा, चेहरे और बोलचाल को प्रोड्यूज कीजिएगा, एक्शन को प्रोड्यूज कीजिएगा, हम लोग अंग्रेजी जानते हैं और अच्छी अंग्रेजी बोल भी सकते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ उनके हाव-भाव, उनके बोलने का तरीका इंप्रेसिव होगा या नहीं, इस सारी चीज को देखने की जरूरत है।

साठे जी सबसे बड़ी गल्ती तो शुरू में ही हो गई है। अब उस गल्ती को सुधार सकते हैं। आपने कहा है कि आपने 20-30 साल में उनको तीन करोड़ रुपया दिया और···

श्री बसन्त साठे : अभी तो कुछ नहीं दिया।

श्री राम विलास पासवान : इसको आप देंगे, लेकिन इतना फायनेंस जो भारत सरकार कर रही है, यदि भारत सरकार अपने देश के किसी प्रोड्यूसर को प्रोत्साहित करती तो ऐसी बात नहीं थी कि कोई प्रोड्यूसर नहीं मिलता। हमारे पास बहुत से लोग राजेन्द्र बाबू की फिल्म के लिए आते हैं। बिहार के काफी लोग आते हैं। शिवेन्द्र सिन्हा ने भी कहा कि हम लोगों को बना दीजिए। मैं सरकार से इतना ही आग्रह करूंगा कि आपने सब लोगों का नाम लिया अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, उनका भी नाम लिया और भी कई लोग हैं, जो कहते हैं कि गांधियन हैं— गांधियन हैं तो मैंने हसते हुये कहा कि आप इंदिरा गांधियन हो सकते हैं, इस ओर साठे जी को ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं आपसे बस इतना ही कहता हूं कि महात्मा गांधी जी की जो मूल आत्मा है वह हमेशा चित्रित होती रहे। यह आपको और हम सबको देखना है। आप इसको पब्लिक प्रापर्टी न बनाइये। आप इसको सभा के पटल पर मत रखिए, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर इस सम्बन्ध में देखना चाहिए। एक्टर के सम्बन्ध में कहा गया तो साठे जी हमको जानकारी मिली है कि जिस प्रोड्यूसर को आपने अपनी फिल्म को बनाने के लिए दिया है उन्होंने आज तक एक फिल्म बनाई है और वह फिल्म भी फ्लाप हो गई है। वे फोटोग्राफर हैं। आर्टिस्ट जो हैं, वे उतरें और महात्मा गांधी जी का नाम देश विदेश में जाए। महात्मा गांधी विदेशों की भी प्रोपर्टी हैं और महात्मा गांधी पर विदेशियों का भी अधिकार है लेकिन मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में महात्मा गांधी जी का सही रूप किस ढंग से चित्रित किया जाएगा, इसका वे जवाब दें और जैसा मैंने पहले कहा है उनका जो रूप हो, वह सही रूप से चित्रित किया जाए, इस बात को मंत्री जी देखें।

श्री वसन्त साठे : वास्तव में यहां उठाये गये अधिकांश प्रश्नों का उत्तर मैं विस्तार में दिये गये अपने उत्तर में दे चुका हूं। परन्तु मैं अपने मित्र श्री राम विलास पासवान और श्री रामावतार शास्त्री से पूर्णतः सहमत हूँ कि पर्याप्त सावधानी···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर भी तो हैं।

श्री वसन्त साठे :·····और श्री हरिकेश बहादुर, श्री रामावतार शास्त्री इसलिए हैं क्योंकि वे महात्मा गांधी के साथ काम कर चुके हैं, और श्री हरिकेश बहादुर तथा श्री राम विलास पासवान इसलिए क्योंकि उन्होंने उन्हें कभी देखा तक नहीं। इन दोनों दृष्टिकोणों से यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यह देखने के लिए कि इसमें गांधी जी के जीवन को सच्ची भावना से दर्शाया गया है और उनके वास्तविक सन्देश को व्यक्त किया गया है, फिल्म के निर्माण के पूरे दौर में पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए।

जहां तक भारत का सम्बन्ध है, इस फिल्म का हिन्दी रूपान्तर भी तैयार किया जाएगा। अतः यह भारतीयों के लिए भी उपलब्ध होगी। परन्तु जैसा कि मैं शुरू में कह चुका हूँ यह एक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म है जो कि मुख्य रूप से देश से बाहर के दर्शकों के लिए बनाई गई है। यदि इस समय गांधीजी पर फिल्म नहीं बनाई जाएगी तो भारत के लोग अधिक घाटे में नहीं रहेंगे। परन्तु क्योंकि उन्होंने ऐसा अनुभव किया है और बाहर के लोग ऐसा अनुभव करते रहे हैं, जैसा कि मैंने कुछ सन्दर्भों से उद्धृत किया है, कि आज गांधी जी का सन्देश विश्व के लिए बहुत ही

संगत जान पड़ता है इसलिए वे इस फिल्म को बनाने के इच्छुक हैं। अतः उस भावना से यह फिल्म बनेगी और मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि इसमें सभी प्रकार की सावधानी बरती जायेगी। आचार्य विनोबा भावे तथा अन्य बड़े-बड़े नामों का जिक्र किया गया है.....

एक माननीय सदस्य : पंडित जी का भी।

श्री वसन्त साठे : पंडित जी इससे सम्बद्ध थे और जब यह निर्णय लिया गया वे मंत्री मण्डल के सदस्य थे।

प्रो० मधु दण्डवते : गाँधी जी की छवि के बारे में भी कुछ कीजिए। फोटो तो कृषि मंत्री की तरह लगता है.

श्री वसन्त साठे : मैं विश्वास दिला सकता हूं कि वह इस बात की सावधानी बरतेंगे और निर्माता में भी इस बात की जिज्ञासा है।

एक प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक सैनानी और दलितों के मसीहा के रूप में गांधी जी की छवि को सही ढंग से उभारा गया है या नहीं। मैं उनका एक... ...उद्धृत करता हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो मार्क्सवादी प्रश्न है।

श्री वसन्त साठे, पांडुलिपि के पृष्ठ 72 पर गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने उनके भाषण को उद्धृत किया है। गांधी जी ने यह बात कहीं :—

"वे अनपढ़ हो सकते हैं परन्तु वे अन्धे नहीं हैं। वे उन धनी और शक्तिशाली लोगों के प्रति अपनी वफादारी निभाने में कोई कारण नहीं देखते जो केवल आजादी के नाम पर अंग्रेजों की भूमिका निभाना चाहते हैं।"

और आगे वह कहते हैं :—

"यह कांग्रेस विश्व को बताती है कि वह भारत का प्रतिनिधित्व करती है। मेरे भाईयो भारत में तो 700,000 गांव हैं——"

यह विभाजन से पहले कि बात है। '...दिल्ली और बम्बई के यह कुछ सौ वकीलों की बात नहीं है। जब तक हम तपते सूरज के नीचे प्रतिदिन कठिन परिश्रम कर रहे उन लाखों लोगों के साथ खेतों में नहीं खड़े होते, तब तक हम भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते और न ही हम अंग्रेजों को एक राष्ट्र के रूप में ललकारने में भी कभी सफल होंगे।'

सारी फिल्म में ऐसी ही बातें उनके मुंह से कहलाई गई हैं जो कि महात्मा गांधी के जीवन का सही सन्देश देती हैं। मुझे विश्वास है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण को पंडित जी अवश्य याद करेंगे।

प्रो. मधु दण्डवते : वह विभाजन नहीं चाहते थे। (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : मैं विभाजन की बात नहीं कर रहा हूं।

तो महोदय, मेरे विचार से मेरी बात पूरी हो गई है। मुझे आशा और विश्वास है कि विपक्ष को मिलाकर सदन के सभी सदस्य सन्तुष्ट हो गये होंगे कि उनकी सभी आशंकाएं अब दूर कर दी गई हैं।

मुझे पूरा विश्वास है कि देश में कहीं भी इस फिल्म का विरोध नहीं होगा।

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल सोमवार 1 दिसम्बर के 11 बजे म. पू तक के लिए स्थगित होती है।

7. 2 मध्यान्ह पश्चात

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 1 दिसम्बर, 1980/10 अग्रहायण 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 पुरानी साइकिल मार्किट दिल्ली-6